द्वादश माला, खंड 5, अंक 32

बुधवार, 29 जुलाई, 1998

7 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 32, बुधवार, 29 जुलाई, 1998/7 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 602 से 605	2-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 606 से 621	22-81
अतारांकित प्रश्न संख्या 6093 से 6229	81-196
सभा पटल पर रखे गए पत्र	196-200
राज्य सभा से संदेश	200
स्थायी समितियों के प्रतिवेदन	
संचार सम्बन्धी स्थायी समिति	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	201
रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति	
तीसरा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) तथा दूसरा और चौथा प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)	201-202
शहरी और ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति	
आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन	202
जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में आंतकवादियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या के बारे में	202-215
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में कर्मचारियों को वेतन और अन्य कानूनी देयों का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्री नादेन्दला भास्कर राव	223
श्री सिकन्दर बख्त	223
श्री एम० राजैया	225
श्री बसुदेव आचार्य	226
श्री विकास चौधरी	229
डा० सत्यनारायण जटिया	233
श्रीमती सुषमा स्वराज	234
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी	238

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद को उद्योग शून्य जनपद घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम शकल 239

(दो) चतरा, बिहार में केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल 239

(तीन) गुजरात में सरदार सरोवर योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया 240

(चार) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाण-पत्र को दिल्ली के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के समतुल्य माने जाने की आवश्यकता

श्री पी०एम० सुधीरन 240

(पाँच) महाराष्ट्र में नासिक और धुले जिले में आदिवासी ग्रामीणों के लिये गोचन स्थल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री डी०एस० अहिरे 241

(छह) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सड़क निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 242

(सात) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग - 17 के विकास कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन 242

(आठ) तमिलनाडु के नामक्कल ज़िले में पोन्नी चीनी मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के संबंध में निदेश दिये जाने की आवश्यकता

श्री के० पलानीस्वामी 243

(नौ) महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले की पनवेल तहसील में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री रामशेठ ठाकुर 244

(दस) केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आंग्ल-भारतीय समुदाय को विशेष वर्ग के रूप में आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता

डा० बीट्रिक्स डिसूजा 244

(ग्यारह) बिहार में, विशेष रूप से रांची में राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 244

(बारह) देश में स्कूली बच्चों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री टी०आर० बालू 245

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या 246

श्री प्रमथेस मुखर्जी 247

विषय कॉलम

श्री के० पलानीस्वामी 249

श्री के०एस० राव 251

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम 254

श्री सुनील खां 255

श्री रामदास आठवले 256

श्री प्रभूदयाल कठेरिया 257

श्री विक्रम केशरी देव 259

श्री सिकन्दर बख्त 260

खंड 2 से 6 और 1 264-265

पारित करने के लिए प्रस्ताव 265

नियम 193 के अधीन चर्चा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री भुवनेश्वर कालिता 266

श्री समर चौधरी 269

श्री तपन सिकदर 273

आधे घंटे की चर्चा

स्वच्छ पेय जल के संबंध में

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन 275

श्री सुधीर गिरि 278

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 279

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी 280

श्री शैलेन्द्र कुमार 281

श्री बाबागौड़ा पाटील 284-292

लोक सभा

बुधवार, 29 जुलाई, 1998/7 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न सं. 602 पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में कल 16 हिन्दुओं की हत्या की गई है ···*(व्यवधान)* वहां पर नर-संहार हो गया और 16 हिन्दु मार दिये गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, मैं आपको शून्य काल के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को बोलने दें। कृपया व्यवधान न डालें। यह शून्य काल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. चाको, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, वहां चुन-चुनकर हिन्दुओं को मारा जाता है ···*(व्यवधान)* चूंकि वे हिन्दू थे, इसलिए हिन्दू कहना पड़ रहा है। ···

श्री अजीत जोगी : आप सरकार से अपना समर्थन वापस ले लीजिये' जो हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकती ···

[अनुवाद]

आप इस सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जबकि यह हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपके राज में इसकी शुरुआत हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

परमाणु अप्रसार

*602. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बीजिंग यात्रा के दौरान दक्षिण एशिया में परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देने और भारत-पाक मतभेदों के निराकरण हेतु मिलकर काम करने के लिए अमरीका और चीन के बीच हुए समझौते की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो दो महाशक्तियों चीन और अमरीका द्वारा परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देने के आशय से उनके द्वारा की गई घोषणा पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जबकि इसके पहले चीन परमाणु हथियारों, प्रौद्योगिकी और मिसाइलों का हस्तांतरण करके इस सिद्धांत का लगातार और बार-बार उल्लंघन करता रहा है; और

(ग) क्या सरकार इस समझौते को बीते युग के साम्राज्यवाद और दादागिरी की मानसिकता का द्योतक समझती है, और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) दक्षिण एशिया में शान्ति, स्थिरता तथा सुरक्षा कायम करने के संयुक्त अथवा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के इन दोनों देशों के झूठे दावे की धारणा को सरकार स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है। यह बड़ी बिडम्बना है कि ये दोनों देश, जिन्होंने नाभिकीय हथियारों के अक्षुण्ण प्रसार और हमारे पड़ोस में डिलीवरी सिस्टम को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया है, अब परमाणु अप्रसार के लिए निर्धारित मानदण्डों को मानने की बात कर रहे हैं।

(ग) जी हाँ। यह धारणा विगत युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अधिपत्यवादी मानसिकता को परिलक्षित करती है तथा यह पूर्णतः अस्वीकार्य है और मौजूदा विश्व व्यवस्था में असंगत है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, मैं किसका अभिनन्दन करूं, कृषि मंत्री का अभिनन्दन करूं या प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करूं या श्री जसवंत सिंह का अभिनन्दन करूं? यह पहली बार

अध्यक्ष महोदय : अभी तो इन मंत्री जी का अभिनन्दन करो।

श्री सुशील कुमार शिंदे : हां, अभी तो इन मंत्री का अभिनन्दन करना चाहिये। अध्यक्ष जी, सरकार अभिनन्दन की पात्र है कि इन्होंने प्रश्न का बहुत ही कैटेगोरिकल रिप्लाई दे दिया।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): यही कंस्ट्रक्टिव अपोजीशन का रोल है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अब जरा आगे सुनिये जिस पर मैं आ रहा हूं। श्री बिल क्लिंटन ने चीन की यात्रा करने के बाद बार-बार कहा है। *[अनुवाद]* चीन दक्षिण एशिया में सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राष्ट्र होने की भूमिका निभा रहा है तथा निभाता रहेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, चीन और अमरीका बला के दो राष्ट्र हैं, एक डैमोक्रेसी का समर्थक है तो दूसरा डिक्टेटरशिप का समर्थक है। लेकिन श्री बिल

क्लिंटन साउथ एशिया के बारे में कह रहे हैं कि एक दादा दूसरे दादा का समर्थन कर रहा है। जो साउथ एशिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, वह भारत है। क्या यह दबाव की नीति है और दबाव की इस नीति को स्वीकार करते हुए भारत आज सीटीबीटी पर सिगनेचर करने की सोच रहा है या भारत की वही भूमिका रही जैसे मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत फर्मली दिया है, वही उत्तर रहेगा, या इकोनॉमिक सैंक्शन्स के दबाव में और बड़े दो दादाओं के दबाव में जो स्ट्रैटेजिक सिगनिफिकैन्स की भाषा साउथ एशिया में प्रयोग की जा रही है, उस बारे में सोचकर आप सीटीबीटी पर सिगनेचर करना चाहते हैं? आपकी सरकार की क्या नीति है यह मंत्री महोदय बताएं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने अभिनन्दन करने की बात कही, इसमें यदि अभिनन्दन करना है तो उस सहमति का अभिनन्दन करना चाहिए जिसमें आप और हम सब साथ हैं। उसी सहमति के आधार पर माननीय प्रधान मंत्री जी आज कोलंबो में हैं, और उसी नीति को चालू रखने के लिए माननीय जसवन्त सिंह जी आसियान रीजनल फोरम के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनीला गए हुए हैं। जहां तक अमेरिका और चीन की इस दुरभि संधि का प्रश्न है, यह बात आपने सही कही है कि एक समय था जब अमेरिका आणविक अस्त्रों के प्रसार, नाभिकीय प्रयोगों के विषय में और मानवाधिकारों के विषयों पर चीन की निन्दा करने से थकता नहीं था, परंतु 1992 के बाद और खास तौर से थिन्नामन चौक की घटना के उपरांत चीन ने विश्व के रंगमंच पर अपनी एक नयी भूमिका बनाने की रणनीति बनाई और अमेरिका सहित सारे देशों से इस स्थिति की मान्यता के लिए उसने प्रयास शुरू किये। दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका ने उनके इन प्रयासों को स्वीकृति दी, उसको एक प्रकार से मान्यता भी दी और तब से उनका यह आपसी तालमेल चल रहा है। एक तरफ वह हमें कहते हैं कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करें, नाभिकीय परीक्षण के ऊपर वे चिन्ता व्यक्त करते हैं, और दूसरी तरफ पर्याप्त प्रमाण इस बात के होने के बावजूद कि चीन और कोरिया के जरिये गुप्त रूप से, अवैधानिक रूप से पाकिस्तान को उनके प्रक्षेपास्त्र विकास के लिए और नाभिकीय कार्यक्रम के लिए सहायता मिलती रही है, उससे अमेरिका बचता रहा है।

जहां तक हस्ताक्षर करने का प्रश्न है, यह सोची-समझी नीति है। इसमें आप और हम सब इकट्ठे हैं। इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी भेदभावपूर्ण अणु प्रसार संधि अथवा परीक्षण निरोध संधि के ऊपर भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा, जब तक भारत के सुरक्षा हितों की प्रर्याप्त व्यवस्था नहीं मान ली जाती।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जसवंत सिंह जी ने भारत के राजदूत के रूप में पूरे विश्व में घूमना शुरू किया है और वे अपनी नीति को बताने का काम कर रहे हैं। मनाली की कॉन्फ्रेन्स के बारे में अभी उन्होंने बताया और मनीला कॉन्फ्रेन्स में भारत की नीति पर सहमति हो गई है और भारत सरकार की तरफ से एक अच्छी डिप्लोमेसी उन्होंने वहां प्ले की है। जब 11 और 13 मई, 1998 तारीख को परमाणु परीक्षण किये गए, उस वक्त हम इस तरफ से पूछ रहे थे कि क्या जरूरत थी ऐसा कहने की? क्या ऐसा वक्त आ गया था कि चीन और पाकिस्तान के विरोध में आप भाष्य करें। आपकी डिप्लोमेसी किसी तरह की है इसका एक सबूत मिलता है कि गौरी के स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भारत पर निशाना लगाने की उन्होंने एक नीति अपनाई। उनको यह मालूम था कि देश में सबसे ज्यादा इंटेलीजेन्स कलेक्शन पर ज्यादा महत्व देना चाहिए और देते हैं, पर्टिकुलरली अंतर्राष्ट्रीय विचारों पर जब गोष्टी होती है तब वे देते हैं। यह बात जब हम सीटीबीटी पर सिगनेचर नहीं कर रहे थे, पूरी दुनिया को मालूम थी कि हमारी कैपेबिलिटी क्या थी। जब 'गौरी' मिसाइल की फायरिंग हुई *(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : सवाल पूछिये।

श्री सुशील कुमार शिंदे : सवाल ही पूछ रहा हूं, यदि आपका फॉरेन पालिसी में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 'गौरी' की टैस्ट फायरिंग हुई, उस वक्त 11 और 13 मई तक भारत सरकार किसी इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर एजीटेट नहीं हुई कि हमारी सिक्युरिटी धोखे में हैं। हम 11 और 13 मई को कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं बताना चाहिए। लेकिन इसके बारे में स्ट्रेटेजिक नीति क्यों नहीं बनाई गई? क्या यह आपकी फॉरेन पालिसी का फेल्योर है या नई सरकार का फेल्योर है?

श्री सोमपाल : जब भी भारत के पड़ोस में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जैसे 'गौरी' मिसाइल का परीक्षण हुआ या और दूसरे प्रयोग हुए, भारत ने राजनयिक स्तरों पर, सभी कूटनीतिक स्तरों और अन्य माध्यमों के द्वारा सभी मंचों पर इस बात को उजागर करने का काम किया है। चीन से इस संबंध में बात उठाई गई। यह अवश्य है कि हमें चीन का प्रत्युत्तर कभी भी संतोषजनक नहीं मिला। अमरीका के साथ भी यह बात उठाई गई और जितने भी मंच हैं, सब पर यह बात उठाई गई।

अभी हाल ही में मनीला में यह बात आई और इसी कारण पाकिस्तान को उस सम्मेलन में भाग लेने से रोक दिया गया। यह हमारी कूटनीतिक पहल की सफलता का ताजातरीन प्रमाण है। इसी प्रकार 'दक्षेस' सम्मेलन जो अभी कोलम्बो में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान ने इन विषयों को सम्मिलित कराने का प्रयास किया लेकिन वे सम्मिलित नहीं किये गये। अत: ऐसी बात नहीं है। हम भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैंने पूछा था कि आपने 11 मई तारीख से पहले क्यों नहीं किया, मेरा बहुत प्वाइंटिड क्वश्चन है, उसका रिप्लाई नहीं मिला।

[अनुवाद]

मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है। क्या यह इस सरकार की विफलता थी अथवा भारत की विदेश नीति की ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बीर सिंह महतो।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। उन्हें इसके बारे में बताने दीजिए।

श्री सोमपाल : महोदय, इसे विफलता नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है।

श्री बीर सिंह महतो : अध्यक्ष महोदय, एक समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि सरकार सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहूँगा कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही हैं या नहीं।

श्री सोमपाल : मैंने इसे पहले प्रश्न के मेरे उत्तर में बता दिया है। मैं पुन: दुहराना चाहूँगा कि हम सी.टी.बी.टी. अथवा किसी अन्य संधि पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह हमारे सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर पूर्ण ध्यान नहीं देती है तथा जब तक कि यह भेदभावपूर्ण है।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, भारत में चीन के नवनियुक्त राजदूत ने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया है कि हालांकि पोखरन परीक्षण के पश्चात भारत और चीन के संबंधों में खिंचाव पैदा हो गया है फिर भी यह अस्थायी चरण है तथा यह समाप्त हो जायेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह एक सुविदित तथ्य है कि चीन पाकिस्तान को परमाणु आपूर्ति तथा तकनीक की जानकारी देने वाला एक प्रमुख राष्ट्र है। हमारा देश चीन के इस सानिध्य का सामना कैसे कर सकता है।

श्री सोमपाल : मैंने श्री शिंदे द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में इस मुद्दे का पहले ही उत्तर दे दिया है कि हमने स्थिति से समझौता नहीं किया है। हम इस मामले की सभी स्तर पर तथा चीनी प्राधिकारियों के उच्चतम स्तर पर उठा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर प्रतिक्रिया संतोषजनक कभी नहीं रही है।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर एक गंभीर स्थिति दर्शाता है। वास्तव में (क), (ख) तथा (ग) भाग में दिए गए उत्तरों को एक साथ देखने से पता चलता है कि हमारे तथा हमारे पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के बीच टकराव है।

महोदय, यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति का प्रश्न है। हमारी ही तरह पाकिस्तान तथा चीन भी इसके अत्याधिक इच्छुक हैं। इन परिस्थितियों में इसे स्वीकार नहीं किए जाने संबंधी उत्तर अस्वीकार्य है। इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है। वर्तमान सरकार द्वारा पड़ोसी तथा अन्य मित्र देशों को हमारी स्थिति समझने हेतु क्या राजनयिक कदम उठाए गए हैं तथा भारत सरकार द्वारा परमाणु परीक्षणों के बाद क्या कदम उठाए गए हैं।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को अमरीकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन की चीन की यात्रा तथा इसके पश्चात दोनों देशों के बीच हुए समझौते की जानकारी प्राप्त हो गई है। केवल यह जवाब दिया गया है कि 'जी हां' क्या समझौते का विवरण सरकार को ज्ञात है। यदि ऐसा है, तो सभा को इसके बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए ताकि स्थिति की गंभीरता को समझा जा सके।

श्री सोमपाल : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री बिल क्लिंटन की चीन की यात्रा तथा दोनों देशों द्वारा 27 जून 1998 को जारी संयुक्त वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं। हमें इस वक्तव्य की पूरी जानकारी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका विवरण दे सकता हूं। यह इस प्रकार है :

(1) अमरीका तथा चीन दक्षिण एशिया में परमाणु तथा मिसाईल हथियारों की होड़ को रोकने हेतु पी-5, सुरक्षा परिषद तथा अन्य स्तर पर आपस में अत्यधिक सहयोग के साथ कार्य करते रहेंगे।

(2) उन्होंने यह भी कहा है कि भारत तथा पाकिस्तान द्वारा हाल में किए गए परीक्षणों के परिणामस्वरूप इन दोनों देशों में बढ़ता हुआ तनाव चीन तथा अमरीका दोनों के लिए गंभीर तथा स्थायी चिंता का विषय है।

(3) उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान से आगे और परमाणु परीक्षण बंद करने तथा परमाणु हथियारों को तैयार करने अथवा इनकी तैनाती रोकने हेतु तथा परमाणु हथियारों को तैयार नहीं किए जाने. अथवा इसकी तैनाती रोकने की दृढ़ वचनबद्धता के लिए तुरंत तथा बिना शर्त सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है।

(4) उन्होंने परमाणु अप्रसार को अप्रसार संधि तथा परमाणु हथियारों को प्रमुख मुद्दा मानकर दृढ़ तथा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उनकी दृढ़ वचनबद्धता को भी दुहराया है।

(5) उन्होंने यह लक्ष्य भी रखा है कि वे यह चाहेंगे कि भारत तथा पाकिस्तान सहित सभी देश एनपीटी का पालन करना स्वीकार करें तथा उन्होंने यह भी कहा है कि भारत तथा पाकिस्तान द्वारा हाल में किए गए परमाणु परीक्षण के बावजूद इन्हें परमाणु हथियार वाले राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे परमाणु निरस्त्रीकरण तथा इससे संबंधित मुद्दों को पूरा करने हेतु वचनबद्ध हैं।

अत: हमारे पास पूर्ण जानकारी है तथा हम स्थिति के प्रति सजग हैं। हम सभी मंचों तथा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी स्तरों पर मिल रहे हैं। हम इस मुद्दे को हर मंच पर उठा रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, पूर्व के तीन प्रधान मंत्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए जायेंगे ? मंत्री महोदय ने आज कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह लगता है कि इस रवैये में कुछ परिवर्तन हुआ है। उन्होंने विशेषरूप से कहा है कि सीटीबीटी पर तब तक हस्ताक्षर नहीं किया जायेगा जब तक कि इसमें हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा संधि की गैर-भेदभावपूर्ण प्रकृति के अनुरूप सुधार न कर लिया जाए।

अब जब तक सरकार यह स्पष्ट रूप से नहीं बता दे कि उसके सुरक्षा संबंधी चिंतायें क्या हैं, संधि की गैर भेदभावपूर्ण प्रकृति क्या है सी.टी.बी.टी. में वो क्या-क्या बातें जोड़ी जानी हैं जिस आधार पर इस पर हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार्य होगा तब तक देश में यह आशंका बनी रहेगी कि सरकार अमरीका तथा पी-5 शक्तियों के दबाव के आगे झुक गई है।

श्री सोमपाल : महोदय किसी दबाव के आगे झुकने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रधान मंत्री जी द्वारा इसे बारंबार दुहराया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें।

श्री सोमपाल : इसे पूरी तरह स्पष्ट किया गया है प्रधान मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि भारत पर इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव नहीं डाला जा सकता है। हम इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सी.टी.बी.टी. पर बिना शर्त तथा तत्काल हस्ताक्षर कर दिया जाए। अत: हम ने घोषणा की है कि भारत सी.टी.बी.टी. के कतिपय प्रावधानों का पालन करने हेतु इच्छुक है। तथापि, इन निर्णयों को अपने आप नहीं लिया जा सकता है बल्कि यह आपसी व्यवहार पर निर्भर करेगा तथा इस सी.टी.बी.टी. के अंतर्गत ... *(व्यवधान)*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह पहले के दृष्टिकोण को हल्का करना है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री सोमपाल : महोदय यह स्पष्ट है दृष्टिकोण में कोई नर्मी नहीं आई है।

श्री मुरासोली मारन : मूल उत्तर में कहा गया है कि यह धारणा अंतर्राष्ट्रीय संबधों में विगत युग की अधिपत्यवादी मानसिकता को परिलक्षित करती है तथा यह विश्व वर्तमान व्यवस्था में पूर्णतया अस्वीकार्य और आसंगत है। अत: यह निंदनीय है। इसकी निंदा भारत में इस सभा के भीतर करने का क्या लाभ है? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने अमरीका के साथ कोई शिकायत दर्ज की है तथा क्या उन्होंने चीन को स्थिति से अवगत कराया है। यदि हां, तो इस संबंधन में क्या स्थिति है।

श्री सोमपाल : यह उसी प्रश्न तथा उन्हीं शब्दों की पुनरावृति है। जिसका प्रयोग माननीय सदस्य द्वारा इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूंछे जाने के समय किया गया है। मैं पुन: कहता हूं कि हमने इस मामले को सभी मित्र देशों के साथ उठाया है।

श्री मुरासोली मारन : क्या मंत्री महोदय ने अमरीकी सरकार के साथ शिकायत की है। क्या उन्होंने इससे चीन को अवगत कराया है?

श्री सोमपाल : हमने सभी राजनयिक स्तरों पर इस मामले को दोनों देश के साथ उठाया है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या वे सी.टी.बी.टी. पर कोई निर्णय लिए जाने के पूर्व संसद को विश्वास में लेंगे।

श्री सोमपाल : इस मुद्दे पर पूर्णतया एकमत तथा सर्वसम्मति है। अत: संसद की अनदेखी किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है *(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं हम एक प्रश्न पर पहले ही 20 मिनट चर्चा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूँ।

सहकारी ऋण संस्थायें

*603. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सहकारी ऋण संस्थाओं को अर्थक्षम बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके ऋण संबंधी कार्यों का विस्तार करने के लिए उनके घाटे की पूर्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को किन किन राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सहकारी ऋण ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एक सुधार पैकेज के प्रस्ताव वाली एक स्कीम भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री आर० साम्बासिवा राव : वर्तमान में सहकारी ऋण संस्थाओं का घाटा 6604 करोड़ रुपए है। वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण वसूली दर 54.44 प्रतिशत थी जो वर्ष 1996-97 में घटकर 33.17 प्रतिशत रह गई। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सरकारी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एक सुधार पैकेज के बारे में विचार किया जा रहा है मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की ऋण सुविधाओं को व्यावहारिक बनाने और उनका विस्तार करने के लिए नौवीं योजनावधि के दौरान इस राशि को बट्टे खाते में डालने का है।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, इस पैकेज का मूल उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

श्री आर० साम्बासिवा राव : ऐसा प्रतीत होता है कि आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने परस्पर लाभांवित सहकारी समिति अधिनियम को पहले ही लागू कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में निचले स्तर पर परस्पर लाभांवित सहकारी समिति अधिनियम को लागू करने का है ताकि सहकारी क्षेत्र का लाभ कृषि क्षेत्र के अधिकांश लोगों को और अधिक सुगमता से मिल सके।

श्री सोमपाल : हां, यह एक परस्पर लाभांवित अधिनियम है और इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा जिला सहकारी ऋण बैंकों को शामिल करते हुए निचले स्तर पर ऋण संबंधी ढांचे को बेहतर बनाना है। इस संबंध में राज्य और केन्द्र तथा जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक परस्पर सहमत होंगे। इसे बेहतर बनाने की संभावना है और इसे नौवीं योजना के दौरान लागू किया जाएगा।

श्री आर० साम्बासिवा राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी राज्य सरकारें इस सुधार पैकेज को लागू करेंगी ?

श्री सोमपाल : हां, सभी राज्य इसे लागू करेंगे लेकिन वह सहायता खुल्लम खुल्ली नहीं होगी। यह समझौता ज्ञापन के आधार पर दी जाएगी जिस पर सहकारी संस्थान हस्ताक्षर करेंगे और यह केवल उन्हीं संस्थानों को दी जाएगी जिनमें सुधार किया जा सकेगा और जिन्हें व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। इस पैकेज को पहले से तैयार किया जा चुका है। इस पैकेज पर इस वर्ष अप्रैल में सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया था। इसे वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। बहुत शीघ्र ही हम मंत्रिमंडल के पास एक टिप्पणी ले जाएंगें और निर्णय लेंगे। इस कार्य में दो अथवा तीन माह से अधिक का समय नहीं लगेगा।

श्री आर० साम्बासिवा राव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी अभी यह वायदा किया है कि वे बकाया ऋण राशि को बट्टे खाते में डालने जा रहे हैं।

श्री सोमपाल : मैंने पहले ही कह दिया है कि 6600 करोड़ रुपए की धनराशि और आवंटित की जाने वाली कुछेक करोड़ रुपए की प्रस्तावित धनराशि का उपयोग केवल घाटे को बट्टे खाते में डालने के लिए किया जाएगा।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश सहकारी ऋण बैंक अथवा संस्थाएं भ्रष्ट हैं और किसानों के लिए अभी भी उनसे आसानी से ऋण प्राप्त करना कठिन है? सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि छोटे किसानों को आसानी से ऋण मिल सके।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित सत्य है कि सहकारी ऋण प्रणाली और संरचना किसानों को विशेषरूप से सीमांत और छोटे

किसानों और आदिवासियों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का संबंध है, इस पैकेज में शर्तों और प्रक्रिया की एक सूची उल्लिखित है जिसका पालन सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना अपेक्षित है और केवल वही संस्थाएं जो उनका अनुपालन करेंगी, उन्हें ही वह सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य स्तर पर प्रत्येक ऋण संस्थान के लिए उस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

[हिन्दी]

श्री सी०डी० गामीत : अध्यक्ष महोदय, किसानों को खेती के लिए ऋण नहीं मिल रहा है। ज्यादातर किसानों को प्राईवेट साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है इसलिए वे अच्छी तरह से खेती नहीं कर पाते। उन्हें जो ऋण मिलता है, वह भी समय से नहीं मिल पाता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसानों को समय से ऋण दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में बताने की कृपा करें?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह टिप्पणी ठीक है कि कृषकों को पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त समय पर ऋण सुलभ नहीं रहता, उसमें कमी है। जहां तक सहकारी संस्थाओं और सहकारी वित्त संस्थाओं का विशेषकर प्रश्न है, ये इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमने जो नया पैकेज दिया है कौपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को रीवैम्प करने का, उसमें सुधार लाने का, सहकारिता की सारी ऋण संस्थाओं में जितने घाटे हुए है, उनको देखने का और उनकी गार्तिविधि को अधिक गतिशील करने का ताकि वे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त समय पर ऋण सुलभ कराए, उनके लिए ये सारी गतिविधियां की जाती रही हैं।

दूसरी बात यह है कि भारतीय कृषि विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है, उसके पूंजी आधार में अभी वृद्धि की गई है, उसे 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त इसी बजट में दिए गए हैं। रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आर०आई०डी०एफ० को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, उनके द्वारा एक निर्धारित प्रतिशत किसानों को ऋण देने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह 18 प्रतिशत था। *(व्यवधान)*

श्री सी०डी० गामीत : उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। *(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : मैं यह बात स्वीकार कर चुका हूं कि इस की कमी रही है। हमें थोड़ा सा समय दीजिए, आपने जितनी खराबी की हैं, उसे सब ठीक करेंगे।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत देश में शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राईब्स के कितने कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स हैं? ऐसे शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राईब्स कोआपरेटिव क्रैडिट इंस्टीट्यूशन्स को और ज्यादा कम्पैन्सेट करने के संबंध में क्या सरकार के पास कोई योजना है? यदि ऐसी योजना नहीं है तो क्या आप उसे बनाने वाले हैं? उस योजना को जल्दी बनाने के बारे में मैं मंत्री महोदय से रिप्लाई चाहता हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अलग से कितनी सहकारी ऋण संस्थाएं हैं, इसका आंकड़ा इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, परन्तु कुल कितनी सहकारी संस्थाएं हैं, उनका आंकड़ा यदि सदस्य चाहें तो मैं दे सकता हूं। यह बात ठीक है कि एक टार्गेटिड ग्रुप है, जो वीकर सैक्शंस है, कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष रूप से ऋण मुहैया कराने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और वे लक्ष्य वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर भी लागू होते हैं, सहकारी संस्थाओं के ऊपर भी लागू होते हैं, और दूसरी नाबार्ड जैसी संस्थाएं हैं, उनके ऊपर भी लागू होते हैं। हमने सहकारी संस्थाओं के सुधार का, पुनरुद्धार का जो पैकेज दिया है, उसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों को विशेष रूप से ऋण की उपलब्धता समय पर और पर्याप्त किये जाने का समावेश है।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सैक्टर में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, जो किसानों को लोन देते हैं, उनके द्वारा थर्ड पार्टी पेमेण्ट की शक्ल में किसानों को लूटा जा रहा है। क्या सरकार थर्ड पार्टी पेमेण्ट की व्यवस्था है, उनको खत्म करने के लिए तैयार है?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जो बात माननीय मंत्री जी ने कही थी, वह स्कीम कब आ रही हैं? ये दो बातें मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, थर्ड पार्टी पेमेण्ट से सांसद महोदय का क्या आशय है, इसके बारे में मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यह मंत्री जी को स्पष्ट है, परन्तु वे इस बात को छिपाना चाहते हैं। वे स्वयं किसान हैं, किसान जब सहकारी क्षेत्र से कर्ज लेते हैं तो उस समय उनको सीधी पेमेण्ट नहीं दी जाती, बल्कि किसी और को मीडिएटर के माध्यम से दी जाती है उनको लूटा जा रहा है। उनसे सेल्स टैक्स वगैरह लिया जाता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न करें।

श्री सोमपाल : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि जो ऋण किसान को दिया जाता है, उसके बजाय जैसे स्प्रिंक्लर सैट है और ड्रिप इर्रीगेशन है, कम्पनियों को उसका कर्ज दिया जाये। इसी संबंध में शायद माननीय सदस्य बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पेमेण्ट की बात मेरी समझ में नहीं आई। *(व्यवधान)*

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : किसान को जो कर्ज मिलता है, उसे कैश नहीं दिया जाता। उसको ट्राली लेनी है, इक्विपमेंट लेना है तो *(व्यवधान)* उसके फेक बिल बनाये जाते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० चन्दूमाजरा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में सहकारी ऋण समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई सहकारी समितियों को एनसीडीसी से वित्तीय सहायता मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टतापूर्वक जानना चाहूंगा कि एनसीडीसी से सहकारी ऋण समितियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और मानदंड क्या हैं। मैं माननीय

मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि क्या अधिनियम की धारा 11 को हटाये जाने के संबंध में मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव लंबित है।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जी हां, एनसीडीसी द्वारा विभिन्न राज्यों में सहकारी वित्तीय संस्थानों और सहकारी उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

मूल आवश्यकता इस परियोजना को अर्थक्षम बनाने की है। दूसरी बात यह है कि यह एक सहकारी परियोजना बननी चाहिये। तीसरी बात यह है कि राज्य सरकार इस परियोजना की संस्तुति करे। चौथी बात यह है कि इसके कतिपय मानदंड हैं। प्रत्यावर्ती अनुपात और अन्य बातों पर गौर किए जाने की आवश्यकता है। इन सभी मामलों में एक समान संहिता लागू होती है।

मेरे विचार से माननीय सदस्य बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11 के बारे में बात कर रहे हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह धारा कुछेक ऐसी बातों पर बल देती हैं जिनसे सहकारी ऋण समितियों की अर्हता प्रभावित होती है। हम इस पैकेज में यह बात भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सहकारिता के मामले में इसे कड़ाई से लागू न किया जाये *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : अध्यक्ष जी कम से कम एक महिला को तो मौका मिलना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री वी०धनंजय कुमार : एक मिनट। मैं आपके बारे में ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी०धनंजय कुमार : महोदय, यह सरकार कृषि क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र का ऋण बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। परन्तु अनुसूचित बैंक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने में रुचि नहीं ले रही हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों के कृषकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र को ऋण वितरित करने के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाओं से मुक्त शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय सहकारिता बैंक स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार करने जा रही है।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय स्तर पर एक ऐसा शीर्ष बैंक स्थापित करने की आवश्यकता सदैव महसूस की गई है इस संबध में अब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसकी आवश्यकता है।

श्री वी०धनंजय कुमार : महोदय, केन्द्र सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव लम्बित है।

श्री सोमपाल : यदि यह प्रस्ताव लंम्बित है। तो मैं इस पर विचार करने का वचन देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हूं। इस देश में नब्बे प्रतिशत जनता खेत और खलिहानों से जुड़ी हुई है। खेत और खलिहानों की बात इस सदन में बहुत होती आई है। माननीय मंत्री जी स्वयं खेत और खलिहानों से जुड़े हुए किसान हैं, इसलिए मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या वह कृषि को प्राथामिकता सूची में लाएंगे जिस वजह से राष्ट्रीय कृत बैंक कृषकों को पैसा देने में अपने आपको मजबूर पाते है? क्या कृषि को आप प्राथमिकता सूची में लाने की कोशिश करेंगे? अगर नहीं लाएंगे तो इसका क्या कारण है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदया को सूचित करना चाहता हूं कि कृषि पूर्व से ही प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित है। यह दूसरी बात है *(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ रही हूं। *(व्यवधान)* जिस वजह से हमें ऋण पाने में कष्ट होता हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हम स्वयं को मजबूर पाते हैं। *(व्यवधान)* इस देश का किसान ऋण पाने में असमर्थ रहता हैं। क्या आप कृषि को प्राथमिकता सूची में लाने की कोशिश करेंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि कृषि प्राथमिकता सूची में पहले से है, प्रायोरिटी सेक्टर में है परंतु यह बात दूसरी है कि माननीय सदस्या का अपना दल इसे प्राथमिकता सूची में रखने के बावजूद, जो अठारह प्रतिशत लक्षित ऋण का प्रवाह था उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाया। हम यह प्रयास जरूर करेंगे कि उसे पूरा किया जाए।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : हमें आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप इस तरह हमारी उपेक्षा करेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी : जब हम किसान की बात करते हैं तो आप उसे टरकाने का काम कर देते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

किसानों का मुआवजा

*604. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अन्य अनेक लोगों के साथ उन किसानों को, जिनकी फसलों की पैदावार नहीं हुई अथवा फसलें नष्ट हो गई, प्रति एकड़ 5000 रुपये का मुआवजा दिये जाने की मांग करते हुए 3 जुलाई, 1998 को दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी दी थी;

(ख) क्या इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से भी मिला था;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में फसल के हुए नुकसान का आकलन करने के लिये कोई दल भेजा था;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन किसानों को जिनकी फसलों की पैदावार नहीं हुई अथवा फसले नष्ट हो गई, प्रति एकड़ 5000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) दिनांक 3.7.1998 को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के किसानों का नई दिल्ली जिले में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें उन किसानों को पाँच हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति के भुगतान की मांग की गई, जिनकी फसलें खराब हो गई थी या जिन्हें नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सहित, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया एवं 14.15 बजे छोड़ दिया गया। उसके बाद, राज्य को पिछले दिनों प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न ज्ञापनों के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से उसी दिन मिला।

2. राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद, सिर्फ उसी मामले में केन्द्रीय दल भेजा जाता है जिसे प्रथम दृष्टि में विरल गंभीरता का मामला माना जाता है। दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से अब तक 13 राज्यों में 23 केन्द्रीय दल भेजे जा चुके हैं जिनका उद्देश्य फसलों सहित विभिन्न क्षेत्रों को हुए नुकसान की मात्रा तथा राहत एवं पुनर्वास उपायों की आवश्यकता का आकलन करना हैं। मध्य प्रदेश के मामले में, उपर्युक्त अवधि में चार केन्द्रीय दल भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 67.76 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं। 1997 के सर्दी के मौसम में भारी वर्षा के कारण राहत उपायों के लिए उनके अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

3. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार ने किसानों को आगत राजसहायता की दर 500 रु० प्रति हैक्टे० निश्चित की है। राज्य स्तरीय समितियाँ इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, राहत के लिए सहायता की मदों एवं उनके मानदण्डों के पुनरीक्षण के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति द्वारा लगभग तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना हैं।

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, एक काबिल मंत्री महोदय से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि किसानों के मुआवजे से संबंधित मेरे इस प्रश्न का जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया गया है। मेरे प्रश्न के भाग "च" में पूछा गया है-उन किसानों को जिनकी फसलों की पैदावार नहीं हुई अथवा फसलें नष्ट हो गई, प्रति एकड़ 5000 रुपए मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है? इस संबंध में मंत्री महोदय ने सिर्फ इतना कहा कि एक समिति का गठन किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि गत लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश में किसानों का जो नुकसान हुआ, उसके लिए पाँच हजार रुपए मुआवजे की मांग की थी। उस मांग को देखेत हुए, आज के प्रधान मंत्री और उस समय के लोकसभा के उम्मीदवार, उन्होंने यह सार्वजानिक रूप से कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में सरकार बनाती है, तो हम किसानों को 5000 रुपए की दर से मुआवजा देंगे। अगर उन्हें इस बात की जानकारी है, तो उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वह भी सही है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने दिल्ली आकर एक प्रदर्शन किया और प्रधान मंत्री जी से बैठक करके एक निवेदन किया तथा इस बात की मांग की कि किसानों को मुआवजा देने के लिए केन्द्रीय सरकार 2960.32 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को दे। यह मांग करने के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 67.76 करोड़ रुपए ही राज्य सरकार को दिए। माननीय मंत्री जी कृपया इस बारे में बतायें?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, श्री दिग्विजय सिंह जी, ने तीन जुलाई को दिल्ली में किसानों के एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया और उस दिन यहां गिरफ्तारी दी तथा 65 लोग गिर फ्तार हुए। उसके बाद उनके नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल प्रधान मंत्री जी से मिला भी था। उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 1997 में शरद् ऋतु में भारी वर्षा के कारण जो हानि हुई है, ओले पड़ने के कारण इस बात को पहले एक दफा रिजैक्ट कर दिया गया था, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए।

जहां तक 5000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात है, मेरी जानकारी के अनुसार सरकार ने इस प्रकार का कोई वायदा कभी नहीं किया है *(व्यवधान)*

श्री मुकुल वासनिक : माननीय अटल जी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी- आप कह दीजिए कि नहीं कही थी। *(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आप मान लीजिए कि आप चुनाव के पहले कुछ कहते हैं और चुनाव के बाद कुछ कहते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह तत्काल धारावाही वर्णन क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपयां अपने स्थान पर बैठ जायें।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सहायता दो कोषों से दी जाती हैं। माननीय सदस्य वासनिक जी ने पूछा कि क्या इसके लिए कोई समिति गठित की गई है? मैं उनको बताना चाहता हूं कि समिति गठित नहीं की गई है, बल्कि एक समिति एन सी आर सी के नाम से सदा विद्यमान है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति के रूप में काम करती है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के सारे प्रतिवेदन और जितने भी आंकलन हैं, वे समिति के पास आते हैं और जब भी इस प्रकार का स्मरण पत्र किसी भी राज्य से प्राप्त होता है, एक केन्द्रीय दल संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है उस आंकलन के अनुसार फैसले समिति के द्वारा किए जाते हैं। उसमें यह विचाराधीन है। यह बैठक पहले 23 तारीख को होनी थी, लेकिन वह किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई है, लेकिन जब भी अगली बैठक अगस्त में होगी, तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसमें कुछ मानदंड, कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त और उसके लिए कुछ नार्म्स बने हैं, उनके अनुसार सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सरकार संविधान के तहत काम करती है और कोई भी मनमाना निर्णय हम नहीं ले सकते। हम उस संवैधानिक व्यवस्था से बंधे हुए हैं और उसके अनुसार जितनी अधिकतम सहायता हो सकती है, उस पर विचार किया जाएगा।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और उसके तहत जो समिति बनी है, उसके बारे में मुझे जानकारी है। लेकिन जिस समिति का उल्लेख माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में किया, उस समिति का ही जिक्र मैंने किया था। माननीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा है; भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, राहत के लिए सहायता की मदों एवं उनके मानदंडों के पुनरीक्षण के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी रिपोर्ट तीन महीने में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिलेगी। मैंने अपने प्रश्न में इस समिति का जिक्र किया था, जब मैंने 5000 रुपए मुआवजे की बात कही थी।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में भी किसानों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, ओला गिरने की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से। इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, जितना इस बार हुआ है। इस नुकसान की वजह से 86 किसानों ने खुदकुशी की और महाराष्ट्र की सरकार ने सिर्फ 23 परिवारों को मदद देने का काम किया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए, वहां की जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्या कोई विशेष दल भेजा था कि वहां कितना नुकसान हुआ है? महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय आपदा कोष से कितने रुपए की मांग की और कितने रुपए केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को दिए-कृपया इस बारे में मंत्री महोदय जानकारी दें?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, उनके मानदंडों का पुनरीक्षण करने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए एक सीमित बैठाई गई है। इसका उत्तर माननीय सदस्य ने स्वयं ही दे दिया है कि उस समिति की रिपोर्ट दो-तीन महीने में आएगी, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। उस समिति में यह विचार किया जा रहा है कि अभी तक जितनी सहायता दी जाती है, वह निश्चित रूप से अपर्याप्त है और उसमें सुधार तथा संशोधन की आवश्यकता है। इसीलिए वह समिति बैठाई गई थी। उसकी रिपोर्ट आने वाली है, उस संबंध में इस सदन में भी विचार किया जा सकता है।

जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र को जो आपदा राहत कोष से वर्तमान वर्ष में आवंटन दिया जाना था, वह 75.64 करोड़ रुपये है। इसमें से 56.73 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार का अंशदान है और 18.91 करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार को वहन करना है। इस राशि में से 28.37 करोड़ रुपए दो तिमाही किस्तों में अवमुक्त किए जा चुके हैं। जहां तक राष्ट्रीय आपदा कोष से मांगने का प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार से आज तक कोई भी पत्र केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विशेष कर मध्य प्रदेश के किसानों से संबंधित है। चुनाव से पहले जो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा था, वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में किसानों के मामले में RBC की धारा 6/4 के तहत तब तक राशि बढ़ाने की बात नहीं कर सकते हैं, जब तक इस धारा में सुधार न हो। इसमें सुधार किए बगैर किसानों को पैसा देना संभव नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप मध्य प्रदेश सरकार को RBC की धारा 6/4 में संशोधन करने के लिए निर्देश देंगे और वे इसमें कब तक संशोधन करने वाले हैं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, संभवत: यह विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का है और यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संशोधन करना चाहती है या नहीं। वह एक विधिवत चुनी हुई उत्तरदायी सरकार है, इसलिए इसमें हमारा हस्तक्षेप करना संभवत: उचित नहीं होगा।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, जब मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने मांग की हैं, लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के वोट प्राप्त किए और अब मंत्री जी बोलते हैं कि इतना देंगे, उतना देंगे, यह बात ठीक नहीं है। किसानों को यहां भी फंसाया जा रहा है। मेरी मंत्री जी से मांग है कि जो वहां किसानों से वायदा किया गया था उसे पूरा करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप किसानों को पांच हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए सोच रहे हैं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूर्व किए गए प्रश्नों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा, जिसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ और मुख्य मंत्री जी सहित 65 लोगों तो गिरफ्तार किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने मर्यादा का, संविधान का उल्लंघन किया, मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तारी देकर संविधान की मर्यादाओं का हनन किया, प्रोटोकॉल को खत्म किया, क्या उसके लिए केन्द्र सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश को जो 67 करोड़ रुपए दिए गए, उसके वितरण में गड़बड़ी हुई, उसमें मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश ने जो भ्रष्टाचार किया, क्या उसकी मंत्री जी जांच करवाएंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी विधान अथवा वैधानिक व्यवस्था या शांति व्यवस्था के उल्लंघन का प्रश्न है, मैं पूर्व में ही सूचित कर चुका हूं कि 65 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुख्य मंत्री जी भी थे और यह कार्यवाही इस प्रकार के उल्लंघन को ठीक करने के लिए पर्याप्त थी। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, इस सारे मामलों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रशासन और उनके उत्तरदायित्व की भावना के ऊपर निर्भर करता है, इसमें जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अधयक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में 1997-98 में दो करोड़ 22 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी रबी और खरीफ की फसल को नुकसान हुआ। उस समय प्रदेश की सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की मांग की थी और कहा था कि अगर मार्च, अप्रैल, मई और जून में यह राशि मिल जाए तो 90 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उस 2100 करोड़ रुपए की मांग की एवज में तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, *(व्यवधान)* मैं प्रश्न ही कर रहा हूं, आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में अटल जी से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मिले। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी बराबर मदद करेंगे। जैसा आपने कहा है कि 67 करोड़ और 76 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय आपदा कोष से मध्य प्रदेश शासन को दी गई, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह पूरी राशि दे दी गई है या मात्र दस करोड़ रुपए दिए गए हैं। महोदय, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर 500 रुपए देने का अटल जी ने पूरे चुनाव में प्रचार किया और कहा कि अगर हमारी सरकार केन्द्र में आएगी तो हम 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से लोगों को मुआवजा देंगे। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज चौहान : महोदय, यह लगातार गलत बयान कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने 67 करोड़ रुपए और 76 लाख रुपए की राशि बताई है, क्या वह राशि मध्य प्रदेश सरकार को दे दी गई है।

जहां आप 500 रुपये की सिफारिश कर रहे हैं वहां आपने 5000 रुपये के मुआवजे का आश्वासन दिया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वोरा जी यह क्या है? यह प्रश्न काल है; शून्य काल नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष जी, माननीय श्री मोतीलाल वोरा इस संदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं और स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जहां तक उनका यह प्रश्न है कि प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को आश्वासन दिया गया था कि उनका प्रतिवेदन विचाराधीन है और उसमें अधिकतम राशि जो मानदंडों के अनुसार संभव होगी, वह दी जाएगी।

दूसरी बात उन्होंने कही कि यह राशि अवमुक्त की गयी है या नहीं, इस बारे में मुझे कहना है कि 45.26 करोड़ रुपये की राशि 26 जून 1997 को और 22.50 करोड़ रुपये की राशि 14 जनवरी 1998 को दे दी गयी है। ये दोनों राशियां पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश सरकार को दे दी गयी हैं।

तीसरा सवाल उनकी तरफ से इस पूरे मुद्दे को राजनीति में उलझाने के कारण किया जा रहा है, उसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

[हिन्दी]

जैव-कृषि

+

*605. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रासायनिक उर्वरकों की अधिक लागत और पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कम लागत वाली कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में जैव-कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों पर निवेश करने का है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग) जी, हां। ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष (1998-99) के लिए एक तथा कार्यक्रम तथा वित्तीय आबंटनों का योजनावार विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

अनुबंध-I

(क) जी हां।

(ख) जी हां। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय रसायनों के उपयोग को कम करने/समाप्त करने के लिए जैव कृषि पर बल दे रहा है तथा कम लागत की कृषीय एवं पारिस्थितिकी अनुकूल प्रबंध प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रहा है। इन पहलुओं पर प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत है:

- उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग की योजना
- जैव उर्वरकों के विकास तथा उपयोग के बारे में राष्ट्रीय प्रायोजना
- कम खपत वाले क्षेत्रों में पूर्वी राज्यों के विशेष संदर्भ में, उर्वरकों की उपयोग क्षमता में सुधार करना।
- समेकित नाशीजीव प्रबंध (पौध संरक्षण उपाय)

(ग) जी हां। कुशल पौध पोषक पदार्थों तथा पर्यावरण प्रबंध के लिए कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु परिषद अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं को कार्यान्वित कर

रही है जो इस प्रकार है: फसल प्रणाली अनुसंधान, खरपतवार नियंत्रण, दीर्घावधि उर्वरक प्रयोग, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सूक्ष्मपोषक तत्व, मृदा परीक्षण की फसल पर प्रतिक्रिया, जीवाणुओं से होने वाली अपघटन तथा कार्बनिक अपशिष्ट का पुनश्चक्रण, जल प्रबंध।

समेकित नाशीजीव प्रबंध पद्धतियों के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केन्द्र भी कार्य कर रहा है।

अधिक उर्वरक उपयोग दक्षता प्राप्त करने तथा स्वस्थ पर्यावरण बनाएरखने के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकियों में, पौध पोषक पदार्थों का संतुलित उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों तथा कार्बनिक पदार्थों का संयुक्त उपयोग करना, हरी खाद डालना, फसल प्रणाली में फलीदार फसलों को शामिल करना, जैव उर्वरकों का उपयोग करना तथा समेकित पौध पोषक पदार्थों की प्रणाली शामिल है।

अन्य कम लागत की जिन प्रौद्योगिकियों की सिफारिश की जा रही है वे हैं: उपयुक्त फसल किस्मों का चयन, उपयुक्त समय पर उर्वरकों का उपयोग तथा उपयुक्त प्रणालियां अपनाना, समय से बुवाई, पौधों की उचित संख्या बनाए रखना, समय से अंतर-सस्यन तथा खरपतवार हटाना।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उन प्रायोजनाओं के लिए जो कि विशेष रूप से उर्वरक प्रबंध तथा कम लागत की प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान कार्य कर रही है, चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए 3500.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध केन्द्र के लिए वर्ष 1998-99 के लिए 94.50 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने उर्वरक प्रभाग हेतु चालू वर्ष 1998-99 के लिए 1600.00 लाख रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान कृषि विभाग (भारत सरकार) द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है:

i) उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग की योजना — 559.00 लाख रु०

ii) जैव उर्वरकों के विकास तथा उपयोग के बारे में राष्ट्रीय प्रायोजना — 586.00 लाख रु०

iii) कम खपत वाले क्षेत्रों में पूर्वी राज्यों के विशेष संदर्भ में, उर्वरकों की उपयोग दक्षता में सुधार करना। — 300.00 लाख रु०

iv) समेकित नाशीजीव प्रबंध केन्द्र — 948.00 लाख रु०

अनुबंध-II

पौध पोषक पदार्थों तथा कम लागत की प्रौद्योगिकी के विकास पर अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं तथा संस्थानों के लिए बजट का आंवटन (1998-99)

(बजट 1998-99)
(रुपये लाख में)

1.	फसल प्रणाली अनुसंधान पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 354.00
2.	खरपतवार नियंत्रण पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 90.00
3.	कृषि मौसम विज्ञान पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 100.00
4.	जल प्रबंध पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 210.00
5.	दियारा भूमि सुधार पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 25.00
6.	बारानी खेती पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 290.00
7.	लवण प्रभावित मृदाओं पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 65.00
8.	भूजल उपयोग पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 45.00
9.	जुताई आवश्यकताओं पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 50.00
10.	बी.एन.एफ. पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 45.00
11.	दीर्घ अवधि उर्वरक पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 33.00
12.	एस टी सी आर पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 85.00
13.	सूक्ष्म जैविक अपघटन पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 38.00
14.	सूक्ष्म पोषण तत्वों पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 88.00
15.	कृषि वानिकी पर अ.भा.स.अनु.प्रा.	रु० 115.00
संस्थान		
1.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	रु० 120.00
2.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	रु० 120.00
3.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए के.कृ.अनु. सं. पोर्टब्लेयर	रु० 85.00
4.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	रु० 80.00
5.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनु. और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	रु० 120.00
6.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी, मेघालय	रु० 220.00
7.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	रु० 280.00
8.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर	रु० 130.00
9.	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी	रु० 120.00
10.	राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	रु० 100.00
11.	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर	रु० 187.00
12.	जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय, पटना, (बिहार)	रु० 155.00
13.	फसल प्रणाली अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय मोदीपुरम, मेरठ	रु० 150.00
	कुल योग	रु० 3500.00 लाख

राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध केन्द्र	रु० 94.50 लाख
जैविक नियंत्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना	रु० 50.00 लाख
कुल आंबटन (कृषि मंत्रालय-उर्वरक यूनिट तथा भा.कृ.अ.प.)	रु० 5244.50 लाख

[अनुवाद]

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारी कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती जा रही है अब कई जगह कृषि भूमि ऐसी स्थिति में पहुंच गयी है जहां लाखों हैक्टेयर कृषि भूमि बंजर हो गयी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृषि भूमि को बंजर होने से रोकने के लिए कृषि विभाग क्या कोई कार्रवाई या कदम उठा रहा है?

दूसरा, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारे कृषि उत्पाद धीमे जहर में बदल गए हैं। मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि इस कारण हमारी जनता को कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन रासायनिक खादों के बढ़ते प्रयोग को रोकने के लिए क्या कृषि विभाग कोई उपाय कर रहा है जिससे कृषि में हमारा उत्पादन भी न घटे और इनसे आम जनता को नुकसान भी न हो।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष जी, हमारे विद्वान कृषक सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बातें उठाई हैं वे निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। रासायनिक पदार्थों के रूप में कीटनाशक, परजीवी नाशक, खरपतवार नाशक, फुंगी नाशक रसायनों के प्रयोग के कारण बहुत सारे असंतुलन न केवल मृदा में या खाद्य श्रृंखाला में हो रहे हैं अपितु वातावरण में, भूमि के ऊपर और नीचे जल में भी होने के काफी स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए हैं। इसलिए भारत सरकार की रणनीति यह है कि इन रासायनिक खादों के प्रयोग को सीमित किया जाए और उनका प्रयोग कम्पोस्ट जैसी जैविक खादों और दूसरी जैविक खादों के साथ किया जाए, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और यह टिकाऊ खेती, सस्टैनेबल एग्रीकल्चर के हित में भी होगा। इससे असंतुलन भी समाप्त होगा तथा कम लागत से कृषक उतनी ही पैदावार सभी फसलों की ले सकेंगे जितनी पहले लेते थे। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है तथा कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा भी एक योजना चलाई जा रही है। साथ ही हमारी जो दूसरी संस्थाएं हैं और प्रदेश की सरकारें हैं उनको भी इस संबंध में सहायता दी जा रही है जिनका विवरण बहुत विस्तृत है, आप कहें तो मैं पढ़ सकता हूं अन्यथा माननीय सदस्य को इनका विवरण बाद में दे दिया जाएगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उपाय बताए हैं उनकी जानकारी आम जनता को नहीं है, कागजों पर ही ऐसी योजनाएं चलती हैं। हालांकि यह सरकार तो चार महीने पहले बनी है, पिछली सरकारें ही इसमें दोषी हैं, लेकिन आम जनता तक यह जानकारी पहुंचे, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे प्रचार-प्रसार और अनुसंधान के केन्द्र एवं संस्थाएं हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, उनके विभागों को इस संबंध में प्रवृत्त किया जाता है और जानकारी भी दी जाती है। हम इनके प्रशिक्षण, शिक्षण और जानकारी के प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल खत्म हो गया।

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष महोदय, सोमपाल आवर खत्म हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादन

*606. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कुल कितने क्षेत्रफल भूमि में गन्ने की खेती की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान गन्ना अनुसंधान और विकास कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कुल कितनी धनराशि की सहायता दी गई; और

(ग) राज्यों में खासतौर पर मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को समुचित लाभकारी मूल्य देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान गन्ने की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण- I में दर्शाया गया है।

(ख) गन्ना संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तथा गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के सतत विकास के अंतर्गत राज्यों को गन्ने पर अनुसंधान और विकास कार्य के लिए वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता के ब्यौर संलग्न विवरण- II में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, गन्ना विकास कोष, प्रमुख प्रदर्शन तथा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम और गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के सतत विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण के अंतर्गत गन्ने पर अनुसंधान के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि दी जाती है तथा पिछले तीन वर्षों में कृषि ऋण उत्पादन उपकर कोष स्कीमों के अंतर्गत किए गए अनुसंधान का ब्यौरा इस प्रकार है:-

कार्यक्रम/स्कीम	धनराशि (लाख रुपये में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
1. गन्ना विकास कोष	28.91	225.00	253.60
2. प्रमुख प्रदर्शन तथा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम	21.61	22.08	40.42
3. कृषि उत्पाद उपकर कोष	10.35	24.61	37.80

(ग) आवश्यक जिंस अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और कोई भी चीनी फैक्टरी गन्ने के इससे कम मूल्य का भुगतान नहीं कर सकती। लेकिन, व्यावहारिक रूप से किसानों को गन्ने के राज्य द्वारा तय मूल्यों का भुगतान किया जाता है जो सांविधिक न्यूनतम मूल्य से बहुत अधिक होता है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान गन्ने के क्षेत्र के अनुमान क्षेत्र (हजार हैक्टयर में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	213.8	199.0	192.0
असम	35.9	32.5	33.0
बिहार	125.1	140.0	170.0
गुजरात	161.6	166.8	155.0
हरियाणा	144.0	163.0	140.0
कर्नाटक	313.2	254.5	241.0
केरल	6.1	5.8	8.0
मध्य प्रदेश	47.9	58.1	53.0
महाराष्ट्र	580.0	516.2	460.0
उड़ीसा	27.3	22.00	30.0
पंजाब	132.0	173.0	132.0
राजस्थान	28.0	26.7	20.0
तामिलनाडु	326.2	271.2	293.0
उत्तर प्रदेश	1974.4	2100.6	1956.0
पश्चिम बंगाल	17.2	24.9	20.0
अन्य	14.7	14.5	14.0
अखिल भारत	4147.4	4167.8	3917.0

विवरण- II

(रुपये लाख में)

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गन्ने वाले राज्यों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

(गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना)

क्र. सं.	राज्य/कृषि विश्व विद्यालय का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	5.44	4.61	4.61
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जौरहट (असम)	4.26	3.22	4.00
3.	आर.ए.यू.पूसा (बिहार)	7.18	4.88	4.88
4.	यू.ए.एस.बंगलौर (कर्नाटक)	4.52	3.01	1.79
5.	यू.ए.एस. धारवाड (कर्नाटक)	2.54	1.94	1.94
6.	चौ.चरण सिंह हिसार, कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	8.67	5.09	5.09
7.	केरल कृषि विश्वविद्यालय (थ्रेयूर) (केरल)	2.97	2.84	2.83
8.	जे.एन. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	5.79	4.83	4.83
9.	महाराष्ट्र प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय, राहुडी (महाराष्ट्र राज्य)	9.28	7.16	7.15
10.	ओ.यू.ए.टी. भुवनेश्वर (उड़ीसा)	3.34	3.16	3.16
11.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाणा (पंजाब)	1.02	4.77	5.53
12.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर— (राजस्थान)		1.94	1.94
13.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	4.96	2.82	2.10
14.	गोविन्द बल्लभ पंत यू.ए.टी. पंतनगर (उत्तर प्रदेश)	3.75	3.10	1.90
	कुल : 1 से 14	63.72	53.37	51.75

विवरण-III

वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के दौरान गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र के सतत् विकास की स्कीम के अन्तर्गत की गई निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	210.92	77.25	—
असम	43.66	—	—
बिहार	159.13	—	70.67
गुजरात	166.64	17.00	18.00
हरियाणा	112.82	25.00	75.00
कर्नाटक	247.92	50.00	100.00
केरल	25.56	22.31	20.00

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	87.08	18.00	27.00
महाराष्ट्र	507.12	299.70	348.50
उड़ीसा	54.73	18.00	40.00
पंजाब	124.40	13.60	—
राजस्थान	56.60	10.00	12.00
तामिलनाडु	222.66	64.00	65.00
उत्तर प्रदेश	810.29	576.82	256.00
पश्चिम बंगाल	36.19	—	6.00
अन्य	89.94	34.41	44.00
अखिल भारत	2955.66	1225.99	1082.17

पाकिस्तानी अधिकारियों को सैन्य प्रशिक्षण

*607. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने आई एम ई टी कार्यक्रम के अंतर्गत पाकिस्तानी अधिकारियों को सैन्य प्रशिक्षण देने का कार्य पुन: प्रारम्भ करने का निर्णय किया है और कांग्रेस से इस प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1999 में 3,50,000 डालर आबंटित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 1990 में प्रेसलर संशोधन के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तथा शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद किया गया था, वह अभी भी बंद है।

(ख) इस प्रकार की खबरें मिली हैं कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तथा शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशिक्षण सुविधाएं पुन: आरंभ रखने के प्रयास कर रही है। तथापि, मौजूदा अमरीकी विधान में ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव अथवा संशोधन नहीं है जिससे पाकिस्तान के लिए 1999 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तथा शिक्षा प्रशिक्षण पुन: आरंभ किया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव

*608. **श्री संदीपान थोरात :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऊर्जा संबंधी समिति ने वर्ष 1997-98 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों में गंभीर त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक देशों और विश्व बैंक द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम को गहरा धक्का लगेगा;

(ग) क्या मंत्रालय ने हाल ही में किए गये परमाणु परीक्षणों के कारण लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव का अब तक विश्लेषण नहीं किया है;

(घ) क्या समिति ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव न पड़े?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदान मांग (1998-99) की जांच से संबंधित ऊर्जा की स्थायी समिति ने मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में सुधार के लिए सिफारिश की है;

(ख) और (ग) मंत्रालय ने हाल के नाभिकीय परीक्षणों के कारण कुछ देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। इन प्रतिबंधों का मंत्रालय के जारी कार्यक्रमों पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं है। उन परियोजनाओं, जिनकी मंजूरी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय दाता एजेंसियों द्वारा पहले ही दे दी गई है अथवा उनके बारे में वचनबद्धता दी जा चुकी है, पर प्रतिबंधों का प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(घ) और (ङ) स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इन प्रतिबंधों से निपटने और तात्कालिक राष्ट्रीय हित की परियोजनाओं को वरीयता देने के लिए मंत्रालय में एक पृथक सैल की स्थापना की जाए तथा यह सैल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावना का भी पता लगाए।

(च) मंत्रालय के कार्यक्रमों पर इन प्रतिबंधों के प्रभावों का मूल्यांकन करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित कार्यक्रमों हेतु संसाधन जुटाने के वैकल्पिक तरीके सुझाने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में एक सैल की स्थापना की गई है।

मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) घरेलू बाजार यथा, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कर मुक्त बॉडों के जरिए से संसाधन जुटाने के वैकल्पिक तरीके का पता लगा रहा है।, मंत्रालय ने योजना आयोग से इरेडा को कर मुक्त बॉडों के आंवटन को 50 करोड़ रु० से बढ़ाकर 100 करोड़ रु० कर देने का अनुरोध किया है।

कश्मीर का मुद्दा

*609. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तानी विदेश मंत्री, गौहर अयूब खान द्वारा कश्मीर के सम्बन्ध में दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या उन्होंने कश्मीर मुद्दे का समाधान न होने की स्थिति में भारत के खिलाफ चौथा युद्ध लड़ने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के कथित वक्तव्य संबंधी खबर देखी है सरकार ने ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य पर गहरा खेद व्यक्त किया है। सरकार समझती है कि ऐसे वक्तव्य उस समझबूझ के प्रतिकूल हैं कि दोनों देश भड़काने वाले तथा उत्तेजक प्रचार से दूर रहेंगे। सरकार को यह भी पता है कि पाकिस्तान के नेता भारत-पाकिस्तान संबंधों की ओर अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के दुष्प्रेरित वक्तव्य देते हैं। सरकार इस प्रकार के वक्तव्यों में निहित झूठे तथ्यों को उजागर करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी तथा सही स्थिति को सार्वजनिक करेगी।

अल्कोहल के क्षेत्र में विदेशी निवेश

*610. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेय अल्कोहल के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या नीति है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जिन संयुक्त उद्यमों को अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय भागीदारों के पास वैध सरकारी लाइसेंस नहीं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नीति में केवल मौजूदा लाइसेंस धारक भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम व्यवस्था है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कोई नहीं।

विवरण

क्र. सं.	विदेशी सहयोगी का नाम	भारतीय साझेदार का नाम	विदेशी सहयोगी की मंजूरी की तारीख
1.	व्हाइट एंड मैके ग्रुप, यू.एस.ए.	मैं. रैडिको खैतान लि. नई दिल्ली	13.11.95
2.	ब्राउन फॉरमैन कॉरपोरेशन, यू.एस.ए.	जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंजाब	22.12.95
3.	बर्नोड रिकार्ड, फ्रान्स	यूनाइटेड एजेन्सीज लि.	26.12.95
4.	हाइलैंड डिस्टलरीज कंपनी पीएलसी, यू.के. तथा रेमी कॉन्ट्रो, फ्रान्स	बेलिकैन ब्रेबरेजेज इंडिया लि., नई दिल्ली	27.12.95
5.	मैरी ब्रिज़ार्ड एंड रोजर इंटरनेशनल, यू.के.	मोहन सिकिन्स ब्रेबरिज़ लि. उ.प्र.	8.8.96
6.	बकार्डी इंटरनेशनल लि. बर्मूडा	जेमिनी डिस्टलरीज प्रा. लि., बंगलौर	2.1.97

विश्व व्यापार संगठन

*611. **श्री टी आर बालू** :
श्री सी. कुप्पुसामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत उन प्रभागों को, जो विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार एजेंसियों से संबंधित मामलों को देख रहे हैं, विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि विश्व व्यापार से संबंधित मामलों का कार्य करने हेतु सरकार के विभिन्न स्तरों पर सोद्देश्य समन्वय की अधिक आवश्यकता है;

(घ) क्या विश्व व्यापार संबंधी सभी कार्यकलापों का कारगर ढंग से समन्वय करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में एक स्थायी प्रकोष्ठ स्थापित का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विश्व व्यापार से संबंद्ध मामलों पर सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच घनिष्ट और सतत् समन्वय है। इसे नियमित उच्च-स्तरीय बैठकों, पक्ष-कथनों के आवधिक आदान-प्रदान करने की संस्थापित व्यवस्था, विभिन्न मंत्रालयों के बीच अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और आदान-प्रदान तथा विभिन्न बैठकों और सम्मेलनों में संयुक्त शिष्टमंडलों के संयोजन के जरिए सुगम बनाया जाता है। मामले की गंभीरता के अनुरूप सचिव स्तर की बैठकें निर्धारित की जाती हैं तथा कार्यान्वयन के लिए संयुक्त निर्णय लिये जाते हैं।

(घ) नहीं। अब तक विश्व व्यापार से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थाई सैल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एकमुश्त कार्यक्रमों की घोषणा

*612. **श्री सत्य पाल जैन** :
श्री समर चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए कतिपय एकमुश्त कार्यक्रमों (पैकेजों) की घोषणा की गई;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री द्वारा घोषित सभी एकमुश्त कार्यक्रमों (पैकेजों) को पूरा कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) संसद में दिनांक 23 जुलाई, 1996 और 2 अगस्त, 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में घोषणाएं की गई थीं। घोषणाओं के ब्यौरे विवरण-I व विवरण-II में दिए गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 14 फरवरी, 1997 को जम्मू में भी एक वक्तव्य दिया था जिसके ब्यौरे विवरण- III में दिए गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर, 1996 को गुवाहाटी में भी एक वक्तव्य दिया था जिसमें पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र के लिए नयी पहलों की घोषणा की गई थी, जिसके ब्यौरे विवरण- IV में दिए गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस पैकेज की कुछ अन्य विशेषताओं की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा मई 1997 में की गई थी। इस घोषणा की एक प्रति विवरण-V में दी गई है।

वक्तव्य/घोषणाओं में वर्णित कार्यक्रम/परियोजनाएं स्कीम, जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी) तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है, क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। 27 अक्टूबर, 1996 को घोषणा की गई पूर्वोत्तर के लिए नयी पहलों, मई, 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं तथा जम्मू और कश्मीर से संबंधित पैकेजों संबंधी घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा क्रमश: विवरण-VI, VII और VIII में दर्शाया गया है।

प्रधान मंत्री ने अपने हाल ही के हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान, 18 जून, 1998 को 100 करोड़ रुपये के परियोजना संबंधी अनुदान एवं 22 जून, 1998 को न्यूनतम बुनियादी सेवाओं (बी.एम.एस) हेतु 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन की घोषणा की थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उन विशेष विकास स्कीमों/परियोजनाओं की सूची भेजे जिन्हें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु न्यूनतम बुनियादी सेवाओं, त्वरित एकीकृत लाभ कार्यक्रम एवं ग्रामीण आधारसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आरम्भ किया जा सकता हो।

विवरण-I

संसद में प्रधान मंत्री का जम्मू व कश्मीर पर वक्तव्य

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि जम्मू व कश्मीर राज्य में युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी, राज्य में उग्रवाद को बढ़ाने में एक सहायक कारक रही है। इसी तरह, राज्य में विद्युत की कमी हैं जो उद्योगों के विकास और पर्यटन के लिए भी एक अनिवार्य आधारसंरचना है। इसीलिए, सरकार का कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आरंभ करने तथा चालू परियोजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता आधार पर पूरा करने का प्रस्ताव है।

---

23 जुलाई, 1996 को संसद में जम्मू ओर कश्मीर के संबंध में प्रधानमंत्री श्री एच०डी० देवेगौड़ा का वक्तव्य।

सरकार, रेलवे योजना से अलग भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उधमपुर से बारामूला तक 290 किलोमीटर रेलमार्ग का निर्माण प्रारंभ करेगी। इस परियोजना पर 2500 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है तथा यह कश्मीर को शेष राष्ट्र के साथ एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी, राज्य में ही रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त, यह रेल संपर्क, पूरा होने पर, राज्य के लोगों को, रोजगार, शिक्षा एवं व्यापार हेतु देश के बाकी भागों में आने-जाने में सहायता प्रदान करेगा, उधमपुर से बनिहाल तक सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा बारामूला तक यह सर्वेक्षण कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाएगा, यह रेल लाइन कटरा रिआजी-बनिहाल-काजीगुण्ड-श्रीनगर से होकर जाएगी, रेलवे उधमपुर-कटरा खंड का निर्माण कार्य तुरन्त ही शुरू करेगा जिसे चार वर्षों के समय में पूरा किया जाना है, सरकार कार्य के इस चरण हेतु 200 करोड़ रु० प्रदान करेगी, पर्याप्त वित्तपोषण से बारामूला तक की पूरी लाइन 8-10 वर्षों के समय में पूरी हो सकेगी,

मुगल सड़क परियोजना

कश्मीर घाटी एवं जम्मू के मध्य एकमात्र भूतल संपर्क, जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, इस समय, भूस्खलन एवं हिमस्खलन के फलस्वरूप, लगातार अवरोधों की समस्याओं से घिरा हुआ है। राज्य के दो क्षेत्रों के मध्य भरोसेमंद वैकल्पिक संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार "आर्थिक महत्व के मार्ग" की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मुगल सड़क परियोजना आरंभ करेगी। 85 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना पर 77.40 करोड़ (1994-95 की लागतों पर) रुपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना की लागत केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी। जम्मू को राजौरी-शापियन तथा पलवामा होते हुए श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग, जिसे 6 वर्ष में पूरा किया जाना है, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरने वाले संपूर्ण क्षेत्र में बहुत अधिक रोजगार क्षमता सृजित करेगा। पूरा हो जाने पर यह मार्ग आर्थिक क्रियाकलाप सृजित करने के अलावा कश्मीर के लोगों में अलग-थलग होने की भावना को भी कम करेगा, यह कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया जाएगा।

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का कार्य (3x130 मेगावाट) 1992 में फ्रांसीसी सिविल ठेकदारों को वापस बुलाए जाने के साथ ही रुक गया था। फ्रांसीसी संघ के साथ संपूर्ण समझौते के संशोधन को जुलाई, 1995 में अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, जबकि मशीनों की अपूर्ति फ्रांसीसी संघ द्वारा की जा रही है। शेष सिविल निर्माण कार्य अन्य ठेकदारों द्वारा शुरू किए जा सकते हैं। बकाया सिविल निर्माण कार्य हेतु निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा ठेका दिए जाने का निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिविल निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू किए जाएं तथा यह भी देखेगी कि शेष सिविल निर्माण कार्य हेतु निधियां सरकारी सहायता एवं बाजार उधारों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जुटायी जाएं।

ऊरी जल विद्युत परियोजना

माननीय सदस्यों को विदित हैं कि राज्य में एक अन्य प्रमुख जल विद्युत परियोजना नामत: ऊरी जल विद्युत परियोजना (4x120 मेगावाट) निर्माण प्रक्रिया में है। इस पर तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है तथा पहली यूनिट के, इसी साल के दौरान; दिसम्बर, 1996

में शुरू किए जाने की संभावना है। यह परियोजना विद्युत की कमी वाले इस राज्य को अति-आवश्यक राहत प्रदान करेगी।

विवरण-II

जम्मू और कश्मीर पर प्रधान मंत्री का वक्तव्य

1. उग्रवाद से प्रभावित लघु व्यवसायों को ऋण राहत

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 23 जुलाई, 1996 को मैंने सदन में जम्मू व कश्मीर राज्य में संचार तथा विद्युत क्षेत्रकों में दीर्घावधिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि पर्यटन, बागवानी एवं हस्तशिल्प, जम्मू और कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। अन्य गतिविधियां जैसे लघु स्तर व्यापार और उद्योग, परिवहन तथा होटल पर्यटन क्षेत्रक में सहयोग देते हैं। यह क्षेत्रक पिछले 6-7 वर्षों के दौरान उग्रवाद से सबसे बुरा प्रभावित रहा हैं। घाटी में पर्यटकों का आगमन, 1986-87 में 7 लाख की उच्च संख्या से पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राय: धीरे-धीरे बहुत कम हुआ है। इससे पर्यटन तथा संबंधित कार्यों से आजीविका प्राप्त कर रहे हजारों परिवारों का जीवन यापन प्रभावित हुआ है। प्रभावित इकाईयां तथा व्यक्ति जिन्होंने बैंकों से वाणिज्यिक ऋण लिए थे। वित्त प्रवाह न होने की वजह से उन्हें वापिस लौटाने में असमर्थ रहे हैं और ऋण-जाल में फंस गए हैं। राज्य सरकार ने लघु व्यापार एवं उद्योग, परिवहन, होटल और हाउस बोट व्यवसाय में लगे 31,000 ऋण लेने वालों की पहचान की है जिन्होंने 181.87 करोड़ रुपयों का ऋण ले रखा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान शायद ही इन ऋणों को चुकाया गया हो तथा इन ऋणों की ब्याज राशि ही 212.79 करोड़ रुपये है। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि जबसे उग्रवाद ने पर्यटन को बाधित किया है, तब से इस हानि ने बेरोजगारी को बहुत बढ़ा दिया है। तथा एक कुचक्र के रूप में बढ़ती बेरोजगारी ने उग्रवाद को ही बढ़ावा दिया है। अब चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनस्थापित किया जा रहा है तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इन दुर्भाग्य पीड़ित लोगों, विशेषकर छोटे उधारकर्त्ताओं को कुछ राहत प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। सरकार, इसलिए सभी उधारकर्त्ताओं जिनका मूल ऋण 50,000/- रुपये या कम है, का बकाया ऋण और ब्याज माफ करने का प्रस्ताव करती है। इससे ये छोटे उधारकर्त्ता अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से नये ऋण ले सकेंगे। जहां तक 50,000/- रुपयों से ऊपर उधारकर्त्ताओं का सवाल है। उनके ऋण स्थगन तथा भुगतान को पुन: अनुसूचित करने तथा ब्याज दरों में कमी लाने और दी जा सकने वाली अन्य राहत देने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की जा रही है।

2. 1996-97 के लिए जम्मू व कश्मीर को विशेष केन्द्रीय योजना सहायता :

जम्मू व कश्मीर राज्य में उग्रवाद से उत्पन्न शोचनीय संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार जम्मू व कश्मीर राज्य को न केवल वार्षिक योजना को आगे बढ़ाने में, अपितु गैर-योजना पक्ष में आयी रिक्तियों को भरने के लिए भी विशेष केन्द्रीय सहायता के जरिए मदद करती रही हैं। इस प्रयास के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के बिगड़ते बजट में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थिरता आई है। पिछले वर्ष 1995-96 में, संसद ने राज्य की गैर-योजना रिक्ति को पूर्ण करने के लिए समुचित केन्द्रीय सहायता सहित एक संतुलित बजट पारित किया जिससे कि 1050 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना परिव्यय संरक्षित रह सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य ने पिछले वर्ष लगभग पूरी योजना के परिव्यय का उपयोग किया, वर्तमान वर्ष का परिव्यय पुन: 1050 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया है, फिर भी, पिछले वर्ष के स्तर की केन्द्रीय सहायता के बाद भी, राज्य का वर्तमान वर्ष के दौरान, बजट चालू खाते में 352 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाता है, जो राज्य सरकार की विभिन्न मदों में अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं का परिणाम हैं। जब तक इस संसाधन-रिक्ति को समान राशि की एक विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा नहीं भरा जाता, राज्य सरकार के पास अपनी योजना के आकार को 698.00 करोड़ रुपये तक कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। योजना परिव्यय में किसी भी कमी से अब, जबकि राज्य पूर्ण सामान्य स्थिति की बहाली की ओर अग्रसर है। बचे जाने की आवश्यकता है। अतएव, केन्द्र ने चालू वर्ष के दौरान, राज्य बजट को संतुलित करने के लिए 352 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया है जिससे कि 1050 करोड़ रुपये के पूर्ण योजना परिव्यय का उपयोग, गैर-योजना रिक्ति पूरा करने में उसके किसी हिस्से को विचलित किए बिना, विकास स्कीमों के लिए किया जा सके।

3. जम्मू में विस्थापितों के शिविरों में सुविधाओं का विकास

माननीय सदस्यों को विदित है कि घाटी से विस्थापितों के 27000 परिवार जम्मू में अपनी स्वयं की व्यवस्था करके या फिर शिविरों में रह रहे हैं, जम्मू के 13 शिविरों में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। ये हैं सफाई सुविधाओं जैसे शौचालयों और स्नानघरों की उपलब्धता, एक कमरे वाले अधिक आवासों का निर्माण, शिविर में चल रहे विद्यालयों की इमारत का निर्माण, शिविरों में जल निकास सुविधाओं का विकास इत्यादि, सरकार, शिविरों में उपरोक्त अतिरिक्त सुविधाओं को चालू वर्ष के दौरान पूरा करके उपलब्ध कराने के लिए 6.6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी।

4. लेह जिले में पर्यटन हेतु अवसंरचना विकास

चूंकि कश्मीर घाटी एक पारंपरिक पर्यटन स्थल है, अतएव जम्मू, उधमपुर, लेह और कारगिल के जिलों में नए पर्यटक केन्द्र बन गए हैं और राज्य सरकार पहले ही जिले में स्मारकों के पुनरोद्धार के लिए एक योजना तैयार कर चुकी है, क्षेत्र में पर्यटन को अग्रिम प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं, लेह में एक अभिसमय/सम्मेलन केन्द्र की स्थापना हेतु 2.40 करोड़ रुपये की राशि आंबटित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

5. कारगिल में हवाई अड्डे का विकास

माननीय सदस्य जानते होंगे कि कारगिल, शीतकाल में जोजिला में भारी हिमपात से श्रीनगर-कारगिल राजमार्ग बंद हो जाने के कारण, वर्ष में सात महीने राज्य के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। सरकार ने इसलिए कारगिल में 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक हवाई अड्डे के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। इस कार्य को पहले ही सीमा सड़क संगठन को सौंपा जा चुका है, जो हवाई पट्टी के विकास के कार्य को दो वर्ष की अवधि में पूरा करेगा जिससे कि कारगिल में नियमित व्यवसायिक सेवाएं शुरू हो सके। इस बीच, सरकार कारगिल में, शीतकाल के महीनों की वर्तमान पखवाड़ा-सेवा के बजाए साप्ताहिक हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखती है, इस वास्ते आवश्यक सब्सिडी सरकार वहन करेगी।

6. जम्मू शहर का स्तरोन्नयन

लम्बे समय से मांग रही है कि जम्मू शहर को बी-2 स्तर दिया जाए। बी-2 स्तर स्वीकृत करने की अवसीमा जनसंख्या 4 लाख है। तथापि, माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि राज्य में 1991 की जनसंख्या नहीं हो सकी थी। भारत सरकार के महापंजीयक ने जम्मू शहर की जनसंख्या के 4.30 लाख होने का अनुमान किया है। अतएव, हमने जम्मू शहर का स्तर बी-2 शहर के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है।

7. मैं आशा करता हूं कि इन उपायों से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में काफी सहायता मिलेगी। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, राज्य के लिए यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय अत्यधिक महत्व के हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ इस कार्य में लगे व्यक्तियों और इकाईयों को सहायता देने के आवश्यक उपाय करेगी ताकि कश्मीर को उसके "पर्यटकों के स्वर्ग" होने का सम्मान अतिशीघ्र वापस दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

8. मैं इस अवसर पर राज्य को अधिकतम स्वायत्ता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुन: दोहराना चाहूंगा। चुनी हुई सरकार होने पर हम उनके साथ सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। इस प्रक्रिया में हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के सभी क्षेत्रों, नामत लद्दाख, कश्मीर घाटी और जम्मू की सारी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है।

9. मैं, माननीय सदस्यों का इस संबंध में दिए गए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं।

विवरण-III

14 फरवरी, 1997 को जम्मू में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

मित्रो,

लगभग एक दशक के बाद जम्मू एवं कश्मीर में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की स्थापना की गई है। पड़ोसी देश और उनके एजेंटों द्वारा चलाये गये परोक्षी युद्ध (प्राक्सी-वार) के कारण इन वर्षों में राज्य एवं इसके नागरिकों को जिन संकटों और परेशनियों से गुजरना पड़ा था मैं उनका विस्तृत उल्लेख नहीं करना चाहता। लोगों ने चुनावों में भारी संख्या में भाग लिया जिन्हें बड़े शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चुनावों की यथार्थता एवं निष्पक्षता को स्वीकार किया है। लोगों द्वारा इस सरकार को जो एक बड़ा जनादेश दिया गया है उससे लोगों की आशाओं को पूरा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनजीवित करने का एक महान दायित्व इस सरकार पर आता है। मैं अत्यधिक स्पष्ट रूप से एवं विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार एवं संपूर्ण राष्ट्र इस महान कार्य में जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा इसके लोगों के साथ है।

2. मैंने जम्मू एवं कश्मीर का पहले भी दो बार दौरा किया है और यह मेरा तीसरा दौरा है। मैंने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों और परियोजनाओं को देखा है जो राज्य के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं परन्तु निधियों की कमी के कारण इन में पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है। 25000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 290 कि.मी. लम्बी ऊधमपुर-बारामुल्ला रेलवे लाइन जो बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर सकती हैं रेलवे द्वारा निधियों की कमी के कारण आरम्भ नहीं की जा सकी। सारे मामले की पुनरीक्षा करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि इसे "राष्ट्रीय महत्व की परियोजना" के रूप में चलाया जाय और रेलवे योजना से बाहर इसे आवश्यक निधियां प्रदान की जाय। इस परियोजना पर दोनों तरफ से एक साथ कार्य आरम्भ किया जाएगा। उरी पन-बिजली परियोजना जिसे कल राष्ट्र को समर्पित किया गया है। घाटी में अशांत एवं विध्न बाधाओं की हालतों के बावजूद भी उचित समय पर पूरी कर दी गई है। उरी परियोजना के बकाया कार्य को पूरा करने के लिये हमने और 300 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। उरी यूनिट-1 से प्राप्त सारी बिजली राज्य को उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण पन-बिजली परियोजना दुल-हस्ती है। जिसका कार्य 1992 से बंद पड़ा हुआ था उसे पुन: चालू किया जा रहा है। इस बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिये आवश्यक बकाया 3000 करोड़ रुपये की संपूर्ण निधि प्रदान करने का भी हमने निर्णय लिया है।

3. इस बीच राज्य में बिजली की कमी को संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिये जम्मू एवं कश्मीर के लिये आबंटन बढ़ाकर 876 मे.वा. किया जा रहा है। बिजली के इस उपयोग के लिए राज्य को ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ करनी चाहिए। निवेश संवर्धन के जरिये अपनी पन बिजली क्षमता का दोहन करने हेतु हम राज्य को सहायता प्रदान करेंगे।

4. राज्य सरकार ने हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ परियोजनाओं एवं प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। जिन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिये उच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाने की आवश्यकता है। मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों ने राज्य मंत्रिमंडल के साथ इन प्रस्तावों पर कल विस्तृत विचार-विमर्श किया है। सिद्धांत रूप से मैं इन प्राथमिकताओं से पूरी तरह सहमत हूं और राज्य तथा केन्द्र के बीच संयुक्त प्रयास की भावना के साथ इन्हें कार्यान्वित करने के लिये हमें इसके लिए उपाय तैयार करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको विदित है सरकार राज्य की नौवीं योजना को अंतिम रूप देने ही वाली है और राज्य तथा केन्द्र की नौवी योजना में इन कुछ विकासात्मक परियोजनाओं को सम्मिलित करने की हमें आवश्यकता है।

5. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बाहरी सहायता सहित विशेष निधि पोषण कार्य प्रणाली हम तैयार करेंगे जैसे (क) डल और दूसरी महत्वपूर्ण झीलों की सुरक्षा एवं विकास (ख) घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान और (ग) गंगा कार्य योजना की तरह झेलम के नौसंचालन एवं पर्यावरणिक पहलुओं को सुधारने के लिए कार्य योजना।

6. राज्य वार्षिक योजना इस वर्ष 1250 करोड़ रुपये की एक उच्च रिकार्ड सीमा पर पहुंच गई है। राज्य सरकार को एक अच्छी 1997-98 की वार्षिक योजना से शुरू करते हुए उचित नौवी पंचवर्षीय योजना के लिए समय बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे प्रत्येक वर्ष के लिए योजना परिव्यय का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा और संसाधनों में पैर-योजना अंतराल को पूरा करने के लिए निधियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

7. 1275 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण को माफ करने के लिए राज्य सरकार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और जल्दी ही एक निर्णय लिया जाएगा। निकट भविष्य में राज्य सरकार के साथ इसके बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक केन्द्रीय दल को प्रतिनियुक्त

किया जाएगा। पुराने ओवर ड्राफ्ट की समस्या को धीरे-धीरे समाप्त करने में भी राज्य की सहायता की जाएगी।

8. राज्य में ग्रामीण विकास एवं बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय परिव्यय को काफी बढ़ा दिया गया है। नौंवी योजना में राज्य को लगभग 1500 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। आंतकवादियों (मिलिटैन्टस) द्वारा क्षतिग्रस्त अवसंरचना को बहाल करने के लिए केन्द्रीय सरकार आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए को उन्नत एवं सुदृढ़ किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन को 140 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया जाएगा।

10. मुगल रोड को 150 करोड़ रुपये की लागत पर प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा और कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की बराबर की भागीदारी होगी।.

11. विशेष वितरण के रूप में जम्मू एवं कश्मीर के और अधिक कस्बों को प्रधान मंत्री के एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा।

12. जम्मू को बी-2 श्रेणी के शहर के रूप में घोषित करने के आदेश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

13. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी दल पहले ही भेज दिया है और राज्य सरकार के परामर्श से अगले वर्ष से जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय आरम्भ करने का निर्णय लिया जाएगा।

14. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुछ दूसरे ज्ञापन प्रस्तावों की भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ विस्तृत परामर्श करके जांच करने की आवश्यकता है और इन्हें परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। परन्तु मैं पुन: यह कहना चाहूंगा कि फंड की उपलब्धता मुख्य अड़चन या संवेदनशील मुद्दा नहीं है। आवश्यक यह है कि सावधानीपूर्वक कार्यक्रम एवं परियोजनाएं तैयार की जाएं और उनका प्रभावकारी कार्यान्वयन किया जाएं। ताकि इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंच सकें। मैं कार्यान्वयन की गहन मानीटरिंग पर भी जोर देना चाहूंगा ताकि आबंटित निधियों का उपयोग उद्देश्य के अनुरूप हो सके।

15. कुछ दूसरे प्रस्ताव भी हैं जो विस्थापितों को वापसं बसाने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं आदि से संबंधित हैं। मुझे आशा है कि विस्थापितों में विश्वास पैदा करने के लिए उचित उपाय आरम्भ करने और स्थानीय लोगों की सहायता लेने में लोकप्रिय सरकार समर्थ होगी ताकि विस्थापित जल्दी से जल्दी घाटी में अपने घरों को वापस आ सकें। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके कार्यान्वयन के रास्ते में वित्तीय अड़चनों को नहीं आने दिया जाएगा।

16. राज्य के युवकों के लिए रोजगार के अवसरों के प्रावधान के बारे में राज्य सरकार की चिंता को केन्द्र सरकार भली-भांति समझती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय प्रतिष्ठानों और प्राइवेट सेक्टर में भी अधिक से अधिक यथा सम्भव इस राज्य के युवकों को नौकरियां दी जाएं, इसके लिए विशेष भर्ती अभियान जारी रखा जाएगा। परन्तु स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके उपलब्ध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु अधिक जोर देना होगा। पारम्परिक कौशल, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में बढ़ावा देने एवं उन्हें उन्नत बनाने के लिए नये कार्यक्रम तैयार करना भी आवश्यक होगा। राज्य के युवक मार्केटिंग और बिक्री कार्यों के लिए अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य के अंदर और उसके बाहर विशेष प्रकार की औद्योगिक संपदाओं और विपणन केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार कुछ भूमि निर्धारित करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाएगी।

17. परन्तु जैसे-जैसे कानून एवं व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार होता जाता है उपर्युक्त कार्यों में भी प्रगति होगी और उनमें गति आएगी। कुछ असामाजिक तत्व बंद और हड़तालों का सहारा लेकर राज्य की आर्थिक प्रगति में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार ऐसी गतिविधियों को चलने दे ऐसा नहीं हो सकता उसे इन पर रोक लगानी पड़ेगी। जब तक ऐसी गतिविधियों से सख्ती से न निबटा जाए आर्थिक प्रगति एवं लोगो का कल्याण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे तत्वों से निबटने के लिए कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनैतिक रूप से भी कार्यवाही करनी होगी।

18. मैं इस राज्य के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। और जम्मू एवं कश्मीर की इन विशेष समस्याओं का वह एक साथ मिल कर निबटारा करेंगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि राज्य की क्षत-विक्षत अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं उसके समाधान के लिए एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। इस राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वाह बिना भेदभाव के किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्र आपके साथ है।

विवरण-IV

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नया पैकेज

प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवगौडा द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 1996 को गुवाहाटी में दिया गया वक्तव्य.

दिनांक 27 अक्टूबर, 1996 को गुवाहाटी में प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए घोषित नया पैकेज

उत्तर पूर्व के सात राज्यों की मेरी पहली यात्रा समाप्त होने को है। मेरे लिए यह बहुत ही प्रेरक अनुभव रहा है। लोगों का स्नेह मुझे यहां फिर लायेगा। मैं इस क्षेत्र में लोगों, उनकी आकांक्षाओं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए आया हूं कि वे कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। मैं खुले मन से आया हूं। मैं एक सुखद अनुभव के साथ और इस पक्के इरादे से वापस लौट रहा हूं। कि इस क्षेत्र में विकास की नई शुरूआत करने के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करूं। मैं जहां कहीं भी गया, समाज के विभिन्न समुदायों के लोग बड़ी संख्या में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मित्रवत और निडर होकर अपने विचारों, अपनी इच्छाओं अपनी आंशकाओं और अपनी आशाओं से मुझे अवगत कराया। मेरी यात्रा के दौरान लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं।

2. मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यदि हम सभी एक साथ मिलकर कार्य करें और अच्छे भविष्य की आशा रखें तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यात्रा के दौरान लोगों ने मुझे जितना प्रेम और स्नेह दिया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।

3. मैंने मंत्रियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा सुरक्षा सेना के अधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की राजधानी में, विभिन्न समुदाय के लोगों, जैसे राजनीतिक दल के नेताओं, स्वायत्त जिला परिषद के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थी यूनियनों, महिला संगठनों, पादरी नेताओं, और प्रेस से भी मिला तथा इन राज्यों की स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की।

4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है। वास्तव में, 100-150 वर्ष पहले असम देश के आर्थिक विकास में एक अग्रंणी राज्य था यह एक अग्रगामी राज्य था और साहसी उद्यमियों ने चाय बागान, तेल, कोयला खनन, वानिकी, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में पूंजी निवेश किया। किन्तु, हाल ही के वर्षों में, पूंजी निवेशक इस क्षेत्र में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ राज्य अंतर्मुखी हो गये, जबकि कुछ राज्य उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावित हो गये। इससे यहां आंतकवाद का दुष्चक्र शुरू हो गया है, पूंजी निवेश तथा आर्थिक विकास हतोत्साहित हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है जिसके चलते आंतकवाद को बढ़ावा मिला है। आज यहां न कोई बड़े उद्योग ही हैं और न कोई आर्थिक कार्यकलाप हैं। जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। इन सभी राज्यों में रोजगार का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी ही है। किन्तु, सरकारी नौकरी में इतने अधिक लोगों को नहीं खपाया जा सकता है। साथ ही सरकारी नौकरी में बहुत अधिक लोगों को शामिल करने से अकार्यकुशलता आती है। बेरोजगारी अथवा उग्रवाद को दूर करने का एकमात्र रास्ता यह है कि क्षेत्र का चहूमुखी आर्थिक विकास किया जाए ताकि समृद्धि लाई जा सके।

5. उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को सबसे ज्यादा उद्वेलित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न विदेशी नागरिकों की पहचान से संबंधित है। अखिल असम छात्र यूनियन तथा विभिन्न अन्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान मैंने इस मुद्दे की विस्तृत रूप से समीक्षा की है। मुझे यह बताया गया हैं कि विदेशियों की पहचान के लिए मौजूदा कानून, यथा आई.एम.डी.टी. (अधिनियम, 1983) यथा संशोधित, प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है। हम राज्यों के साथ परामर्श करके अप्रभावी कानूनों को समाप्त करने और विदेशियों से संबंधित वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों को सुदृढ़ बनायेगें। इसके अलावा, उपर्युक्त स्थानों पर बाड़ लगाने सहित सीमा पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

6. एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से कुछ राज्यों में अशान्ति को बढ़ावा मिला है, विभिन्न जाति समूहों द्वारा पहचान समाप्ति की भावना है तथा यह भावना है कि केन्द्र इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये भावनाएं पूरी तरह से उचित हो सकती हैं या नहीं भी, लेकिन ऐसी भावना जरूर है। इस भावना को समाप्त करना और क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे के विकसित विद्यमान विकास को सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा। ताकि एक विशिष्ट समय अवधि में यह क्षेत्र देश के शेष भागों के स्तर तक पहुंच सके। मेरा विश्वास हैं कि पूरा भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्य सहित प्रत्येक राज्य देश के शेष भागके साथ-साथ न चले।

7. काफी समय से उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में निरर्थक हिंसा फैली हुई है। काफी समय से कतिपय विगभ्रमित तत्व अपने भाइयों, साथी नागरिकों की हत्यायें कर रहें हैं और लूटखसोट तथा अपहरण आदि का मार्ग अपना रहे हैं। हिंसा से किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं उन सभी लोगों से, जिन्होंने आतंकवाद का मार्ग अपनाया है, सही रास्ते पर आने की अपील करना चाहूंगा मेरा विश्वास है कि सभी समस्यायें आपसी विचार विमर्श से हल की जा सकतीं हैं। मैं उग्रवादियों सहित किसी भी वैयक्तिक दल को बिना किसी पूर्व शर्त के मुझसे मिलने तथा अपनी उचित शिकायतों पर चर्चा करने का आमंत्रण देता हूं। मैं उनकी विचारों को सच्चे मन से समझना चाहता हूं कि उन्हें वस्तुत: क्या परेशानी है। साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिंसा को बर्दास्त नहीं किया जायेगा। और उसका कड़ाई से सामना किया जायेगा। हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्री पूर्ण संबंध चाहते हैं और आशा करते हैं कि वे सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा अथवा भारत से उग्रवादी दलों को सहायता न दें।

8. बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्षेत्र में उत्पादी निवेशकों की आवश्यकता होगी इस दृष्टि से पहले उपाय के रूप में मेरी सरकार निम्नांकित कदम उठायेगी।

(क) बुनियादी ढांचे में कमियों और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन।

महत्वपूर्ण सेक्टरों, विशेषतया विद्युत, संचार, रेलवे, सड़क, शिक्षा, कृषि आदि में कमियों का पता लगाने के लिए 30 दिन के भीतर एक उच्चस्तरीय आयोग गठित किया जायेगा। आयोग, सात उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बेकलॉग की गम्भीरता से जांच करेगा। आयोग, इन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् नीतियों, कार्यक्रम, तथा निधि आवश्कताओं को सुझायेगा। ताकि सात उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढाँचागत सेक्टरों में कमियों तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में बेकलॉग को दूर किया जा सके। यह आयोग तीन महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। और योजना आयोग इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करेगा और वित्तीय व्यवस्था करेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नौवी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक योजना आंबटनों के अलावा वार्षिक आधार पर अतिरिक्त पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन को प्राथमिकता।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों के मध्य रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तत्काल विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए एक माह के अन्दर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा। उत्पादी रोजगार सृजन के लिए सुसंगत बुनियादो ढ़ाचा व्यापक प्रशिक्षण एवं स्कीमों, विशेष रूप से प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य के संबंध में सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए तैयार की जायेगी। उच्च स्तरीय समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और एक समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश करेगी। राज्य सरकार तथा संबंधित राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं/केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा सिफारिशों को सीधे ही क्रियान्वित किया जायेगा। हम नौवीं योजना में उत्तर पूर्व में रोजगार सृजन को भी उच्च प्राथमिकता देंगे।

ढांचागत तथा रोजगार संबंधी इन दोनों समितियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से विशेषज्ञों को सहबद्ध किया जायेगा।

(ग) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में उत्तर पूर्वी उप योजना सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत उत्तर पूर्वी राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किये जाये।

(घ) केन्द्रीय मंत्रालयों/सचिवों द्वारा दौरे और गहन मानिटिरिंग

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी मंत्री एवं सचिव, विशेष रूप से वे जो सामाजिक सेक्टरों, पेट्रोलियम, भूतल परिवहन, रेलवे, नागरिक विमानन, पर्यटन, जल संसाधन आदि के प्रभारी हैं। वे तीन माह में

कम से कम एक बार सभी उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करेंगे और अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देख-रेख करेंगे।

(ङ) चालू परियोजनाओं की पूर्ण वित्त व्यवस्था

पर्याप्त निधियों के अभाव के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राजमार्गों, रेलवे, विद्युत आदि से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। नूमालीगढ़ रिफाइनरी सहित सभी चालू केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए पूर्ण वित्तीय व्यवस्था सुनिशचित की जायेगी। गृह मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रीमंडल सचिवालय तिमाही आधार पर इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करेंगे ताकि समय सारणी के अनुसार इनका पूरा होना सुनिश्चित कराया जा सके।

(च) व्यापक जल प्रबन्धन तथा बाढ़ नियन्त्रण उपाय

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बाढ़ नियंत्रण तथा जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैंने हाल ही में अपने देश में व्यापक जल प्रबंधन हेतु तात्कालिक उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग गठित किया है। यह आयोग उत्तर पूर्व बाढ़ नियंत्रण तथा व्यापक जल प्रबंधन पहलुओं की जाचं करेगा तथा सिफारिशे करेगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जायेगा ताकि बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन तथा जल प्रबंधन से सम्बन्धित परियोजनाओं की सूची तैयार की जा सकें। जल निकासी तथा परिवहन के लिए अंतर्देशीय जल मार्गों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए ड्रेजिग आपरेशन शुरू किए जायेगें। सभी ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण परियोजना कार्यों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया जायेगा।

(छ) रोजगार आश्वासन स्कीम के माध्यम से पूर्ण कवरेज

31.3.1997 तक रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) का उत्तर पूर्वी राज्यों में सभी ब्लॉकों में विस्तार कर दिया जायेगा।

(ज) सीमांत सड़कों/बीएडीपी कार्यक्रमों का विस्तार।

कुछ राज्यों की मांग के अनुसार, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमांत सड़क कार्यक्रम को भारत म्यामार सीमा पर कुछ और क्षेत्रों तक बढ़ाया जायेगा।

(झ) दूर संचार एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उत्तर-पूर्व का पूर्ण कवरेज।

दूरसंचार/दूरदर्शन/आकाशवाणी कवरेज को आगे बढ़ाया जायेगा ताकि नौंवी योजना के अंत तक मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, और अरूणाचल प्रदेश की शत प्रतिशत आबादी को कवर किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ कम से कम 50 करोड़ रु० अलग से निर्धारित किये जायेगें।

(ञ) उत्तर पूर्व के लिए उन्नत ऋण प्रवाह।

उद्योग कृषि तथा स्वरोजगार स्कीमों के लिए और तैयार ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिप्टी गर्वनर की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

(ट) नई औद्योगिक नीति।

एक नई औद्योगिक नीति विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और इसकी आवश्यकताओं के लिए, पर विचार किया जायेगा। और 31.3.1997 तक इसे घोषित कर दिया जायेगा ताकि निजी निवेश (घरेलू तथा विदेशी) को बढ़ावा दिया जा सके।

(ठ) विकेन्दीकरण।

इस क्षेत्र में, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर और अधिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है ताकि निर्णय सम्बंधी प्रक्रिया में लोगों को शामिल किया जा सके। भारत सरकार सक्रियता से ऐसे विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देगी।

(ड) पर्यटन का विकास।

सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व के लिए एक एकीकृत विकास योजना तैयार की जा रही है। इससे विभिन्न राज्यों में कुछ पर्यटन सर्किटों का विकास होगा।

(ढ) केन्द्रीय एजेंसियों को सुदृढ़ बनाना।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, कृषि, व्यापार, उद्योग के प्रोत्साहन से संबंधित कतिपय केन्द्रीय एजेंसियों, जैसे कि नाबार्ड, विभिन्न वस्तु बोर्डों आदि को सुदृढ़ किया जायेगा।

(ण) निर्यात नीति

वाणिज्य मंत्रालय, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सीमान्त व्यापार सहित एक निर्यात नीति तैयार करेगा।

(त) नारकोटिक्स तथा एड्स के नियंत्रण के उपाय

केन्द्र, एड्स, नारको-ट्रैफिकिंग तथा नशे की आदत के नियंत्रण के लिए कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में संस्थागत व्यवस्थाओं तथा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के तात्कालिक उपाय करेगा तथा इन सभी प्रयोजनों के लिए पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करायेगा।

(थ) रेल सेवाओं में सुधार

क्षेत्र में रेलों के निष्पादन, नियमितता तथा सेवा को उन्नत बनाया जाएगा। चालू रेलवे परियोजनायें, जैसे कि नई लाईनें, गेज परिवर्तन आदि को पर्याप्त निधियों के जरिये शीघ्र पूरा किया जायेगा। राज्यों द्वारा बिना रेल हेड अथवा बहुत सीमित पहुँच की प्रस्तावित नई रेलवे लाईनों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जायेगा।

9. मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्ष में कम से कम दो बार आने का इरादा रखता हूं ताकि मुझे यह संतोष हो सके कि इन राज्यों में विकास की योजनाऐं तथा कार्यक्रम सही ढंग से क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

10. अन्त में जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रधान मंत्री कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ये सभी प्रतिबद्धतायें और कार्यक्रमों के पैकेज तथा शुरू की जा रही स्कीमें भी समय सारणी के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं और कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाए।

11. मेरी यात्रा के दौरान कई अन्य मुद्दे भी उठाये गये हैं। दिल्ली वापिस जाने पर मैं योजना आयोग तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करूंगा और अगले एक माह के अंदर इन मामलों पर निर्णय ले लूंगा। बाद में मुख्य मत्रियों से इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

12. उपर्युक्त प्रयास में मैं सभी मुख्य मंत्रियों राजनैतिक दलों छात्र संघों संचार माध्यमों और इन राज्यों के सभी लोगों की पूरे मन से सहयोग देने का अनुरोध करता हूं। समस्याग्रस्त राज्यों में शन्ति तथा सद्भावना के लिए अभियान शुरू करने हेतु हम सब को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए विश्वास तथा आशा का एक उपयुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान संघर्ष के स्थान पर स्थायी शन्ति, घृणा के स्थान पर तालमेल और आपसी विश्वास का वातावरण

तैयार करना जरूरी है। एक ही देश की सन्तान हैं। हम एक परिवार के सदस्य हैं। हमारा भविष्य तथा समृद्धि हम सभी के लिए समान हैं। हमें अपनी चिन्ताओं और समृद्धि को बांटना चाहिए। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी नौकरशाही के निष्पादन में सुधार करें और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कदम उठाएं तथा सेवाओं के बेहतर निष्पादन के लिए सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ करें। मुझे विश्वास है अपनी यात्रा के दौरान लोगों के अत्यधिक उत्साह को देखते हुए मुझे विश्वास है कि उत्तर पूर्व के सभी लोग मुझे अपना पूरा सहयोग देंगे।

13. मेरे साथ विचार विमर्श के दौरान राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं का प्रस्ताव किया जिनका क्रियान्वयन किए जाने की आवयश्यकता है। हमने सभी प्रस्तावों की जांच कर ली है। सरकार द्वारा आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न है।

मिजोरम

1. 425 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली तुईयल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना को इस वर्ष मंजूरी दे दी जायेगी।

2. 40 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली चुनिंदा विशेषताओं तथा 200 रोगियकाओं के एक राज्य संदर्भ (रिफरल) अस्पताल की मंजूरी; राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी है। 31.3.1997 से पूर्व मंजूरी के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से 31.12.1996 तक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी।

3. 130 करोड़ रु० की अनुमानित लागत के साथ सिवेज स्कीम सहित आइजोल शहरी पेय जल आपूर्ति स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी। केन्द्र 75 प्रतिशत निधियाँ उपलब्ध करायेगा, शेष 25 प्रतिशत निधियाँ राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी। कार्य को तीन वर्षों में पूरा किया जाना हैं।

4. 30 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ सीमांत सड़कों/बीएडीपी को 1997-98 के आगे क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी जायेगी।

5. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी के साथ इस वर्ष एक औद्योगिक विकास केन्द्र को मंजूरी दी जायेगी।

त्रिपुरा

1. 525 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुमारघाट-अगरतल्ला रेल परियोजना के 3 से 5 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए नौंवी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

2. 31.3.97 से पहले दो भारतीय रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी जाएगी (अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये)।

3. अगरतल्ला विमानपत्तन पर सुविधाओं के उन्नयन के लिए 34 करोड़ रुपये मुहैया कराए जायेंगे।

4. एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट स्थापित किया जायेगा (15 करोड़ रुपये)।

5. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र।

6. नौंवी पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रुपये की लागत पर अगरतल्ला से सबरूम तक राज्य राजमार्ग का उन्नयन।

मणिपुर

1. 31.3.97 से पहले 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सीमा सड़क संगठन द्वारा एन एच 53 के उन्नयन/चौड़ा करने की मंजूरी 31.3.97 से पहले दी जाएगी और काम 1997-98 में शुरू होगा।

2. इम्फाल में राष्ट्रीय खेल 1997 के लिए आधारसंरचना सुविधाओं के हेतु 17.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाएगी।

3. इस वर्ष 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र को मंजूरी दी जाएगी।

4. मणिपुर के लिए एक एल पी जी बाटलिंग प्लांट को मंजूरी दी जाएगी (15 करोड़ रुपये)।

5. 90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आर आई एम एस (रिम्स) इम्फाल के उन्नयन के लिए परियोजना के द्वितीय चरण को 31.3.97 तक मंजूरी दी जाएगी।

6. 426 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस वर्ष लोकटाक डाउन स्ट्रीम एच ई पी को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी।

7. 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मरम्मत (एन एच 39) से फेबंग (59 किलोमीटर) सीमा लिकिंग सड़कों के निर्माण कार्य को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी।

अरूणाचल प्रदेश

1. इटानगर और नहरलगुन (36 करोड़ की अनुमानित लागत) हेतु जल आपूर्ति स्कीमों के लिए मंजूरी राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होते ही दे दी जाएगी।

2. अरूणाचल प्रदेश में जैव विविधता अध्ययनों के लिए एक संस्थान स्थापित किया जायेगा (10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत)।

3. नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इटानगर में नये विमानपत्तन के निर्माण कार्य को शुरू किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा भूमि मुफ्त मुहैया कराई जाएगी।

4. भारत सरकार अरूणाचल प्रदेश में विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन और कृषि संसाधन के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश को बढ़ावा देगी।

5. 12.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लीलाबाड़ी विमान पत्तन के सुधार जिसमें रनवे आदि का विस्तार शामिल है को 31.3.97 से पहले मंजूरी दी जाएगी।

6. इटानगर से गोहपुर तक एन एच 52 ए के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और इसे नौंवी पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दी जाएगी।

7. 31.3.97 तक अरूणाचल प्रदेश के लिए दो भारतीय रिजर्व बटालियनों को मंजूरी दी जाएगी (अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये)।

8. केन्द्रीय सरकार इटानगर में नये असेंबली हाल के निर्माण के लिए 75% अनुदान मुहैया करायेगी जिसकी नींव 10 वर्ष पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा रखी गई थी।

नागालैंड

1. बॉयग एच ई पी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि (दो वर्ष में 127.80 करोड़ रुपये) मुहैया करायी जायेगी।

2. गुवाहाटी से दीमापुर और कोहिमा के बीच 75% केन्द्रीय सब्सिडी (15 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) से हेलीकाप्टर सेवा मुहैया कराई जाएगी।

3. 38 करोड़ रुपये की लागत पर 17 किलोमीटर के एन एच 39 के चार लेन किए जाने की मंजूरी दी जायेगी।

4. दीमापुर विमान पत्तन का विकास (रनवे का विस्तार) और आई एल एस की स्थापना) (15 करोड़ रुपये)।

5. नागालैंड विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त आधारसंरचना के लिए 10 करोड़ रुपये।

6. कोहिमा में भिजवाये जाने की सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल का उन्नयन (25 करोड़ रुपये)।

7. 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी से औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।

8. डिबरूगढ़ से दीमापुर खण्ड के लिए गेज परिवर्तन कार्य को मंजूरी दी जाएगी।

9. आई ए वाई के अंतर्गत ग्राम विकास बोर्ड को आवासों के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आंबटन।

10. दीमापुर से वाया गुवाहाटी दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रैस शुरू की जाएगी।

11. दीमापुर से वाया गुवाहाटी दिल्ली तक सप्ताह में तीन बार इण्डियन एयरलाईन सेवाएं चलेंगी।

असम

1. जोगीहोपा में रेल-सह-सड़क पुल पूरा करने के लिए 1996-97 में 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाएगी। परियोजना को पूरा करने के लिए 1997-98 में 120 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।

2. बोगीमील में सड़क-सह-रेल-पुल के लिए प्रस्ताव। इस वर्ष 1080 करोड़ रुपये मंजूर किए जायेगे और कार्य अगले वर्ष शुरू किया जायेगा और नौंवी पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।

विवरण-V

तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा मई, 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान की गई घोषणाएं

1. पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की अक्टूबर, 1996 में अपनी यात्रा के दौरान घोषित "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नयी पहल" में अभिहित स्कीमें/कार्यक्रम पूर्णत: क्रियान्वित किए जाएंगे।

2. असम सरकार द्वारा विद्रोह को दबाने में किया गया सुरक्षा संबंधी व्यय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। असम सरकार, गृह मंत्रालय को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजेगी।

3. केन्द्रीय सरकार बोडो स्वायत्त परिषद् (बी ए सी) को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएगी तथा राज्य सरकार को और अधिक निधि जारी की जाएगी। प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार, बी ए सी को तत्काल निधियां जारी करेगी।

4. गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक निकायों इत्यादि में रिक्त पदों की नवीनतम स्थिति का जायजा लेकर समीक्षा करेगा।

5. पूर्वोत्तर परिषद् के पुनर्गठन के लिए, प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग और पूर्वोत्तर राज्यों के सात मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेने की इच्छा व्यक्त की।

6. प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि भारत सरकार, मणिपुर सरकार के सुरक्षा से संबंधित व्यय के प्रस्ताव पर असम और त्रिपुरा की तर्ज पर ही विचार करे।

7. राष्ट्रीय राजमार्गों की पैट्रोलिंग के संबंध में, प्रधानमंत्री ने सूचना दी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्गों की पैट्रोलिंग के लिए अलग से एक विशेष स्कीम तैयार की जा रही थी। मणिपुर सरकार का प्रस्ताव उसमें शामिल होगा।

8. अगरतला और कलकत्ता के बीच उड़ानों की संख्या कम कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि इस मुद्दे पर, नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ एक बैठक ली जाए। बाद में, मणिपुर की राज्य सरकार और असम चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों ने भी ऐसे ही मुद्दे उठाए। गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ उड़ानों की बहाली के लिए एक बैठक आयोजित करेगा।

9. गैस के समुचित दोहन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच एक बैठक की जानी है।

10. इस समय त्रिपुरा रबर उत्पादन में केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। चूंकि रबड़ को वन जाति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अवनत वनों में रबड़ रोपण की अनुमति नहीं है।

11. पी एम आर वाई के लिए उम्र सीमा (इस समय यह 35 वर्ष है) बढ़ाने के वास्ते प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन दिये गए थे। प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस मामले की शीघ्र जांच की जानी चाहिए।

12. चावल के पर्याप्त आंबटन हेतु मुख्यमंत्री, मणिपुर के अनुरोध के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने उन्हें सूचित किया था कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री से अनुरोध किया गया है। कि वे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें। खाद्य मंत्रालय से कहा गया है कि वह चावल/गेहूं का आंबटन कम न करे। गरीबी रेखा के नीचे के लिए आंबटन खाद्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा तथा खाद्यान्नों की शेष मात्रा सामान्य कीमत पर गरीबी स्तर के अनुसार राज्य के लोगों को दी जाएगी।

13. प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि डमरा-सिजुए-बाघमारा राजमार्ग को जोड़ने वाली 130 किलोमीटर लम्बी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा तथा भू-तल परिवहन मंत्रालय इस पर कार्रवाई करेगा।

14. कुलपति, एन ई एच यू ने सूचित किया था कि वर्ष 1996-97 में यू जी सी द्वारा एन ई एच यू को दिए गए अनुदान में सामान्य बजट कटौती के कारण कमी की गयी थी। प्रधानमंत्री ने इच्छा

व्यक्त की कि मानव संसाधन मंत्रालय को चाहिए कि वे इस पर यू जी सी को निर्देश जारी करे ताकि सामान्य कटौती पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू न हो।

15. जामिया मिलिया के अनुरूप एन ई एच यू के अंतर्गत एक जन संचार संस्थान की स्थापना की जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना है।

विवरण-VI

"पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु नयी पहलें" के तहत कवर की गई परियोजनाओं की स्थिति (अप्रैल, 1998)

नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	वर्तमान स्थिति
1	2	3
	असम	
1. जोगीपोगा परियोजना को पूरा करने हेतु आवश्यक निधि	167 (बकाया कार्य हेतु)	रेल एवं सड़क, पुल तैयार हो चुका है तथा इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अप्रैल, 1998 को किया गया था।
2. बोगीमील रेल एवं सड़क पुल	1000	अंतिम स्थान सर्वेक्षण तथा अद्यतन अनुमानों की प्रतीक्षा है।
		सी सी ए ने 10.9.97 को इसका अनुमोदन कर दिया। इसके लिए योजना आयोग को निधियां प्रदान करनी हैं।
		बोगीनील पुल से कुलजान के निकट एन एच 52 पर इसके जंगशन से शुरू होकर एन एच 37 के इसके जंगशन पर अंत होने वाले राजमार्ग की, दिनांक 9.2.98 की राजपत्र अधिसूचना के तहत एन एच-52 ए के रूप में घोषणा कर दी गई।
3. गुवाहाटी विमान पत्तन	130 (बकाया कार्य)	गुवाहाटी को एक क्षेत्रीय केन्द्र बनाने के उद्देश्य से, ए ए आई ने गुवाहाटी विमान पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय बनाने हेतु टर्मिनल के आधुनिकीकरण तथा हवाई पट्टी के विस्तार हेतु कार्य पहले ही पूरा कर लिया।
	17.15	(क) टर्मिनल भवन का विस्तार/सुधार
		पहले चरण (आगमन लाऊंज) का कार्य पूरा हो चुका है तथा इसे प्रारंभ कर दिया गया है। चरण-2 का कार्य प्रगति पर है।
	2.51	(ख) एप्रॉन को बढ़ाना कार्य नवम्बर, 1997 में पूरा कर लिया गया।
	29.90	(ग) राडार लगाना पूरा कर लिया गया तथा 31.3.97 को प्रारंभ हो गया।
	12.50	(घ) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य नौवीं योजना के दौरान प्रारंभ किया जाएगा।
	15.00	(ङ) अंतर्राष्ट्रीय कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य नौवीं योजना के दौरान प्रारंभ किया जाएगा।
	3.00	(च) ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं का उन्नयन
		यह कार्य, हवाई पट्टी को बढ़ाने के कार्य के साथ ही शुरू किया जा सकता है।

1	2	3
4. तीन उद्योग विकास केंद्र	75	चारीदूर विकास केन्द्र स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है तथा राज्य सरकार को 50 लाख रु० की राशि जारी कर दी गई है। (2) मटिया विकास केन्द्र : परियोजना रिपोर्ट पर परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा 11.6.97 को विचार कर लिया गया है तथा 22.9.97 को शीर्ष समिति द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया। 50 लाख रु० जारी कर दिए गए। (3) सोनापुर विकास केन्द्र परियोजना। राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।
5. बाढ़ नियंत्रण कार्य/ब्रह्मपुत्र	500	पगलडिया बहुदेद्शीय परियोजना (480 करोड़ रु०) पी आई बी/सी सी ए स्वीकृति हेतु जल संसाधन मंत्रालय की कार्रवाई इसमें विलम्ब हो रहा है। हरनाग ड्रेनेज स्कीम (12 करोड़ रु०) स्कीम का अनुमोदन जनवरी, 1990 में कर दिया गया था। इसमें विलम्ब हो रहा है। केन्द्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा, मास्टर प्लान भाग-I, भाग-II तथा बडक नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी है। शुक्ला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर, कार्यबल एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं हेतु असम के दावे के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं।
(i) असम सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले लघु आवधिक बाढ़ नियंत्रण उपाय	150 करोड़ रु०	
(ii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा द्वीप सुरक्षा हेतु एक व्यापक स्कीम के एक भाग के रूप में किए जाने वाले माजुली द्वीप सुरक्षा कार्य, अभी ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा प्रक्रिया में है (लघु आवधिक कार्य)	30 करोड़ रु०	
(iii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निष्पादित की जानेवाली परियोजनाएं: (क) पगलडिया परियोजना हेतु 214 करोड़ रु० तथा (ख) हरनाग ड्रेनेज स्कीम हेतु 11 करोड़ रु० (दीर्घकालिक कार्य)	225 करोड़०	
(iv) तिपाईमुख की निर्माण पूर्व गतिविधियां (मणिपुर-मिजोरम राज्य) तथा देहांग एवं सुबनसिरी परियोजनाओं की जांच (अरूणाचल प्रदेश)	50 करोड़ रु०	
(v) शुक्ला आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मणिपुर राज्य में विशेष बाढ़ नियंत्रण स्कीम (11 अदद)	45 करोड़ रु०	
इसे योजना आयोग को भेज दिया गया है		

1	2	3
6. एलपीजी बॉटलिंग प्लांट	27.29	मंजूरी दी चुकी हैं। कार्य प्रगति पर है। 30.10.1998 तक पूरी कर ली जाएगी।
7. नुमलीगढ़ रिफाइनरी	1650 (बकाया कार्य)	अब यह सूचित किया गया है कि कार्य की कुल लागत 2497.40 करोड़ रु० है। परियोजना ने 15.2.98 की स्थिति में, 81.7 प्रतिशत की वास्तविक प्रगति कर ली है। पूर्ण निधि पोषण का आश्वासन दिया गया है।

19.5.1997 से 23.5.1997 तक प्रधान मंत्री के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरान उठे मुद्दे।

असम तथा मेघालय राज्यों में डमरा-बाघमरा सड़क की राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा।

(i) दिनांक 9.2.98 की राजपत्र अधिसूचना के तहत डमरा से बाघमरा राजमार्ग की राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के रूप में घोषणा।

(ii) असम एवं मेघालय सरकारों से राजमार्ग भूमि को केन्द्र सरकार के सुपुर्द करने के लिए अनापत्ति दर्शाने हेतु अनुरोध किया गया।

नागालैंड

1. दोयांग एचईपी (3x25 मेगावाट)	127.8	दोयांग एच पी ए के लिए पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा 1.5.1997 को अतिरिक्त 30 करोड़ रु० जारी किए गए। परियोजना की वर्तमान प्रत्याशित पूर्ति लागत 384.75 करोड़ रु० से बढ़कर 557.87 करोड़ रु० हो गयी हैं। संशोधित अनुमानित लागत (आर ई सी) एन ई ई पी सी ओ द्वारा पूर्वोत्तर परिषद को सौंप दी गई है। पूर्वोत्तर परिषद ने उसे सी ई ए को भेज दिया है। तथा इसे सी ई ए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस पर अब पी आई बी/सी सी ई ए अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जानी हैं। जनवरी, 1998 तक परियोजना हेतु प्राप्त निधियां कुल 389.89 करोड़ रु० की हैं। अतिरिक्त निधियां प्रदान कर दी गई हैं। प्रारंभ करने का संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है: यूनिट-I 7-98 यूनिट-II 9-98 यूनिट-III 11-98
2. हेलीकॉप्टर सेवाएं	20	प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर सेवाएं 1.3.98 से शुरू की जानी है अथवा जैसे ही राज्य सरकार पवन हंस से समझौता कर लेती है।
3. दीमापुर में विमान पत्तन	10.73	9.65 करोड़ रु० की लागत के नये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा यह जुलाई, 97 से चालू हो जाएगा।
4. कोहिमा में रेफरल सुविधाओं हेतु अस्पताल	25 (बकाया कार्य)	कार्य 1998-99 में आरंभ होना है। दीमापुर (गणेश नगर) विकास केन्द्र :
5. औद्योगिक विकास केंद्र	25	प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं तथा 50 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं।
6. नागालैंड विश्वविद्यालय के लिए आधार संरचना	10	शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियां जारी की जानी हैं।

1	2	3
7. एनएच-39 की फोर लेनिंग (दीमापुर चुमक-डेमा)	16	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। डीजीबीआर द्वारा 10.98 करोड़ रु० का अनुमान अभी मंजूर किया जाना है।
8. आईएवाई हेतु अतिरिक्त आंबटन	10	5 करोड़ रु० जारी कर दिए गए।
	मेघालय	
1. इंदिरा गांधी स्वास्थ्य संस्थान	74	डा०ए०एस० बरूआ को संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डा०पी०के०दवे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने जून, 97 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में एक चरणबद्ध तरीके से संस्थान के विकास की सिफारिश की, अर्थात् : 1. लघु अवधि की : क. एक मेडिकल कॉलिज का विकास ख. कार्डियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएन्ट्रालॉजी परम विशिष्टता विभाग का कार्यकरण। 2. दीर्घकालिक : विशिष्टताओं एवं परम विशिष्टताओं के साथ पूर्ण रूपेण मेडिकल कालेज का विकास। विकास गतिविधियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं।
2. शिलांग-बाई-पास सड़क	16	बाई पास के सरेखण से संबंधित फर्म प्रस्ताव राज्य सरकार से प्रतिक्षित हैं। तुरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 51 की दो भूमि का चौड़ीकरण-13.08 करोड़ रुपये का विस्तृत आंकलन अनुमोदित कर 19.3.98 को संस्वीकृति जारी की गई।
3. बरनीहाट पर रेलशीर्ष	5	ताजा सर्वेक्षण किए गए मेघालय सरकार ने रेल मंत्रालय को भुनकबारी-बरनीहाट-शिलांग सरेखण को परिवर्तित करने का सुझाव दिया है।
4. उमरोई हवाई अड्डा		राज्य सरकार ने नवीन अध्ययन की प्रार्थना की है। इसे किया गया है। संशोधित लागत, अतिरिक्त आवश्यक भूमि की लागत को छोड़कर 30 करोड़ रुपये है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस परियोजना के लिए ई एफ सी अनुमोदन को प्रसंस्कृत कर रहा है। इसमें विलम्ब हो रहा है।
5. शिलांग के निकट सैटैलाइट टाउनशिप		मेघालय राज्य सरकार ने 13.7.97 को प्रस्ताव भेजा जिसे ओ ई सी एफ सहायता पाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को तकनीकी रूप से जांच कर के सिफारिश की गई। आर्थिक कार्य विभाग ने 1998-99 ऋण पैकेज के अंतर्गत इस परियोजना को ओ ई सी एफ जापान को अनुशंसित कर दिया।

1	2	3
6. क्षेत्रीय जैविक उत्पाद ईकाई	3.50 लगभग	क्षेत्रीय जैविक उत्पाद ईकाई/इस यूनिट को सामान्यत: सुअर पालन/मुर्गी पालन आदि सुअरों में फैलने वाला ज्वर, पैरों और मुख की बीमारियों आदि को नियन्त्रित करने को नियन्त्रित करने हेतु वैक्सीन बनाने के उद्देश्य से आरम्भ में केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत लिए जाने का प्रस्ताव था। ऊपरी शिलांग की अवसंरचना के लिए कार्यालय इमारतों के वास्ते 1.20 करोड़ रुपये और आवासीय इमारतों के लिए 0.90 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। परियोजना के 5 वर्षों के पश्चात स्व-निर्भर हो जाने की आशा है जब इसे राज्य को हस्तांतरित किया जायेगा।
7. औद्योगिक विकास केन्द्र	25	मण्डी पठार विकास केन्द्र मार्च 1997 में स्वीकृत कर 50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त जारी की गई।
8. होटल प्रबन्धन संस्थान		आयुक्त तथा सचिव पर्यटन मेघालय सरकार ने उल्लेख, किया है कि यह एक केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना हैं और शुरूआती तौर पर, आरकिड होटल, शिलांग के परिसर का उपयोग किया जाएगा जिससे होटल प्रबन्धन संस्थान अप्रैल-मई 1998 से कार्य करना प्रारम्भ कर सके। स्थायी स्थल के सम्बन्ध में, शिलांग शहर की सीमा रेखा में भूमि देखी जा रही है। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय आगामी कार्रवाई करेगा।
9. बंगलादेश को जोड़ने वाला डौकी सेतु	20 एप्रोच रोड सहित	नये सेतु के लिए डीपीआर की तैयारी हेतु परामर्श सेवाओं के आकलन के वास्ते 19.3.97 को 0.35 करोड़ रुपये संस्वीकृत। मंत्रालय द्वारा 24.11.97 को सरेखण और अवधि प्रबंध अनुमोदित किए गए हैं। में, राइट्स कन्सल्टेंट्स से विस्तृत डिजाइनें और अनुमान प्राप्त होने हैं। राज्य लो.नि.वि. ने 9.2.98 को अनुमानों का शीघ्र निपटान करने के लिए पुनर्स्मरण कराया। वार्षिक योजना 1998-99 में 6 करोड़ रु० के प्रावधान के साथ डौकी सेतु का निर्माण प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री द्वारा 19-23 मई, 1997 के दौरान घोषित अतिरिक्त मदें:-		
असम और मेघालय राज्यों में दामरा-बाघमारा रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा।		दामरा से बाघमारा राजमार्ग को दिनांक 9.2.1998 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। असम और मेघालय सरकारों ने केन्द्र सरकार को राजमार्ग भूमि के हस्तांतरण पर अनापत्ति देने का अनुरोध किया।
	मिजोरम	
1. तुरियल एच ई पी	448.19	मिजोरम सरकार, इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में नीपको एक्जीक्यूशन का हस्तांतरित करने पर सहमत हो गई है। परियोजना की अनुमानित लागत 448.19 करोड़ रु० है। परियोजना को ओ ई सी एफ से वित्तीय सहायता हेतु अनुबंधित किया गया है।

1	2	3
		भारत सरकार और जापान सरकरा के मध्य मुरियत एच ई पावर स्टेशन परियोजना के लिए 11,695 मिलियन येन की आईसीएफ ऋण सहायता हेतु संबधित अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के लिए पर्यावरण तथा वन अनुमोदन पहले ही पर्यावरण व वन मंत्रालय से नीयकों को दिया जा चुका है। परियोजना के लिए अंनतिम टी ई सी, सी ई ए द्वारा जारी कर दिया गया है और पी आई बी की बैठक 27.1.98 को हुई थी। पी आई बी की 27.1.98 को हुई बैठक प्रस्ताव को यी ई ए को अनुशंसित करने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु केबिनेट प्रस्तुत किया गया है। निवेश संबंधी अनुमोदन मिलने तक परामर्शदाताओं के चयन हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और विश्व भर से 30.8.98 तक निविदाएं मंगवाई गई हैं। परामर्शदाताओं में चयन के लिए पूर्व पी आई बी की बैठक 4.12.97 को हुई।
2. स्टेट रेफरल हास्पिटल	40	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञ दल ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आईजोल में बातचीत की। नौंवी योजना में राज्य सरकार को 8.50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाना है।
3. आईजोल शहरी पेय जल आपूर्ति (चरण-II)	130	स्कीम को 17.3.1997 को 177.90 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से तकनीकी तौर पर पारित कर दिया गया हैं। बाद में आकलन को 176.55 करोड़ रुपये आशोधित किया गया है। कार्य के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं।
4. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम/सड़क कार्य	30	योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1997-98 16 करोड़ रु० के आवंटन का प्रावधान किया है। राज्य को 4 करोड़ रुपये का अंनतिक प्रावधान दिया गया है तथा 2 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी की गई है। इसके अतिरिक्त बंगला सीमा के लिए 137 करोड़ रु० भी दिए गए हैं।
5. औद्योगिक विकास केन्द्र	.15.25	लुआंगमुल विकास केन्द्र मार्च, 1997 में स्वीकृत। 50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त जारी की गई।
6. रा० राज० 54 (सिल्चर-आईजोल) डी जी यी आर को चौड़ा करना।	91.78	कि०मी०2.90 से कि.मी. 151.9 का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया। कि.मी. 44.30 से 70 के लिए सितम्बर 9 344.66 लेख की संस्वीकृति प्रदान की कि.मी. 0.24 से 31.11 के लिए 1 करोड़ रुपये की नियमित संस्वीकृति के संबंध जी बी आर द्वारा कार्रवाई की जाकर कार्य शुरू कर दिया गया है।
	त्रिपुरा	
1. कुमारघाट अगरतल्ला रेलवे लाइन	525	प्रधानमंत्री जी ने 23.10.1996 को परियोजना का शुभारंभ किया। अगरतल्ला में उप सी ई की तैनाती की गई और परियोजना कार्यालय बनाया गया सी सी ई ए ने इस परियोजना की मंजूरी दे दी है।

1	2	3
2. भारत की रिजर्व बटालियन (दो)	10	गृह मंत्रालय द्वारा 24.11.1996 तथा 31.1.1997 को दो भा.रि. बटालियनों के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई।
3. अगरतल्ला हवाई अड्डे स्तरोन्नयन	30 (संतुलित शेष कार्य)	कुल परियोजना लागत 46.76 करोड़ रुपये जिसमें से एन ई सी से 3.76 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। ए ए आई की वार्षिक योजना 1997-98 में 9.58 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वर्तमान टर्मिनल इमारत को एक नये फायर स्टेशन सहित 18.45 करोड़ रुपये की लागत से विस्तारित/रुपांतरित करने का प्रस्ताव है। निविदांए आमंत्रित की गई हैं। जहां तक 6000 से 7000 तक रन-वे के विस्तार का संबंध है, राज्य सरकार को 40 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए मांग का प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्तमान एप्रन और लिंक टैक्सी वे का चौड़ा करने का कार्य प्रगाति पर है तथा उसके दिसंबर 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना हैं। (क) टर्मिनल इमारत का नये फायर स्टेशनों के निर्माण के साथ विस्तारीकरण/रुपांतरण। (ख) 6000 से 75000 तक रन-वे के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण। निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जुलाई 1997 में कार्य आबंटित किया गया निष्पादन अवधि, कार्य आरम्भ करने से दो वर्ष राज्य सरकार से नवम्बर 1996 में भूमि अधिगृहीत करने और इस प्रयोजनार्थ इसे ए ए आई को निशुल्क हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया। यह कार्यवाही की जा चुकी है।
4. एल पी जी बॉटलिंग संयंत्र	6.79	भराव-कार्य शुरू किया गया। कार्य पूर्ण।
5. औद्योगिक विकास केन्द्र	15	उत्तर चम्पामुरा-परियोजना रिपोर्ट पर परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा 11 जून 1997 को विचार किया गया तथा शीर्ष (समिति द्वारा 22 सितम्बर को अनुमोदित कर दी गई) परियोजना लागत 15 करोड़ रुपये राज्य सरकार को 50 लाख रुपये दिए गए।
6. अगरतला-साबरुम राजमार्ग का स्तरोन्नयन	60	त्रिपुरा सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 ए के अंतर्गत, सीमा सड़क विकास बोर्ड को अपने 6 मई 1997 के पत्र द्वारा पांच वर्ष के लिए रा.राज. स्तरोन्नयन तथा अनुरक्षण का कार्य सौंपा है। डी जी, सीमा सड़क द्वारा संस्वीकृत प्रदत्त, कि.मी. 2.69 से 15.00 तथा कि.मी. 90 से कि.मी. 105 तक से कि.मी. 105 तक 7.33 करोड़ रुपये का अनुमान, अक्तूबर 97 में संस्वीकृत, कार्य प्रारम्भ कि.मी. 66 से कि.मी. 90 तक 8.56 करोड़ रुपये का अनुमान, सी.डी ए (बी आर) के पास स्वीकृति की प्रक्रिया में है। 9.2.98 की अधिसूचना के द्वारा अगरतला से साबरुम राजमार्ग को रा०राज० 44 घोषित कर दिया गया।

1	2	3
	मणिपुर	
1. इम्फाल-जिरिबम रा. राज. 53 को चौड़ा करना	136.72	i) कि.मी. सं. 3.22 से 96 तथा कि.मी. सं. 101 से 122.20 तक 31.33 करोड़ रुपये के कार्य का दिसम्बर 1997 में संस्वीकृति दी गई कार्य प्रारंभ। नौंवी योजना में इसके लिए प्रावधान किया जाना है। इस कार्य के लिए बोर्ड 1997-98 में 700 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए। अपनी अवशिष्ट स्थिति में कार्य को 1997-98 के दौरान मंजूर किया जाना है। ii) कि.मी. सं. 186.48 से 221.14 की दूरी के लिए 24.2.98 को 11.36 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की संस्वीकृति दी गई। भूमि के तीव्र अधिग्रहण में राज्य सरकार मोस्ट की सहायता करेगी। iii) कि.मी. सं. 186.48 से 221.14 तक धरातल कार्य को 19.3.98 को 14.51 करोड़ रुपये की संस्वीकृति प्रदान की गई। iv) कि.मी. सं. 96 से 101 के लिए 1.81 करोड़ रुपये का अनुमान डी जी वी आर सी डी ए (सीमा सड़क) की जांच के अधीन है।
2. खेल अवसंरचना	17.1	योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को 17.10 करोड़ रुपये जारी किए गए। कार्रवाई पूर्ण वास्तव में, 1997-98 में खेल अवसंरचना को पूर्ण करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अतिरिक्त 15 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए गए। राष्ट्रीय खेल 4-10 अक्टूबर 1998 से इम्फाल में होने हैं।
3. औद्योगिक विकास केन्द्र	25	लामलाई-नामपेट इम्फाल पूर्वी जिला दिसम्बर 1997 में स्वी० 50 लाख रुपये दिए गए।
4. एल पी जी बाटलिंग संयंत्र	27.62	i) राज्य सरकार को भूमि के लिए पूरा भुगतान किया गया। मालोन में पूर्व में चयन की गई भूमि के हस्तांतरण में राज्य सरकार के असफल रहने पर, स्थल चयन सीमित ने 6/7 जनवरी 1998 में सेकमई, इम्फाल में एक नये भूमि के टुकड़े का निरीक्षण पर भूमि अधिग्रहण के लिए सिफारिश की। ii) मार्च, 1997 में चारदीवारी के लिए अनुबंध किया गया। राज्य सरकार को शीघ्रातिशीघ्र प्लॉट अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने विलम्ब कर दिया है।
5. आर आई एम का उन्नयन	90	संयुक्त सचिव (एन ई) ने 27 जनवरी, 1997 को इम्फाल का दौरा किया और विचार-विमर्श किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध विशेषज्ञ दल ने 18 फरवरी, 97 को आर आई एम एस (रिम्स) का दौरा किया था। अंतर्मंत्रालयी दल की रिपोर्ट परिचालित की गई थी। रिपोर्ट पर विचार हेतु 20 मार्च, 1998 को बैठक आयोजित की गई थी। प्रस्ताव का अंतर्मंत्रालयी समिति

1	2	3
		द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया था। ई एफ सी बैठक 6.5.98 को आयोजित की जानी है। इसमें विलम्ब हो रहा है।
6. लोक टक डाउन स्ट्रीम एचईपी	426	परियोजना के लिए वन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मणिपुर में लोक टक डाउन स्ट्रीम पनबिजली परियोजना के लिए वन भूमि के 195 हेक्टेयर (55 हेक्टेयर कार्यालय और कॉलोनी के लिए निर्धारित को छोड़कर) के विचलन के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त पर सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया था। अनुबंधित शर्तों के प्राप्त होने के पश्चात, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन जारी किया जाएगा। 1996-97 की कीमतों पर परियोजना की संशोधित लागत 647 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है और इसके 7 वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। लम्बे पत्राचार के पश्चात मणिपुर सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि यह परियोजना राष्ट्रीय पनबिजली निगम लि० द्वारा निष्पादित की जाए। यद्यपि राज्य सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि इस परियोजना से प्राप्त लाभ का 50 प्रतिशत उन्हें उपलब्ध कराया जाये। सिद्धान्त रूप में इसे मान लिया गया है। यद्यपि विद्युत का 12 प्रतिशत मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा और शेष 38 प्रतिशत के अन्य लाभ प्राप्तकर्ता राज्यों के बराबर दर पर मणिपुर को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। पूर्व-पी आई बी ज्ञापन विचाराधीन है।
7. मारम-फारबंग रोड़ सीमा सड़क कार्यक्रम	15	इस कार्य के लिए राज्य की नौवी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस सड़क के कार्य को तेज किया जाना है।
	अरुणाचल प्रदेश	
1. इटानगर नाहर लगुन जल आपूर्ती स्कीम	36	20.776 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर इटानगर शहर (फेस-I) के लिए संशोधित स्कीम 17.3.97 को 14.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दी गई है और 15.90 करोड़ रुपये की लागत पर नाहरलगुन शहर (फेस-I) के लिए संशोधित स्कीम 17.3.97 को 10.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित कर दी गई है। इटानगर जल आपूर्ति स्कीम के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
2. जैव विविधता अध्ययन संस्थान	10	पर्यावरण और वन मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना दी है। अरुणाचल प्रदेश के वन विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में जैव विविधता राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। विभाग को अनुमोदन के पश्चात परियोजना रिपोर्ट की प्रति भारत सरकार को अग्रेषित करनी है। इसमें विलम्ब हो रहा है।
3. इटानगर में विमान पत्तन	50	राज्य सरकार द्वारा अभी मुफ्त भूमि के लिए इच्छा सूचित की जानी है। मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश ने राज्य सरकार की इच्छा सूचित करने का वचन दिया है। राज्य सरकार की सहमति अभी प्राप्त की जानी है।

1	2	3
		हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नये विमान पत्तन के निर्माण के लिए जोटे गांव के समीप स्थल के सर्वेक्षण के लिए एक दल प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया है। आधार संरचना सुविधाओं के उन्नयन के लिए अरुणाचल प्रदेश में सभी विमान पत्तनों के अध्ययन करने हेतु क्षेत्रीय मुख्यालय गुवाहाटी से एक दल पहले ही 22 अक्टूबर, 1997 को जा चुका है। टीम की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है और सहमति देने के लिए राज्य सरकार को सूचित कर दी गई है। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
4. लीलाबाड़ी विमान पत्तन	21 (शेष कार्य)	मौजूदा रन-वे के कार्य को सुदृढ़ किया जा रहा है और कार्य के जुलाई, 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है। नये टर्मिनल भवन के निर्माण से संबंधित कार्य हाल ही में शुरू किया गया है और जुलाई, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है। एएआई की वार्षिक योजना 1997-98 में 8.45 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए। विकास की कुल लागत 28.40 करोड़ रुपये अनुमानित है। नये टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य और मौजूदा रन-वे के कार्य के सुदृढ़ीकरण और विस्तार का कार्य प्रगति पर है और क्रमशः जुलाई, 1999 और दिसम्बर 1998 में पूरा हो जाने की संभावना है। (क) एपरन और रन-वे सहित नये टर्मिनल भवन काम्प्लेक्स का निमार्ण। कार्य प्रगति पर है। (ख) रन-वे पर बिजली के कार्य सहित रन-वे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार। कार्य प्रगति पर है। (ग) डी बी ओ आर/डी एच ई का प्रावधान। बजट प्रावधान कर दिया गया है। कार्य 1998-99 के दौरान शुरू किया जायेगा।
5. इटानगर-गोहपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 52ए का विस्तार		i) दिनांक 9.2.98 की राजपत्र अधिसूचना के तहत इटानगर-गोहपुर सड़क को एन एच 52 ए घोषित किया गया। ii) अरुणाचल प्रदेश और असम सरकारों ने केन्द्र सरकार को हाइवे भूमि सौंपने के लिए आपत्ति नहीं देने का अनुरोध किया है। सुधार की मोटी लागत 60 करोड़ रुपये के लगभग है। iii) सर्वेक्षण, अन्वेषण और परियोजना तैयारी 0.50 करोड़ की लागत पर वार्षिक योजना 1997-98 में शामिल की गई है। राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त होने के पश्चात विस्तृत अनुमान की मंजूरी।
6. दो भारतीय आरक्षित बटालियन		गृह कार्य मंत्रालय द्वारा 18 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 2 भा०आ० बटालियनों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। निधियां जारी कर दी गई हैं।
7. इटानगर में असेम्बली हाल		अनुमान राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाने हैं। राज्य सरकार द्वारा इसमें विलम्ब किया गया हैं।

विवरण-VII

मई, 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण

की गई घोषणा	वर्तमान स्थिति
1	2
1. अक्टूबर 1996 में पूर्वोत्तर राज्य के दौरे के दौरान पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा उद्घोषित ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए नई पहलें'' में कवर की गई स्कीमें/कार्यक्रम पूरी तरह कार्यान्वित किये जायेंगे।	अक्टूबर 1996 में पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा उद्घोषित "उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नई पहलें" के अन्तर्गत कवर की गई स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है और इसकी प्रगति को गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा हैं।
2. अराजकता नियन्त्रण में असम सरकार द्वारा किया गया सुरक्षा से संबंधित व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। असम सरकार को गृह मंत्रालय को विस्तृत प्रस्ताव भेजना है।	भारत सरकार ने पूर्ण और अंन्तिम निपटारे में 1990-95 अवधि के लिए सुरक्षा संबंधी अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में 131.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और उन्हें जारी किया है।
3. केन्द्र सरकार बोडो स्वायत्त परिषद (बी ए सी) के लिए आवश्यक निधियां जारी करेगी और इसके बाद अगली निधियां राज्य सरकार को दी जायेंगी। बदले में राज्य सरकार तत्काल बी ए सी को निधियां जारी करेगी।	राज्य सरकार ने 1998 के मार्च माह में 5 करोड़ रुपये मूल्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है शेष 9.29 करोड़ रुपये जारी करने का प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया गया है।
4. गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक निकायों आदि में खाली पदों की नवीनतम स्थिति की जांच और स्थिति की पुनरीक्षा करेगा।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैज्ञानिक निकायों में खाली पदों की नवीनतम स्थिति की पुनरीक्षा कर ली गई है।
5. पूर्वोत्तर परिषद के पूर्नगठन के लिए प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग और पूर्वोत्तर राज्यों के सात मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक करने की इच्छा व्यक्त की।	प्रधानमंत्री द्वारा बैठक की गई थी।
6. प्रधान मंत्री की इच्छा थी की भारत सरकार द्वारा असम और त्रिपुरा के समान ही मणिपुर सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।	इस पर विचार किया गया है और इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।
7. राष्ट्रीय राजमार्गों की गश्त के संबंध में प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्गों की गश्त के लिए एक विशेष स्कीम तैयार की जा रही है। मणिपुर सरकार का प्रस्ताव उसमें शामिल किया जाएगा।	गृह मंत्रालय की नौंवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।
8. अगरतल्ला और कलकत्ता के बीच उड़ानों की संख्या कम कर दी गई है। प्रधान मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस मामले पर एक बैठक नागारिक विमानन मंत्री के साथ की जानी चाहिए। तदन्तर मणिपुर राज्य सरकार और असम चैम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों ने भी यही मामले उठाए थे। गृह मंत्रालय की उड़ाने पुन: शुरू करने के लिए नागारिक विमानन मंत्रालय के साथ बैठक आयोजित करनी है।	नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अगरतल्ला और कलकत्ता के बीच उड़ानों की संख्या कम नहीं की गई है। पूर्वोत्तर के लिए फीडर उड़ानों के प्रचालनों के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी।
9. गैस के उपयुक्त दोहन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा सरकार और पैट्रेलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की बीच बैठक आयोजित करवाई जानी है।	पैट्रेलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयों और त्रिपुरा सरकार के बीच बैठक आयोजित की गई थी।
10. इस समय रबड़ के उत्पादन में त्रिपुरा केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। चूंकि रबड़ वन प्रजातियों में शामिल नहीं है, अवक्रमित वनों में रबड़ रोपण की अनुमति नहीं है। कार्रवाई की जानी है ताकि रबड़ को वन प्रजातियों में शामिल किया जा सके।	मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया गया था। वह कतिपय शर्तों पर अवक्रमित वनों में रबड़ के रोपण पर विचार के लिए सहमत हो गया है। आई जी (वन) शीघ्र ही त्रिपुरा का दौरा करेंगे और तत्पश्चात पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

1	2
11. पी एम आर वाई के लिए आयु सीमा में वृद्धि (मौजूदा रूप में 35 वर्ष) के लिए प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन दिए गए थे। प्रधान मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस मामले की शीघ्र जांच की जानी चाहिए।	इसे अनुमोदित कर दिया गया है और नई औद्योगिक नीति में समाविष्ट कर लिया गया है।
12. चावल के पर्याप्त आंबटन के लिए मणिपुर के मुख्य मंत्री के अनुरोध के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने उन्हें सूचित किया कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री से पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक करने का अनुरोध किया गया है। खाद्य मंत्रालय से चावल/गेहूं के आबंटन को कम न करने के लिए कहा गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए आंबटन खाद्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार होगा, खाद्यान्नों की शेष प्रमात्रा सामान्य कीमतों पर गरीबी स्तर के पास के लोगों के लिए राज्य को दी जायेगी।	प्रधान मंत्री कार्यालय में बैठक आयोजित की गई और चावल/गेहूं के आंबटन के लिए कोटे का मामला संतोषजनक रूप से सुलझा लिया गया है।
13 प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि डामरा-सिजूयू-बाघमारा नामक राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच) को जोड़ने वाली सड़क के विस्तार को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा और इस संबंध में भूतल परिवहन मंत्रालय कार्रवाई करेगा।	9.2.98 से डामरा-सिजूयू-बाघमारा सड़क के विस्तार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 घोषित किया गया है।
14. कुलपति, एन ई एच यू ने सूचित किया कि 1996-97 में यू जी सी द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में सामान्य बजट कटौती की वजह से कमी कर दी गयी है। प्रधान मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस पर यू जी सी को अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि सामान्य कटौती पूर्वोत्तर क्षेत्र पर लागू न हो।	इसे शिक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया था। उन्होंने सूचित किया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) को इसका ध्यान रखने की सलाह दी गई है कि सामान्य बजटीय कटौती पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक विस्तारित न हों।
15. एन ई एच यू के अंतर्गत जामिया मिलिया के समान जनसंचार संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता है।	इसे शिक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया था। उन्होंने सूचित किया है कि एन ई एच यू को पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श कर लिया गया है तथा इसे तदनुसार एन ई एच यू को सूचित किया गया है।

विवरण-VIII

जम्मू और कश्मीर के त्वरित आर्थिक विकास के लिए पैकेज के कियान्वयन की प्रगति की स्थिति

(जून, 1998 के अनुसार)

प्रधान मंत्री ने 23 जुलाई, 1996 और 2 अगस्त, 1996 को ससंद के दोनों सदनों में जम्मू और कश्मीर राज्य के त्वरित विकास के लिए दो पैकेजों की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, 13-14 फरवरी, 1997 को अपनी जम्मू और कश्मीर यात्रा के दौरान, उन्होंने राज्य में विकास प्रक्रिया में तेजी लाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की दृष्टि से कुछ उपायों की भी घोषणा की थी। ये इस प्रकार हैं:-

I) प्रधान मंत्री की 23 जुलाई, 1996 को संसद के दोनों सदनों में घोषणा।

1. रेलवे.

लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाली एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में ऊधमपुर से बारामुला तक 290 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण जो रेलवे की योजना के अतिरिक्त पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

स्थिति :

1.1 दिनांक 13.2.98 को मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार के संयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया है।

1.2 इस परियोजना के लिए 1997-98 के रेल बजट में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 1998-99 के दौरान रेलवे द्वारा 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

1.3 ऊधम पुर-कटरा खण्ड के बीच भूमि की लागत के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 37 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं और 0 किलोमीटर से 9 किलोमीटर के बीच की पूरी भूमि (केवल सेना द्वारा कब्जे की 92 कैनाल को छोड़कर) को रेलवे को हस्तांतरित कर दिया गया है। 9 से 25 किलोमीटर में, 4013 कैनाल में से 1000 केनाल को निर्माण कार्य हेतु रेलवे को दे दिया गया है।

1.4 यह भी निर्णय किया गया कि राज्य लोक निर्माण विभाग ऊधमपुर में रेलवे स्टेशन के लिए सम्पर्क रोड को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेगा जिससे रेलवे, रेलवे-स्टेशन के निर्माण संबंधी कार्य प्रारम्भ कर सके।

1.5 अतिरिक्त आयुक्त, कश्मीर, भूमि अधिग्रहण में समन्वय कर रहे हैं। इस खण्ड के 14 स्टेशनों में से, रेलवे ने 4 स्टेशनों, नौगाम, पाम्पोर, काकापुरा तथा बुडगाम के संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

1.6 नौगाम में भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं।

1.7 रेल मंत्रालय ने श्रीनगर के लिए, भूमि की लागत के एक हिस्से के रूप में 20 करोड़ रुपए जमा कराए हैं और श्रीनगर रेलवे स्टेशन की निर्माण गतिविधि प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है।

1.8 घाटी में भूमि की लागत हेतु 16.73 करोड़ रुपए की राशि अलग से जमा कराई गई है।

2. मुगल रोड़

सरकार "आर्थिक महत्व की सड़कों" की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत लगभग 77.40 करोड़ रुपए लागत की मुगल रोड परियोजना आरम्भ करेगी, जिसके अनुसार केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में परियोजना लागत का वहन किया जाएगा।

स्थिति

2.1 राज्य सरकार ने परियोजना लागत में हिस्सेदारी की अपनी स्वीकृति की सूचना दे दी है। राज्य सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि परियोजना की संशोधित लागत 150 करोड़ रुपए तक जाएगी। इस कार्य को नौवीं योजना में पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है। भूतल परिवहन मंत्रालय ने, राज्य सरकार के प्रस्ताव को अपनी अनापत्ति भेज दी है जिसके अनुसार वह इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभवी बीआरओ को साथ लेते हुए अपनी निजी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों, के जरिए सड़क का निर्माण कराएगा। राज्य सरकार को, सीसीईए की स्वीकृति मिलने के पूर्व, अपना विस्तृत प्रस्ताव भेजना है।

2.2 भूतल परिवहन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान इस परियोजना के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

2.3 राज्य सरकार ने अभी तक अपनी विस्तृत परियोजना योजना तथा अनुमान प्रस्तुत नहीं किए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने योजना आयोग से नौवीं योजना के दौरान 75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उसे देने का अनुरोध किया है।

विद्युत

3. सरकार सुनिश्चित करेगी कि दुलहस्ती हाइडेल परियोजना (130x3 मेगावाट) पर सिविल निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किए जाएं।

स्थिति

विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि शेष सिविल निर्माण कार्य के लिए अनुबंध 3.3.1997 को मेसर्स जेपीएसएजीवी को दिया गया था और कार्य 11.04.97 को प्रारम्भ हुआ। कुछ सिविल कार्यों को एनएचपीसी द्वारा पहले ही किया जा रहा था। इस परियोजना के लिए 1997-98 में 450 करोड़ रुपए दिए गए थे। परियोजना के मार्च, 2001 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

4. उरी हाइडेल परियोजना (120X4 मेगावाट) का कार्य अनुसूची के अनुसार होगा और पहली इकाई को 1996-97 के दौरान चालू कर दिया जाएगा।

स्थिति

सभी चारों इकाइयां मई, 1997 से उत्पादन के लिए उपलब्ध हैं।

II प्रधान मंत्री की संसद के दोनों सदनों में 2 अगस्त, 1996 की घोषणा

ऋण राहत

5. भारत सरकार ने उन सभी ऋणधारकों के बकाया ऋणों और ब्याज को माफ करने की व्यवस्था की है जिनका लघु उद्योगों, परिवहन, पर्यटन और व्यापार क्षेत्रकों में मूल ऋण 50,000/- रुपए या उससे कम है। इससे ये ऋणधारक बैंकिंग क्षेत्रक से अपने व्यवसाय के लिए नए ऋण ले सकेंगे।

स्थिति

बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय ने 26.5.97 को ऋण राहत की अपनी स्कीम को अंतिम रूप देकर उसे कार्यान्वयन के लिए बैंकों में परिचालित किया है। यह विभाग इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही 86 करोड़ रुपए जारी कर चुका है।

6. 50,000/- रुपए से अधिक के ऋण धारकों के लिए रोक लगाने और उनके ऋणों के पुनर्भुगतान, पुन: सूचीकरण करने, ब्याज दरों में कमी तथा अन्य राहतों के प्रश्न पर विशेष सचिव (जेकेए) की अध्यक्षता में एक अतंर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

स्थिति

विशेष सचिव (जेकेए) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है। अंतर मंत्रालयी समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे रही है।

7. 352 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता

जम्मू और कश्मीर सरकार को उसकी गैर-योजना अंतराल को पूरा करने के लिए 1996-97 में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 352 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

8. प्रवासी शिविरों में सुधार के लिए अतिरिक्त सहायता

तत्कालीन प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार को जम्मू में प्रवासी शिविरों में सुधार कार्य करने के लिए 6.60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता जारी की जाएगी। इस राशि को सितम्बर, 1996 में जारी किया गया था जिसमें से मार्च, 1998 तक 6.51 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है।

9. लेह में अभिसमय/सम्मेलन केन्द्र की स्थापना

तत्कालीन प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि लेह में, इस क्षेत्र में पर्यटन को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, अभिसमय/सम्मेलन केन्द्र की स्थापना के लिए 2.40 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन विभाग ने इसके सार्थक अध्ययन के लिए मै० राइट्स को कार्याधिकार दिया है। योजना आयोग को यह राशि अभी पर्यटन विभाग को उपलब्ध करानी है।

10. कारगिल विमान पत्तन का विकास

तत्कालीन प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि कारगिल विमान पत्तन के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसी बीच कारगिल के लिए साप्ताहिक हैलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। भारतीय विमान

पत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई पट्टी के निर्माण के लिए 16.00 करोड़ रुपए की राशि सीमा सड़क संगठन और टर्मिनल भवन और कंट्रोल टावर के निर्माण के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 1.6 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह कार्य 1999 तक पूरा किया जाना है।

कारगिल के लिए हैलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि सर्दियों के दौरान जब सड़कें हिमपात के कारण बंद रहती हैं, जम्मू व कश्मीर सरकार को प्रत्येक वर्ष छह माह की अवधि के लिए हवाई सहायता प्रदान की जा रही है।

11. जम्मू शहर को बी-2 दर्जा देना

तत्कालीन प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार वित्त मंत्रालय ने दिनांक 5.2.98 को जम्मू शहर को बी-2 दर्जा प्रदान करते हुए आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है।

III. 13 व 14 फरवरी, 1997 को जम्मू व कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विभिन्न उपाय

राज्य योजना

12. अच्छी वार्षिक योजना और तर्कसंगत नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जम्मू व कश्मीर को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल करते हुए पर्याप्त निधियों का प्रावधान।

स्थिति

12.1 पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्य करने के माहौल में सुधार से युग्मित प्रमुख पुनरुद्धार प्रयासों का परिणाम योजना निष्पादन में पर्याप्त सुधार है, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना और 1997-98 के दौरान राज्य को मुहैया कराए गए निम्नलिखित परिव्यय, वास्तविक व्यय आंकड़ों और केन्द्रीय योजना सहायता से देखा जा सकता है।

(करोड़ रुपए)

I. वर्ष	मूल रूप से अनुमोदित परियोजना परिव्यय	वास्तविक व्यय	प्रतिशत उपयोग
1992-93	820	623.05	75.4
1993-94	880	684.05	74.3
1994-95	950	954.00	100.4
1995-96	1050	1052.25	100.2
1996-97	1250	1254.00	100.3
1997-98	1550	1629.81	105.1

(करोड़ रुपए)

II. वर्ष	केन्द्रीय योजना सहायता
1992-93	785.70
1993-94	1003.30
1994-95	1707.48
1995-96	1423.05
1996-97	1895.19
1997-98	2338 87

12.2 जम्मू व कश्मीर के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना का आकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुहैया कराए गए 4000 करोड़ रुपए की. तुलना में योजना आयोग द्वारा 9500 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है।

13. विद्युत आबंटन में वृद्धि

13.1 प्रधान मंत्री की 13-14 फरवरी, 1997 को जम्मू व कश्मीर राज्य की यात्रा के अनुसरण में हाइडिल परियोजना में जम्मू व कश्मीर का हिस्सा 91 मेगावाट से बढ़ा कर 163 मेगावाट कर दिया गया है, जिसमें 12 प्रतिशत मुफ्त विद्युत शामिल है। राज्य का विद्युत का आंबटन भी 600 मेगावाट से बढ़ाकर 876 मेगावाट कर दिया गया है। यह राज्य की अधिकतम मांग को पूर्णतया पूरी करेगा।

13.2 हाइडिल विद्युत की उपलब्धता जो अब 440 मेगावाट है, सर्दियों में कम हो जाती है 01.11.97 से उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्रक स्टेशनों के अनावंटित विद्युत और ऊंचाहार टीपीएस-1 (एनटीपीसी) से 28 मेगावाट के विशेष आंबटन द्वारा बढ़ा कर 876 मेगावाट कर दिया गया है।

14. डल झील के संरक्षण और विकास की योजना

(क) डल और अन्य महत्वपूर्ण झीलों के सरंक्षण और विकास (ख) घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान और (ग) गंगा कार्य योजना की तरह झेलम के नौवहन और पर्यावरण पहलू के सुधार के लिए कार्य योजना आदि जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विदेशी सहायता सहित विशेष वित्त पोषण मैकेनिज्म तैयार करना।

स्थिति

योजना आयोग ने सिद्धांत रूप में केन्द्र से शत-प्रतिशत संसाधनों सहित राष्ट्रीय झील संरक्षण के वित्त पोषण का निर्णय लिया है। इस परियोजना के अंतर्गत डल और दूसरी झीलों के संरक्षण और विकास को शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार आगे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा 1997-98 में 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग दो दशक पहले बाढ़ नियन्त्रण की योजना तैयार की गई थी, जिसे अद्यतन बनाया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो विस्तृत खाका तैयार करने और विकल्पों और रिटेंशन बेसिन के लिए अनुमान लगाने के लिए एक परामर्शदाता को भी लगाया जाएगा। परियोजना रिपोर्टों के पूरा हो जाने के पश्चात इसे विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

जल संसाधन मंत्रालय ने सूचित किया है कि बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और उन्होंने जम्मू व कश्मीर सरकार से मास्टर प्लान की स्थिति का पता लगाया है, ताकि उपयुक्त वित्त पोषण मैकेनिज्म की संभावना का पता लगाया जा सके। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय ने इस पर योजना आयोग और केन्द्रीय जल आयोग की सलाह मांगी है।

राज्य सरकार ने उल्लेख किया था कि विभिन्न शहरी आवासों के समीप झेलम नदी के प्रदूषण अध्ययन किए जा रहे हैं और तत्पश्चात पर्यावरण और वन मंत्रालय को उनके विचारार्थ संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

15. पीएमआईयूपीईपी के अंतर्गत अतिरिक्त नगर

13 और 14 फरवरी, 1997 को जम्मू व कश्मीर की यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार 10000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले और जो जिला मुख्यालयों से भिन्न हैं ? अतिरिक्त नगर प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए हैं।

16. उर्वरकों पर परिवहन सब्सिडी

उर्वरकों की ढुलाई को पूर्णतया सब्सिडी देने के संबंध में तत्कालीन प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा फास्फेट और पोटाशियम उर्वरकों की ढुलाई के संबंध में सब्सिडी मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यूरिया की ढुलाई के लिए अतिरिक्त सब्सिडी मुहैया कराने के आदेश उर्वरक विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

17. प्रधान मंत्री की जुलाई, 1997 में जम्मू व कश्मीर की यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने उग्रवाद के कारण क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान का अनुरोध किया है।

स्थिति

योजना आयोग ने 1997-98 के योजना आवंटन के अलावा 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन किया है।

समुद्रवर्ती राज्य

*613. **श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में समुद्रवर्ती राज्यों के समुद्री तट की रक्षा करने के लिए 12 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं;

(ख) समुद्री तट की लम्बाई कितनी है और इसके लिए वास्तव में कितनी धनराशि की आवश्यकता है और क्या यह राशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सम्पूर्ण समुद्री तट का किस प्रकार बचाव किया जा सकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नौवीं योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित स्कीमवार आबंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गंभीर प्रकृति के कटावरोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए तटवर्ती राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते 12 करोड़ रुपए की राशि अनन्तिम रूप से आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) देश के कुल समुद्रतट की लम्बाई 5708 कि.मी. है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में अनन्तिम रूप से प्रस्तावित 12 करोड़ रुपए की राशि, समुद्रतट की सभी कमजोर पहुंचों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसके लिए सभी तटवर्ती राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे एक समेकित राष्ट्रीय समुद्रतटीय संरक्षण परियोजना तैयार करने के लिए प्रस्ताव भेजें।

[हिन्दी]

स्व-रोजगार

*614. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे छः करोड़ परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार अथवा स्व-रोजगार प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को इस योजना के अंतर्गत रोजगार अथवा स्व-रोजगार प्रदान करने में कितने वर्ष का समय लगने की संभावना है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, तो ऐसी योजना शुरू न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) 1993 में शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों को, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है तथा रोजगार की तलाश में हैं, 100 दिनों के अकुशल शारीरिक काम वाला निश्चित रोजगार प्रदान करना है। प्रारंभ में, स्कीम निश्चित ग्रामीण ब्लॉकों तक ही सीमित रही, परन्तु अब उसका देश में सभी ग्रामीण ब्लॉकों को कवर करने के लिए सार्वभौमिकरण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार-सृजन के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रहीं अन्य कई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस) भी हैं। देश भर में कार्यान्वित की जा रही जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) भी एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों को 70:15:15 के अनुपात में ग्राम पंचायतों, माध्यमिक पंचायतों तथा डी आर डी ए/जिला परिषद को आंबटित किया जाता है। आई आर डी पी का ग्रामीण गरीबों को उत्पादक परिसम्पत्तियों तथा/या कौशलों के अधिग्रहण के जरिये स्व-रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जो सतत आधार पर अतिरिक्त आय सृजित करता है ताकि वे गरीबी रेखा पार करने के योग्य बन सके। स्वर्ण जंयती रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को स्व-रोजगार तथा मजदूरी-रोजगार दोनों उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री रोजगार-योजना (पी एम आर वाई) को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार मुहैया कराने के लिए चलाया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) की ग्रामीण रोजगार उत्पादन स्कीम जिसे 1994-95 में शुरू किया गया था, को 1999-2000 तक दो मिलियन लाभग्राहियों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य कम अवधि में पूरक रोजगार के माध्यम से गरीबों के हाथ में अतिरिक्त आय का सृजन करना है।

खुली बेरोजगारी की समस्या जिसे 1 जनवरी 1994 को 9 मिलियन आंका गया है, पर काबू पाने के लिए विकास प्रक्रिया में ही सतत उत्पादक रोजगार पैदा करना होगा। इसकी कार्यनीति शासन के लिए राष्ट्रीय एजेण्डा में निम्नानुसार उल्लिखित की गई है:-

"प्रत्येक नागरिक के काम के अधिकार को मान्यता देते हुए, नई सरकार का मुख्य बल' बेराजगारी हटाओ' पर होगा। कामहीन विकास की वर्तमान प्रवृत्ति के बजाय, हमारी सरकार विकास को लाभप्रद रोजगार के सृजन के जरिए मापेगी। कृषि, स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों, गैर-निगमित क्षेत्रक, आधार संरचना विकास तथा आवास

पर हमारा नया निवेश और संस्थागत बल सभी स्तरों पर रोजगार के व्यापक सृजन का माध्यम बनेगा।"

[अनुवाद]

डेयरी विकास निगम

*615. **श्री महेश कनोडिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने केन्द्र सरकार से राज्य डेयरी विकास निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान गुजरात सरकार ने एक डेयरी परियोजना की मंजूरी का अनुरोध किया था तथा महाराष्ट्र सरकार ने इसी प्रकार की दो परियोजनाओं को मंजूर करने का अनुरोध किया था।

(ख) भारत सरकार ने सभी तीन परियोजनाओं को मंजूर कर दिया है जिनके लिए दो राज्यों ने अनुरोध किया था। विवरण इस प्रकार है:-

अनुमोदन का वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपए)	शामिल जिलों की संख्या
गुजरात		
1993-94	679.95	4
महाराष्ट्र		
1995-96	1985.24	5
1997-98	1941.55	5

अनिवासी भारतीयों को नागरिकता

*616. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु परीक्षणों के कारण विभिन्न देशों द्वारा भारत के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों के बाद विदेशी मुद्रा की मांग को पूरा करने की दृष्टि से भारत में भारी धनराशि निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का सरकार का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारतीय नागरिकता प्राप्त करना नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नियंत्रित होता है। फिलहाल सरकार के पास दोहरी नागरिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम दोनों द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

रेडियोधर्मिता की सीमा

*617. **डा० सरोज पी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से विसर्जित होने वाली रेडियोधर्मिता की स्वीकृत सीमा का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संयंत्रों में इस सीमा में कितना-कितना अंतर है और इनके क्या प्रभाव पड़े हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) परमाणु विद्युत संयंत्रों से उन्मुक्त होने वाली विकिरणसक्रियता की प्राधिकृत सीमाएं स्वभावत: स्थल विशिष्ट होती हैं और इन्हें स्थल पर नाभिकीय सुविधाओं की संख्या तथा किस्म, पर्यावरण के विक्षेपण और तनुकरण गुणधर्मों तथा स्थानीय जनता की आहार संबंधी आदतों जैसे प्राचलों को ध्यान में रखकर निकाली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैकिरणकी बचाव आयोग द्वारा यथासंस्तुत और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड-भारत सरकार द्वारा गठित एक नियामक प्राधिकरण, द्वारा अपनाए गए अनुसार जनसाधारण के एक सदस्य के लिए इसकी प्रारंभिक सीमा 1 मिली सीवर्ट प्रति वर्ष (msv/y) है। संयंत्र-वार संविभाजित मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। संविभाजित सीमाएं चूंकि 1 (msv/y)की प्रारंभिक सीमा का अंश हैं, अत: इनके मानों में अन्तर होने का उस क्षेत्र में पर्यावरण, पेड़-पौधों व जीव-जन्तु तथा जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

विवरण

विभिन्न परमाणु विद्युत संयंत्र स्थलों के लिए संविभाजित मात्रा

परमाणु विद्युत संयंत्र	वायु (एमएसवी/वाई)	जल (एम.एस.वी/वाई)	कुल (एमएसवी/वाई)
टीएपीएस 1 व 2	0.30	0.05	0.35
आरएपीएस 1 व 2	0.26	0.02	0.28
एमएपीएस 1 व 2	0.25	0.02	0.27
एमएपीएस 1 व 2	0.08	0.35	0.43
केएपीएस 1 व 2	0.08	0.14	0.22

जन साधारण के एक सदस्य के लिए प्रारंभिक सीमा-1एम एस वी/वर्ष-एम एसवी/वाई मिली—सीवर्ट/वर्ष

टीएपीएस : तारा परमाणु बिजलीघर।

आरएपीएस : राजस्थान परमाणु बिजलीघर।

एमएपीएस : मद्रास परमाणु बिजलीघर।

एनएपीएस : नरोरा परमाणु बिजलीघर।

केएपीएस : ककरापार परमाणु बिजलीघर।

[हिन्दी]

फिजी में भारतीय उच्चायोग को पुन: खोलना

*618. **श्री चेतन चौहान** :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फिजी में अपना उच्चायोग पुन: खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फिजी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस संबंध में कोई ठोस निर्णय किए गए थे;

(ग) भारत किस सीमा तक फिजी के साथ अपने व्यापार संबंधों की बहाली करने में सक्षम हुआ है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी हां। फिजी के प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1997 में हमारे प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें भारत से फिजी में अपना मिशन खोलने का अनुरोध था और हमने फिजी की सरकार को इस पर सिद्धांत रूप से अपनी सहमति भेज दी थी। 9 जून, को हमारे मंत्रिमंडल ने सूवा स्थित फिजी में अपने उच्चायोग को पुन: खोलने का अनुमोदन कर दिया है। सूवा में आवासी उच्चायोग को पुन: खोलने के भारत सरकार के निर्णय के बारे में फिजी की सरकार को सूचित किया था तथा 25 जून, 1998 को उनका अनुमोदन/औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

(ग) भारत-फिजी व्यापार तथा आर्थिक सहयोग अक्टूबर, 1987 से निलम्बित है। फिजी में घटित सकारात्मक आन्तरिक घटनाओं तथा फिजी में भारतीय मूल के लोगों के व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रतिबंधों के उठाने के अनुरोधों के पश्चात् जनवरी, 98 में फिजी पर लागू व्यापार प्रतिबंधों को उठाने का फैसला किया गया।

(घ) और (ङ) तदनुसार, हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना सं० 73/पीएन/97-02 दिनांक 24.02.98 को जारी की और फिजी पर से व्यापारिक प्रतिबंध उठाने संबंधी प्रेस नोट भी जारी किया।

[अनुवाद]

समुद्र के किनारे दीवार

*619. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और अन्य राज्य सरकारों ने समुद्री कटाव रोकने हेतु समुद्र के किनारे दीवार का निर्माण/जीर्णोद्धार करने हेतु किसी विशेष निधि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार से समुद्र तट के आपाती सरंक्षण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग केवल केरल राज्य ने की थी। फरवरी, 1995 में प्राप्त अनुरोध पर केरल सरकार को फरवरी, 1996 में तिरूवनन्तपुरम, कोल्लाम और त्रिशूर जिलों में समुद्र तट के आपाती संरक्षण के लिए योजना आयोग द्वारा एकमुश्त उपाय के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। केरल राज्य ने अगस्त, 1996 में योजना आयोग से मुख्यत: रख रखाव कार्यों के लिए 22.55 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए दोबारा अनुरोध किया था और इसलिए राज्य को यह परामर्श दिया गया था कि वह अपनी गैर-योजना निधियों से इस आवश्यकता को पूरा करे।

भारत-पाक संबंध

*620. **श्री के० नटवर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भारत-पाकिस्तान के संबंधों पर किए गए विचार-विमर्श जिसमें जम्मू और कश्मीर के मामले पर विशेष बल दिया गया है, के गंभीर परिणामों से अवगत है,

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किये जाने को, जो भारत के हितों के प्रतिकूल है तथा जिससे अनेक दशकों से भारत की सुस्थापित और सफल नीति की अवमानना होती है, रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि शिमला समझौते की प्रभावशीलता को कोई क्षति न पहुंचे, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प पर जिसमें कश्मीर का उल्लेख किया गया है, सरकार के दृष्टिकोण को कई अवसरों पर अभिज्ञात कराया जाता रहा है। उस संकल्प में जम्मू और कश्मीर के उल्लेख के प्रत्युत्तर में प्रधान मंत्री ने 8 जून, 1998 को इस सम्माननीय सदन को सूचित किया था कि 'कश्मीर के मसले का अतंर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों के विरुद्ध माननीय सदस्यों ने घोर आपत्तियां व्यक्त की हैं। भारत का इस प्रकार के अतंर्राष्ट्रीयकरण से कभी भी सहमत होने का कोई प्रश्न नहीं है।'

सरकार शिमला समझौते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जिसके अधीन भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेदों को शन्तिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की किसी भी प्रकार की भागीदारी के लिए कोई स्थान नहीं है सरकार की इस नीति को सरकारी वक्तव्यों के माध्यम से राजनीतिक और राजनयिक स्तरों पर सभी संबंधितों के साथ विचारों के आदान-प्रदान में दोहराया गया है।

जलाशय

*621. **श्री वैको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में जलाशय-सुविधा के अभाव में वर्षा तथा बाढ़ के पानी के बहकर समुद्र में बेकार जाने के कारण होने वाले नुकसान का आकलन किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बहुउद्देशीय उपयोग के लिए वर्षा और बाढ़ का पानी संग्रह करने के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश के विभिन्न भागों में जलाशयों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जलाशयों के निर्माण संबंधी योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में हिमपात सहित 4000 बिलियन घन मीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसमें से मौसमी वर्षा (जून से सितम्बर) 3000 बिलियन घन मीटर होती है। इससे नदियों में उपलब्ध वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण उपयोग करने योग्य जल संसाधन 1122 बिलियन घन मीटर आंके गये हैं जिसमें 690 बिलियन घन मीटर सतही जल और 432 बिलियन घन मीटर वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है। वाष्पन और वानस्पतिक हानियों तथा नदी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जल की एक निश्चित मात्रा नदी में बहने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। जल (सतही और भूजल) का वर्तमान (1997) उपयोग लगभग 605 बिलियन घन मीटर है जिसमें 70 प्रतिशत सतही जल और 30 प्रतिशत भूजल है।

(ग) और (घ) उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वर्षा के जल का उपयोग करने के वास्ते नदियों पर भंडारणों का निर्माण करने पर जोर दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 3000 से अधिक बांधों का निर्माण किया गया तथा अनेक बांधों का निर्माण और अन्वेषण किया जा रहा है। विभिन्न पूर्ण जलाशयों की भंडारण क्षमता लगभग 177 बिलियन घन मीटर है। इसके अलावा 75.42 बिलियन घनमीटर की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करने वाले बांध निर्माण को विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अतिरिक्त विचाराधीन वृहद और मध्यम स्कीमों से लगभग 132.3 बिलियन घन मीटर की वास्तविक भंडारण क्षमता बढ़ने की संभावना है। देश में राज्यवार सृजित भंडारण को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना संबंधी अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को परस्पर जोड़कर तथा क्षमता स्थलों पर जलाशयों का निर्माण करके अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत जल का अंतरबेसिन हस्तांतरण करके 240 बिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

(ङ) चल रही परियोजनाओं का पूरा होना राज्यों द्वारा दी गई प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

राज्यवार भण्डारण

(मिलियन क्युबिक मीटर में)

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण परियोजनाएं	निर्माणाधीन परियोजनाएं	कुल	विचाराधीन परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24851.42	7123.27	319.69	1726.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	45500.00
3.	असम	-	1054.32	1054.32	1023.90
4.	बिहार	4660.93	4352.73	9013.66	3583.13
5.	गोवा	44.30	674.45	718.75	-
6.	गुजरात	14919.07	7248.38	22167.45	258.00
7.	हरियाणा	-	-	-	356.40
8.	हिमाचल प्रदेश	13806.44	109.55	13915.99	14.95
9.	जम्मू कश्मीर	-	-	-	96.69
10.	कर्नाटक	21556.07	3013.31	24589.38	1948.57
11.	केरल	4617.81	1615.69	6233.50	8091.28
12.	मध्य प्रदेश	18580.13	21833.14	40213.27	5177.83
13.	महाराष्ट्र	22095.71	12918.88	35014.59	16315.00
14.	मणिपुर	396.50	124.58	521.08	508.94
15.	मेघालय	697.96	-	697.96	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	-	1220.00	1220.00	21864.08
18.	उड़ीसा	14286.7	3304.63	17591.40	-
19.	पंजाब	24.75	2344.00	2388.75	1800.63
20.	राजस्थान	8323.15	1591.48	9914.63	-
21.	सिक्किम	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	6719.51	36.55	6750.06	-
23.	त्रिपुरा	312.00	-	312.00	20160.16
24.	उत्तर प्रदेश	16347.36	7057.56	23404.92	171.44
25.	पश्चिम बंगाल	1475.15	-	1475.15	-
26.	अण्डमान एंव निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-
27.	चण्डीगढ़	-	-	-	-
28.	दादर एवं नगर हवेली	-	-	-	-
29.	दमन एवं दीव	-	-	-	-
30.	दिल्ली	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-		-	-
32.	पाण्डिचेरी	13.79	-	13.79	-
कुल मिलीयन क्यूबिक मीटर में		173728.82	75422.51	249151.33	132323.89
बिलियन क्यूबिक मीटर में		173.73	75.42	249.15	132.3

टिप्पणी : केवल 10 मिलियन क्यूबिक मीटर और उससे अधिक की वास्तविक भण्डारण क्षमता वाली परियोजनाओं को ही शामिल किया गया हैं। 10 बिलियन क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली प्रत्येक मध्यम परियोजना से 3 बिलियन क्यूबिक मीटर (लगभग) की अतिरिक्त वास्तविक भण्डारण क्षमता सृजित करने का अनुमान लगाया गया है इस प्रकार पूर्ण परियोजनाओं में कुल वास्तविक भण्डारण क्षमता 177 मिलियन घन मीटर हो जायेगी।

[हिन्दी]

बीजों का आबंटन

6093. **श्री मोतीलाल वोरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर उसे कितनी मात्रा में उन्नत बीज आबंटित किए गए;

(ख) उक्त आंबटन में से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशालाओं द्वारा कितनी मात्रा में उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन हेतु कृषि विश्वविद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी फार्मों में बीजों के उत्पादन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज के उत्पादन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यादेश है। प्रजनक बीज के आंबटन का कार्य, विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांग के साथ-साथ उत्पादित बीज के आधार पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश को वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विभिन्न फसलों के लिए आबंटित बीजों की मात्रा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	आबंटित मात्रा (क्विंटल)
1996-97	3353.50
1997-98	4396.67

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के करनाल और इंदौर स्थित दो क्षेत्रीय केन्द्रों ने मध्य प्रदेश को आबंटित 250.35 क्विंटल प्रजनक बीज की जगह 306.61 क्विंटल प्रजनक बीज की आपूर्ति की है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले ही अपने विभिन्न संस्थानों और देश के कृषि विश्वविद्यालयों को विभिन्न फसलों के प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए आवर्ती निधि (रिवोल्विंग फंड) के रूप में 402.50 लाख रुपये दे चुकी है। वर्तमान समय में ये आवर्ती निधियां अभी दी जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज प्रायोजना (फसलें) चुनी हुई फसलों के संकरों के लिए अनुसंधान व विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा वार्षिक तिलहनी फसलों के प्रजनक बीज उत्पादन की योजना आदि के तहत बीज उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(घ) ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

1. अनुसंधान व विकास योजनाएं

(रुपये लाख में)

	1996-97	1997-98
(I) चुनी हुई फसलों के संकरों के विकास व अनुसंधान को प्रोत्साहित करना	270.98	230.08
(II) राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसलें)	341.26	290.00
(III) वार्षिक तिलहनी फसलों के प्रजनक बीजों का उत्पादन	79.15	79.76
(2) आवर्ती निधी योजनाएं (एक बार में)		
(I) चुनी हुई फसलों के अनुसंधान और विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करना		175.00 रु.
(II) विशेषज्ञ खाद्य उत्पादन कार्यकम		50.00 रु.
(III) तिलहन परियोजना		75.00 रु.
4. राष्ट्रीय बीज परियाजना (फसलें)		102.50 रु.
कुल योग		402.50 रु.

(ङ) मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। योजनावार विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. अनुसंधान व विकास योजनाएं

(रुपये लाख में)

	1996-97	1997-98
(I) चुनी हुई फसलों के संकरों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।	2.49	2.12
(II) राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसलें)	18.62	15.65
(III) वार्षिक तिलहनी फसलों के प्रजनक बीज का उत्पादन	6.15	6.15
(2) आवर्ती निधी योजनाएं		
(I) सोयाबीन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, इंदौर		

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देश

6094. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संशोधित दिशा-निर्देश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य के संबंधित विभागों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे क्रियान्वयन एजेन्सियों से ससंद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य के लिए सेवा प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभार आदि वसूल न करे, और

(घ) उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय-स्तर, राज्य-स्तर और जिला-स्तर पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत की गई प्रगति पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करे तथा उससे संबंधित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता के बारे में सभी संबंद्ध अधिकरणों को अनुदेश जारी करें तथा उक्त मार्गदर्शी सिद्धातों के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण कार्यों का प्रबोधन, पर्यवेक्षण तथा समन्वय सुनिश्चित करें।

(ग) जी हां। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी की सरकारों ने अपने राज्य के संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कार्यों के बारे में सेवा प्रभार की वसूली न करें। महाराष्ट्र और हरियाणा ने सेवा प्रभार घटा दिए हैं।

(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को इस योजना के संबंध में केन्द्र के स्तर पर केन्द्रीय उत्तरदायित्व है, जिसमें उक्त योजना का प्रबोधन करना शामिल है, सासंद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निर्माण कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अपना एक केन्द्रक विभाग बनाना पड़ता है जो क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण के माध्यम से वास्तविक प्रबोधन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, भारत सरकार के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। जिलाधिकारियों को प्रत्येक वर्ष इन निर्माण कार्यों का कम से कम 10 प्रतिशत दौरा और निरीक्षण करना होता है। इसी तरह अनुमंडल और प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के अधिकारियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे निर्माण स्थलों का दौरा करके इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करें।

परमाणु आक्रमण

6095. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अभी तक औपचारिक रूप से परमाणु कमान और नियंत्रण उपस्कर स्थापित नहीं किया है परन्तु एक पूर्व पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने यह बताया है कि उसके पास पिछले अनेक वर्षों से औपचारिक परमाणु कमान है और परमाणु बटन प्रधान मंत्री के नियंत्रण में हैं तथा थल सेनाध्यक्ष को परमाणु आक्रमण करने का पूरा अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत सरकार ने अमरीका का ध्यान आकृष्ट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) हमने इस वक्तव्य संबंधी खबरें देखी है। सरकार इस समय भारत की नाभिकीय नीति के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है जिनमें विश्वसनीय नाभिकीय निवारक के लिए कमाण्ड और कन्ट्रोल सिस्टम की स्थापना भी शमिल है। सरकार अपने ही आकलनों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रूप से हिफ़ाजत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

(ख) और (ग) अमरीका के साथ चल रही सामरिक वार्ता में भारत की नाभिकीय नीति सहित सभी मसलों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से आपसी हित के व्यापक मसलों को शामिल किया गया है।

डेयरी विकास और पशुपालन

6096. श्री महबूब जहेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों से अलग पशुचिकित्सा संबंधी विज्ञान के लिए पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षणिक सुविधाओं का विकास किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं। टिकाऊ कृषि तथा पशु क्षेत्र में वृद्धि के लिए कृषि शिक्षा का समग्र एवं समेकित विकास आवश्यक है।

(ख) लागू नहीं होता।

केरलवासियों के लिए अलग विभाग

6097. श्री टी० गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि केरल सरकार में विदेशों में कार्यरत केरलवासियों के मामलों पर विचार करने हेतु अप्रवासी केरलवासी मामलों संबंधी विभाग है, और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार भारतीयों की दुर्घटना/मृत्यु/विधायी समस्याओं से संबधित विभिन्न मामलों पर विचार करने हेतु अलग से कोई प्रभाग/अनुभाग स्थापित करने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) इन मामलों पर विदेश स्थित राजनयिक मिशनों/केन्द्रों के निकट समन्वयन में विदेश मंत्रालय के कौंसलर, पासपोर्ट और वीसा प्रभाग में ओवरसीज इंडियन सैल में पहले से ही कार्रवाई की जा रही है।

नदी जल का उपयोग

6098. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी में प्रयोज्य जल बहाव का ब्यौरा क्या है तथा इस समय इसकी उपयोगिता क्या है;

(ख) देश के पूर्वोत्तर राज्यों की नदियों में कितने जल का प्रयोग किया जा सकता है तथा इस समय कितने जल का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार के पास इन नदियों में उपलब्ध जल के पूर्ण उपयोग के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार, सरदार सरोवर बाँध स्थल पर नर्मदा नदी में उपयोग योग्य प्रवाह की मात्रा 75 प्रतिशत विश्वसनीयता के आधार पर 34537.44 मिलियन घन मीटर आंकी गई है। इसमें से विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तमान उपयोग लगभग 4082 घन मीटर आंका गया है।

(ख) देश के पूर्वोत्तर में बहने वाली नदियों में उपयोग योग्य प्रवाह की मात्रा 31950 मिलियन घन मीटर आंकी गई है। इसमें से विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्तमान उपयोग 3500 मिलियन घन मीटर आंका गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में नदियों पर भंण्डारण बनाने पर बल दिया गया था ताकि उपलब्ध जल का सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके। संबधित राज्य सरकारों ने इन नदियों के जल का उपयोग करने के वास्ते वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाई हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी पूर्वोत्तर राज्यों में बहने वाली नदियों में अभिज्ञात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के वास्ते अन्वेषण भी शुरू किए हैं।

इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स

6099. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्तमान प्रबंधन के विरूद्ध कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इस संगठन को पुनर्रूज्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सरकार को इण्डियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की असन्तोषजनक कार्य प्रणाली के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जिनमें अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान न करने, सप्रू हाऊस पुस्तकालय की बिगड़ते हालात आदि से संबंधित शिकायतें शामिल होती हैं। सरकार इण्डियन काउसन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के अध्यक्ष से अनुरोध करती रही है कि परिषद की कार्यप्रणाली के सभी तन्तुओं की समीक्षा करने और किए जा सकने वाले सुधारों के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से वह एक उच्च शक्ति प्राप्त पर्यवेक्षण/सलाहकार समिति का गठन करने की कार्यवाही करे। तथापि, काउन्सिल के अध्यक्ष ने इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

2. सरकार ने 1990 में इण्डियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स अध्यादेश घोषित किया था। अध्यादेश के आधार पर आई सी डब्ल्यू ए को राष्ट्रीय महत्ता के एक संस्थान के रूप में घोषित किया था। अध्यादेश में इसके निगमन और उससे सम्बद्ध मामलों की भी व्यवस्था है। इस अध्यादेश को बदलने के लिए संविधान प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, 10 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में इण्डियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स विधेयक रखा गया था और 5 सितम्बर, 1990 को उक्त सभा ने वह विधेयक पारित किया था। तथापि, लोक सभा 7 सितम्बर, 1990 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पूर्व इस विधयेक पर न तो विचार कर सकी और न ही इसे पारित कर सकी। 10 सितम्बर, 1990 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश में आई सी डब्ल्यू ए अध्यादेश, 1990 के प्रावधानों को भारत के संविधान के अधिकारातीत संसद की वैधानिक क्षमता स परे तथा समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (क) और 19 (1) (ग), सभा की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के इस आदेश के फलस्वरूप परिषद को उसका पूर्व प्रबंधन बहाल कर दिया गया था।

3. इण्डियन काउन्सिल और वर्ल्ड अफेयर्स एक स्वायत्तशासी निकाय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसायटी पंजीकार के यहाँ पंजीकृत है। इस तरह से काउन्सिल के क्रियाकलापों पर सरकार का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। विदेश मंत्रालय ने 1985 के बाद से काउन्सिल को कोई वित्तीय मदद नहीं दी है। तथापि आई सी डब्ल्यू ए की महत्ता और इस संस्थान की ऐतिहासिक भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस संस्था को पुनः सक्रिया बनाने के लिए सहायता देने के प्रति प्रतिबद्ध है।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना

6100. श्री अभय सिंह एस. भोंसले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में, राष्ट्रीय जल प्रबंधन के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वित की जा रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्रियान्वयन किस तारीख को किया गया, परियोजनाओं की लागत क्या है तथा इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं तथापि, महाराष्ट्र सिंचाई विभाग के वर्ग I एवं II के सभी सिविल इंजीनियरी स्नातक अधिकारियों के लिए उनके परिवीक्षा अवधि के दौरान सिंचाई इंजीनियरी में उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना (एन डब्ल्यू एम पी) के तहत महाराष्ट्र प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना 31.3.95 को बंद हो गयी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

6101. श्री ए. वैंकटेश नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीय जल प्रबंध के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है और राज्य द्वारा इन संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद कुल कितने हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना (एन डब्ल्यू एम पी) 31 मार्च, 1995 को बंद हो गई थी। राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को तीस परियोजनाओं को लिया गया था। इसके बंद होने तक सोलह परियोजनाएं पूरी कर ली गई थी। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य की परियोजनाओं के ब्यौरे

लाख रुपये में
क्षेत्र हेक्टे. में

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) (हेक्टयर में)	अनुमानित लागत	परियोजना की समाप्ति (3/95) तक हुआ व्यय	परियाजना की समाप्ति पर स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैडाल टैंक	3/90	472	11.73	23.80	पूर्ण
2.	नारेगल टैंक	5/90	650	14.70	23.20	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
3.	आरेशंकर टैंक	3/90	1234	26.38	36.10	पूर्ण
4.	रामनाहल्ली	3/90	1944	42.86	60.50	पूर्ण
5.	भद्रा	12/87	92360	1463.00	3835.00	पूर्ण
6.	वानी विलास सागर	12/87	12250	300.00	500.00	पूर्ण
7.	शान्ति सागर	6/92	2819	70.89	109.80	पूर्ण
8.	हगारोबोम्मानाहल्ली	3/90	3465	69.49	201.20	पूर्ण
9.	कनकनाला	3/90	2149	53.73	102.88	पूर्ण
10.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर की 54 नं० वितरिका	3/90	39761	485.00	993.00	पूर्ण
11.	तुंगभद्रा दायां तट उच्च स्तर नहर की बागेवाडी वितरिका	3/90	16285	158.70	283.62	पूर्ण
12.	तुंगभद्रा दायां तट उच्च स्तर नहर की 7 नं० वितरिका	3/90	17683	244.20	442.44	पूर्ण
13.	चन्द्रमपल्ली-आई पी जेड	3/89	5223	106.00	276.00	पूर्ण
14.	धर्मा	12/89	7692	140.00	288.00	पूर्ण
15.	कान्वा	2/90	2576	48.06	116.05	पूर्ण
16.	मारकोनाहल्ली	3/89	5942	76.50	222.08	पूर्ण
17.	तुंगा अनीकट	6/92	9319	297.00	249.8	अपूर्ण
18.	अंजनापुरा	6/92	6736	124.00	196.05	अपूर्ण
19.	अम्बलीगोला	6/92	3203	62.50	115.00	अपूर्ण
20.	तुंगभद्रा दायां तट उच्च स्तर नहर की 12 नं० वितरिका	9/93	3600	83.80	70.00	अपूर्ण
21.	तुंगभद्रा दायां तट उच्च स्तर नहर की 13 नं० वितरिका	9/93	10269	237.46	75.00	अपूर्ण
22.	तुंगभद्रा दायां तट उच्च स्तर नहर की 14 नं० वितरिका	9/93	14157	327.32	75.00	अपूर्ण
23.	तुंगभद्रा दायां तट उच्च स्तर नहर की 15 नं० वितरिका	9/93	6915	159.35	75.00	अपूर्ण
24.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर की 31 नं० वितरिका	9/93	17728	403.70	125.00	अपूर्ण
25.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर की 55 नं० वितरिका	9/93	7128	164.00	253.06	अपूर्ण
26.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर की 76 नं० वितरिका	9/93	28930	668.43	200.00	अपूर्ण
27.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर की 85 नं० वितरिका	9/93	11349	261.84	100.00	अपूर्ण
28.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर की 89 नं० वितरिका	9/93	15342	355.17	100.00	अपूर्ण
29.	तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर की 98 नं० वितरिका	9/93	13521	299.28	100.00	अपूर्ण
30.	गोंडी अनीकट	9/93	4600	-.00	100.00	अपूर्ण
	कुल		365302	6899.09	9347.58	

दिल्ली दुग्ध योजना

6102. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी०एम०एस० दूध की "होम डिलिवरी" करती है;

(ख) यदि हां, तो "होम डिलिवरी" आकर्षक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कुछ लोगों को रोजगार मिल सके;

(ग) क्या यह सच है कि सुबह में दूध की आपूर्ति काफी विलंब से की जाती है जिससे दूध फट जाता है और उपभोक्ताओं को नुकसान होता है; और

(घ) यदि हां, तो दूध विक्रेताओं द्वारा दूध की प्राप्ति के शीघ्र पश्चात् वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना होम डिलीवरी एजेंट्स के जरिए दूध की "होम डिलिवरी" करती है। चूंकि दिल्ली दुग्ध योजना के दूध और अन्य डेयरियों के दूध के बिक्री मूल्य में काफी अंतर है, अत: होम डिलीवरी एजेंटों द्वारा किए गए अनाचारों की शिकायतें मिली थी और इसलिए अब कुछ समय से कोई भी नया होम डिलीवरी कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कुछ परिस्थितियों, जैसे बिजली फैल हो जाना आदि को छोड़कर, दूध की आपूर्ति के कार्यक्रम/समय का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। दिल्ली दुग्ध योजना को दूध के फटने की कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी दिल्ली दुग्ध योजना को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे यह देखें कि डिपो एजेंट बूथ खुलने के समय का कड़ाई से पालन करें।

[हिन्दी]

भूमि का कटाव

6103. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नदियों के कारण भूमि का कटाव निरंतर बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कटाव को रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नदियों के तटों और तलों में मृदा कटाव एक प्राकृतिक घटना है, इसकी सघनता वर्ष दर वर्ष हर स्थान पर भिन्न-भिन्न होती है। देश में विभिन्न नदियों पर मृदा कटाव के आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते है। तथापि, वर्षों से राज्य सरकारें अपनी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के भाग के रूप में मृदा कटाव को रोकने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है। इसके साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र बैसिनों में बाढ़ प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई और अपनाने के लिए बेसिन राज्यों को भेजी गई मास्टर योजनाओं में भी विशिष्ट क्षेत्रों में मृदा कटाव को रोकने के उपाय करने का सुझाव दिया गया है।

बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम

6104. श्रीमती रीना चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति द्वारा यथाप्रस्तावित माडल सहकारी अधिनियम के अनुरूप बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम में संशोधन किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी सरकार बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 को प्रतिस्थापित करने के लिये एक विधायी प्रस्ताव लायेगी। प्रस्तावित विधान प्रविधीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आरक्षण का कार्यान्वयन

6105. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधान मंत्री 7 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं० 3169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या का०ज्ञा० संख्या 27/2/71-स्थापना (एस सी टी) की दूरसंचार विभाग सहित सभी मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने दूरसंचार विभाग के बारे में अपनी टिप्पणी दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित अधिकारियों के साथ किए गए अन्याय को दूर करने के लिए पहले ही क्या विशेष उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) कार्मिक-विभाग का कार्यालय-ज्ञापन सं० 27/2/71-स्था० (एस सी टी), नवम्बर 27, 1972 को सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी किया गया था। यह कार्यालय-ज्ञापन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में है। इस कार्यालय-ज्ञापन के अनुसरण में, 1972 से, समय-समय पर की गई पदोन्नति संबंधी सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। जैसा कि उक्त कार्यालय-ज्ञापन में निर्धारित किया गया है, उपयुक्त पाए जाने की शर्त पर, वरिष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी अनुदेशों का कार्यान्वयन, मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। दूर संचार विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उक्त विभाग (दूर संचार विभाग) द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

(ख) से (घ) किसी मामले विशेष की ओर संकेत के अभाव में, इस संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

प्रशीतन गृह भंडार

6106. **डा० रवि मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों और सब्जियों के भण्डारण और विपणन के लिए देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने प्रशीतन गृह भंडार खोले गए,

(ख) क्या शीतागारों की मौजूदा क्षमता राज्यों की मांग पूरी करते हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवहन किये जा रहे माल में चोरी

6107. **श्री एन० डैनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में मदर डेयरी की (फल तथा सब्जी) परियोजना में लगे निजी ट्रांसपोर्टर चोरी कर रहे हैं तथा वे परिवहन की जाने वाली गली-सड़ी फल और सब्जियों से ताजा फल तथा सब्जियां बदल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फलों और सब्जियों की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि उसे फल तथा सब्जियों की चोरी और ताजा फल तथा सब्जियों के गली-सड़ी फल तथा सब्जियों से बदलने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) बूथों पर डिलीवरी के लिए फल तथा सब्जियों को सौंपते समय ट्रांसपोर्टरों के ड्राइवरों से मात्रा तथा गुणवत्ता की प्राप्ति ली जाती है। बूथों पर कार्यरत लाभार्थी उनके द्वारा प्राप्त की गई मात्रा के अनुसार भुगतान करते हैं। ट्रांसपोर्टरों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कम डिलीवरी आदि के मामले में कमी से संबंधी बिक्री कीमत ट्रांसपोर्टर से वसूल की जाती है तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है।

भारत द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश करना

6108. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने समुद्र और बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बारे में भारत और 20 अन्य देशों के कथित "बढ़-चढ़कर किए गए दावे" को चुनौती दी है;

(ख) यदि हां, तो भारत, द्वारा समुद्र और बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बारे में संक्षिप्त दावा क्या है; और

(ग) इस पर अमरीका और अन्य विश्व शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) अमरीकी राष्ट्रीपति और कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत की गई अमरीका के रक्षा विभाग की वर्ष 1997 की वार्षिक रिपोर्ट में "विश्व के महासागरों और हवाई क्षेत्र पर तटीय राज्यों के अत्यधिक दावों" का उल्लेख किया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में उसमें भारत और 20 अन्य देशों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 18 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र समुद्री अभिसमय के कानून (यू एस सी एल ओ एस) के अंतर्गत सीमा से परे जाकर "अत्याधिक समुद्री दावों" को अमरीका ने राजनयिक विरोधों और प्रचालन संबधी दावों के माध्यम से बार-बार चुनौती दी है। वित्तीय वर्ष 1997 में अमरीका ने भारत सहित 21 देशों को लक्ष्य बनाया था जहां उसने ऐसे "प्रचालन संबंधी दावे" किए थे। भारत के मामले में तथाकथित अत्यधिक दावा "युद्धपोतों के लिए समुद्री प्रदेशों मे प्रवेश के लिए पूर्वानुमति" की अपेक्षा से संबद्ध है।

(ख) और (ग) भारतीय समुद्री सीमा क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 4 के अंतर्गत विदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारत सरकार को पूर्व सूचना देने के बाद ही भारत के जल सीमा क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है। से होकर गुजर सकती है। युद्धपोतों के मामले में पूर्व सूचना की शर्त पूरी तरह से यू एन सी एल ओ एस के प्रावधानों के अनुसार है जो अनजाने में गुजरते तथा युद्धपोतों के प्रवेश के संबंध में नियमों और विनियमों को बनाने के लिए तटीय राज्यों के अधिकार की परिभाषा से भी संबद्ध है। पूर्वसूचना की शर्त न तो भारत की क्षेत्रीय जल सीमा से होकर युद्धपोतों को अनजाने में गुजरने के अधिकार से वंचित करती है और न ही इस अधिकार को किसी प्रकार क्षति पहुंचाती है।

कोका कोला

6109. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला के कुछ बोटलर्स ने सरकार को सूचित किया है कि कंपनी उनके संयत्रों को कोका कोला या उसकी अनुषंगी कंपनियों को बेच देने के लिए उन पर दबाव डाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय छोटे उद्यमियों को उनके एककों को बेचने के दबाव से बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) बाटलिंग यूनिटें बाटलरों और कोका कोला कंपनी के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार काम कर रही हैं। वैसे सरकार मामले की जांच करेगी और सदन के समक्ष निष्कर्षों को रखेगी।

परमाणु अनुसंधान में भारतीय वैज्ञानिक

6110. **श्री वैको** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र के एक वैज्ञानिक को जर्मनी में उनकी वियाना इंटरनेशनल, न्यूक्लियर कान्फ्रेंस की यात्रा के दौरान उनके पास वैध अनुमति होने के बावजूद किसी परमाणु केन्द्र में जाने की अनुमति नहीं दी गयी;

(ख) क्या कलपक्कम परमाणु संयंत्र के एक अन्य वैज्ञानिक, जो अमरीका में परमाणु अनुसंधान संबंधी कार्य कर रहे हैं, को प्रयोगशाला की सुविधा नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विदेशों में परमाणु अनुसंधान संबंधी कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आई.जी.ए.आर.) के श्री एस.बी.भोजे और डा० बलदेव राज़ की क्रमश: वियाना-जर्मनी और डेनमार्क-फिनलैंड-जर्मनी में उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान जर्मनी के संस्थानों की यात्राओं जिन्हें जर्मन प्राधिकारियों ने पहले सहमति दे दी थी, को छोड़ना पड़ा क्योंकि भारत द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद इन आमंत्रणों को वापिस ले लिया गया था।

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के डा० एम.डी. मैथ्यु जोकि नार्थ कैरोलिन स्टेट यूनिवर्सिटी, यू.एम.ए. में पोस्ट-डाक्टरीय फैलोशिप को आगे बढ़ाने के लिए असाधारण छुट्टी (ई.ओ.एल.) पर हैं, को सूचित किया गया कि उन्हें उनकी प्रायोजना (यू.एस. सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त-पोषित) की पुनरीक्षा बैठक जोकि इदाहो फाल्स नेशनल लेबोरेटरी में होनी थी, में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें सूचित किया गया कि ऐसी पुनरीक्षा बैठकों में सभी भारतीय नागरिकों की सहभागिता और प्रायोजनाओं के लिए कम्प्यूटर प्रणालियों के इस्तेमाल के मामले मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से यू.एस. सरकार के पुनरीक्षाधीन हैं।

सरकार ने इस संबंध में हुई तबदीलियों पर ध्यान दिया है।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थानों से लगभग 50 वैज्ञानिक इस समय विदेशों में नाभिकीय अनुसंधान में लगे हुए हैं।

ऑन फार्म डेवलपमेंट ऑफ वाटर

6111. **श्री भूर्तहरि मेहताब** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष योजनाओं का आयोजन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या "ऑन फार्म डेवलपमेंट ऑफ वॉटर" योजना लागू होने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ)चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अलावा, पूर्वी भारत में निम्नलिखित स्कीमों को क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है:-

1. कम खपत वाले क्षेत्रों में, पूर्वी भारत के विशेष संदर्भ में उर्वरक का प्रयोग बढ़ाना।
2. पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषिगत जल प्रबंध।

कृषिगत जल प्रबंध स्कीम के तहत उथले नलकूपों और लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों के निर्माण में राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

गंगोत्री ग्लेशियर की घटना

6112. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1998 के "जनसत्ता" में प्रकाशित "बहना बंद कर सकती है गंगा" समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित विषय के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गंगोत्री ग्लेशियर प्रतिवर्ष 20 मीटर की गति से घट रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या भू-गर्भ वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1935, 1956, 1962, 1971, 1973 से 1977 तक, 1990 और 1996 के दौरान गंगोत्री ग्लेसियर के अपगमन (रिंसेसन) संबंधी अध्ययन किए हैं। वर्ष 1935 से 1956 के दौरान बड़ी गुफा सहित बर्फ गुफा की पश्चगमन दर 10.16 मीटर पाई गयी थी। वर्ष 1956 और 1977 के बीच ग्रह दर 27.33 मीटर तक बढ़ी है। वर्ष 1971 और 1977 के बीच 30.84 मीटर की और वृद्धि का पता चला है। तत्पश्चात्, वर्ष 1990 तक 28.08 मीटर तक और वर्ष 1990 और वर्ष 1996 के बीच 28.33 मीटर की सीमांत गिरावट का पता चला है। उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि गंगोत्री ग्लेशियर धीरे-धीरे घट रहा है।

(ङ) ग्लेसियर प्राकृतिक रूप से घटते/बढ़ते रहते हैं जिस पर भूमंडलीय ताप का प्रभाव पड़ता है और इसलिए कृत्रिम साधनों के जरिए किसी विशेष ग्लेसियर घटने से रोकना कठिन है। तथापि, सरकार द्वारा वन की कटाई में कमी करने तथा उच्च उन्नतांश क्षेत्रों की परिस्थितिकी का संरक्षण करने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिससे हिमालयी ग्लेसियरों में भू मंडलीय ताप के प्रभाव में कमी होगी और इससे ह्रास की दर कम होगी।

[अनुवाद]

भारत को अमरीकी फार्म वस्तुओं की बिक्री

6113. **डा0 टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी प्रशासन ने भारत को अमरीकी फार्म वस्तुओं की बिक्री हेतु जी०एस०एम० 102 कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू०एस०डी०ए० ने अमेरिका को यह तर्क दिया है कि भारत का 'एक्सपोर्ट केडिट प्रोग्राम' देश के परमाणु परीक्षण के बाद भी जारी है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक भारत के लिए जी०एस०एम० 102 कार्यक्रम को स्थगित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

6114. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में उपलब्ध कराई गई कुल राशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है कि विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए केन्द्रीय अनुदानों का उचित उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जम्मू व कश्मीर को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 से, जब कार्यक्रम में सुधार किया गया था, वर्ष 1997-98 तक 93.54 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। राज्य को समग्र तौर पर राशि दी जाती है और स्थानिक और क्षेत्रकीय वितरण राज्य स्तर पर छानबीन समिति द्वारा किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा यथा-प्रस्तुत क्षेत्रक वार प्रावधान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के साथ वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

विवरण

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1993-94 से वर्ष 1997-98 तक क्षेत्रकवार प्रावधान इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	क्षेत्रक	प्रावधान
1.	शिक्षा	23.00
2.	स्वास्थ्य	14.43
3.	कृषि/ग्रामीण विकास/भेड़ पालन	14.44
4.	पी.डब्ल्यू.डी/पी.एच.ई.	17.91
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	16.99
6.	खाद्य एवं आपूर्ति	0.62
7.	पुलिस विभाग	2.00
8.	नागरिक कार्य कार्यक्रम	0.43
9.	अन्य	3.72
	जोड़	93.54

भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध

6115. **श्री ए.सी. जोस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) प्रवेश वीजा देना प्रत्येक देश का संप्रभु अधिकार है। सरकार को किसी ऐसे देश की जानकारी नहीं है, जिसकी नीति विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रिकों का प्रवेश रोकना हो। कुछ देशों में भारतीय राष्ट्रिकों का प्रवेश द्विपक्षीय वीजा व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है।

मक्के का उत्पादन

6116. **श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए गत वर्ष के दौरान कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का राज्य-वार स्थान क्या है;

(ग) क्या कृषि विश्वविद्यालय भी एक केन्द्र बनेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, वर्ष 1997-98 के दौरान, "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों, आई.सी.ए.आर. संस्थानों, राज्य अनुसंधान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के माध्यम से मक्का उत्पादन प्रोद्योगिकी पर 1381 दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।

(ख) से (घ) मक्का उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए किसी भी राज्य में कोई विशेष प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। तथापि मक्का उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देने के लिए कृषि के क्षेत्र में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आई.सी.ए.आर. सस्थानों/अन्य अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों को शामिल किया गया है। वर्ष 1998-99 में खरीफ एवं रबी दोनों में ही राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों को मक्का उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिन कृषि विश्वविद्यालयों/सस्थानों को अनुरोध किया गया है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1998-99 में खरीफ एवं रबी दोनों ही मौसमों के दौरान राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों को मक्का उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिन कृषि विश्व-विद्यालयों/सस्थानों से अनुरोध किया गया है उनकी सूची

1. मक्का अनुसंधान निदेशालय, आइ.ए.आर.आई, पूसा, नई दिल्ली।
2. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उ०प्र०)

3. जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ०प्र०)

4. एन.डी. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

5. सी.सी.एस, एच.ए.यू. हिसार (हरियाणा)

6. पी.ए.यू. लुधियाना (पंजाब)

7. आर.ए.यू., उदयपुर (राजस्थान)

8. आर.ए.यू., समस्तीपुर (बिहार)

9. बी.ए.यू. कांके, रांची (बिहार)

10. ओ.यू.ए.टी. क्षेत्रीय उप केन्द्र, जोशीपुर (उड़ीसा)

11. ए.एन.एस.आर.यू., हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

12. यू.ए.एस., धारवाड़ (कर्नाटक)

13. यू.ए.एस., बंगलौर (कृषि अनुसंधान केन्द्र, नागेनाहल्ली), (कर्नाटक)

14. मक्का अनुसंधान केन्द्र, जी.ए.यू. गोधरा (गुजरात)

15. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटोर (तमिलनाडु)

16. आई.जी.ए.यू., रायपुर (मध्य प्रदेश)

17. जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर (मध्य प्रदेश)

18. एच.पी.के.वी.वी., क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बाजोरा (हिमाचल प्रदेश)

19. ए.ए.यू., जोरहाट (असम)

20. एम.ए.यू., परभानी (महाराष्ट्र)

21. एन.ई.एच.क्षेत्र, आई.सी.ए.आर. अनुसंधान काम्पलेक्स (मेघालय)

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

6117. **श्री एस.एस. ओबेसी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सहायता से "सार्क" देशों में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वत की जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत कितनी है और इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई; और

(ग) "सार्क" देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पेटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र

6118. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र (आर०ए०पी०पी०) की इकाइयों की कितनी क्षमता कम की गई है;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की इकाइयों की क्षमता कम किए जाने के बदले राजस्थान को अतिरिक्त बिजली आबंटित करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाई से उत्पादित सारी बिजली राजस्थान को आबंटित करना चाहती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की चौथी इकाई चालू करने की समय सीमा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आर.ए.पी.एस.) यूनिट-2 की कम की गई वर्तमान निर्धारित क्षमता 200 मेगावाट है और यूनिट-1 की 100 मेगावाट है।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य को लगभग 534 मेगावाट तक की विद्युत का अंतिरिक्त आबंटन केन्द्रीय स्टेशनों के अ-आबंटित कोटा में से और समय-समय पर केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों के कुछ संघटकों के अपवर्ती हिस्से में से किया गया है।

(घ) और (ङ) चालू होने पर इन यूनिटों से उत्पादित विद्युत का आबंटन विद्युत-मंत्रालय द्वारा अपनाए जा रहे मौजूदा फार्मूला के अनुसार इस क्षेत्र के विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को किया जाएगा।

(च) राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के यूनिट-4 को चालू किए जाने की निर्धारित तारीख दिसंबर 1999 है।

[हिन्दी]

विमानों की खरीद

6119. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत की तुलना में अपने पारम्परिक शस्त्रों की असमानता पर चिन्ता व्यक्त करते हुए रूस; फ्रांस और स्वीडन से उच्च प्रौद्योगिकी वाले लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पहल करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान द्वारा रूस, फ्रांस और स्वीडन जैसे विभिन्न देशों से विमान प्राप्त करने के प्रयत्नों के बारे में पता है। सरकार का विश्वास है कि पाकिस्तान द्वारा अपनी वैध आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में हथियार प्राप्त किया जाना इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सहायक नहीं है। सरकार ने विभिन्न अवसरों पर संबंधित देशों से अपने विचार व्यक्त किए हैं। सरकार भारत की सुरक्षा के संबध में होने वाली घटनाओं पर लगातार नजर रखे हुए है तथा सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का विस्फोट

6120. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में परमाणु बम का विस्फोट किया है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य की चुनौतियों, यदि कोई हो तो, उसका सामना करने हेतु हमारे देश की तैयारी में परिवर्तन होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या विशिष्ट प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) 28 और 30 मई, 1998 को पाकिस्तान द्वारा किये गये नाभिकीय परीक्षण से यह बात, जिसकी जानकारी सबको थी, सिद्ध हो गयी कि पाकिस्तान के पास नाभिकीय हथियार थे। इन परीक्षणों से नाभिकीय मसलों पर हमारी नीति का समर्थन हुआ। सरकार पाकिस्तान के गुप्त नाभिकीय कार्यक्रम की निकट से निगरानी कर रही है तथा इसकी समीक्षा कर रही है। सरकार चुनौतियों को देखते हुए भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूर्ण रूप से कृतसंकल्प है।

वैनोला की खेती

6121. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैनोला की खेती को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को वैनोला के उत्पादन और विपणन के लिए कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में वैनोला का कुल कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में वैनोला की खेती को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जैसे: क्षेत्र विस्तार; वैनिला जड़युक्त कलमों का उत्पादन, उत्पादन तथा उन्नत उपचार तकनीकों को लोकप्रिय बनाना; और वैनिला प्रसंस्करण एककों की स्थापना एवं वैनोला की खेती करने वाले सर्वश्रेष्ठ किसान को पुरस्कृत करना।

(ग) और (घ) वैनिला के उत्पादन, प्रसंस्करण आदि के लिये प्रदत्त सहायता/प्रोत्साहनों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

कार्यक्रम	प्रदत्त सहायता/प्रोत्साहन
1	2
1. क्षेत्र विस्तार	रोपण तथा रखरखाव की लागत के 25% के लिए 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर (6500/- रुपये तथा 3500/-रुपये की दो वार्षिक किस्तें)
2. वैनिला की जड़युक्त कलमों का उत्पादन	उत्पादन तथा रोपण सामग्री की लागत के 25% हेतु 1000 जड़युक्त कलमों के उत्पादन लक्ष्य के लिये 1250/- रुपये प्रति नर्सरी।
3. वैनिला प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु किसान संगठनों/सहकारी समितियों को सहायता।	प्रसंस्करण उपकरणों की लागत के 50% हेतु 5000/- रुपये प्रति यूनिट।
4. वैनिला की खेती करने वाले श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कार	प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त 10,000/- रुपये का एक प्रथम, पांच-पांच हजार रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार।

(ङ) अपुष्ट अनुमान के अनुसार वैनिला का उत्पादन 5 मी.टन उपचारित फली है।

भूमि कटाव

6122. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रूपनारायण नदी के कारण भूमि कटाव बढ़ने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजने का विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार उक्त भूमि कटाव को रोकने के लिए उक्त नदी के तटबंध को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) अन्य कछारी नदियों के समान ही रूप नारायन नदी भी अपने किनारों को काटती है। यह एक प्राकृतिक घटना है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने रूपनारायन नदी से होने वाली किसी गंभीर तट-कटाव की समस्या को सूचना केन्द्र को नहीं दी जिसके कारण विशेषज्ञों के दल द्वारा इस समस्या की जांच करना आवश्यक हो।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आबंटित निधियों से पश्चिम बंगाल सरकार नदी नियंत्रण कार्य, रूपनारायन नदी पर मौजूदा तटबंधों को ऊंचा करने और उन्हें सुदृढ़ करने जैसे सुधारात्मक उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

भगीरथ पत्रिका

6123. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भगीरथ" पत्रिका को प्रकाशित करने के मुख्य उद्देश्य पूरे हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भगीरथ (हिन्दी) और भगीरथ (अंग्रेजी) पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य देश में जल संसाधनों के विकास में योजनाओं, प्रगति और

उपलब्धियों के बारे में सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना है। इन पत्रिकाओं के प्रकाशन और वितरण से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (i) पत्रिकाओं की विषय वस्तु में सुधार और (ii) समय-समय पर पाठकों से प्राप्त सुझावों (फीड बैक) पर विचार करने के लिए सम्पादक मंडल की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन

6124. **श्री रामटहल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें उनका वेतन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, बिहार दोनों के कर्मचारियों ने मार्च, 1998 माह तक का अपना वेतन प्राप्त कर लिया है। तथापि, उन्होंने अप्रैल, 1998 से आगे का वेतन प्राप्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1998 से आगे कर्मचारियों का वेतन का राज्य सरकार से गैर योजना/योजना अनुदान प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। इन विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

कृषि ऋण

6125. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उत्पादन की दृष्टि से कृषि ऋण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार दिए गए ऋणों और उन पर ली गई ब्याज दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान कृषि ऋण प्रणाली को पुनर्गठित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काली सरसों के बीज के लिए अनुसंधान केन्द्र

6126. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1989 के दौरान केन्द्र सरकार को काली सरसों के बीज के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उसे अनुमोदन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उसे कब तक अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार कृषि मंत्रालय में 1989 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से काली सरसों के बीज के लिए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लागू नहीं होता।

गेहूँ की गुणवत्ता

6127. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूँ की गुणवत्ता खराब होने के कारण मध्य प्रदेश में स्थानीय गेहूँ की मांग कम है जिसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों से गेहूँ खरीदा जाता है क्योंकि वहां गेहूँ उचित मूल्य पर उपलब्ध है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का स्थानीय गेहूँ की खरीद की समस्या किस तरह से हल करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) अन्य राज्यों से गेहूँ मध्य प्रदेश में लाये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है। बल्कि गेहूँ तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आदि जैसे पड़ोसी राज्यों को भेजा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1997-98 के विपणन मौसम के दौरान 1.07 मी० लाख टन की तुलना में 20 जुलाई 1998 तक गेहूँ की कुल 5.36 मी० लाख टन मात्रा की खरीद की गयी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम

6128. **श्री समर चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा में उत्पादित अन्नानासों और संतरों का विपणन करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम के विफल होने के परिणामस्वरूप हड़बड़ाहट में बिक्री हुई और किसानों को भारी नुकसान हुआ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि तथा बागवानी उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम को पुनर्जीवित तथा मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि० (नेरामक) को मार्च 1982 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार के एक उद्यम के रूप में निगमित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि बागवानी विकास को बढ़ावा देना था। निगम ने जून, 1988 में नालकाटा, त्रिपुरा में एक अनानास जूस कॉन्सेन्ट्रेट ईकाई (पी. जी.सी) स्थापित की। अपने पीजीसी इकाई में प्रसंस्करण के लिए नेरामाक

मुख्यत: नालकाटा एवं इसके आसपास के किसानों से अनानास की खरीद कर रहा है। निगम अभी रूग्ण हो गया है एवं इस समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत है। निगम ने एक पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया है जिसपर सरकार विचार कर रही है। तथापि नेरामाक नालकाटा में अपने अनानास प्रसंस्करण कार्य को पूर्ववत: जारी रखे हैं ताकि क्षेत्र के किसानों के हित सुरक्षित रहें।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं

6129. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का स्थिति की समीक्षा हेतु संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहें हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय सिंचाई एवं बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं और उनकी अद्यतन अनुमानित लागत का राज्यवार ब्यौरा दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) वर्तमान में संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परियोजना को पूरी होने की अवधि उसके आकार, भूमि की उपलब्धता विविध मूल्यांकन अभिकरणों से उनकी स्वीकृति, भूवैज्ञानिक परिस्थितियों आदि जैसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। प्रत्येक परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा आबंटित निधियाँ भी इतनी ही महत्वपूर्ण है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	भागीदार राज्य	अद्यतन अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर चरण-II	आंध्र प्रदेश	467.26
		कर्नाटक	62.93
2.	गुडगांव नहर	हरियाणा	--
		राजस्थान	35.40
3.	नई ताजेवाला बराज (हथिनीकुंड बराज)	हरियाणा	219.19
		उत्तर प्रदेश	--
4.	बाणसागर	बिहार	140.00
		मध्य प्रदेश	1281.00
		उत्तर प्रदेश	529.92
5.	राजघाट	मध्य प्रदेश	656.91
		उत्तर प्रदेश	312.32
6.	तिल्लारी	गोवा	525.59
		महाराष्ट्र	371.65
7.	सरदार सरोवर	गुजरात	22176.95
		मध्य प्रदेश	--
		राजस्थान	--
8.	माही बजाज सागर	गुजरात	--
		राजस्थान	1086.98
9.	बावन थाड़ी	मध्य प्रदेश	148.03
		महाराष्ट्र	124.17
10.	दूधगंगा	कर्नाटक	110.00
		महाराष्ट्र	566.69
11.	तेलुगु गंगा	आंध्र प्रदेश	2149.00
		तमिलनाडु	--
12.	सुबनरेखा	बिहार	2376.00
		उड़ीसा	1232.45
		पश्चिम बंगाल	595.00
13.	सतलुज यमुना संपर्क नहर	हरियाणा	601.00
		पंजाब	753.54
14.	शाहनहर	हिमाचल प्रदेश	150.78
		पंजाब	--
15.	दमन गंगा	गुजरात	235.05
		दादर और नगर हवेली	--
		दमन और द्वीव	--
16.	लेंडी	आंध्र प्रदेश	--
		महाराष्ट्र	204.50
17.	रावी-तावी सिंचाई	जम्मू और कश्मीर	151.18
		पंजाब	--

[अनुवाद]

पवन चक्कियों का आयात

6130. **श्री सी.पी. राधाकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य में पवन चक्कियों तथा संबंधित उपकरणों के आयात का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्रेताओं एवं प्रयोक्ताओं को कितनी राजसहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी नहीं, तथापि विशिष्ट महत्वपूर्ण संघटकों पर सीमा शुल्क से छूट/रियायत के साथ विनिर्माताओं अथवा उपयोगकर्त्ताओं को पवन टरबाइन अथवा उनके संघटक आयात करने की अनुमति है।

(ग) पवन टरबाइनों अथवा उनके संघटकों के क्रेताओं उपयोगकर्त्ताओं को कोई केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

[हिन्दी]

अप्रवासी भारतीय

6131. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में देश-वार कितने भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं;

(ख) क्या वे अपनी मातृभूमि से काफी दूर होने के कारण अपने बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा दिलाना चाहते हैं जो कि उनके लिए आसान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उनकी सहायता का कार्य हमारे दूतावासों के संस्कृति विभाग को सौंपा जाएगा; और

(घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा इस संबंध में किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों के लिए भारतीय मिशनों में पंजीकरण की प्रणाली अथवा अनिवार्य अपेक्षा नहीं है अत: भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय और यथार्त सूचना नहीं दी जा सकती है। तथापि विदेश स्थित भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में मई 1998 की स्थिति के अनुसार देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि यह नोट किया जाए कि हमारे मिशनों में पंजीकरण कराने की सलाह के बावजूद भारतीय राष्ट्रिक विदेशों में अपने आने और जाने की सूचना नहीं देते हैं।

(ख) सामान्यतया हाँ।

(ग) हाँ, विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में हमारे राजदूतावासों के समग्र दायित्वों के एक भाग के रूप में।

(घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के विदेशों में 14 सांस्कृतिक केन्द्र हैं, इनमें से बहुत से केन्द्र उन देशों में हैं जहां पर भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ये सांस्कृतिक केन्द्र वहाँ पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों तथा स्थानीय जनसंख्या के रूझान की भारतीय सांस्कृतिक तथा अकादमिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। बहुत से केन्द्रों में भारतीय संगीत तथा नृत्य की कक्षाएं चलाई जाती हैं। इनमें से कुछ केन्द्रों में हिन्दी तथा योग की शिक्षा भी दी जाती है।

विवरण

विभिन्न देशों में लगभग अनुमानित संख्या में भारतीय राष्ट्रिक

क्र.सं.	देशों के नाम	राष्ट्रिक
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	0
2.	अल्जीरिया	80
3.	अंगोला	70
4.	अंगयुइला	4
5.	एन्टीगोआ और बारबूडा	40
6.	अर्जेन्टीना	800
7.	आर्मीनिया	150
8.	अरूबा	50
9.	अल्बानिया	5
10.	आस्ट्रेलिया	28564
11.	आस्ट्रिया	11000
12.	अजरबैजान	120
13.	बहामास	0
14.	बहरीन	100000
15.	बंगलादेश	555
16.	बेलारूस	94
17.	बारबाडोस	69
18.	बेल्जियम	5000
19.	बेलीज	340
20.	बेनीन गणराज्य (कोटोनोव)	400
21.	भूटान	20000
22.	बोलीविया	50
23.	बोस्निया और हर्जेगोविना	1
24.	बोत्स्वाना	3000
25.	ब्राजील	1500
26.	ब्रुनेई	9208
27.	बुल्गारिया	35
28.	बुर्कीना फासो	15
29.	बुरण्डी	700
30.	कम्बोडिया	183
31.	कैमरून	250
32.	कनाडा	0
33.	केप वर्डे	0
34.	केमन आइलैंड	50
35.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	10

1	2	3
36.	चाड	0
37.	चिली	500
38.	चीन	400
39.	कोलाम्बिया	59
40.	कामरास	250
41.	कांगो	15
42.	कोस्टा रिका	7
43.	कोएशिया	4
44.	क्यूबा	15
45.	साइप्रस	350
46.	चेक गणराज्य	56
47.	डेनमार्क	500
48.	जोमिनिका	18
49.	डिजिबटी	350
50.	इक्वेडोर	6
51.	मिस्त्र	1350
52.	इरिट्रिया	10
53.	अल सल्वाडोर	6
54.	इस्टोनिया	12
55.	इक्विटोरियल गुयाना	6
56.	इथोपिया	12
57.	फिनलैण्ड	600
58.	फ्रांस	10000
59.	गैबोन	5
60.	गाम्बिया	80
61.	ग्वाटेमाला	8
62.	जर्मनी	34020
63.	घाजिया	60
64.	याना	4500
65.	ग्रीस	10340
66.	गेनेडा	56
67.	गुयाना	60
68.	गुयाना विसाम	5
69.	गयाना	240
70.	हाइरूस	5
71.	हांगकांग	20990
72.	हंगरी	180
73.	आइसलैण्ड	18
74.	इण्डोनेशिया	5400
75.	ईरान	1400
76.	इराक	80
77.	आयरलैंड	1500
78.	इजरायल	500
79.	इटली	15052
80.	आइवरी-कोस्ट	125
81.	जमैका	1200
82.	जापान	5508
83.	जार्डन	900
84.	कजाकास्तान	745
85.	केन्या	8000
86.	कोरिया गणराज्य	400
87.	कोरिया (डीपीआर)	1
88.	कुवैत	195000
89.	फिर्गीजीस्वान	175
90.	लाबिया	75
91.	लाओस पीडीआर	183
92.	लेबनान	11000
93.	लेसोथो	250
94.	लाइबेरिया	309
95.	लीबिया	12000
96.	लक्जमबर्ग	179
97.	मेडागास्कर	3000
98.	मलाकी	300
99.	मलैशिया	30000
100.	मालद्वीव	1746
101.	माल्टा	150

1	2	3
102.	माली	13
103.	मारीशस	360
104.	मारितानिया	0
105.	मेक्सिको	250
106.	मालदोवा	0
107.	मंगोलिया	40
108.	मांत्सिरात	15
109.	मोरक्को	340
110.	मैसीडोनिया	0
111.	मोजाम्बिक	500
112.	म्यामां	2175
113.	नामीबिया	52
114.	नारू	100
115.	नेपाल	1000000
116.	नीदरलैण्ड	5000
117.	नीदरलैण्ड एन्टील्स कुराकाओ और सेन्ट नीरटेन	2000
118.	न्यूजीलैण्ड	750
119.	निकारा गुआ	4
120.	नाईजर	13
121.	नाइजीरिया	22000
122.	नार्वे	2100
123.	ओमान	410815
124.	पाकिस्तान	0
125.	पनामा	3828
126.	पराग्वे	30
127.	पापुआ न्यू गिनी	0
128.	पेरू	200
129.	फिनीपीन्स	13000
130.	पोलैण्ड	600
131.	पुर्तगाल	2000
132.	कतर	80000
133.	रीयूनियन आइलैण्ड	173
134.	रोमानिया	220
135.	सउदी अरब	1300000
136.	सेनेगल	40
137.	सेशेल्स	500
138.	सिमरा लोन	430
139.	सिंगापुर	28000
140.	सोमालिया	0
141.	दक्षिण अफ्रीका	3000
142.	स्पेन	14000
143.	श्री लंका	131220
144.	सैंट किटस एण्ड नेविस	16
145.	सेन्ट बिंसेट एंड दि ग्रेनाडिनेस	20
146.	सेन्ट लूसिया	75
147.	सूडान	1150
148.	सूरीनाम	150
149.	स्वायीलैण्ड	200
150.	स्वीडन	1535
151.	स्विटजरलैण्ड	4169
152.	सीरियन अरब गणराज्य	500
153.	स्लोवेनिया	10
154.	स्लोवाक गणराज्य	50
155.	ताजिकिस्तान	143
156.	तंजानिया	3500
157.	थाईलैण्ड	15000
158.	टोगो	300
159.	टोंगा	50
160.	ट्रिनिडड एण्ड टुबैगो	300
161.	ट्यूनिशिया	110
162.	तुर्की	20
163.	तुर्क एण्ड काकस आईलैण्ड	270
164.	तुर्कमेनिस्तान	2000
165.	डगाण्डा	2100
166.	यूक्रेन	800000

1	2	3
167.	संयुक्त अरब अमीरात	130000
168.	यूनाइटिड किंगडम	28000
169.	यू.एस.ए.	12000
170.	रूस	10
171.	उरुग्वे	360
172.	उजबेकिस्तान	0
173.	बनातू	400
174.	केनेज्यूएला	350
175.	वियतनाम	10
176.	पश्चिमी साओन	3500
177.	यमन गणराज्य	16
178.	युगोस्लाविया	650
179.	जाखड़े	60000
180.	जाम्बिया	15500
182.	जिम्बावे	0
	योग :	4666198

[अनुवाद]

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि और परमाणु अप्रसार संधि

6132. **श्री नरेश पुगलीया :** ६ ॥ प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ रियायतें प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किन-किन रियायतों को लेने का है;

(ग) क्या व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार सीटीबीटी पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। इसके लिए प्रमुख देशों के साथ हमारी द्विपक्षीय बातचीत चल रही है और उन पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा रहा है जो प्रगति को सुसाध्य बनाएंगी।

(ग) और (घ) सीटीबीटी पर भारत का पहला दृष्टिकोण इस मूल्यांकन पर आधारित था कि इस संधि में हमारी सुरक्षा चिंताओं को शामिल नहीं किया गया था। मई, 1998 में भारत द्वारा किए गए परीक्षणों ने हमें आश्वस्त सुरक्षा के लिए बुनियादी क्षमता प्रदान की है। यह परीक्षणों पर स्वैच्छिक आधार पर रोक लगाने के लिए तर्काधार भी है जो संधि के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करती है। जहां तक अप्रसार संधि का संबंध है, भारत सदा इस बात पर कायम रहा है कि यह एक भेदभावपूर्ण और त्रुटिपूर्ण, संधि है जो विश्व को नाभिकीय शस्त्रों से युक्त और नाभिकीय शस्त्रों से रहित देशों में विभक्त करती है। अप्रसार संधि अनिश्चित और बिना शर्त विस्तार से नाभिकीय शस्त्रों की मौजूदगी पांच देशों के हाथों में कायम होकर रह गई है। अत: अप्रसार संधि के संबंध में हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सरकार अपने ही मूल्यांकन और राष्ट्रीय सुरक्षा-अपेक्षाओं के आधार पर सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूर्णत वचनबद्ध रहती है।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाएं

6133. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सन् 2000 तक विभिन्न राज्यों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों, विशेषरूप से उन राज्यों जहां इन सुविधाओं का अभाव है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाये जाने वाले अतिरिक्त संसाधनों के स्रोतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां से सूखा-प्रवण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नौवीं योजना को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसलिए 2000 ई. सन् तक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं की कल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजनाओं के अंतर्गत संसाधनों में से किया जाता है। तथापि, सिंचाई विकास के लिए राज्य योजनाओं के तहत राज्यों को योजना आंबटन के अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा चुनिंदा चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-1997 से शुरू "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के तहत बराबर-बराबर आधार पर राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता भी दी जाती है। राज्य सरकारों को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत क्रमश: 500 करोड़ रु. और 952.19 करोड़ रु. की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई थी। साथ ही ए आई बी पी के तहत वर्ष 1998-99 के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 1987 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार जल-संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना करते समय राज्यों को सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सिंचाई सुविधाएं

6134. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो सिंचाई सुविधा के राष्ट्रीय औसत प्राप्त करने में पीछे चल रहे हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस अंतर को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा को कितनी अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 (अनन्तिम) के लिए प्रकाशित भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार निवल बुआई क्षेत्र की तुलना में संपूर्ण भारत का निवल सिंचित क्षेत्र का 37.11 प्रतिशत है। निविल बुआई की तुलना में उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतिशत से कम सिंचाई वाले राज्यों की सूची तथा निवल बुआई की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई सुविधा वाले राज्यों का ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य	निवल बुआई क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	एन आई ए और एन एस ए का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	150	36	24.00
2.	असम	2777	572	20.60
3.	गोवा	138	23	16.67
4.	गुजरात	9609	3002	31.24
5.	हिमाचल प्रदेश	572	100	17.48
6.	कर्नाटक	10419	2325	22.32
7.	केरल	2239	358	15.99
8.	मध्य प्रदेश	19662	5822	29.61
9.	महाराष्ट्र	17897	2567	14.34
10.	मणिपुर	226	65	28.76
11.	मेघालय	201	45	22.39
12.	मिजोरम	65	8	12.31
13.	नागालैंड	206	62	30.10
14.	उड़ीसा	6303	2090	33.16
15.	राजस्थान	17021	4858	28.54
16.	सिक्किम	95	16	16.84
17.	त्रिपुरा	277	35	12.64
18.	पश्चिम बंगाल	5464	1911	34.97

[हिन्दी]

दिल्ली में जल संकट

6135. श्री मोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल संकट से निपटने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई योजना है;

(ग) क्या जल सकंट का हल निकालने के लिए दिल्ली तथा इससे सटे राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा करने के संबंध में भी कोई योजनी सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार जानती है कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में मांग की तुलना में पेय जल आपूर्ति में कमी है लेकिन कोई गंभीर जल संकट नहीं है।

(ख) दिल्ली में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(i) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार अधिक पेयजल उत्पन्न करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 40 मिलियन गैलन प्रति दिन और 20 मिलियन गैलन प्रति दिन की क्षमता के दो अतिरिक्त जल उपचार संयंत्रों का निर्माण कर रही है। इसमें द्वारका में 100 मि. गैलन प्रति दिन और सोनिया विहार में 140 मिलियन गैलन प्रति दिन और ओखला में 40 मि. गैलन प्रति दिन की क्षमता के अतिरिक्त जल उपचार संयंत्रों का निर्माण किए जाने की योजना बनाई है।

(ii) अलीपुर में रैनी कुंओं का निर्माण जून, 1999 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

(iii) जल की कमी वाले क्षेत्रों में 200 अतिरिक्त नलकूप तथा 268 गहरे वेधन हैंड पम्प स्थापित किए गये हैं और वर्ष 1998-99 के दौरान 250 नए नलकूप और 200 अतिरिक्त गहरे बोर हैण्ड पम्प स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) दिल्ली में अधिक कच्चा जल प्राप्त करने की दृष्टि से हरियाण सरकार के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने के

वास्ते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मुनाक से दिल्ली तक एक समानान्तर पक्के चैनल के निर्माण की एक स्कीम को अंतिम रूप दिया गया है जो मार्ग में कच्चे जल की होने वाली हानि को रोकेगी।

(v) दिल्ली के लिए जल आपूर्ति टेहरी बांध, रेनुका बाँध और किशाऊ बाँध परियोजनाओं से बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच दिनांक 12 मई, 1994 के समझौता ज्ञापन में माध्य वर्ष उपलब्धता पर आकलन किए गये यमुना नदी के उपयोग योग्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आंबटन की व्यवस्था हैं:-

1.	हरियाणा	-	5.730 बिलियन घन मीटर (बी सी एम)
2.	उत्तर प्रदेश	-	4.032 बिलियन घन मीटर
3.	राजस्थान	-	1.119 बिलियन घन मीटर
4.	हिमाचल प्रदेश	-	0.378 बिलियन घन मीटर
5.	दिल्ली	-	0.724 बिलियन घन मीटर

नदी की अपर पहुँचों में भण्डारणों का निर्माण होने तक समझौता ज्ञापन में यमुना के वार्षिक उपयोग योग्य प्रवाह का अन्तरिम मौसमी आबंटन करने की व्यवस्था की गयी है। अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता ज्ञापन के अनुसार लाभग्राही राज्यों के बीच ओखला तक यमुना नदी के उपलब्ध प्रवाहों के आबंटन का विनियमन कर रहा है। इस वर्ष में जब उपलब्धता आँकी गई मात्रा से कम होती है तो सबसे पहले दिल्ली का पेय जल आबंटन प्रदान किया जाता है और शेष जल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटनों के अनुपात में वितरित किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र का विकास

6136. डा. सुगुण कुमारी चलामेला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के वृद्धि तथा विकास के लिए मंत्रालय अपनी योजना स्कीमें चलाता है। इन स्कीमों के तहत उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, अनुसंधान तथा विकास संस्थानों तथा मानव संसाधन विकास केंद्रों को आसान शर्तों पर ऋण या सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना सहायता के प्रणोद क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

1. फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं विशेष रूप से कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना।
2. खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा/पार्कों की स्थापना।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।
4. परम्परागत खाद्य उत्पादों, पैकेजिंग तथा सह-उत्पादों के उपयोग के विकास समेत खाद्य प्रसंस्करण पर अनुसंधान तथा विकास।
5. प्राथमिक कृषि, बागवानी, दूध, मांस, पॉल्ट्री तथा दूसरे सदृश उत्पादन प्रणालियों समेत प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करना।
6. मानव संसाधन विकास।
7. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा अध्ययनों/सर्वेक्षणों/सेमिनारों के वास्ते सहायता द्वारा खाद्य प्रसंस्करणकृत उद्योग का संवर्धन।
8. नामित नोडल एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों से नेटवर्क बनाना उतथा सहायता के जरिए उन्हें मजबूत करना।

इसके अतिरिक्त, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में सरकार घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देने और उत्पाद और सीमा-शुल्क आदि में राजकोषीय राहतें प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाती रही है।

अकाल न्यास

6137. श्री विक्रम देव केशरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोक प्राकृतिक आपदा कोष के लिए वित्त का स्रोत क्या है;

(ख) उक्त कोष से उड़ीसा को कितनी बार सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त हेतु कोष में से कितनी राशि व्यय की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार 104.02 लाख रुपये।

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान एक अवसर पर अर्थात 1990-91 के दौरान।

(ग) 1,75,000/- रुपये।

[हिन्दी]

भण्डारण सुविधा की कमी के कारण बर्बादी

6138. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण प्रति वर्ष खराब हो रहे फलों और सब्जियों के संबंध में आकलन किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यवार कोई अध्ययन कराया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) *खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में फल और सब्जियों के* नुकसान का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है पर योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में तैयार नाशवान कृषि उत्पाद संबंधी रिपोर्ट के अनुसार जल्दी खराब होने के स्वरूप के कारण तथा नुकसान को रोकने के लिए उपयुक्त फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कुछ एक फल और सब्जियों लगभग 40% खराब हो जाती हैं।

1986 से 1990 के दौरान फल और सब्जियों के फसलोत्तर नुकसान का पता लगाने के लिए भारतीय-अमेरिकी परियोजना के तहत भी एक अध्ययन किया गया है। (स्त्रोत : भारत सरकार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग की प्रौद्योगिकी सूचना, भविष्यवाणी तथा मूल्यांकन परिषद् द्वारा जून 1996 में प्रकाशित *कृषि खाद्य प्रसंस्करण : टेक्नालाजी विज़न 2020*)

इस अध्ययन के अनुसार 1986-90 के दौरान कुछ एक फल और सब्जियों को हुआ फसलोत्तर नुकसान निम्नलिखित है:

फल/सब्जी का नाम	1986-90 के दौरान उत्पादन की तुलना में फसलोत्तर नुकसान का %
केला	12-14
आम	17-37
सीट्रस (संतरा)	8-31
अमरूद	3-15
सेब	10-25
अनानास	5-20
अंगूर	23-30
फली तथा मटर	7-12
बैंगन	10-13
गोभी	7-15
भिंडी	10-15
लहसुन	1-3
प्याज	15-30
आलू	15-20
टमाटर	10-20

फल और सब्जियां खराब होने का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

दूध का मूल्य

6139. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में मदर डेयरी ने "पूर्णत: मलाईयुक्त दूध" और "टोंड दूध" के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) *गत दो वर्षों के दौरान मदर डेयरी ने कितनी बार दूध के दामों में वृद्धि की हैं और ये वृद्धि कितनी-कितनी की गई थी?*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) मदर डेयरी ने हाल में टोंड दूध (थोक बिक्री) के उपभोक्ता मूल्य में कोई संशोधन नहीं किया है जो मदर डेयरी द्वारा आपूर्ति किए गए कुल दूध का 70 प्रतिशत है। परन्तु मदर डेयरी ने दिनांक 1.7.1998 से पोलीपैकों में "सम्पूर्ण मलाईयुक्त दूध" तथा "टोंड दूध" के उपभोक्ता मूल्य में संशोधन किया है।

(ख) दूध के मूल्य में संशोधन बिजली, ईंधन तथा यातायात की दरों में वृद्धि के साथ-साथ दूध तथा मक्खन और दुग्ध चुर्ण जैसे संरक्षित दुग्ध जिसों की अधिप्राप्ति मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण किया गया है।

(ग) उपरोक्त (क) में उल्लिखित वृद्धि के अलावा विगत दो वर्षों के दौरान मदर डेयरी दूध के उपभोक्ता मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पोखरण क्षेत्र में भूमि जल

6140. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण भूमि जल पर पड़ने वाले प्रभाव का सर्वेक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि परीक्षण स्थलों के निकट भौम-जल में किसी प्रकार के विकिरणसक्रिय संदूषण होने की हम प्रत्याशा नहीं करते, तथापि परीक्षण स्थलों से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक के भौम-जल स्रोतों का आमापन करना शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सब्जियों की कीमत

6141. **श्री माधव राव पाटील :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1998 के "दैनिक जागरण" में, "सरकार के लिए आलू प्याज की कीमतें रोकना कठिन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हां, बढ़ती हुई कीमतों को रोकने तथा उपभोक्ताओं को फल और सब्जियां उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पिछले हफ्तों में फलों एवं सब्जियों सहित कुछ आवश्यक सामग्रियों के मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई है। इस अचानक वृद्धि के कारण हैं-कम उत्पादन, ताजा सब्जियों के लिए कम आपूर्ति

मौसम का होना, लगभग सभी क्षेत्रों में अप्रैल-मई, 1998 के बीच उच्च तापमान की स्थिति जिससे सब्जी फसलें प्रभावित हुई एवं जाड़े के दौरान फलों को नुकसान। आलू और प्याज जैसी आवश्यक सब्जियों के मूल्य पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के उपभोक्ताओं की कठिनाईयों के निवारण के लिए, जनवितरण अभिकरणों के माध्यम से 10.00 रु० प्रति कि.ग्रा. की राजसहायता प्राप्त दर से प्याज की आपूर्ति करने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली एवं नोएडा में 242 खुदरा केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड फल एवं सब्जियों की बिक्री कर रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय दूतावास/मिशन

6142. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय मिशनों का ब्यौरा क्या है जो भारत सरकार के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन भारतीय मिशनों का ब्यौरा क्या है जो किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मिशन के लिये वर्ष-वार और मिशन-वार कितना किराया भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके सभी मिशनों के लिये भवन प्राप्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्तमान समय में 72 मिशन भारत सरकार के स्वामित्व वाले भवनों में हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अभी 85 मिशन किराये के भवनों में चल रहे हैं संलग्न विवरण-II में ब्यौरा दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये किराये से संबधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) समूचे विश्व में किराये में हो रही वृद्धि को देखते हुए, सरकार की यह नीति रही है कि जहाँ भी उचित मूल्य हो; अपने मिशनों के लिए सम्पत्ति की खरीद की जाए। यह बने बनाये भवनों की खरीद के जरिए अथवा जमीन अधिग्रहण करने के पश्चात् उस पर निर्माण के जरिए किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारतीय मिशन/केन्द्र जहां सरकारी स्वामित्व के चांसरी भवन हैं।

क्रम सं०	मिशन
1	2
1.	भारत का उच्चायोग, अकरा
2.	भारत का राजदूतावास, अम्मान
3.	भारत का राजदूतावास, अकांरा
4.	भारत का राजदूतावास, अन्तानानारिवो
5.	भारत का राजदूतावास, एथेंस
6.	भारत का राजदूतावास, बैंकाक
7.	भारत का राजदूतावास, बीजिंग
8.	भारत का प्रधान कॉसलावास, बर्मिघम
9.	भारत का राजदूतावास, बॉन
10.	भारत का राजदूतावास, ब्रसेल्स
11.	भारत का राजदूतावास, बुडापेस्ट
12.	भारत का राजदूतावास, ब्यूनस आयर्स
13.	भारत का राजदूतावास, काहिरा
14.	भारत का उच्चायोग, कैनबरा
15.	भारत का राजदूतावास, कराकस
16.	भारत का उच्चायोग, कोलम्बो
17.	भारत का राजदूतावास, कोपेनहैगन
18.	भारत का राजदूतावास, दमश्क
19.	भारत का प्रधान कॉसलावास, दुबई
20.	भारत का राजदूतावास, डब्लिन
21.	भारत का प्रधान कॉसलावास, फ्रैंकफर्ट
22.	भारत का स्थाई मिशन, जेनेवा
23.	भारत का उच्चायोग, हरारे
24.	भारत का राजदूतावास, हेलसिंकी
25.	भारत का प्रधन कॉसलावास, हांगकांग
26.	भारत का उच्चायोग, इस्लामाबाद
27.	भारत का राजदूतावास, जकार्ता
28.	भारत का प्रधान कॉसलावास, जोहान्सवर्ग
29.	भारत का उच्चायोग, कम्पाला
30.	भारत का सहायक उच्चायोग, कैंडी
31.	भारत का प्रधान कॉसलावास, कराची (बन्द)
32.	भारत का राजदूतावास, काठमांडू
33.	भारत का राजदूतावास, खार्तुम
34.	भारत का राजदूतावास, कीव
35.	भारत का उच्चायोग, किंशासा
36.	भारत का उच्चायोग, कुआलालम्पुर
37.	भारत का राजदूतावास, कुवैत

1	2
38.	भारत का उच्चायोग, लागोस (अबुजा)
39.	भारत का राजदूतावास, लीमा
40.	भारत का राजदूतावास, लिस्बन
41.	भारत का उच्चायोग, लन्दन
42.	भारत का उच्चायोग, लुसाका
43.	भारत का राजदूतावास, मैड्रिड
44.	भारत का उच्चायोग, माहे
45.	भारत का राजदूतावास, मनीला
46.	भारत का राजदूतावास, मैक्सिको सिटी
47.	भारत का प्रधान कौंसलावास, मेदन
48.	भारत का राजदूतावास, मास्को
49.	भारत का प्रधान कौंसलावास, न्यूयार्क
50.	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क
51.	भारत का उच्चायोग, निकोसिया
52.	भारत का राजदूतावास, ओस्लो
53.	भारत का उच्चायोग, ओटावा
54.	भारत का राजदूतावास, पनामा
55.	भारत का राजदूतावास, पेरिस
56.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन
57.	भारत का उच्चायोग, प्रिटोरिया
58.	भारत का राजदूतावास, रबात
59.	भारत का राजदूतावास, रियाद
60.	भारत का प्रधान कौंसलावास, सन फ्रांसिस्को
61.	भारत का राजदूतावास, सन्तियागो
62.	भारत का प्रधान कौंसलावास, साओ पाउलो
63.	भारत का राजदूतावास, सियोल
64.	भारत का उच्चायोग, सिंगापुर
65.	भारत का राजदूतावास, तेहरान
66.	भारत का राजदूतावास, दि हेग
67.	भारत का राजदूतावास, थिम्पू
68.	भारत का राजदूतावास, टोक्यो
69.	भारत का राजदूतावास, ट्यूनिस
70.	भारत का राजदूतावास, वियना
71.	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन
72.	भारत का उच्चायोग, विंडहोक

विवरण-II

भारतीय मिशन/केन्द्र जो किराये के चांसरी भवन में हैं।

क्रम सं०	मिशन
1	2
1.	भारत का राजदूतावास, अबिदजान
2.	भारत का राजदूतावास, आबूधाबी
3.	भारत का राजदूतावास, आदिसअबाबा
4.	भारत का राजदूतावास, अल्जीर्यस
5.	भारत का राजदूतावास, अल्माती
6.	भारत का राजदूतावास, अस्गाबात
7.	भारत का राजदूतावास, बगदाद
8.	भारत का राजदूतावास, बगोटा
9.	भारत का राजदूतावास, बहरीन
10.	भारत का राजदूतावास, बन्दर शेरी बेगावान
11.	भारत का राजदूतावास, बेरूत
12.	भारत का राजदूतावास, बेलग्रेड
13.	भारत के राजदूतावास का बर्लिन कार्यालय, बर्लिन
14.	भारत का राजदूतावास, बर्न
15.	भारत का राजदूतावास, बिशकेक
16.	भारत का राजदूतावास, ब्रजीलिया
17.	भारत का राजदूतावास, ब्रतिसलावा
18.	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट
19.	भारत का उच्चायोग का कार्यालय, केपटाउन
20.	भारत का प्रधान कौंसलावास, शिकागो
21.	भारत का कौंसलावास, चांगमई
22.	भारत का सहायक उच्चायोग, चिटगांव
23.	भारत का राजदूतावास, डकर
24.	भारत का उच्चायोग, दार-एस-सलाम
25.	भारत का उच्चायोग, ढाका
26.	भारत का राजदूतावास, दोहा
27.	भारत का राजदूतावास, डरबन
28.	भारत का राजदूतावास, दुशान्बे
29.	भारत का उच्चायोग, गैबरोन
30.	फिलिस्तीन में भारत का प्रतिनिधि कार्यालय, गाजा
31.	भारत का प्रधान कौंसलावास, जेनेवा
32.	भारत का उच्चायोग, जार्जटाउन

1	2
33.	भारत का राजदूतावास, ग्लासगो
34.	भारत का राजदूतावास, हनोई
35.	भारत का राजदूतावास, हवाना
36.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हैमबर्ग
37.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हो-ची-मिन्ह सिटी
38.	भारत का प्रधान कोंसलावास, होस्टन
39.	भारत का प्रधान कोंसलावास, इतानबुल
40.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जद्दा
41.	भारत का राजदूतावास, काबुल (अस्थाई रूप से बंद)
42.	भारत का उच्चायोग, किंगस्टन
43.	भारत का राजदूतावास, लुआंडा
44.	भारत का उच्चायोग, माले
45.	भारत का राजदूतावास, मापुतो
46.	भारत का प्रधान कोंसलावास, मिलान
47.	भारत का राजदूतावास, मिंस्क
48.	भारत का आयोग, मोम्बासा
49.	भारत का राजदूतावास मस्कट
50.	भारत का उच्चायोग, नैरोबी
51.	भारत का राजदूतावास, ओडेसा
52.	भारत का राजदूतावास, आंगाडुगू
53.	भारत का प्रधान कोंसलावास, ओसाका
54.	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो
55.	भारत का राजदूतावास, नॉमपेन्ह
56.	भारत का उच्चायोग, पोर्टलुई
57.	भारत का राजदूतावास, पोर्टमोर्सबी
58.	भारत का प्रधान कोंसलावास, पोर्ट सैद
59.	भारत का राजदूतावास, प्राग
60.	भारत का राजदूतावास, प्योंगयांग
61.	भारत का सहायक उच्चायोग, राजशाही
62.	भारत का राजदूतावास, रोम
63.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट डेनिस
64.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट पीटसबर्ग
65.	भारत का राजदूतावास, साना
66.	भारत का प्रधान कोंसलावास, शंघाई
67.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिराज
68.	भारत का राजदूतावास, सोफिया
69.	भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम
70.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी
71.	भारत का राजदूतावास, ताशकन्द
72.	भारत का राजदूतावास, तेल अबीव
73.	भारत का प्रधान कोंसलावास, टोरंटो
74.	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली
75.	भारत का राजदूतावास, उलान बतर
76.	भारत का उच्चायोग, वेलेटा
77.	भारत का प्रधान कोंसलावास, वैंकूवर
78.	भारत का राजदूतावास, वियनतियन
79.	भारत का प्रधान कोंसलावास, व्लादीवोस्तक
80.	भारत का राजदूतावास, वारसा
81.	भारत का राजदूतावास, वेलिंगटन
82.	भारत का राजदूतावास, यांगोन
83.	भारत का राजदूतावास, जगरेब
84.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जहिदान
85.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीवार

भारतीय मिशन

6143. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नये राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिये इस वर्ष खोले जाने वाले प्रस्तावित भारतीय मिशनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सरकार ने हाल ही में अजरबेजान और अर्मेनिया में नए मिशन खोलने तथा फीजी के मिशन को दौबारा खोलने की घोषणा की है। इन मिशनों के खोले जाने से मध्य एशिया एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों सहित इन क्षेत्रों को दी जाने वाली हमारी प्राथमिकता परिलक्षित होती है। इनसे क्षेत्र में हमारी उपस्थिति से नया आयाम जुड़ने और क्षेत्र के देशों के साथ हमारे संबंधों में गुणात्मक सुधार होने की संभावना है।

पूर्ण वेतन अवकाश

6144. श्री डी. एस. अहिरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कैंसर, कुष्ठ रोग, तपेदिक, पक्षाघात आदि जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पूर्ण वेतन अवकाश दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) जहाँ तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का संबंध है, यद्यपि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के अंतर्गत कैंसर तपेदिक इत्यादि बीमारियों के उपचार हेतु ऐसा पूर्ण वेतन अवकाश दिए जाने के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है फिर भी, कुछ प्रकार का अवकाश अर्थात 360 दिन तक का अदेय अवकाश, वेतन और भत्तों के बिना 18 माह तक का असाधारण अवकाश उन सरकारी कर्मचारियों को भी लेने दिया जाता है जो तपेदिक, कुष्ठ रोग, कैंसर अथवा मानसिक रोग से ग्रस्त हों, जो अस्थायी हों और जो उक्त छुट्टी-नियमों के अंतर्गत, अपेक्षाकृत कम निरंतर अवकाश लेने के पात्र हों। किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसा कार्य विशेष करते समय लगी बीमारी जो उक्त कर्मचारी द्वारा धारित किसी सिविल पद से जुड़े सामान्य जोखिम से परे, उसे रोग का ज्यादा भागी बना सकता हो, के कारण अन्य बातों के साथ-साथ उसे, 120 दिन से अनधिक अर्जित अवकाश पर देय वेतन के समान, अवकाश-वेतन पर विशेष निःशक्तता अवकाश (नामे नहीं डाला जाने वाला और पेंशन के प्रयोजन से ड्यूटी के रूप में शुमार किया जाने वाला) लेने दिया जाता है। इस के अलावा ऐसे समूह "घ " तथा समूह "ग" सरकारी कर्मचारियों को अस्पताली छुट्टी लेने दी जाती है जिन के कार्यों में ख़तरनाक मशीनों का संचालन, विस्फोटक-सामग्री आदि की देख-रेख शामिल हो और जिन्हें बीमार हो जाने अथवा चोट लग जाने के कारण अस्पताल में अथवा अन्यथा डॉक्टरी उपचार करवाने की जरूरत पड़े और यदि ऐसी बीमारी अथवा चोट उन्हें सीधे सरकारी कार्यों के निष्पादित किए जाते समय, उठाए गए ज़ोखिम के कारण लगी हो। सरकारी पोत पर तैनात किसी नाविक को निर्धारित शर्तों पर पूर्ण वेतन के बराबर अवकाश-वेतन पर, छः सप्ताह/तीन माह का नाविक संबधी रोग ग्रस्तता अवकाश लेने दिया जाता है जब वह बीमार हो जाने अथवा चोट लग जाने के कारण डॉक्टरी उपचार करवा रहा हो।

चौथे केन्द्रीय वेतन-आयोग ने यह पाया था कि "मौजूदा छुट्टी नियम काफी व्यापक हैं और इनमें कोई प्रमुख संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है" (पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी कैंसर, तपेदिक इत्यादि गंभीर प्रकृति की बीमारियों के उपचार के संबंध में किसी अन्य किस्म का अवकाश दिए जाने से संबंधित कोई सिफ़ारिश नहीं की है) अतः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश संबंधी कोई और लाभ दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन, अपने-अपने कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी नियम बनाते हैं, लोक उद्यम विभाग ने इस बारे में न तो कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं और न ही कैंसर, तपेदिक, कुष्ठ रोग, पक्षाघात इत्यादि के कारण गंभीर बीमारी के उपचार के सिलसिले में उक्त उपक्रमों के कर्मचारियों को पूर्ण वेतन अवकाश दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सूखे की स्थिति

6145. श्री ब्रजमोहन राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1991 से बिहार में पलामू डिवीजन के दोनों जिलों में विद्यमान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने 1993 में पलामू की अपनी यात्रा के दौरान इस संबंध में किसी पैकेज की घोषणा की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्कालीन प्रधान मंत्री की उपरोक्त यात्रा के बाद केन्द्र सरकार द्वारा उक्त जिले के लिए उपलब्ध करायी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पलामू डिवीजन को सूखे से बचाने के लिए कोई योजना तैयार की है क्योंकि यह जिला कालाहांडी से अधिक सूखा प्रवण है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

अलमट्टी सिंचाई परियोजना

6146. श्री सी०एच० विद्यासागर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी सिंचाई परियोजना बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण आन्ध्र प्रदेश में कई हजार एकड़ भूमि सूख जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले के स्थायी समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार को आशंका हैं कि अलमट्टी बांध का पूर्ण जलाशय स्तर 524.256 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाने के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को यदि स्वीकार किया जाता है तो कर्नाटक सरकार द्वारा कृष्णाजल का उपयोग कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा किये गये आबंटन से कहीं अधिक हो सकता है जिससे आन्ध्र प्रदेश के अनुप्रवाह क्षेत्र में सिंचाई आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, यह मामला दोनों राज्यों द्वारा दायर किये गये मुकद्मे के कारण इस समय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

पेप्सी कंपनी आई.एन.सी.

6147. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय देशों में पेप्सी कंपनी आई.एन.सी. की सहायक कंपनियों द्वारा इसके पेय पदार्थों के सांद्रण घटक का सीएसएच 3302.10/सीएसएच 2108.10 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेप्सी फूड लिमिटेड द्वारा भारत में पहली बार सान्द्रण घटक के निर्माण हेतु सी.एस.एच. वर्गीकरण कब अपनाए गए तथा इस वर्गीकरण के अंतर्गत उस समय किस दर से उत्पाद शुल्क देय था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"पावर टिलर" की आपूर्ति

6148. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को "पावर टिलर" उपलब्ध कराए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितने पावर टिलर आबंटित किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (आई.सी.डी.पी.-राइस) के अंतर्गत किसानों को ''पावर टिलरों'' पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ख) इस स्कीम में किसानों को "पावर टिलरों" की लागत के 50% की दर से लेकिन अधिकतम 30,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने की अनुमति है।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान पावर टिलरों के वितरण के लिए अब तक राज्यवार निर्धारित लक्ष्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। हालांकि राज्यों की प्रगति की अभी जानकारी प्राप्त करना बहुत जल्दबाजी होगी।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान आई.सी.डी.पी. राइस के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले पावर टिलरों की संख्या के लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	1998-99 लक्ष्य
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	500
2.	अरूणाचल प्रदेश	60
3.	असम	200
4.	बिहार	300
5.	गोवा	100
6.	केरल	250
7.	मध्य प्रदेश	300
8.	मणिपुर	80
9.	मेघालय	80
10.	मिजोरम	35
11.	नागालैण्ड	150
12.	उड़ीसा	1000
13.	तामिलनाडु	350
14.	त्रिपुरा	150
15.	उत्तर प्रदेश	शून्य
16.	पश्चिम बंगाल	300
17.	पांडिचेरी	80
	कुल	3935

विभागीय परीक्षाएं

6149. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के वर्ग "घ" के कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में मौजूदा रिक्तियों के आधार पर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गई;

(घ) क्या कर्मचारी चयन आयोग वर्ग "घ" कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा द्वारा अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती करने के लिए निर्धारित मानदंडों को अपना रहा है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1996 और 1997 के दौरान आयोजित विभागीय परीक्षाओं के आधार पर अवर श्रेणी-लिपिक के पदों पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया; और

(च) क्या परीक्षाओं के आधार पर और कोई पैनल भी बनाया जाता है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) समूह "घ" कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा लिपिक-ग्रेड में नियुक्ति हेतु एक अर्हक परीक्षा

मात्र होती है तथा यह केन्द्र-सरकार के विभिन्न कार्यालयों में रिक्तियों से संबंधित नहीं होती। फिर भी, संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के मद्दे नियुक्ति इस संबंध में, उनके द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार ही की जाती है।

(ग) उपर्युक्त परीक्षा वार्षिक आधार पर संचालित की जाती है। वर्ष, 1996-97 के दौरान, उपर्युक्त परीक्षा अगस्त 18, 1996 को संचालित की गई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) नियुक्ति संबंधित संवर्ग-प्राधिकारी द्वारा की जाती है। फिर भी, वर्ष, 1996 और 1997 में कर्मचारी चयन-आयोग द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा के आधार पर अवर श्रेणी-लिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार रही है:-

1996	-	07
1997	-	13

(च) इस बारे में कोई रिज़र्व पैनल नहीं रखा जाता।

जलगांव दूग्ध संघ

6150. डा० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जलगांव दूग्ध संघ, जलगांव (महाराष्ट्र) को वितरित किए गए दूध का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 80-95% धन का उपयोग नहीं किया गया है और इसे आवधिक जमा के रूप में बैंक में जमा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपयुक्त धन प्राप्त होने के बाद भी प्रशासक, जलगांव दुग्ध संघ द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और वेतन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि के तत्काल भुगतान के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड/महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने का है; और

(च) इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जलगांव दुग्ध संघ को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1975.80 लाख रुपए और महाराष्ट्र सरकार ने 625 लाख रुपए जारी किए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(ग) अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्तों के बड़े हिस्से सहित वेतन की समूची बकाया राशि कर्मचारियों को दी जा चुकी है। तथापि, औद्योगिक ट्रिब्यूनल नासिक के समक्ष लम्बित पड़े निर्णय के कारण अतिरिक्त महंगाई भत्ते का एक हिस्सा जारी किया जाना है।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

अखिल भारतीय सेवाओं हेतु वेतनमान

6151. प्रो० रीता वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय सेवाओं समूह "क" में की गई भर्ती के वेतनमान क्या-क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सेवाओं के विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नति हेतु कुल कितनी सेवा अवधि की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या विभिन्न सेवाओं में समान वेतनमान वाले पदों में पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि के बीच कोई असमानता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा में पदोन्नति हेतु कोई न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित नहीं है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या केवल भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो इन सेवाओं में भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं और ऐसी समूह-क केन्द्रीय सेवाओं के वेतनमान संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं जिनके संबंध में भर्ती, संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा-परीक्षा के माध्यम से की जाती है।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा की अवधि भी संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। इस बारे में केन्द्रीय सेवाओं संबंधी जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा-अवधि के संबंध में सामान्यत: कोई असमानता नहीं हैं, यद्यपि संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रतीत होने वाली प्रत्येक सेवा से जुड़ी अपेक्षाओं और प्रत्येक संवर्ग में उपलब्ध पदों की संख्या के आधार पर, स्थिति भिन्न हो सकती है। पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा-अवधि में भिन्नता का एक मात्र उदाहरण 18400-500-22400/- रुपये के वेतनमान में, भारतीय पुलिस-सेवा के पुलिस-महानिरीक्षक के ग्रेड का है, जिसमें अन्य दो अखिल भारतीय सेवाओं के मुकाबले अधिक लम्बी सेवा-अवधि निर्धारित की गई है।

(ङ) और (च) भारतीय पुलिस सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक और भारतीय वन सेवा में अपर प्रधान महा वन-संरक्षक के स्तर के नव-सृजित पदों के सिवाय, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा और भारतीय वन-सेवा के अधिकारियों के संबंध में, सभी ग्रेडों में पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा-अवधि निर्धारित की गई है। भारतीय वन सेवा में प्रधान महा वन संरक्षक के ग्रेड में भी पदोन्नति हेतु औपचारिक रूप से न्यूनतम सेवा-अवधि निर्धारित नहीं की गई है परंतु 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लिए जाने के पश्चात् साधारणत: पदोन्नति कर दी जाती है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त (छ) के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में निर्धारित वेतनमान तथा सेवा-अवधि

क्र० सं०	वेतनमान	भा०प्र०से० (आई ए एस)	भा०पु०से० (आई पी एस)	भा०व०से० (आई एफ एस)	केन्द्रीय सेवाएं
1.	कनिष्ठ (वेतन)मान	8000-275-13500/-रु० (प्रवेश)	8000-275-13500/-रु० (प्रवेश)	8000-275-13500/-रु० (प्रवेश)	8000-275-13500/-रु० (प्रवेश)
2.	वरिष्ठ (वेतन)मान				
	(क) समय (वेतन) मान	10650-325-15850/-रु० (4 वर्ष)	10000-325-15200/-रु० (4 वर्ष)	10000-325-15200/-रु० (4 वर्ष)	10000-325-15200/-रु०
	(ख) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	12750-375-16500/-रु० (9 वर्ष)	12000-375-16500/-रु० (9 वर्ष)	12000-375-16500/-रु० (9 वर्ष)	12000-375-16500/-रु०
	(ग) चयन ग्रेड	15100-400-18300/-रु० (13 वर्ष)	14300-400-18300/-रु० (13 वर्ष)	14300-400-18300/-रु० (13 वर्ष)	14300-400-18300/-रु०
3.	अधिसमय (वेतन)मान	18400-500-22400/- रु० (16 वर्ष)	(क) उप महानिरीक्षक :- 16400-450-20000/-रु० (14 वर्ष)	(क) वन-संरक्षक 16400-450-20000/-रु० (14 वर्ष)	18400-500-22400/-रु०
			(ख) महानिरीक्षक :- 18400-500-22400/-रु० (17 वर्ष)	(ख) अपर महा वन संरक्षक/ महा वन संरक्षक :- 18400-500-22400/-रु० (16 वर्ष)	
4.	अधिसमय (वेतन)मान से उच्चतर वेतनमान	(i)22400-525-24500/-रु० (25 वर्ष)	(i) अपर पुलिस महानिदेशक 22400-525-24500/- रु०	(i)अपर प्रधान महावन संरक्षक 22400-525-24500/-रु०	22400-525-24500/-रु०
		(ii) 26000/-रु०(नियत) (30 वर्ष)	(ii) पुलिस महानिदेशक:- 24050-650-26000/-रु०	(ii) प्रधान महावन संरक्षक 24050-650-26000/-रु०	(ख) 26000/-रु०(नियत)
		(iii)30000/-रु०(नियत)	(30 वर्ष)		

नोट : कोष्ठकों में उल्लिखित वर्ष, उक्त ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा-अवधि के परिचायक हैं।

कालाहांडी-बोलंनगीर-कोरापुट विकास योजना

6152. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट विकास योजनाओं के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर उड़ीसा सरकार और योजना आयोग सहित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के बीच कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जिन पर चर्चा की गई और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई; और

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा कालाहांडी-बोलंनगीर-कोरापुट परियोजनाओं के लिए फील्ड स्तर पर सृजित आधारभूत ढांचे के कार्यान्वयन और समन्वयन के लिए कौन-सी निगरानी एजेंसी नियुक्त की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) उड़ीसा कालाहांडी-बोलनंगीर-कोरापुट विकास स्कीमों के लिये, उड़ीसा सरकार द्वारा कालाहांडी-बोलंनगीर तथा कोरपुट (के बी के) जिलों के संबंध में दीर्घावधिक कार्य योजना (एलटीएपी) के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत की गई संशोधित कार्य योजना (1998-99 से 2006-07) के आधार पर, 15 जून, 1998 को योजना आयोग में राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) संशोधित कार्य योजना उन उच्च प्राथमिकता वाली स्कीमों पर ध्यान केन्द्रित करती है जो इन क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं से संबंधित हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ जलसंभर विकास तथा वानिकीकरण कार्यक्रमों, सिंचाई परियोजनाओं, ईएएस एवं जेआरवाई के तहत रोजगार सृजन स्कीमों, समाज कल्याण की स्कीमों तथा विशेषकर वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत वृहत कवरेज और क्षय रोग, मलेरिया एवं आंत्रशोथ जैसी बीमारियों के फैलने की समस्या से निपटने के लिए आपातकालीन पोषण कार्यक्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जारी रखना शामिल है।

जिन कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया था वे विशेष रूप से जलसंभर विकास, वानिकीकरण, वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों तथा कृषि, बागवानी और स्वास्थ्य से सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित थे।

कालाहांडी, बोलनंगीर तथा कोरापुट जिलों (केबीके) हेतु दीर्घावधिक कार्य योजना (एलटीएपी) पर ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग एवं गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य-सरकार को वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 के लिए जारी की गई राशि संयुक्त रूप से क्रमशः 164.03 करोड़ रुपए, 181.82 करोड़ रुपए तथा 193.28 करोड़ रुपए थी।

(ग) राज्य सरकार को पहले ही यह सलाह दी गई है कि वह फील्ड एवं राज्य, दोनों स्तरों पर प्रभावकारी मानीटरिंग एवं समन्वय की व्यवस्था करे जिसमें जन प्रतिनिधियों को भी उपयुक्त रूप से जोड़ा जाए।

पवन तथा ज्वार ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

6153. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पवन तथा ज्वार ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने की कोई नई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में परियोजनाएं शुरू किए जाने का विचार है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के दुर्गादुआनी खाडी (कीक) में 3 मेगावाट की ज्वारीय विद्युत परियोजना हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रत्येक के लिए 2 मेगावाट क्षमता की पवन फार्म प्रदर्शन परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

पशुओं को होने वाली बीमारियां

6154. श्री महबूब जहेदी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं की विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जा रही विविध पारम्परिक चिकित्सा प्रणालियों पर सूचना एकत्र करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना आरंभ की है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई बजटीय प्रावधान किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल में सिंचाई क्षमता

6155. श्री टी० गोविन्दन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में सिंचाई की कुल कितनी क्षमता बढ़ाई गई है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) गत तीन वर्षों में केरल राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 124800 हेक्टेयर (अनन्तिम) है।

(ख) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है, और सिंचाई परियोजनाओं की कल्पना, आयोजना, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है इसलिए भारत सरकार का राज्य में कोई नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

6156. श्री अभय सिंह एस. भोंसले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य सरकारों को धन प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम धन प्रदान कर रहा है;

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी धनराशि दी जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां।

विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों के माध्यम से संबंधित सहकारी समितियों को संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराता हैं।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र को वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत क्रमश: 48.95 करोड़ रुपये तथा 105.13 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके वितरण का स्कीम-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्यवार धनराशि आंबंटित नहीं की जाती। सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुसंशित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाता है। अत: इस समय कोई आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का ब्यौरा

क. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें

1. नेफेड की सहायता।
2. बिहार में ई.ई.सी. ग्रामीण वृद्धि केन्द्र परियोजना
3. केरल में ई.ई.सी. नारियल विकास परियोजना।
4. चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना (राजसहायता)।

ख. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. कम विकसित/अल्प विकसित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से संबंधित कार्यक्रम।
2. सहकारी चीनी कारखानों में शेयर पूंजी सहभागिता।
3. सहकारी कताई मिलों (उत्पादन) में शेयर पूंजी सहभागिता।

ग. चीनी विकास निधि

घ. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम प्रायोजित स्कीमें

1. मार्कफैड्स को मार्जिन मनी
2. प्राथमिक/जिला विपणन सहकारी समितियों के शेयर पूंजी आधार को मजबूत बनाना।
3. प्रसंस्करण एककों को सहायता:-
   i) चीनी
   ii) कताई मिलें
   iii) पावरलूम सहकारी समितियां
   iv) अन्य प्रसंस्करण एकक
4. भंडारगृहों/शीत भण्डारों को सहायता।
5. उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण एवं विद्यार्थी उपभोक्ता भण्डारों हेतु सहायता।
6. कृषि सेक्षाओं के लिये सहायता
7. चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना (ऋण)
8. कमजोर वर्गों को सहायता:-
   i) मात्स्यिकी
   ii) डेयरी
   iii) कुक्कुटपालन
   iv) जनजातीय सहकारी समितियां
   v) अनुसूचित जाति सहकारी समितियां
   vi) हथकरघा
   vii) नारियल जटा
   viii) रेशम कीट पालन
9. कम्प्यूटरों के लिये सहायता।
10. उपकरण वित्त पोषण स्कीम।
11. संवर्द्धनात्मक तथा विकास कार्यक्रमों के लिये सहायता।

विवरण-II

महाराष्ट्र को वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान संवितरित राशि का स्कीमवार ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	(करोड़ रुपये) 1996-97	1997-98
1	2	3	4
1.	**केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना**		
क.	सहकारी चीनी कारखानों की शेयर पूंजी में सहभागिता	8.73	32.40
ख.	फल एवं सब्जियां (खाद्य प्रंसस्करण मंत्रालय)	0.31	0.56
	1 का योग :	9.04	32.96
2.	**निगम द्वारा प्रायोजित स्कीमें**		
क)	विपणन सहकारी समितियों के शेयर पूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण	0.85	0.75
ख)	फल एवं सब्जी	3.63	0.82
ग)	अन्य प्रसंस्करण एकक	6.70	28.66
घ)	पावरलूम के लिए सहायता	7.98	11.55
ङ)	भण्डारण	2.08	—
च)	कमजोर वर्ग (मात्स्यिकी)	9.48	10.76

1	2	3	4
छ)	समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना	0.57	1.442
ज)	डेयरी एवं पशुधन	0.03	-
झ)	कुक्कुटपालन	3.76	4.22
ट)	हथकरघा	0.70	1.51
ठ)	टी एंड पी सैल	0.07	-
ड)	कंप्यूटरों के लिए सहायता	0.43	-
	2 का योग :	36.28	59.69
3.	**चीनी विकास निधि**		
	कुल योग (1+2+3)	48.95	105.13

जल विवाद

6157. **डा० रवि मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने और इस जल का समुचित आबंटन करने के लिए स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त निकाय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा

6158. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल ने 15 जून को भारत की यात्रा की थी तथा प्रधान मंत्री एवं अन्य मंत्रियों से वार्ता की थी।

(ख) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो "आस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार में भी व्यापार मंत्री से भारत के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाने के लिए नई दिल्ली में व्यापार मिशन खोलने का आग्रह किया है;

(घ) क्या पोखरन परमाणु परीक्षण के दृष्टिगत भारत पर लगाए गए प्रतिबंध का व्यापार संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और

(ङ) दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को किस सीमा तक और बेहतर बनाया जा सकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) व्यापार संबंधी कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

टनस् लिफट स्कीम

6159. **श्री मोतीलाल वोरा** : *क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने "टनस् लिफट स्कीम" को अवैध रूप से पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस मामले का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) अवैध रूप से निर्मित की गई उक्त परियोजना को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार को टौंस नदी पर वीयर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से हाल ही में प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में टौंस एवं बेलान नदियों के जल का उपयोग, नियंत्रण और वितरण से संबंधित विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केन्द्र सरकार से एक अधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

रूशीकुल्या सिंचाई परियोजना

6160. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रूशीकुल्या सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन हेतु उड़ीसा सरकार को अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस परियोजना के लिए विदेशी सहायता की मांग करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) रूशीकुल्या प्रणाली वर्ष 1891 में पूरी हुई थी। रूशीकुल्या प्रणाली का आधुनिकीकरण भी, 2.58 करोड़ रुपए की लागत से सातवीं योजना के दौरान पूरा हो गया है। रूशीकुल्या प्रणाली (फेज-II) का आधुनिकीकरण 34.72 करोड़ रुपए (संशोधन के अधीन) की अनुमानित लागत से उड़ीसा सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान शुरू किया

गया है। इस प्रणाली के कुछ घटकों को जनवरी, 1996 से विश्व बैंक सहायता प्राप्त कर रही जल संसाधन समेकन परियोजना (उड़ीसा) जिसे पहले ही शामिल किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने इस प्रणाली के लिए कोई निधियां प्रदान नहीं की है।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत कार्यक्रम

6161. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने भावी परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र के संसाधनों को उपयोग में लाने का है; और

(ख) देश में परमाणु विद्युत कार्यक्रम का तेजी से विस्तार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत सरकार परमाणु विद्युत के क्षेत्र में निजी फर्मों, भारतीय अथवा विदेशी और राज्य सरकारों की सहभागिता की कुछ विशिष्ट पेशकशों के लिए तैयार है। ऐसी पेशकशों के प्राप्त होने पर उन पर उनके तकनीकी दृष्टि से उपयोगी होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने, हमारे देश की नियामक अपेक्षाओं और इन पेशकशों से जुड़ी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जाएगा।

(ख) राजस्थान (रावतभाटा) और कर्नाटक (कैगा) में चल रही परियोजनाओं को बेहतर प्रबंधन तकनीकों और प्रोत्साहनों के जरिए यथासंभव जल्द-से-जल्द पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। परमाणु विद्युत क्षेत्र के लिए IX वीं योजना के प्रस्तावों में बजटीय सहायता के जरिए VIII वीं योजना के दौरान मिले परिव्यय से कहीं ज्यादा परिव्यय की और आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों जैसेकि बाजार से उधार लेना, आंतरिक संसाधन जुटाना, आदि के जरिए भी परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियारों का होना

6162. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पड़ोसी देशों द्वारा रखे जाने वाले परमाणु तथा अन्य हथियारों की गुणवत्ता के संबंध में तथ्य हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे देश में विकसित प्रौद्योगिकी की मात्रा तथा गुणवत्ता पड़ोसी देशों से मेल खाती है, और

(ग) यदि नहीं, तो हमारी सुरक्षा के संबंध में हमारी प्रौद्योगिकी अन्य पड़ोसी देशों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी हां। सरकार पड़ोसी देशों के नाभिकीय कार्यक्रमों तथा नाभिकीय क्षमताओं पर बारीकी से नजर रखती रही है और उनका बराबर मूल्यांकन करती रही है। पोखरण नाभिकीय परीक्षणों ने यह स्थापित कर दिया है कि भारत के पास शस्त्रयुक्त नाभिकीय कार्यक्रम के लिए प्रमाणिक क्षमता मौजूद है। सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा की प्रभावकारी ढंग से हिफाजत करने के प्रति पूर्णत: कृतसंकल्प रहती है।

सामाजिक संगठन

6163. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात और राजस्थान आदि में हाल में आए तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठन और उनके स्वयंसेवक आगे आए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह के प्रशंसनीय कार्यों को करने के लिए ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां। गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों ने भोजन के पैकेटों का वितरण करके राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने में सहायता दी है। इस बारे में राजस्थान सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा है।

(ख) राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाये। हालांकि कुछ समय पहले राहत उपायों की तैयारी करने के बारे में राज्यों को दिये गये दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों पर राहत और पुनर्वास उपायों में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के लिए जोर डाला गया था।

तूफान आपदा अवशमन समिति

6164. **श्री वैको** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट सिगनल की तटीय रेखा पर गुजरात में आपदा प्रबंध ठीक नहीं था जिसके कारण अनेक साल्ट पान कार्मिकों की मौतें हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात में तूफान आपदा अवशमन समिति गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तूफान पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पत्तन संकेत की तटीय रेखा के पास आपदा प्रबन्ध निष्प्रभावी नहीं था क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग की सूचनाओं के आधार पर पत्तन पर भारी खतरे का संकेत लगाने सहित, संबद्ध अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई की थी। समय पर कार्य किए जाने के कारण तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया एवं नमक खदान में न्यूनतम मौतें हुई।

(ख) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने तत्काल बचाव, राहत एवं पुनर्वास उपाय एवं सहायता कार्य किए जिसमें च वात से प्रभावित लोगों के क्षतिग्रस्त मकानों/झोपड़ियों एवं अन्य सामग्रियों के लिए नकद राशि का भुगतान किया जाना शामिल है। सभी अनिवार्य सेवाओं को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। आपदा के होने के तुरंत बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1998-99 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की दूसरी

त्रैमासिक किश्त, जो 29.03 करोड़ रु० आती है, को अग्रिम रूप से जारी किया गया है।

गुजरात सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के ज्ञापन के उत्तर में एक केन्द्रीय दल राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुका है एवं उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता यदि कोई हो, की निर्मुक्ति स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

"मैक्रो मैनेजमेंट"

6165. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कार्यकरण को "मैक्रो मैनेजमेंट" तक सीमित करने और शेष को संबंधित राज्यों के क्षेत्राधिकार में रखने के लिए कृषि नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कृषि संबंधी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति के मसौदे को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है और राज्य सरकारों की सलाह से इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिये जाने की आशा है।

इस नीति का उद्देश्य भूमि तथा जल संसाधनों के सतत प्रबन्ध के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्ध तथा संरक्षण करना है। इस के माध्यम से कृषि के सतत विकास को प्रोत्साहन देने के लिये प्राकृतिक संसाधनों में पर्यावरण की दृष्टि से गैर अवक्रमणीय, तकनीकी दृष्टि से दृढ़, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य सुधार को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस नीति के माध्यम से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें कृषि के प्रबन्ध के संबंध में नया एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगी तथा वृद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

6166. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने परिवार/व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ग) उक्त योजनाओं को और कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार कृषि, वानिकी, ग्रामीण विकास, उद्योग, पर्यटन, समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रकों में 215 केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास क्षेत्रक में विशिष्ट केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत पहचान किए जाने योग्य परिवार/व्यक्ति निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	आईआरडीपी 000 परिवार	जेआरवाई लाख श्रम दिवस	ईएएस लाख श्रम दिवस
1995-96	13.18	48.23	129.96
1996-97	11.47	18.36	91.64
1997-98	13.64	24.05	132.17

(ग) कार्यक्रमों को विभिन्न मंचों पर मानीटर किया जाता है। संबंधित विभाग समय-समय पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करते हैं। इसके अलावा स्कीम की प्रगति की जिला विकास बोर्ड की बैठकों में भी समीक्षा की जाती है। जिला विकास बोर्डों में भी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों सहित विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुधार किया गया है और उन्हें सुदृढ़ बनाया गया है।

[हिन्दी]

अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाना

6167. **श्री रामटहल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त सचिव तथा उससे ऊंचे स्तर के कौन-कौन से अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ायी गयी है और उनकी सेवा अवधि के विस्तार की शर्तें क्या हैं;

(ख) कितनी बार उनकी सेवाएं बढ़ाई गई;

(ग) क्या सरकार का विचार बढ़ी हुई सेवा अवधि पर कार्य कर रहे अधिकारियों को बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) दिनांक 01.01.1998 से अब तक की अवधि के दौरान, भारत सरकार में कार्यरत संयुक्त सचिव तथा उससे उच्चतर स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों का सेवाकाल उनकी अधिवर्षिता की तारीख से परे-आगे बढ़ाया गया :

(i) श्री माता प्रसाद, भारत सरकार के तत्कालीन सचिव, जल-संसाधन-मंत्रालय, का सेवाकाल 01.02.98 से 31.01.99 तक

(ii) श्री आर०एल० सुधीर, भारत सरकार के अपर सचिव, संस्कृति विभाग, का सेवाकाल 01.03.98 से 31.12.98 तक;

उपर्युक्त दोनों अधिकारियों में से श्री माता प्रसाद अपने बढ़ाए गए सेवाकाल में केवल 24.04.98 तक ही कार्यरत रहे।

(ख) उपर्युक्त अधिकारियों का सेवाकाल केवल एक बार ही बढ़ाया गया।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई योजनाओं के लिए राजसहायता

6168. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई के लिए राज्य सरकारों को राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों ने सिंचाई के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं; और

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए प्रत्येक राज्य, विशेषकर महाराष्ट्र को राजसहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) के तहत राज्यों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर.डी पी) की पद्धति के अनुसार बराबर-बराबर आधार पर सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह सब्सिडी कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों को भूमि समतलन, भू जल विकास संरचनाओं और स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई के लिए देय हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों पर उपलब्ध करायी गयी सब्सिडी एवं देश में सृजित सिंचाई क्षमता का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	वर्ष	सब्सिडी की राशि (लाख रुपये में)	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)
1.	1995-96	317.78	1889.36
2.	1996-97	402.47	1609.87
3.	1997-98	220.80	1831.35 (लक्ष्य)

वर्ष 1998-99 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिये इस कार्यक्रम के तहत उपयुक्त मदों पर दी जाने वाली सहायता इस संबंध में राज्य से प्राप्त माँग पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

नारियल उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता

6169. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार नारियल की खेती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने क्षेत्रफल भूमि पर नारियल की खेती की गई और नारियल का कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल की खेती के लिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों को दी गई वर्षवार सहायता इस प्रकार है:-

राज्य	दी गई वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
1. तमिलनाडु	152.03	126.38	138.14
2. आंध्र प्रदेश	98.61	4124.12	1295.79
3. कर्नाटक	185.93	193.54	206.63

(ग) पिछले तीन वर्षों में नारियल का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन इस प्रकार है:-

	राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्ट० में)			उत्पादन (मिलियन गिरि में)		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	86.6	90.0	91.0	1181.4	1231.3	885.9
2.	असम	17.8	18.2	19.6	117.6	140.3	118.4
3.	गोवा	24.5	24.7	24.7	118.0	119.0	119.0
4.	कर्नाटक	263.8	278.8	286.8	1360.9	1450.9	1492.5
5.	केरल	911.0	982.1	1005.5	5335.1	5908.0	5759.0
6.	महाराष्ट्र	8.2	8:2	15.1	178.6	169.2	264.5

	1	2	3	4	5	6	7
7.	उड़ीसा	42.9	47.3	53.0	234.5	246.8	271.5
8.	तमिलनाडु	298.6	322.5	328.0	4345.7	3257.6	3811.6
9.	त्रिपुरा	9.4	8.8	8.9	4.7	5.9	6.0
10.	पश्चिम बंगाल	21.6	23.2	23.7	274.4	279.4	313.1
11.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	24.4	24.4	24.7	85.4	85.4	86.6
12.	लक्षद्वीप	2.8	2.8	2.8	26.0	26.5	27.5
13.	पांडिचेरी	2.1	2.1	2.1	34.1	32.0	32.6
	अखिल भारत	1713.8.	1833.1	1885.9	13299.6	12952.3	12988.2

सरसों का उत्पादन

6170. डा० सरोजा वी० : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रतिवर्ष देश में राज्य-वार सरसों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में सरसों के तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसकी वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सरसों के कुल उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तेल की कुल उत्पादित मात्रा इस प्रकार है:-

(परिमाण लाख मी. टन में)

	1995-96	1996-97	1997-98
कुल तेल	64.12	72.64	67.30

देश में खाद्य तेलों के उपभोग के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता का हिसाब सभी तिलहनों से खाद्य तेलों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां।

घरेलू बाजार में तेल के मूल्यों में वृद्धि निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों के चलते हो रही है:-

i) विद्यमान तेल वर्ष में घरेलू तिलहन उत्पादन में मामूली कमी।

ii) इंडोनेशिया, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में एक मुख्य आपूर्तिकर्ता है, में वित्तीय अस्थिरता एवं आंतरिक गड़बड़ी जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि होना।

iii) रुपय् की तुलना में डॉलर का मूल्य बढ़ना।

(ङ) उपर्युक्त (ग) एवं (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान सरसों का राज्यवार कुल उत्पादन

('000 टन में)

राज्य/के.शा.क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	0.6	0.6	1.0
अरूणाचल प्रदेश	20.0	17.8	-
असम	143.5	140.6	155.0
बिहार	82.6	82.6	78.0
गुजरात	422.8	470.6	475.0
हरियाणा	729.0	893.0	713.0
हिमाचल प्रदेश	5.7	5.7	6.0
जम्मू व कश्मीर	41.1	41.1	2.0
कर्नाटक	1.5	1.2	2.0
मध्य प्रदेश	585.0	743.4	700.0
महाराष्ट्र	4.3	5.1	2.0
मणिपुर	0.8	0.9	-
मेघालय	4.9	4.9	-

1	2	3	4
मिजोरम	1.6	1.6	-
नागालैण्ड	6.0	6.4	-
उड़ीसा	3.9	3.3	3.0
पंजाब	130.0	109.	86.0
राजस्थान	2417.8	2653.2	2097.0
सिक्किम	4.4	4.2	-
तमिलनाडु	0.2	0.2	1.0
त्रिपुरा	6.1	4.9	-
उत्तर प्रदेश	1157.3	1466.4	1350.0
पश्चिम बंगाल	229.2	284.8	450.0
दिल्ली	1.1	0.8	-
अन्य	-	-	50.0
अखिल भारत	5999.5	6942.3	6209.0

"चीन-भारत संबंध"

6171. श्री के. नटवर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के राष्ट्रपति ने पोखरन में किए गए परमाणु विस्फोटों और भारत की नीति के बारे में दो बार आलोचनात्मक टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे प्रधान मंत्री द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति श्री क्लिंटन को लिखे गए पत्र का सीधा जवाब है; और

(ग) सरकार ने चीन भारत संबंधों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन के राष्ट्रपति ज्यांग जामिन ने निम्नलिखित अवसरों पर भारत के नाभिकीय परीक्षणों के बारे में उल्लेख किया है:-

- 3 जून, 1998 को ए एफ पी समाचार एजेन्सी के अध्यक्ष को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति जियांग जामिन ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि "भारत की दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय शक्ति बनने की बहुत समय से इच्छा रही है। इन परीक्षणों से भारत ने चीन और पाकिस्तान को लक्ष्य बनाया है। उन्होंने कहा "कि दक्षिण एशिया में तनावों के लिए भारत को ही पूरी तरह से दोषी ठहराया जाना चाहिए।"

- 17 जून को न्यूजवीक को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति जियांग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि हाल के परीक्षणों ने दक्षिण एशिया में नाभिकीय शस्त्रों की दौड़ आरंभ कर दी है।" उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल भारत ने ही दक्षिण एशिया में संकट उत्पन्न किया है। उन्होंने भारत से नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम रोक देने की मांग की और बिना शर्त नाभिकीय अप्रसार सन्धि और व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा।"

- 27 जून को अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका पर जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि "भारत और पाकिस्तान के हाल के नाभिकीय परीक्षणों और फलस्वरूप उनके बीच बढ़ते तनावों गहरी और स्थायी चिन्ता के स्रोत हैं।" संयुक्त बयान में भारत से कहा गया कि वह तुरन्त और बिनाशर्त व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का पालन करें, नाभिकीय हथियारों से सुसज्जित होने अथवा उनकी तैनाती और नाभिकीय हथियारों को वहन करने योग्य प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण और उनकी तैनाती न करें।

- अल्मा अता में आयोजित 5 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में 3 जुलाई को अपने भाषण में ज्यांग ने कहा था कि दक्षिण एशिया में तनावपूर्ण स्थिति से चीन को भारी चिन्ता है।

- राष्ट्रपति ज्यांग ने अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए हमारे प्रधान मंत्री के पत्रों का प्रत्यक्षत: कोई जिक्र नहीं किया है।

(ग) विशेषज्ञ दल, संयुक्त कार्यकारी दल के अधीन एक उप-दल की छठी बैठक 8-9 जून, 1998 को बीजिंग में हुई थी। दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच निरन्तर सम्पर्क जारी रहा है विविध क्षेत्रों आदान प्रदान हो रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार में निरन्तर प्रभावकारी प्रगति हुई है वो चालू वर्ष के प्रथम 6 माह में पिछले वर्ष की इसी अवधि से 18% अधिक है।

हम चाहते हैं कि अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन के साथ पंचशील के सिद्धान्त के आधार पर हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण सहयोगी, अच्छे पड़ोसियों जैसे और परस्पर लाभप्रद बने रहें। हम चीन के साथ अपने संबंधों को ऐसे संबंधों के रूप में देखते हैं जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे की हित-चिन्ताओं के प्रति उत्तरदायी रहें। हम बातचीत की प्रक्रिया से अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए अब भी वचनबद्ध हैं।

हानिकर जन्तुओं और कीटपतंगों का खतरा

6172. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट-पतंगों और जन्तुओं पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में फसलों के लिए हानिकर कीटपतंगों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय सरकार पौध सुरक्षा उपायों के लिए राज्य सरकारों को समेकित कृमि

प्रबन्ध पर प्रदर्शनी पौध सुरक्षा उपकरणों पर राजसहायता आदि के रूप में वित्तीय सहायता देती है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान फसल विकास स्कीमों के पौध सुरक्षा घटकों के संदर्भ में धन के राज्यवार आंबटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समेकित कृमि प्रबन्ध कार्यों से देश में कृमियों के आक्रमण को कम करने में मदद मिली है।

विवरण

1998-99 के लिए विभिन्न फसल विकास स्कीमों के पौध सुरक्षा घटकों के अंतर्गत किया गया राज्यवार आंबटन

क्र.सं.	राज्य/के.शा.क्षेत्र	आंबटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	284.24
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.8
3.	असम	62.85
4.	बिहार	140.00
5.	गोवा	7.40
6.	गुजरात	154.93
7.	हरियाणा	131.63
8.	हिमाचल प्रदेश	19.80
9.	जम्मू व कश्मीर	23.83
10.	कर्नाटक	181.14
11.	केरल	47.05
12.	मध्य प्रदेश	203.00
13.	महाराष्ट्र	338.39
14.	मणिपुर	17.20
15.	मेघालय	5.90
16.	मिजोरम	11.60
17.	नागालैण्ड	19.40
18.	उड़ीसा	129.45
19.	पंजाब	235.47
20.	राजस्थान	143.32
21.	सिक्किम	14.96
22.	तमिलनाडु	262.60
23.	त्रिपुरा	11.25
24.	उत्तर प्रदेश	291.64
25.	पश्चिम बंगाल	80.55
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	-
27.	चण्डीगढ़	-
28.	दादरा व नागर हवेली	-
29.	दमण व दीव	-
30.	दिल्ली	-
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पाण्डिचेरी	13.40

[हिन्दी]

जस्ते की कमी

6173. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत क्षेत्रों में, जहां गेहूं और चावल की खेती की जाती है, जस्ते की कमी महसूस की गई है,

(ख) क्या केन्द्र सरकार को गेहूं, मक्का आदि की खेती वाले क्षेत्रों के लिए जिंक सल्फेट के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था,

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इसे स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है,

(घ) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सूक्ष्म एवं द्वितीयक पोषक तत्व संबंधी अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में लिए गये 28477 यादृच्छिक मृदा नमूनों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से 40 प्रतिशत में जिंक की कमी है। जिंक सभी फसलों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने रेजीडेण्ट कमिश्नर और नई दिल्ली स्थित प्रधान सचिव के माध्यम से अगस्त, 1997 में जिंक आयरन, कैल्सियम और सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों पर राजसहायता के लिए अनुरोध किया था। कोई स्वीकृति नहीं दी जा सकी क्योंकि सहायता दिये जाने वाली स्कीम जो 1994 के पहले चल रही थी बन्द कर दी गयी थी क्योंकि किसान फसल उत्पादन में जिंक का आमतौर से प्रयोग करने लग गये थे।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खरीफ फसल का उत्पादन

6174. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वित्त वर्ष के दौरान खरीफ की फसल का उत्पादन करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अनुकूल मौसम के मद्देनजर कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है,

(ग) सरकार द्वारा किस क्षेत्र को सहायता अनुदान दिया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी गई, और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कि यह अनुदान वास्तविक रूप से किसानों को मिले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) फसलों के उत्पादन के लक्ष्य योजना आयोग कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श करके निर्धारित करता है। खरीफ मौसम 1998/99 के लिए कृषि मंत्रालय ने निम्नलिखित लक्ष्यों का प्रस्ताव किया है:-

फसल	लक्ष्य (मीलियन टन/मीलियन गांठे)
चावल	73.20
ज्वार	7.00
बाजरा	7.00
रागी	2.50
अन्य कदन्न	0.80
मक्का	10.50
दलहन	6.10
जूट व मेस्ता	9.75
कपास	14.80
गन्ना	300.00

उपर्युक्त लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को दिए गए अनुदान की राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(घ) यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वह योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें और यह सुनिश्चित करें की लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। आवधिक प्रगति रिपोर्टों, क्षेत्रीय दौरों, खरीफ/रबी सम्मेलनों में होने वाले विचार विमर्शों और क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय बैठकों के माध्यम से "योजना कार्यक्रमों" की सतत मानीटरिंग करने की केन्द्र सरकार के पास नियमित व्यवस्था है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	प्रमुख कार्यक्रम	राज्य सरकारों को दिया गया सहायता अनुदान		
		1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	फसल	114.47	102.45	107.29
2.	तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन	146.86	147.52	142.85
3.	वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली	117.83	111.40	116.00
4.	उर्वरक	7.47	8.87	3.41
5.	बीज	2.26	25.79	1.87
6.	पौध संरक्षण	3.68	3.63	0.80
7.	मशीनरी	5.98	16.70	16.63
8.	विस्तार	1.32	0.98	1.21
9.	मृदा एवं जल संरक्षण	63.94	66.87	73.41
10.	बागवानी	107.20	145.63	143.31
11.	ऋण	4.24	6.26	3.52
12.	सहकारिता	0.98	0.60	0.56
13.	अर्थ एवं सांख्यकी	10.09	10.85	11.61
14.	संगणना	1.40	4.53	1.83
	योग	587.72	652.08	624.30

[अनुवाद]

अस्थियां

6175. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों में मरने वाले अनिवासी भारतीयों की अस्थियां प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का अनुभव होता है; और

(ख) यदि हां, तो बिना किसी देरी के अस्थियां लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाड़ी देशों में प्रचलित रिवाज के अनुसार मृत भारतीय राष्ट्रिकों के

शवों को रोजगार संविदाओं में उल्लिखित बाध्यताओं के अनुसार विदेशी नियोक्ताओं/प्रयोजकों के खर्च पर भारत भेजा जाता है।

शवों को भारत भेजने में विलम्ब कठोर स्थानीय क्रियाविधियों के अनुपालन की आवश्यकता की वजह से होती है। स्वाभाविक मृत्यु के मामलों में मृत व्यक्ति के शव को भारत लाने में छह सप्ताह तक लग सकते हैं। दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या आदि के मामलों में विलम्ब और अधिक हो सकता है क्योंकि पुलिस जांच स्थानीय प्राधिकारियों की एक पूर्व अपेक्षा है और जब तक यह पूरी नहीं होती है तक तक स्थानीय जिला गवर्नर का अनुमोदन, संगत दस्तावेजों आदि का सत्यापन नहीं कराया जा सकता है। किसी भारतीय राष्ट्रिक की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्र परिवार के सदस्यों और नियोक्ता/प्रयोजक से सम्पर्क करता है ताकि कार्यविधिक अनुमोदन शीघ्र प्राप्त किया जा सके और मृतक के शव को भारत भेजा जा सके।

फलों तथा सब्जियों का विकास

6176. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फलों और सब्जियों के विकास की बड़ी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता आबंटित की जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय योजना का ब्यौरा क्या तथा गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि आंबटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) जी हां। सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सहित देश में फलों एवं सब्जियों के विकास के लिये अलग-अलग स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत क्वालिटी रोपण सामग्री के वितरण क्षेत्र विस्तार बेकार फलोद्यानों के पुनरुद्धार, किसानों के प्रशिक्षण एवं प्रचार उपायों के लिये सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार "सब्जी बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में आधारी बीज के उत्पादन, निजी क्षेत्र में संकर बीज उत्पादन यूनिटों की स्थापना तथा मिनिकिटों के विवरण के लिये सहायता दी जा रही है। उड़ीसा सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फलों के विकास तथा सब्जियों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	वर्ष	उड़ीसा सरकार को आबंटित कुल धनराशि	
		फल	सब्जियां
1.	1995-96	73.03	9.50
2.	1996-97	83.83	8.90
3.	1997-98	327.70	11.03

प्रक्षेपास्त्र का विकास

6177. डा०टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु कवच प्रदान किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्र के विकास में खुले तौर पर सहायता कर रहा है;

(ग) क्या चीन म्यानमार सरकार की भी सहायता कर रहा है;

(घ) क्या अंततः चीन पड़ोसी देशों को सहायता देकर भारत को घेर रहा है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए गए हैं;

(च) क्या विशेषज्ञों के अनुसार भारत को चीन की परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमता की बराबरी करनी होगी; और

(छ) यदि हां, तो सरकार किस हद तक चीन की तुलना में अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी में सुधार लाने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार को चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग की जानकारी है। तथापि हमने चीन द्वारा किया गया ऐसा कोई सरकारी वक्तव्य अभी तक नहीं देखा है जिसमें पाकिस्तान के साथ उनके रक्षा सहयोग में पाकिस्तान को किसी नाभिकीय छत्र का प्रावधान शामिल हो।

(ख) सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान को विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों तथा प्रौद्योगिकी का अन्तरण किए जाने की भी जानकारी है।

(ग) सरकार को रक्षा के क्षेत्र में म्यांमार को चीन द्वारा प्रदान की गई व्यापक सहायता की जानकारी है।

(घ) से (छ) सरकार हमारे पड़ोसी देशों मे बाहरी ताकतों द्वारा नकारात्मक गतिविधियों सहित भारत के सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है और उनका मूल्यांकन कर रही है। नाभिकीय क्षेत्र में, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हांलाकि वह नाभिकीय शस्त्रों की दौड़ में शमिल नहीं होगा तथापि यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास न्यूनतम नाभिकीय निवारक क्षमता मौजूद रहे। सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा की प्रभावपूर्ण ढंग से हिफाजत करने के प्रति पूर्णरूप से कटिबद्ध रहती है।

अभियांत्रिकी सेवा

6178. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभियंताओं के वेतन तथा पदस्थिति में सुधार करके इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समकक्ष लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विशेषज्ञ-निकाय के रूप में पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने भारत-सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं से संबंधित सेवा-शर्तों का अध्ययन किया था। उपर्युक्त आयोग ने इंजीनियरों का दरजा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बराबर किए जाने की सिफारिश नहीं की।

बागवानी उत्पादन

6179. **श्री माधव राव पाटील :**
डा० रवि मल्लू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी का विकास करने हेतु पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई विशेष बजटीय आंबटन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आंबटन पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या बजट आंबटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए कोई पायलट परियोजना सरकार के विचाराधीन है, और

(च) कब तक परियोजना पूरी कर ली जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) बागवानी विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की चालू स्कीमें राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं एवं क्षेत्र-विशेष की न होकर उत्पादनोन्मुखी होती है। तथापि, नौवीं योजना के दौरान, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी विकास पर अधिक ध्यान देने के लिए जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी के समेकित विकास के लिए एक पाइलट परियोजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 5.00 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है।

उड़ीसा को विश्व बैंक से सहायता

6180. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विश्व बैंक से वित्तपोषित कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) इसमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और उनके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है;

(ग) क्या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा इस परियोजनाओं का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जनवरी, 1996 से 270.57 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता से उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के सितम्बर, 2002 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) जल संसाधन-मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग इस परियोजना की प्रगति को वर्ष में दो बार समीक्षा करता है। मार्च, 1998 तक, 33% समय बीत जाने पर भी 385.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह राशि कुल व्यय का लगभग 42% बैठती है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

6181. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए महाराष्ट्र राज्य में और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रत्येक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में नया पासपोर्ट जारी करने और पासपोर्ट नवीकरण करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई, थाणे, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद शहरों में पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सग्रंहण केन्द्र कार्यकर रहे हैं। पूणे का पासपोर्ट कार्यालय और औरंगाबाद का पासपोर्ट सग्रंहण केन्द्र जुलाई 1998 में खोला गया है। महाराष्ट्र राज्य में कोई अन्य पासपोर्ट कार्यालय या सग्रंहण केन्द्र खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस समय इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पासपोर्ट कार्यालयों में नए पासपोर्ट जारी करने/नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है:-

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई

1995	223397	44579
1996	241763	35086
1997	278507	38570

2. पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर

1995	9510	3220
1996	12107	1726
1997	14171	1618

3. पासपोर्ट कार्यालय, थाणे (1997 में खोला गया)

1997	8491	158

(घ) सामान्यत: पासपोर्ट 45 दिनों की अवधि के भीतर जारी कर दिए जाते हैं। जहां कहीं देरी होती है, वहां पुलिस प्राधिकारियों से नकारात्मक या अधूरी रिपोर्ट प्राप्त होना, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में विशेष रूप से डाक द्वारा प्राप्त आवेदनपत्रों में विसंगातियों का पाया जाना, जिनसे अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है उनसे उत्तर न मिलना, आदि इसके प्रमुख कारण होते हैं।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में पासपोर्ट कार्यालयों में लम्बित पड़े आवेदनपत्रों का पिछला बकाया अपेक्षाकृत कम है। पासपोर्ट आवेदन पत्रों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों में ये बाते शामिल है; क्रियाविधियों की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण, पासपोर्ट जारी करने और पुलिस प्रधिकारियों के बीच बेहतर समन्वयन, पासपोर्ट की वैधता को 20 वर्ष तक बढ़ाना, जहाँ व्यावहारिक हो वहां पासपोर्ट को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने की व्यवस्था करना, लम्बित मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था इत्यादि।

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

6182. श्री सी०एच० विद्यासागर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की मंजूरी न मिलने के कारण इंचामपल्ली, श्रीसेलम, लेफट केनाल, श्रीराम सागर और अन्य परियोजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रद्द की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालना पर निर्भर करता है।

पवन ऊर्जा वाली विद्युत परियोजनाएं

6183. श्री सी०पी० राधाकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना भविष्य में पवन ऊर्जा वाली विद्युत परियोजनाओं को आधारभूत दर्जा देने की है;

(ख) यदि हां, तो कब से इसे प्रभावी किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं पहले से ही आधारभूत सुविधा की श्रेणी में आती हैं जिसके लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान हैं;

[हिन्दी]

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय मछुआरे

6184. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय मछुआरे कई वर्षों से पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह समझा जाता है कि गुजरात और दमन एवं दीयू के 254 भारतीय मछुआरे/कर्मीदल के सदस्य पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(ग) सरकार इनकी रिहाई/प्रत्यावर्तन से संबंधित मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ जोर-शोर से उठाती रही है। मछुआरों की शीघ्र रिहाई/प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से पाकिस्तान को यह सूचित किया गया है कि जून, 1997 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान हुई सहमति के अनुसार सरकार एक दूसरे की हिरासत में रह रहे मछुआरों की पुष्टि/जांच करने पर तत्काल विचार-विमर्श करने को तैयार हैं। कई अनुरोधों के बावजूद पाकिस्तानी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

भारतीय पशुचिकित्सा एवं मत्स्य अनुसंधान परिषद्

6185. श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की भांति भारतीय पशुचिकित्सा एवं मत्स्य अनुसंधान परिषद् स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो पशुचिकित्सा एवं मत्स्य के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) बहुत से सूत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर भारतीय पशुचिकित्सा एवं मात्स्यिकी अनुसंधान परिषद् की स्थापना के प्रस्ताव को शुरू किया गया था। इस बीच पांचवें वेतन आयोग ने दूसरी बातों के अलावा, यह सिफारिश की कि पशुपालन और डेयरी विभाग को कृषि

और सहकारिता विभाग में मिला दिया जाए। अत: पशुपालन और डेयरी विभाग को कृषि और सहकारिता विभाग में मिलाने संबंधी मामले के तय हो जो के बाद ही भारतीय पशुचिकित्सा एवं मात्स्यिकी अनुसंधान परिषद् की स्थापना के किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

जब्त किए गए ट्रालर्स

6186. श्री एस०एस० ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जब्त किए गए पंजीकृत भारतीय ट्रालर्स की संख्या कितनी है तथा उन्हें जब्त करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जब्त किए गए इन भारतीय ट्रालर्स के चालक दल के सदस्यों को छोड़ दिया गया है किन्तु अभी तक उनके ट्रालर्स को नहीं छोड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ट्रालर्स को वापस प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन

6187. डा० उल्हास वासुदेव पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके बाजार हस्तक्षेप अभियान में काफी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुम्बई स्थित पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय फिलहाल कार्य नहीं कर रहा है और उक्त बोर्ड द्वारा इस कार्यालय के भवन निर्माण पर किए गए निवेश का इस बोर्ड के उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार के पास राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बाजार हस्तक्षेप अभियान जिसे 31 मार्च, 1994 को बंद कर दिया गया था, में 273.49 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

(घ) बाजार हस्तक्षेप अभियान में निम्नलिखित कारणों से घाटा हुआ:-

1. स्टॉक में अधिक सामान रखना तथा उनके बाजार मूल्यों में गिरावट;
2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 15 प्रतिशत ब्याज दर की तुलना में जो इस प्रयोजन के लिए मांगे गए ऋण पर लिया जाना था, अधिक ब्याज दर (19 प्रतिशत) की अदायगी;
3. धारा के खुदरा विपणन के कारण घाटा;
4. एस.टी.सी. द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को आयातित तेल की 15,000 रुपए प्रति टन से अधिक की दर पर आपूर्ति, जिसका अनुमोदन मूल रूप से किया गया था।

(ङ) यह कहना ठीक नहीं है कि मुम्बई स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय काम नहीं कर रहा है। इस समय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा इसकी सहायक/प्रबंधन एककों के 75 कर्मचारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मुम्बई में काम कर रहे हैं जिसमें से 51 कर्मचारी इसके परिसर में ही रहते है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मुम्बई कार्यालय समन्वय का काम कर रहा है तथा महाराष्ट्र और गोवा में डेयरी एवं तेल परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रख रहा है।

रोजगारोन्मुखी योजना

6188. श्री टी० गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेराजगार और शिक्षित युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी योजनाओं की घोषणा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र में इस बात को परिकल्पना की गई है कि "प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) जैसे कार्यक्रमों की कवरेज का शिक्षित बेराजगारों के लिए नए स्व-रोजगार अवसरों का सृजन करके विस्तार किया जाएगा।"

निलंबित अधिकारी

6189. डा० रवि मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार आई०पी०एस० और आई०ए०एस० व दूसरी केन्द्रीय सेवाओं के कितने अधिकारी निलंबित किए गए; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी थे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I तथा उससे ऊपर के स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को निलम्बित किया जो केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत हैं/थे :-

वर्ष	निलम्बित किए गए अधिकारियों की संख्या		
	भारतीय प्रशासनिक सेवा x	भारतीय पुलिस सेवा x	केन्द्रीय सचिवालय सेवा #
1995	शून्य	शून्य	2
1996	3	शून्य	2
1997	1	शून्य	1

x संबधित राज्य-सरकार ही अपने अधीन कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को निलम्बित करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी है। इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिवाय अन्य केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में, यह मंत्रालय, अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है। अन्य केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) निलम्बन जैसे अनुशासनिक मामलों में यह कोई संगत पहलू नहीं है, अत: इससे संबधित सूचना, इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

6190. श्री मोतीलाल वोरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसी मामले का निर्णय हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण मामले का अंतिम निर्णय केवल अंग्रेजी में लिखने के लिए प्राधिकृत है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने, केन्द्र सरकार को, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपनाई जा रही प्रणाली के अनुरूप अंतिम निर्णय हिन्दी या अंग्रेजी में दिए जाने के विकल्प प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 में संशोधन किए जाने के बारे में उक्त राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिलने पर ही केन्द्र-सरकार उसकी जाँच-पड़ताल कर सकती है। उपर्युक्त मामले में माननीय सदस्य महोदय से मिला एक पत्र, मध्य प्रदेश-सरकार को पहले ही भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर शिक्षा

6191. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'माइक्रोसॉफ्ट' ने देश में सॉफ्टवेयर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 'माइक्रोसॉफ्ट' पांच वर्षों के भीतर प्रत्येक राज्य से नीतिगत समझौते करने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इसका प्रमुख उद्देश्य सॉफ्टवेयर शिक्षा में सुधार करना है; और

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में माइक्रोसॉफ्ट शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

6192. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को एक बहुसदस्यीय निकाय बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने "हवाला नाम से चर्चित मामले" में अपने दिनांक दिसम्बर 18, 1997 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ, यह निदेश दिया कि केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सांविधिक दरजा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक विधायी प्रस्ताव, जिस पर अभी कार्य चल रहा है, तैयार करते समय आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय बनाने के प्रश्न पर ध्यान दिया जाएगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाए गए मामले

6193. श्री सत्यपाल जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों और आई०ए०एस० और आई० पी०एस० अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कितने मामले चलाए गए;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, मामलों का स्वरूप और चरण क्या हैं;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामलों में अपील/समीक्षा किया है; और

(घ) तत्संबंधी परिणाम क्या रहे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा वर्ष, 1993 से 1998 (30.06.1998 तक) के दौरान, भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में, ऐसे 42 व्यक्तियों, जो केन्द्रीय मंत्री थे अथवा रहे थे, ऐसे 18 व्यक्तियों जो मुख्य मंत्री थे अथवा रहे थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 69 अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित मामले/आरम्भिक जाँच के कुल 141 मामले दर्ज किए गए। इन 141 मामलों में से 58 मामलों में जाँच पूरी कर ली गई है और 83 मामलों में अभी जाँच चल रही है।

(ग) और (घ) पाँच मामलों में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने विचारण-न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिका दायर की। इसमें से दो मामलों में, पुनरीक्षण याचिका/अपील संबंधी मामले में निर्णय अभियोजन के पक्ष में दिया गया; इनमें से तीन मामलों में निर्णय अभियोजन के विरुद्ध दिया गया।

कार्य बल का गठन

6194. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1998 में भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के पश्चात् के परिदृश्य पर विचार करने हेतु लंदन में जून में जी-8 द्वारा आयोजित सभा में दोनों के विरुद्ध निंदात्मक विज्ञप्ति जारी की गई तथा उनके परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक कृतक दल का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार ने कहा है कि जी-8 के वक्तव्य में भारत सरकार द्वारा की गई रचनात्मक सद्भावना कार्यवाही को नजर अन्दाज किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नाभिकीय परीक्षण पर अपनी ओर से रोक लगाए रखना, इस वचन के विधिवत् औपचारिकीकरण के लिए तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए हमारी इच्छा, जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एफ एम सी टी से सम्बद्ध वार्ता में शामिल होने की तत्परता और नाभिकीय शस्त्रों से सम्बद्ध सामान और प्रौद्योकियों पर कड़े निर्यात नियंत्रण रखना और उन्हें और कड़ा बनाना शामिल है। भारत अब भी व्यापक आधार और स्थायी द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण, संबंध की रूपरेखा तैयार करने के लिए बचनबद्ध है। इससे आपसी लाभप्रद सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से अनुसलझे मतभेदों को दूर करने के तौर-तरीके उपलब्ध होते हैं। इसमें पहले प्रयोग न करने की सहमति के लिए हमारे प्रस्ताव जैसे विश्वासोत्पादक उपायों पर विचार करना भी शामिल होगा। बातचीत की इस प्रक्रिया में किसी भी रूप में तीसरे पक्ष की भागीदारी की कोई गुंजाइश नहीं है। इन सद्भावना कार्यों में सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण और शस्त्र अप्रसार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा और क्षेत्र में शान्ति तथा स्थायित्व संवर्धन करने के हमारे समर्पण भाव प्रतिलक्षित होते हैं। यह खेद की बात है कि जी-8 विदेश मंत्रियों की संयुक्त विज्ञप्ति में इन प्रस्तावों को ध्यान में नहीं रखा गया है लेकिन इनके स्थान पर दबाव की भाषा में व्यक्त अव्यावहारिक सुझाव दोहराए गए हैं।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

6195. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं के विस्तार नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी तथा इन पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु पंचवर्षीय योजना में अनुमानित कितनी धनराशि निर्धारित है तथा वर्ष 1998-99 के वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर कितना अनुमानित व्यय होगा; और

(घ) इन परियोजनाओं में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल संसाधन समेकन परियोजना के तहत संलग्न विवरण के अनुसार अपनी 26 विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं पर सुधार प्रणाली शुरू की है। इस परियोजना में 1409.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने की परिकल्पना है। राज्य ने इस प्रयोजन के लिए नौवीं योजना के दौरान 1216.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गत तीन वर्षों के दौरान किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	व्यय (करोड़ रु०)
1995-96	58.39
1996-97	119.31
1997-98	253.50 (प्रत्याशित)

चालू वर्ष 1998-99 के लिए बजट प्रावधान का ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

सिंचाई परियोजनाओं की सुधार प्रणालियों के नाम

1. महानदी डेल्टा चरण I (केन्द्रपारा नहर)
2. महानदी डेल्टा चरण II (साखीगोपात और पुरी नहर)
3. रुशीकुल्या प्रणाली (मुख्य और दसवीं वितरणी)
4. बैंतरणी प्रणाली (एच एल सी रेंज III)
5. हीराकुड बाँध
6. आनीबिली अनिकट (50,925 हेक्टेयर)

7. दादराघाटी
8. पीतामहल
9. अनली
10. कालो
11. बलदिहा
12. जयमंगल
13. हीराधरबाती
14. घोदाहारा
15. पीलासालकी
16. भसकेल
17. उट्टे
18. बुद्धाबुद्धानी
19. रुशीकुल्या प्रणाली
(वितरणी सं. 2, 11, 12, 13 व 14)
20. धने
21. सलिया
22. डेरजांग
23. हीराकुड प्रणाली
(परमपुर और रेशम शाखा)
24. महानदी डेल्टा चरण-I
(करनदिया और पुनडाल शाखा)
25. सालन्दी प्रणाली
(चरम्पा शाखा)
26. महानदी डेल्टा चरण-II
(गोप और फुलनाखारा शाखा)

जम्मू-कश्मीर में सिंचाई परियोजनाएं

6196. **श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जम्मू-कश्मीर में कुछ सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस प्रयोजन हेतु कोई धनराशि निर्धारित और जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नौंवी पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अभी स्वीकृत होनी है। तथापि, सिंचाई राज्य का विषय है तथा मुख्य रूप से सभी सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्यों का है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वर्णरेखा, बहुउद्देशीय परियोजना

6197. **श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णरेखा, बहुउद्देशीय परियोजना को पूरा न होने के कारण बहुत से गांव जलमग्न हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 से आज की तारीख तक प्रभावित गांवों का ब्यौरा क्या है और कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति की क्षति हुई है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

6198. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का उत्पादन विगत दो वर्षों की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में स्थानवार और राज्यवार कितने फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग कार्य कर रहे हैं;

(घ) इन उद्योगों की अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ङ) देश में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के उत्पादन में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 1991 में जहां यह 3.60 लाख टन था वहां 1996 तक बढ़कर 9.60 लाख टन हो गया। लेकिन वर्ष 1997 में इनका उत्पादन घटकर 9.10 लाख टन रह गया है।

(ग) और (घ) 1.1.1998 तक फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत 4932 यूनिटें लाइसेंस प्राप्त हैं। उनका राज्यवार वितरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 1.1.1998 को इन सभी यूनिटों की फल तथा सब्जी प्रसंस्करण करने की स्थापित क्षमता 20.4 लाख टन थी।

(ङ) फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नीतिगत समर्थन तथा वित्तीय सहायता देता है और अन्य संवर्धनात्मक उपाय करता है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1.1.1998 की स्थिति के अनुसार 1997 तक संशोधित फल उत्पाद आदेश के तहत लाइसेंस शुदा फल और सब्जी यूनिटों का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	फल तथा सब्जी यूनिटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	300
2.	असम	25
3.	बिहार	58
4.	गुजरात	260
5.	हरियाणा	151
6.	हिमाचल प्रदेश	90
7.	जम्मू एवं कश्मीर	83
8.	कर्नाटक	253
9.	केरल	387
10.	मध्य प्रदेश	104
11.	महाराष्ट्र	934
12.	मेघालय	14
13.	मणिपुर	9
14.	नागालैण्ड	5
15.	उड़ीसा	43
16.	पंजाब	309
17.	राजस्थान	110
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडु	452
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	494
22.	पश्चिम बंगाल	298
23.	अण्डमान व निकोबार	3
24.	अरूणाचल प्रदेश	3
25.	चण्डीगढ़	54
26.	दादर एवं नगर हवेली	7
27.	दिल्ली	302
28.	गोवा दमण-द्वीव	160
29.	मिजोरम	3
30.	पाण्डिचेरी	14
	कुल	4932

विवरण-II

अनेक सरकारी निकाय हैं जो फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के विकास के लिए स्कीमें और सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट योजना स्कीमें चलाता है:

(i) खाद्य प्रसंस्करण तथा खुम्बी, हॉप्स, गार्किन्स तथा बेबीकार्न की एकीकृत परियोजनाओं के लिए फसलोत्तर बुनियादी सुविधा तथा कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना।

(ii) खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा (खाद्य पार्कों) की स्थापना।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना

(v) कच्चे माल के स्रोतों के साथ बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करना।

(vi) आइ.एस.ओ. 9000 तथा एच ए सी सी पी समेत संम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। विश्लेषणात्मक तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इस क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलाता है:

i. बागवानी फसलों की फसलोत्तर बुनियादी सुविधा के प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना।

ii. आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था द्वारा बागवानी उत्पाद के विपणन का विकास।

इसी तरह वाणिज्य मंत्रालय का कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अन्यों के साथ निम्नलिखत योजना स्कीमें चलाता है:

i) गुणवत्ता और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सहायता संबंधी स्कीम।

ii) पैकेजिंग विकास संबंधी स्कीम।

iii) विमान द्वारा बागवानी निर्यातों की ढुलाई को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम।

iv) निर्यात संवर्धन तथा विपणन विकास संबंधी स्कीम।

v) बुनियादी सुविधा के विकास संबंधी स्कीम।

कृषि मंत्रालय का राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम फल और सब्जी सहकारिताओं द्वारा फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी सुविधा की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता देता है ताकि वे कृषि उत्पाद का विपणन और प्रसंस्करण कर सकें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हाल में निम्नलिखित पहल किए हैं:

1. कम ऊर्जा वाले कूल चैम्बर्स

खेतों में फल तथा सब्जी की बरबादी को कम करने के लिए मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित कम ऊर्जा वाले कूल चैम्बरों की प्रौद्योगिकी के प्रसार के उपाय शुरू किए हैं। इन कूल चैम्बरों में बहुत कम ऊर्जा लगती है और इन्हें कम लागत पर बनाया जा सकता है। प्रस्ताव है कि बड़े पैमाने पर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस प्रौद्योगिकी के प्रसार और उसे अपनाने के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण दिया जाए।

2. चलती फिरती प्रसंस्करण यूनिटें

मंत्रालय चलती फिरती यूनिटों की अवधारणा पर उनकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से विचार कर रहा है। इस समय एक ऐसी यूनिट कर्नाटक राज्य में परीक्षण के तौर पर काम कर रही है। अगर तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हुआ तो अन्य राज्यों द्वारा इसे अपनाने के लिए मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ावा दिया जाएगा।

3. फ्रूट फ्लाई को नष्ट करने के लिए वैपर हीट ट्रीटमैंट

"एपीडा" ने फ्रूट फ्लाई को नष्ट करने के लिए वैपर हीट ट्रीटमैंट हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के सहयोग से एक परियोजना शुरू की है। आमों पर किए गए शुरूआती परीक्षण सफल रहे हैं और अनार, सेब, पपीता, कीनू और अमरूद जैसे अन्य फलों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। यह परियोजना फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्व रखती है।

4. ताजे आमों के निर्यात को बढ़ावा देना

"एपीडा" ने यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में निर्यात के लिए आम की नियंत्रित एटमॉसफियर कंटेनरों में जहाज द्वारा ढुलाई और फसलोत्तर रखरखाव के वास्ते निर्यातकों तथा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से एक परियोजना शुरू की है। यह परीक्षण ताजे आमों की शेल्फ लाईफ को बढ़ाने में बहुत सफल रहा है।

5. खुम्बी, गार्किन्स और पेसन फल को बढ़ावा देना

मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर मूलत: निर्यात के लिए खुम्बी और गार्किन्स के प्रसंस्करण की परियोजनाओं को सहायता दी है। हाल ही में मंत्रालय ने मिजोरम में पेसन फूट से सांद्रण तैयार करने संबंधी परियोजना को भी सहायता दी है। इस फल का रस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक कीमत पर बिकता है।

6. गुणवत्ता उन्नयन

डब्ल्यू टी ओ के तहत सैनेटरी और फाइटो सैनेटरी उपायों संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। मंत्रालय इन मानकों की स्थापना के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के कार्यों में सक्रिय सहयोग देकर और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर में एक कोडेक्स प्रयोगशाला की स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण और विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए तथा हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट की शुरूआत के लिए पहले से सक्रिय रूप से भूमिका अदा कर रहा है। इन कार्यों से हमारे खाद्य उत्पादों जिनमें प्रसंस्कृत फल और सब्जी शामिल हैं, की गुणवत्ता बढ़ेगी और वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बिक सकेंगे और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेंगे।

कपास अनुसंधान केन्द्र

6199. डा० सरोजा वी० : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में एक कपास अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. देश में विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए अधिक उपज वाली और कीटव्याधि के प्रति सहिष्णु किस्मों/संकरों का विकास किया गया है।

2. उन्नत और आर्थिक दृष्टि से सक्षम उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है।

3. उत्पादकता में आई बाधाओं को दूर करने के लिए अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

4. देश में विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों के लिए कम लागत वाली समेकित नाशीकीट प्रबंध सूची का विकास किया गया है।

5. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में सघन कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए क्षेत्र प्रदर्शनों, किसानों को प्रशिक्षण तथा महत्वपूर्ण निवेश जैसे बीज, पौधे सुरक्षा उपकरण और स्प्रिंकलर आदि के द्वारा सहायता दी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नौवीं योजना में कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान

6200. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कासरगोड़, केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान (सी०पी०सी०आर०आई०) ने नारियल के पेड़ों में रुटविल्ट बीमारी के संबंध में गहन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को समाप्त करने के लिए कोई उपाय ढूंढ निकाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) खोजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस रोग के उन्मूलन में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, इस रोग के नियंत्रण के लिए निम्न उपाय सुझाए गए हैं:-

अत्यधिक संक्रमित बगीचों में नारियल के वृक्ष के उन्मूलन की सिफारिश की जाती है। सामान्य रूप से संक्रमित बगीचों में प्रबंध क्रियाएं जैसे संतुलित पोषण और कीटनाशक रसायनों के प्रोफाइलेक्टिक छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। सहिष्णु प्रजातियों को विकसित करने के लिए प्रजनन कार्यक्रम भी चल रहे हैं जिसके लिए रोगों से शीघ्र प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से क्षेत्र प्रतिरोधी जनकों को पहचाना गया है।

विवरण

नारियल का जड़-गलन रोग घातक नहीं हैं लेकिन कमजोर कर देने वाला रोग है। इसमें पत्तियां असामान्य रूप से मुरझा जाती है अथवा मुड़ जाती है। पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना और पत्तियों के किनारे सूखना इस रोग के अन्य लक्षण हैं। यह रोग केरल के आठ समीपवर्ती दक्षिण जिलों जैसे त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, पठानमथिट्ठा, अल्लेपी, इडुकी, कोट्टायम, एर्णाकुलम और त्रिचूर और उत्तरी जिलों के एकाकी क्षेत्रों में मौजूद है।

सी.पी.सी.आर.आई. द्वारा किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि रोगग्रस्त नारियल के वृक्षों के ऊतकों में फाइटोप्लाज्म पाया गया जिसे पहले माइकोप्लाज्मा जैसे जीवों (एम एल ओ) के रूप में पहचाना गया था और रोग-रहित नारियल के वृक्षों में यह पूरी तरह अनुपस्थित थे। फाइटोप्लाज्मा से संबधित हेतु-विज्ञान के लिए कीट-प्रतिरोधी दशाओं में रोग का संक्रमण कराया गया और आक्सीटेट्रीसाईक्लिन का टीका लगाने के बाद आंशिक रूप से रोग के लक्षण समाप्त हो गए। परीक्षणों से पता चला कि जिन नारियल के पेड़ों में रोग अधिक बढ़ जाता है उनपर किसी भी तरह की प्रबंध क्रियाओं का बहुत कम प्रभाव होता है। सभी संक्रमित नारियल के कम आयु के वृक्षों तथा अधिक आयु वाले वृक्षों में से रोगग्रस्त नारियलों को अलग कर देने की सिफारिश इस रोग की रोकथाम के लिए की गई है। जड़ (मुर्झान) से प्रभावित नारियल के बगीचों में बहु-फसली और मिश्रित खेती प्रणालियों के अपनाने से रोग प्रभावित नारियलों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

इस रोग को कम करने में पादप-पोषक तत्वों के महत्व को पहचाना जा चुका है। अध्ययनों के आधार पर सी.पी.सी.आर.आई. ने जिस संतुलित खुराक की सिफारिश की है वह है प्रतिवर्ष प्रतिवृक्ष 500 ग्रा.ना., 300 ग्रा फास्फोरस, 1000 ग्रा. पोटाश और 500 ग्रा. मैग्निशियम। इस खुराक से जड़ (मुर्झान) रोग से प्रभावित क्षेत्रों में नारियलों की उत्पादकता पूर्ववत रखी जा सकती है।

गुजरात में चक्रवात से पीड़ित लोगों के लिए अतिरिक्त सहायता

6201. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :**
श्रीमती सूर्यकांता पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में चक्रवात की स्थिति को शांत करने हेतु किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है।

(ख) गुजरात सरकार को स्थिति से निपटने हेतु कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है,

(ग) क्या गुजरात सरकार तथा राज्य के संसद सदस्यों द्वारा केन्द्र सरकार से इस उद्देश्य हेतु राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है,

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि जारी कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने उक्त जिलों में मवेशियों हेतु चारे तथा पेय जल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय निधि से कोई प्रावधान किया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) आपदा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना प्रथमत: राज्य सरकार का दायित्व है। बहरहाल, प्रभावित क्षेत्रों में, जिनमें सौराष्ट्र भी शमिल हैं, राहत कार्यों में तेजी लाने के लिये आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की वर्ष 1998-99 की 29.03 करोड़ रुपये की दूसरी त्रैमासिक किस्त आपदा आने के तुरन्त बाद गुजरात राज्य को अग्रिम तौर पर जारी कर दी गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 610.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के अनुरोध से संबंधित ज्ञापन प्राप्त होने पर एक अंर्तमंत्रालयी दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा पहले ही कर चुका है। और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से अतिरिक्त सहायता, यदि कोई हो, जारी करने पर विचार किया जाएगा।

(छ) और (ज) गुजरात के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों हेतु खुरपका तथा मुंहपका रोग कार्यक्रम के लिये 30.00 लाख रुपये राष्ट्रीय मेंढा/मृग उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 24.20 लाख रुपये की धनराशि जारी की गयी है। इसी प्रकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के लिये केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक गुजरात सरकार को 1389.00 लाख रुपये जारी किये गये है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये भी वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य को 315.00 लाख रुपये आबंटित किये गये है।

मछुआरों को सहायता

6202. **श्री वैको** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रामेश्वरम तटीय सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण जान-माल की कितनी क्षति होने का पता चला है,

(ख) क्या मछुआरे मानसून के शिकार हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मछुआरों का उत्थान करने और मछुआरों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है जिसके प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जायेगी।

[हिन्दी]

अनुसंधान केन्द्र

6203. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**
श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के पांच कृषि अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विभाग के तीन बड़े कृषि अनुसंधान केन्द्रों और पंतनगर विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए 21.92 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का वर्ष 1998-99 के दौरान गुलाबागिलु, जिला कोलार में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग को, जोकि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय का एक प्रमुख विभाग है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग को, जोकि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय का एक प्रमुख विभाग है, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हिन्दी सलाहकार समिति

6204. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 23.03.1998 को पूरा हो चुका है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने संबंधित विभागों/संगठनों से नामांकन के लिए अनुरोध किया है और इन नामांकनों की प्राप्ति के बाद मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

[अनुवाद]

ढाका सम्मेलन

6205. **डा०टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जनवरी, 1998 को हुए ढाका शिखर सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो शिखर सम्मेलन में किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) तीनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई थी;

(घ) क्या भविष्य में भी ऐसा शिखर-सम्मेलन आयोजित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि तीनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर विचार किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा समझौता हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) 15 जनवरी, 1998 को ढाका में सम्पन्न बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान व्यापार शिखर-सम्मेलन में, बंगलादेश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने बंगलादेश के प्रधानमंत्री के साथ भाग लिया। शिखर-सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें व्यापार और निवेश में सहयोग करना; क्षेत्र में सयुंक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देना; निवेश संवर्धन और संरक्षण, सम्बद्ध अवसंरचना तथा संचार सुविधाओं में सुधार लाने की आवश्यकता और निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन देना शामिल है। शिखर-सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त घोषणा के पाठ के बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान

व्यापार शिखर सम्मेलन

15 जुलाई, 1998

संयुक्त घोषणा

1. लोक गणराज्य बंगलादेश की प्रधान मंत्री महामान्या शेख हसीना के आमंत्रण पर भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री महामान्य इन्द्र कुमार गुजराल और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के प्रधान मंत्री महामान्य मोहम्मद नवाज शरीफ बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंगलादेश की यात्रा पर गए। सभी प्रधान मंत्रियों की 15 जनवरी, 1998 को इस शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात हुई।

2. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बंगलादेश, भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या मिलाकर एक बिलियन से अधिक है, शासनाध्यक्षों ने

स्मरण दिलाया कि इन देशों में मानव और प्राकृतिक संसाधन विपुल मात्रा में हैं जो अपने-अपने देश के लोगों के लाभ के लिए आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण अवसरों की पेशकश करते हैं। इन देशों में व्याप्त गरीबी विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तत्काल कार्यवाई करने को उचित ठहराती है। यह महसूस किया गया कि तीव्र और स्थायी प्रगति के लिए सार्क चार्टर के उद्देश्यों, सिद्धांतों और प्रावधानों की रूपरेखा के भीतर शान्ति तथा सुरक्षा का माहौल अनिवार्य है। शासनाध्यक्षों ने स्थायी विकास प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों को समेकित करने और उन्हें मजबूत करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई।

3. शासनाध्यक्षों ने विश्व अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण से प्राप्त अवसरों का स्वागत किया परन्तु उन्होंने इस बात पर चिन्ता जाहिर की कि इसने विकासशील देशों के लिए विशेष दिक्कतें पैदा की हैं, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों विशेषकर अल्प विकसित देशों की निरन्तर सकारात्मक सहभागिता निष्पक्ष तथा सहयोगी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण के लिए आवश्यक है।

4. शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि कई विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण में लगे हुए हैं, उन्होंने विश्व के उत्पादन और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे विकासशील देशों में मण्डियों में और अधिक पहुँच तथा इस प्रक्रिया में पूंजी और प्रौद्योगिकी चाहते हैं।

5. इस बात पर गौर करते हुए कि पिछले कुछ वर्षों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में तीव्रता से वृद्धि हुई है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है और विकासशील देशों के आर्थिक विकास तथा हित-कल्याण को प्रभावित करती है, शासनाध्यक्षों ने इस बात का अवलोकल किया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असमान है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दक्षिण एशिया क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक आकर्षक गंतव्य है जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, प्रतियोगी दरों पर कुशल श्रमिक हैं, और एक बिलियन से अधिक लोगों की एक संयुक्त मण्डी है। शासनाध्यक्ष विदेशी निवेश के संवर्धन के लिए इन तीनों देशों के संगत कानूनों, नियमों तथा विनियमों में तालमेल करने की आवश्यकता पर सहमत हुए।

6. शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि आपसी सहयोग के जरिए निवेश संवर्धन की पर्याप्त गुंजाश है। संयुक्त उद्यमों की स्थापना के कई अवसर हैं जिससे घरेलू तथा निर्यात मंडियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। उन्होंने निवेश संवर्धन तथा संरक्षण, दोहरे कराधान के परिहार और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र संबंधी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।

7. शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि और अधिक घनिष्ठ आर्थिक सहयोग में अपर्याप्त संचार सुविधाएं एक बहुत बड़ी रुकावट है। उन्होंने आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा उसमें तेजी लाने के लिए अवसंरचना के विकास और पर्याप्त संचार नेटवर्क के विकास पर महत्व दिया। इस संदर्भ में उन्होंने अवसंरचना जैसे परिवहन, संचार तथा सूचना संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाने के महत्व पर बल दिया ताकि व्यापार तथा निवेश का विस्तार हो सके।

8. निजी क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुए, शासनाध्यक्षों ने निजी क्षेत्र के व्यापार, निवेश और वित्त के क्षेत्रों में बढ़ते हुए योगदान को प्रोत्साहित करने के अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया है।

9. शासनाध्यक्षों ने शिक्षा, कौशल, विकास, संवर्धित स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के जरिए मानव संसाधनों और उनके सतत उन्नयन तथा संवर्धन के प्रभावी उपयोग की महत्ता को रेखांकित किया। संस्थागत और प्रशिक्षण सुविधाओं की उपयोगिता के जरिए सहयोग के क्षेत्र का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

10. इस क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए, शासनाध्यक्षों ने 2001 ईस्वी तक दक्षिण एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात दोहराई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्यापार से संबंधित सीमा-शुल्क को क्रमिक रूप से कम करने, प्रतिबन्धों, गैर सीमा शुल्क और अर्ध-सीमा-शुल्क अड़चनों तथा अन्य ढांचागत बाधाओं को हटाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को मानते हुए, वे इन देशों के साथ न्यायोचित व्यापार संबंधों के विकास के लिए गैर-परस्पर आधार पर इस क्षेत्र के अल्प विकसित देशों के लिए विशेष व्यापार रियायतें उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुए।

11. उन्होंने व्यापार के द्रुत विकास के लिए सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के संगतीकरण, नौवहन तथा बंदरगाह सुविधाओं के सुधार और बीजा क्रिया-विधियों के सरलीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होनें क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया तथा इस बात पर बल दिया कि एक अन्तर-निर्भरता के विश्व में क्षेत्रीय सहयोग परमावश्यक है।

12. इस बात पर गौर करते हुए कि इस क्षेत्र में सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा और विकास की प्रक्रिया की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग अनिवार्य है तथा इस क्षेत्र में की गई प्रगति को मान्यता देते हुए, शासनाध्यक्षों ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, इंजीनियरी और कम लागत के आवास निर्माण के क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाने तथा सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

13. शासनाध्यक्षों का विचार था कि सामान्य हित-चिन्ता के मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में इन देशों के शिष्टमण्डलों के बीच अधिकाधिक परामर्श से सभी का हित साधन होगा। विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध निवेश के मसलों तथा श्रम मानकों, पर्यावरण और अन्य तकनीकी अड़चनों पर एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा।

14. शासनाध्यक्षों ने महसूस किया कि यह शिखर सम्मेलन बहुत ही रचनात्मक और उपयोगी रहा था। उन्होंने इस प्रकार की पहल जारी रखने तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

15. भारत और पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों ने व्यापार शिखर-सम्मेलन की मेजवानी करने की पहल करने के लिए बंगलादेश की प्रधान मंत्री को शुभकामनाएं दी। उनका विचार था कि इस शिखर-सम्मेलन से आपसी सहयोग को मजबूत करने में अत्यधिक योगदान मिलेगा। उन्होंने बंगलादेश की प्रधान मंत्री द्वारा बैठक के आयोजन और कार्यवाहियों को निर्देशित कर करने के कौशल की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने सरकार और बंगलादेश के लोगों द्वारा उनके सम्मान में व्यक्त सौहार्द और शानदार आतिथ्य के लिए अपनी ओर से अत्यधिक कृतज्ञता भी व्यक्त की।

कृषि क्षेत्र में महिलाएं

6206. श्री माधवराव पाटील :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना लागू की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं का कार्य निष्पादन कैसा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सात राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल तथा राजस्थान के एक-एक जिले में कृषि में महिलाओं से संबंधित एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन पायलट आधार पर कर रही है।

(ख) "कृषि में महिलाएं" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इस स्कीम का राज्यवार कार्य निष्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में महिलाओं से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का ब्यौरा

क) स्कीम का नाम - केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम- "कृषि में महिलाएं"

ख) स्कीम का प्रकार - भारत सरकार की 100% धनराशि वाली केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम

ग) कवरेज - इस स्कीम का कार्यान्वयन देश में 7 चुनिन्दा राज्यों के एक-एक जिले में जिला स्तर पर अभिज्ञात कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया गया है। राज्य/जिले तथा कार्यान्वयन एजेन्सी का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	राज्य	जिला	कार्यान्वयन एजेन्सी
1.	पंजाब	जालंधर	मुख्य कृषि अधिकारी, जालंधर द्वारा राज्य कृषि विभाग
2.	हरियाणा	हिसार	निदेशक, विस्तार शिक्षा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
3.	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर	उप-निदेशक, कृषि (विस्तार), बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से राज्य कृषि विभाग
4.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	उप-निदेशक, कृषि शिमला हिमाचल प्रदेश के माध्यम से राज्य कृषि विभाग
5.	महाराष्ट्र	ठाणे	प्रधान कृषि अधिकारी, ठाणे, महाराष्ट्र के माध्यम से राज्य कृषि विभाग
6.	केरल	पालघाट	प्रधान कृषि अधिकारी, पालघाट केरल के माध्यम से राज्य कृषि विभाग
7.	राजस्थान	उदयपुर	जिला महिला विकास एजेन्सी उदयपुर, राजस्थान

विवरण-II

आठवीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना — "कृषि में महिलाएं" राज्यवार कार्य निष्पादन

वास्तविक कार्यनिष्पादन

राज्य	कृषक महिलाओं के समूह बनाना (संख्या)	ग्राम आधारित प्रशिक्षण (पाठयक्रमों की संख्या)	लिंक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण (सहभागियों की संख्या)	महिला गोष्ठियां (संख्या)	अध्ययन दौरे	परिणाम प्रदर्शन
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा						
लक्ष्य	30	210	6	3	6	360
उपलब्धि	30	210	6	3	6	360
पंजाब						
लक्ष्य	30	210	6	3	6	360
उपलब्धि	30	210	6	3	6	356

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
लक्ष्य	30	210	6	3	6	360
उपलब्धि	30	210	6	3	6	360
महाराष्ट्र						
लक्ष्य	30	210	6	3	6	360
उपलब्धि	30	210	6	3	6	360
केरल						
लक्ष्य	30	210	6	3	6	360
उपलब्धि	30	210	6	3	6	360
राजस्थान						
लक्ष्य	30	210	6	3	6	360
उपलब्धि	30	210	6	3	6	326
हिमाचल प्रदेश						
लक्ष्य	30	210	6	3	6	360
उपलब्धि	30	75	5	2	5	323
कुल						
लक्ष्य	210	1470	42	21	42	2520
उपलब्धि	210	1335	41	20	41	2445
%उपलब्धि	100	90	97.8	95.2	97.8	97

कृषि पर अमरीकी प्रतिबंधों का प्रभाव

6207. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पुष्टि कर दी है कि प्रतिबंध लगाने के अमरीकी फैसले से कृषि क्षेत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ऋण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत दो वर्षों के दौरान अमरीकी सरकार ने कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया है,

(ग) क्या भारत में कृषि परियोजनाओं के लिए कोई अन्य देश ऋण उपलब्ध कराएगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) अमरीकी सरकार ने पिछले दो वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र की किसी भी परियोजना के लिये कोई ऋण नहीं दिया है।

(ग) और (घ) इस समय कृषि क्षेत्र में नीदरलैण्ड्स, जर्मनी, डेनमार्क, जापान, कनाडा, की सहायता से कुछ द्विपक्षीय परियोजनाएं तथा विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा यू.एन.डी.पी. की सहायता से कुछ बहुपक्षीय परियोजनाएं चल रही हैं। आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, नीदरलैण्ड्स, स्वीडन तथा यूरोपियन यूनियन तथा विश्व बैंक, यू.एन.डी.पी. तथा खाद्य एवं कृषि संगठन जैसे बहुपक्षीय अभिकरणों की सहायता वाले द्विपक्षीय परियोजना प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग

6208. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आरंभ की गई इको मार्क योजना असफल हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग को प्रोत्साहित करने हेतु किसी नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने इको-मार्क स्कीम शुरू की थी ताकि उपभोक्ता उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव को कम किया जा सके। स्कीम के तहत सरकार ने इको लेबलिंग और उपभोक्ता उत्पादों को दिए जाने वाले लेबल जिसे इको मार्क के नाम से जाना जाता है के लिए उपभोक्ता उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयुक्त मानदंड अधिसूचित किए हैं जोकि भारतीय मानकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं और विशेषीकृत पर्यावरण मानदंड को पूरा करते हैं।

अब तक सरकार ने इको लेबलिंग के उद्देश्य हेतु 14 श्रेणियों के लिए मानदंड अधिसूचित किए हैं। उत्पादकों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। अपर्याप्त प्रतिक्रिया के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: (I) इको लेबलिंग के महत्व एवं मूल्य के प्रति उपभोक्ताओं में जागरुकता का अभाव (II) पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी (III) स्कीम के तहत पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन हेतु उत्पादकों के लिए कोई प्रोत्साहन न होना।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की इको मार्क स्टेयरिंग समिति ने 16 उत्पादों को अधिकार में लेने की सिफारिश की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य मदें, पैकेजिंग सामग्री/पैकेज और खाद्य योगज शामिल हैं। खाद्य तेलों, वनस्पति, चाय, काफी, ब्रेवरीज जैसी खाद्य मदों के मामले में उत्पाद विशेष पर्यावरण आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग के मामले में कागज और गत्ते, प्लास्टिक, लैमिनेट्स एवं लैमिनेट उत्पादों हेतु सामग्री/पैकेज मानदंडों को भी अधिसूचित किया गया है।

(ङ) और (च) स्कीम के प्रति उपभोक्ताओं में जागरुकता को बढ़ाने के लिए सरकार इको मार्क लेबलिंग के प्रचार पर बल दे रही है और बाजार में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग के सर्वेक्षण हेतु एक अध्ययन भी शुरू किया गया है।

सी०टी०बी०टी०

6209. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति की हाल ही की बीजिंग यात्रा के दौरान अमरीका और चीन ने भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियारों का विकास या तैनाती अथवा परमाणु हथियारों और प्रक्षेपास्त्रों को ले जा सकने वाले शस्त्रों की तैनाती न करने का पक्का वादा करने को कहा तथा यह भी मांग की कि भारत और पाकिस्तान दोनों और परमाणु परीक्षण न करें तथा व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर बिनाशर्त हस्ताक्षर करें;

(ख) क्या अमरीका और चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने के उपायों में सहायता करने की भी पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार ने कहा है कि यह एक विडम्बना है कि दो देश जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे पड़ोस में नाभिकीय हथियारों तथा उनकी डिलीबरी प्रणालियों के प्रसार को बढ़ावा देने में योगदान दिया है, वे अब नाभिकीय अप्रसार के मानक निर्धारित कर रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत वक्तव्य में निहित उन सुझावों पर विचार नहीं कर सकता हैं जिनमें हमारे नाभिकीय हथियारों अथवा मिसाइल विकास कार्यक्रमों में कटौती करने के लिए कहा गया है इस संबंध में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि भारत और अधिक परीक्षण करने पर स्वैच्छिक रूप से रोक लगाएगा तथा उनसे दूर रहेगा। हम अब सीटी बीटी पर बातचीत करने के लिए आगे आने को तैयार हैं।

तकनीकी ज्ञान

6210. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने भारत को कृषि उपकरणों, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उत्पादनों और मुर्गीपालन में तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है,

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी के एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और

(घ) इस संबध में जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जर्मन संघीय खाद्य, कृषि एवं वानिकी मंत्रालय के स्टेट सेक्रटरी डा० फ्रांज जोसफ फिएटर के नेतृत्व में जर्मनी के एक कृषि उद्योग प्रतिनिधि मण्डल ने दिनांक 23 से 28 मार्च, 1998 तक भारत का दौरा किया। इस दौरे में कृषि एवं कृषि उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने पर जोर दिया गया। दौरे के दौरान जर्मन प्रतिनिधी मंडल ने कृषि मंत्रालय, योजना आयोग तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) सहित अन्य संगठनों के साथ बैठकें की।

कृषि मंत्रालय के साथ बैठकें के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों तथा कृषि के क्षेत्रों जैसे छोटे फार्मो के मशीनीकरण तथा जर्मनी से उपकरणों के आयात, संयुक्त उद्यमों एवं सहायता कार्यक्रमों आदि के माध्यम से कटाई पश्चात की क्षति में कमी लाना, मात्स्यिकी, कृषि इंजीनियरी, बागवानी फसलों, पशु विज्ञान एवं खरगोश पालन में उन्नयन के लिये तकनीकी मार्गदर्शन, पैकेजिंग में सहयोग, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण मांस तथा मांस उत्पाद एवं कील्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, मत्स्य प्रसंस्करण आदि में सहयोग की और बढ़ाने में सकारात्मक विकास पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक सामान्य अनुबंध अथवा समझौता ज्ञापन तैयार करने तथा कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित भारत जर्मन संयुक्त आयोग के तहत एक अलग भारत जर्मन कार्य दल गाठित करने की संभावना का पता लगाने का भी प्रस्ताव किया गया। बहरहाल जर्मन पक्ष द्वारा किसी विशिष्ठ तकनीकी सहायता की पेशकश नहीं की गयी।

(घ) इस दौरे के दौरान न तो किसी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये गये और न ही किये जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

6211. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जम्मू और कश्मीर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट नवीकरण संबधी कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने आवेदन-पत्र निपटाये गये, कितने पासपोर्ट जारी किये गये कितने पासपोर्टों का नवीकरण किया गया और कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) एक विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू

वर्ष	नए पासपोर्ट		नवीकरण		लम्बित
	प्राप्त आवेदन पत्र	जारी किए गए पासपोर्ट	प्राप्त आवेदन पत्र	जारी किए गए पासपोर्ट	
1995	10,551	8,893	1,083	960	1,787
1996	13,781	10,630	834	827	3,158
1997	10,694	10,639	964	916	103

कृषि अनुसंधान प्रणाली

6212. डा० सरोजा वी० : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि अनुसंधान प्रणाली में किए जा रहे परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के प्रति कम रुझान की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली अनुसंधान प्रक्रिया की एक चरणसीमा हैं जो पिछली शताब्दी में शुरू हुई थी तथा जिसके चलते 1929 में इम्पीरियल (अब भारत) काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का दो बार यानि 1963 तथा 1973 में पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के महत्वपूर्ण घटक के रूप में राज्य कृषि विश्वविद्यालय 1960 के दशक में खोले गये। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में अनुसंधान मूल रूप से पण्य/विषय परक थे। अब स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए बहुशाखीय तथा प्रणालीप्रद विकास हेतु इसे नये सिरे से आरंभ किया जा रहा है।

(ख) हां।

(ग) आमतौर पर कृषि अनुसंधान में निवेश से आन्तरिक लाभ की दर 40 प्रतिशत से अधिक थी। लेकिन जहां कहीं भी लाभ की दर बहुत कम है वहा पर सरकार ने अनुसंधान से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया है:-

(i) बहु-शाखीय और उत्पादन प्रणाली विधि में स्थान विशिष्ट अनुसंधान द्वारा कृषि अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करना।

(ii) मानव संसाधन विकास के लिए कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करना।

(iii) कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से अनुसंधान, विस्तार और कृषक सम्पर्क को सुदृढ़ करना तथा सभी स्तरों पर विकास विभागों के साथ वैज्ञानिकों का सक्रिय रूप से विचार विमर्श करना।

तिलहन उत्पादन

6213. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश तिलहन उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा शुरू किए गए तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन से तिलहन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि में मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना का उद्देश्य वर्ष 1989-90 में तिलहन का उत्पादन 16.5 मिलियन टन करने का था जिसे मिशन 1989-90 में 16.92 मिलियन टन उत्पादन करके पहले ही प्राप्त कर चुका है। तथापि जनसंख्या वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण तिलहन का उत्पादन खाद्य तेलों की मांग के अनुरूप नहीं हो सका है जिससे मांग-आपूर्ति में अंतर उत्पन्न होता है जिसकी वजह से खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है।

(ग) और (घ) जी, हां। तिलहन का उत्पादन वर्ष 1985-86 जब तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया के 10.83 मिलियन टन के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 1996-97 में 24.96 मिलियन टन तक पहुंच गया जो कि अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। तिलहन की उत्पादकता जो वर्ष 1985-86 में 570 कि.ग्रा. प्रति है० थी, बढ़कर वर्ष 1996-97 में 931 कि.ग्रा. प्रति है० हो गई।

[हिन्दी]

कपास उत्पादक क्षेत्रों के लिए सघन योजना

6214. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कपास उत्पादक क्षेत्रों के विकास के लिए एक सघन योजना प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव अनुमोदन हेतु कब से लंबित है;

(ग) विलंब यदि कोई हुआ है तो, के क्या कारण हैं, और

(घ) यह प्रस्ताव कब तक अनुमोदित हो जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1998-99 के लिए गहन कपास विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच करने के बाद 20 मई, 1998 को इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

इराक पर आक्रमण

6215. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माह फरवरी, 1998 के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने इराक पर एक बार पुन: आक्रमण करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक देशों ने अमेरिका और इसके सहयोगी राष्ट्रों के इस प्रस्ताव का विरोध किया था;

(ग) इन वार्ताओं के दौरान भारत ने क्या भूमिका निभायी थी;

(घ) क्या भारत ईराकी सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तनाव कम करने के लिये भारत ने क्या भूमिका निभायी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) खाड़ी में एक प्रमुख सैनिक जमावड़े के पश्चात, ईराक के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई के संबंध में भारी संभावनाएं बढ़ गई थी।

(ख) कतिपय देशों द्वारा ईराक के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई की संभावना का विरोध करने की खबरें थी।

(ग) और (ङ) हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखे थे, जिनमें उन्होंने इस क्षेत्र में सैनिक संघर्ष की संभावना के बारे में गहन आशंका व्यक्त की थी और प्रतिबन्ध व्यवस्था के कारण ईराकी लोगों की पीड़ाओं के संबंध में भारत की चिन्ता का उल्लेख किया था। भारत के इस विचार को दोहराते हुए कि सामूहिक नर-संहार के ईराकी हथियारों को संगत संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए, पूर्व प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था कि ईराक के विरुद्ध सैन्य बल के प्रयोग से स्थिति और बिगड़ जाएगी तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान नहीं करेगी, जिन के प्रति संयुक्त राष्ट्र वचनबद्ध है। उन्होंने राजनयिक वार्ताओं के जरिए किसी शन्तिपूर्ण समाधान के बारे में सतत् प्रयास करने का अनुरोध किया था।

(घ) जी, हां। राजनयिक और अन्य माध्यमों के जरिए।

चीन के साथ वार्ता

6216. **श्री सुशील कुमार शिन्दे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1998 को वाशिंगटन से अमरीकी एसिसटेंट सेक्रेट्री ऑफ स्टेट श्री इंडरफर्थ द्वारा दिए गये इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने चीन द्वारा परमाणु अप्रसार संधि का घोर उल्लंघन करके पाकिस्तान को चीन द्वारा परमाणु अस्त्रों तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा इन अस्त्रों को ले जाने वाली मिसाइलों के हस्तांतरण से चीन द्वारा पाकिस्तान की निरंतर सहायता करने के संदर्भ में उत्पन्न परिस्थियों में भारत की सुरक्षा चिंता को कम करने के लिए भारत चीन के बीच सीधी बातचीत का पक्ष लिया है।

(ख) यदि हां, तो चीन के साथ वार्ता आरम्भ करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार ने अमरीका के सहायक विदेश मंत्री श्री इन्दरफर्थ की टिप्पणियों के बारे में ऐसी रिपोर्ट देखी हैं, जिनमें चीन से भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं पर बातचीत करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) भारत चीन के साथ ऐसे संबध चाहता है जिनमें दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिन्ताओं के प्रति उत्तरदायी रहें यद्यपि हम बकाया मसलों के समाधान के लिए बातचीत की प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सरकार अपने विशालतम पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक तथा अच्छे पड़ोसियों जैसे, परस्पर लाभप्रद संबंधों का विकास करने के लिए वचनबद्ध रही है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

6217. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए दूसरी किस्त तथा वर्ष 1998-99 के लिए पहली किस्त कितने सदस्यों को प्राप्त हो गई है;

(ख) ऐसे कितने सदस्य हैं जिन्हें 12 वीं लोक सभा के लिए पुन: निर्वाचित होने के पश्चात् भी अभी तक वर्ष 1997-98 के लिए दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की धनराशि को दो किस्तों में दिए जाने के पीछे क्या औचित्य है क्योंकि इससे योजनाओं के समय पर पूरा होने में बाधा उत्पन्न होती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पूरी धनराशि को एक अंतिम किस्त में वितरित करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के लिए संसद के 790 सदस्यों में से दूसरी किश्त लोक सभा के 336 सांसदों एवं राज्य सभा के 121 सांसदों को जारी कर दी गई है तथा 1998-99 के लिए पहली किश्त लोक सभा के 154 सांसदों एवं राज्य सभा के 63 सांसदों को जारी कर दी गई है।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार निधियों का निर्मोचन दो बार अर्थात् कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्यों के लिए आगे व्यय होने वाली निधियों की आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाना चाहिए। इस नीति के पीछे तर्क यह है कि एक समय में कभी भी सरकारी कोष से एक वर्ष में होने वाले अप्रेक्षित व्यय से ज्यादा धन बाहर न निकले।

(घ) मामला विचाराधीन है।

रेलवे के साथ सहयोग

6218. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग रेलवे को इसे वाणिज्यिक संगठन मानते हुए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ख) निवेश निर्णय करते समय योजना आयोग रेलवे की, एक ओर तो सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में तथा दूसरी ओर ठोस व्यवसाय सिद्धान्तों पर आधारित व्यावसायिक उद्यम के रूप मे, दोहरी भूमिका को ध्यान में रखता है। नौंवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि रेलवे में अपेक्षित निवेश, रेलवे की टैरिफ नीति के और अधिक व्यावसायिक अभिमुखीकरण माध्यम से एवं जहां भी सम्भव हो, निजी क्षेत्रक भागीदारी के माध्यम से वित्तपोषित किया जायेगा। राज्य रेलवे को सार्वजनिक उपयोगिता का सामाजिक दायित्व उठाने योग्य बनाने के लिए भी पर्याप्त सहायता प्रदान करेगा।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

6219. **श्री कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ जिलाधीश, विशेषकर राजस्थान में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अतंर्गत कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन इस संबंध में निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को राजस्थान के कितने जिलाधीशों/परियोजना समाहर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ख) राजस्थान के कुछ जिलाधीशों के विरुद्ध सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन न करने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सुधारात्मक उपायों एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, मामले को संबंधित राज्य प्रशासन/जिलाधीश के साथ उठाया जाता है।

पी-5 बैठक

6220. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जून, 1998 के पहले सप्ताह में जेनेवा में सम्पन्न पी 5 बैठक में स्वीकृत संकल्प पर पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है, यह संकल्प भारतीय उपमहाद्वीप में न केवल अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की शुरूआत है अपितु दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की स्थापना के लिए कश्मीर जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की जगह व्यापक बहुपक्षीय प्रक्रिया की आवश्यकता का द्योतक है; और

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया पर सरकार का क्या प्रत्युत्तर था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार ने 4 जून, 1998 को जिनेवा में सम्पन्न पी-5 विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखी है।

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामलों में किसी भी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय अथवा तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं है। यह विचार आधिकारिक वक्तव्यों के जरिए, राजनीतिक तथा राजनयिक स्तरों पर सभी संबंधितों के साथ क्रियाकलाप के दौरान भी दोहरा दिया गया है। भारत सभी अनसुलझे मसलों के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति के विरुद्ध न्यायालय का निर्णय

6221. **प्रो० जोगेन्द्र कवाडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सन् 1997 में क्रमशः पांच कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.1.97, 2.7.97, 22.7.97, 13.8.97 एवं 29.8.97 को जारी किये जिनमें यह प्रयास किया गया कि अनु०जा०/ज०जा० का आरक्षण समाप्त किया जाये। यह कार्य कुछ अधिकारियों द्वारा न्यायालयों के फैसलों को गलत सहारा लेकर किया गया है और उनका यह भी प्रयास रहा है कि आरक्षण संबंधी मुकदमों की पैरवी ठीक से न की जाये;

(ख) क्या अनु०जा०/ज०जा० कल्याण संघों एवं ट्रेड यूनियनों को आज तक मान्यता नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वे अपनी समस्याओं को विभागीय अधिकारियों एवं मंत्रियों के सामने रखने में नाकामयाब है जबकि इस वर्ग की मान्यता है विशेष समूह के रूप में संविधान में भी है तथा उच्चतम न्यायालय ने भी अनु०जा०/ज०जा० को जाति नहीं बल्कि जातियों का समूह माना है;

(ग) आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी आरक्षण कानून आज तक नहीं बनाया गया है और पूरा आरक्षण ज्ञापनों और कार्यालय आदेशों के आधार पर है तथा स्पष्ट कानून एवं नियम नहीं होने से इस वर्ग के कर्मचारियों को बार-बार न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है; और

(घ) राष्ट्रीय अनु०जा०/ज०जा० आयोग को पर्याप्त अधिकार नहीं होने से दलितों के हितों की रक्षा करने में आयोग नाकामयाब है तथा 1 जनवरी, 1998 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक ज्ञापन जारी कर यह कहते हुए आयोग के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया कि आयोग का अधिकार क्षेत्र जाँच करने भर का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) उक्त कार्यालय-ज्ञापन, कानूनी स्थिति की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल किए जाने के बाद, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के सिलसिले में जारी किए गए थे तथा उनका अभिप्राय आरक्षण कोटा समाप्त करना नहीं रहा है।

(ख) आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित करने के प्रयोजन से बहुत-सी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण-एसोसिएशनों को मान्यता दी गई हैं। आरक्षण संबंधी नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उक्त अनुदेशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को अपने सेवा मामलों के संबंध में सीधे ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को लिखने की अनुमति भी है।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में, यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत किया गया प्रावधान, अनिवार्यत: अधिनियमन द्वारा कानून में शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत कार्यकारी अनुदेश अपने बनाए जाने और जारी किए जाने के समय से ही लागू किए जाने योग्य हो जाते हैं।

(घ) यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का दायित्व है कि वह देखे क्या उसकी शक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 338 से जुड़े उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु पर्याप्त हैं या नहीं। इस विभाग के दिनांक जनवरी, 01, 1998 के कार्यालय-ज्ञापन द्वारा मंत्रालयों/विभागों को यह सूचित भर किया गया है कि **इण्डियन ओवरसीज बैंक** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र उक्त आयोग को, सरकार द्वारा जारी किसी भी आदेश के लागू किए जाने पर रोक लगाए जाने के संबंध में निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को ईरान और चीन की सहायता

6222. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक, जो भागकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गये हैं, ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन को यह साक्ष्य दिया है कि ईरान और चीन पाकिस्तान को परमाणु जखीरा विकसित करने में सहायता कर रहे थे और सऊदी अरब इसके वित्त पोषण में मदद करता था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार ने पाकिस्तान राष्ट्रिक इफ्तिकार चौधरी खान के संयुक्त राज्य चले जाने से संबंधित खबरों को देखा है।

(ख) सरकार को पाकिस्तान द्वारा प्रच्छन्न रूप से चलाये जा रहे नाभिकीय हथियार कार्यक्रम तथा विभिन्न देशों से पराश्रित रूप से सामग्री और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए बार-बार किये गये प्रयासों, की जानकारी है। पाकिस्तान के नाभिकीय हथियार कार्यक्रम की सरकार द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही है तथा इसकी समीक्षा की जा रही है। सरकार चुनौतियों के अनुसार भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्रभावी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृतसंकल्प है।

भुगतान में मुद्रा परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान

6223. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने 1997-98 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंतरिक्ष विभाग ने ब्रिटेन की एक फर्म, हाई टेक एलॉय लिमिटेड को देय धनराशि का भुगतान डॉलरों में न करके उतने पौंड स्टर्लिंग में किया, जिससे अंतरिक्ष विभाग को लगभग 35 लाख रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ;

(ख) क्या विभाग ने भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि और उस पर ब्याज का दावा किया और उसकी प्राप्ति की है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि के लिए विभाग ने औपचारिक रूप में दावा किया है। इस धनराशि की वसूली के लिए किए गए अथक प्रयासों के बावजूद मैसर्स हाई टेक एलॉय (यू.के.) लिमिटेड ने अतिरिक्त धनराशि को वापस करने से इन्कार कर दिया है।

(घ) इस संबंध में क्रय आदेश में निहित विवाचन धारा लागू कर दी गई है तथा भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली के लिए इन्टरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स सेक्रेटरियट से सम्पर्क किया है। इसके साथ ही आपराधिक न्यासंभग के लिए उक्त फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

गुजराल की राजनयिक पहल

6224. श्री के.एस. राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा मई, 1998 में परमाणु परीक्षण तथा भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के तुरंत बाद भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तथा ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के साथ पत्राचार शुरू करने के बारे में की गई पहल को संरकार तथा प्रधान मंत्री की मंजूरी प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने विदेश नीति परक मामलों पर अपने क्रिया-कलापों और पहल के बारे में प्रधान मंत्री के साथ नियमित सम्पर्क और परामर्श बनाए रखा है। इससे वह राष्ट्रीय सामंजस्य प्रदर्शित होता है जो भारत की विदेश नीति के मौलिक सिद्धातों पर पारम्परिक रूप से मौजूद रहा है।

बिल क्लिंटन को भेजा गया पत्र

6225. **श्री के. नटवर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भेजा गया पत्र अमरीका के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा गुप्त पत्र समाचार पत्रों में किस प्रकार प्रकाशित हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) दि न्यूयार्क टाइम्स ने 12 मई 1998 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें यह बताया गया था कि वह भारत के प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिखे गए पत्र का पाठ है।

(ख) यह रिपोर्ट डेटलाइन वाशिंगटन की है। अत: यह प्रतीत होता है कि समाचार पत्र को यह पाठ भारत के बाहर उपलब्ध कराया गया था।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति

6226. **प्रो० जोगेन्द्र कवाडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति के बाद सामान्य श्रेणी के कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों से वरिष्ठ हो जाते हैं जो आरक्षण नीति के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के इन कर्मचारियों से पहले पदोन्नत हुए थे;

(ख) क्या समूह "ग" और "घ" के पदों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया था परन्तु समूह "क" और "ख" में बकाया खाली पदों को भरने के लिए कोई निर्देश नहीं जारी किए गए थे;

(ग) क्या उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन इस आधार पर रोक दिया गया है कि इन अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंक न्यूनतम अर्हता अंक से कम हैं;

(घ) क्या पदोन्नति में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए आरक्षण रोक दिया गया है जबकि यह अनुच्छेद 16 (4)(क) के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए खाली पड़े आरक्षित पद और पिछली बकाया रिक्तियों को अनारक्षित कर दिया गया है;

(च) क्या 1997 में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित अनेक कार्यालय ज्ञापन, जो अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के हितों के विरुद्ध थे, न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जारी किए गए थे; और

(छ) यदि हां, तो न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के हितों पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (वैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां। फिर भी यह इस शर्त के अधीन है कि आरक्षण का नियम लागू किए जाने के परिणामस्वरूप, आरक्षित श्रेणी का प्रश्नाधीन कर्मचारी, उससे वरिष्ठ, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिमानत: पदोन्नत किया गया हो।

(ख) समूह "ग" तथा "घ" पदों की भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति के क्रम में, उनकी उम्मीदवारी के मूल्यांकन के लिए अलग से कोई शिथिलीकृत (ढील भरा) मानदण्ड नहीं है।

(घ) 15.11.1997 से परे-आगे, पदोन्नति के संबंध में आरक्षण का प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) के अनुसरण में, कायम रखा गया है।

(ङ) सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के पदों के अनारक्षण पर पूर्ण प्रतिबन्ध हैं। पदोन्नतियों में, अनारक्षण की अनुमति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नहीं मिल पाने की स्थिति में दी जाती है।

(च) और (छ) उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के अनुसरण में, आरक्षण नीति को प्रभावित करने वाले कुछ आदेश जारी किए गए हैं, ताकि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण के उपयुक्त, उपाय करने हेतु, प्रतिबद्ध है, अत: संविधान के अनुच्छेद (4) के अनुसार, देश का कानून बन जाने वाले, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार, कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के लिए बहुउद्देशीय नीति

6227. **श्री आर. सम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री ने अगले दशक के पश्चात देश के खाद्यान्नों के उत्पादन को दुगुना करने के लिए बहुउद्देशीय रणनीति का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने कोई ठोस कदम उठाकर इसे मंत्रि मण्डल को भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) खाद्यान्न नीति कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) योजना आयोग ने 10 वर्ष के भीतर खाद्य उत्पादन को दुगुना करने और भारत की भूख से मुक्ति दिलाने के लिए शासन के राष्ट्रीय एजेन्डा के अंतर्गत एक कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना में 2007/8 तक निम्नलिखित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी है:-

क्र. सं.	मद	उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टन में)
1.	खाद्यान्न	300.0
2.	तिलहन	45.0
3.	गन्ना	495.0
4.	फल एवं सब्जियां	342.0
5.	दूध	130.0
6.	अण्डा (मिलियन सं.)	5300.0
7.	मछली	9.6

उपर्युक्त लक्ष्यों को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अंतिम कार्य योजना समुचित प्रक्रिया के तहत तैयार करने का प्रस्ताव है।

क्रायोजेनिक इंजनों का आयात

6228. डा० सरोजा वी० : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश द्वारा क्रायोजेनिक इंजन आयात किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये इंजन किस देश से आयात किये गये हैं अथवा किये जायेंगे;

(ग) क्या हमने इसकी प्रौद्योगिकी का भी आयात किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो हम अपने देश में ही क्रायोजेनिक इंजन कब से निर्माण करना शुरू कर देंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) अभी तक कोई भी क्रायोजेनिक इंजिन और चरण का आयात नहीं किया गया है। प्रथम क्रायोजेनिक इंजिन और चरण के रूस से 1998 के अन्त से पहले प्राप्त होने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) सन् 2000-2001 के बाद से भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) में उपयोग के लिए प्रथम स्वदेशी क्रायो चरण के तैयार होने की आशा है।

भारतीय राजनयिक की संयुक्त राष्ट्र सलाहकार के रूप में नियुक्ति

6229. डा०टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने इराक संबंधी अमरीकी नीतियों के बेहतर समन्वय के लिए एक भारतीय राजनयिक को सलाहकार के रूप में इराक में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इराक संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्नों का समन्वय करने में भारत किस सीमा तक सहायक हो सकता है;

(घ) क्या भारत ने इराक-अमरीका तनाव पर अपनी नीति अमरीका को स्पष्ट रूप से बता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारतीय विदेश सेवा के एक सेवा निवृत्त सदस्य, श्री प्रकाश शाह को बगदाद में इराक से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के लिए प्रासंगिक सभी घटनाओं पर सतत् रूप से नजर रखने के लिए अपने विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) नियुक्ति का यह प्रस्ताव श्री प्रकाश शाह को व्यक्तिगत क्षमता में किया गया है।

(ग) इराक में संयुक्त राष्ट्र क्रिया कलापों का समन्वयन संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किया जाता है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुरोध पर कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए राजनयिक पर्यवेक्षक प्रदान करने जैसी इस प्रकार की गतिविधियों पर सहयोग देती रही है।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर और अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ होने वाले विचार-विमर्शों सहित द्विपक्षीय विचार-विमर्शों में इराकी संकट के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाता रहा है। जनवरी-फरवरी, 1998 में संकट के दौरान इराक के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के संबंध में भारत ने चिंता व्यक्त की थी। ईराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का अनुपालन करने के लिए भारत के समर्थन को दोहराते हुए हमारा दृष्टिकोण यह था कि इराक के विरुद्ध शक्ति प्रयोग से स्थिति और भी जटिल हो जाएगी और इससे उस उद्देश्य को हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी जिसके लिए कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्ध है। इससे ईराक के लोगों के कष्टों में भी वृद्धि होगी। तदनुसार हमने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है कि वह हड़बड़ी में की गई कार्रवाई से बचे और राजनयिक बातचीत के माध्यम से किसी शान्तिपूर्ण समाधान की दिशा में अपने प्रयास करे।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय मैं श्री राम कृष्ण हेगड़े की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1424/98]

(2) भारतीय माध्यस्थम परिषद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन /लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०1425/98]

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1426/98]

राष्ट्रीय आवास और वास नीति, 1998

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय मैं, राष्ट्रीय आवास और वास नीति, 1998 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०1427/98]

यह मेरे इस सभा को दिए गए आश्वासन को पूरा करता है।

वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अधिसूचना इत्यादि

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 317(अ), जो 2 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय माल परिवहन आपरेटर, पंडाल अथवा शमियाना ठेकेदार और बाह्य खान-पान प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली कराधेय सेवा पर सेवा-शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०1428/98]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा०का०नि० 338 (अ), जो 4 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 19 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 204/92-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 341 (अ), जो 9 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उल्लिखित अधिसूचना के कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 368 (अ), जो 30 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा उल्लिखित अधिसूचना के कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1429/98]

(3) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1430/98]

(4) फोरम आफ फाईनेंशियल राइटर्स एण्ड इंस्टिट्यूट आफ इकोनोमिक जर्नलिज्म के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1431/98]

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : मैं श्री दलित एजिलमलाई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 12.6.1998 को सभा पटल पर रखे गए।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।,

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०1432/98]

नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं नाविक भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०1433/98]

[हिन्दी]

कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1434/98]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1435/98]

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 27.7.1998 को सभा पटल पर रखे गए

(3) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1436/98]

[अनुवाद]

इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०1437/98]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1998 को पारित किए गए विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.02¼ बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : महोदय, मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :–

(एक) डाक विभाग–संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
तीसरा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन (दसवीं लोकसभा)
तथा
दूसरा और चौथा प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा)

[अनुवाद]

स्क्वाड्न लीडर कमल चौधरी (होशियापुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) वर्ष 1994-95 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(दो) वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(तीन) 'रक्षा अनुसंधान और विकास–प्रमुख परियोजनाएं' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(चार) 'रक्षा नीति, योजना और प्रबंधन' के बारे में समिति (दसवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

(पांच) वर्ष 1996-97 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.03½ बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में शहरी और ग्रमीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(दो) बंजर भूमि विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन; और

(तीन) शहरी विकास विभाग (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में शहरी और ग्रमीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में आंतकवादियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब शून्यकाल शुरू होता है।

श्री शरद पवार

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शरद पवार का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। मैं उनके बाद आपका नाम पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, कल जम्मू-कश्मीर में खास कर डोडा जिले में 16 लोगों की हत्या कर दी गई। वहां की स्थिति दिन-प्रतिदिन गम्भीर हो रही है। कल सुबह अतिरेकी शक्तियों ने दो गांवों पर हमला किया और लोगों को घर से बाहर निकाल कर गोली से मार दिया।

इनमें से दो महिलायें थीं और एक मुंशी राम नाम का आर्मी जवान था जो छुट्टी मनाने के लिये आया हुआ था। यह दूसरा बड़ा हमला है। वास्तव में आतंकवाद से पूरी घाटी में विनाश हो रहा है। इससे पहले होम मिनिस्टर साहब खुद होकर आये थे और उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी। इस सदन को और देश की जनता को स्थिति में सुधार करने का आवश्वासन दिया परन्तु न तो परिस्थिति में कोई बदलाव आया और न ही कोई सुधार हुआ। वहां की परिस्थति और खराब हो रही है। इस सरकार के आने के पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा दल की 13 बटालियन दी गई थी और बाद में 11 कर दी गई। इस प्रकार उसमें से दो बटालियन्स विदड्रा कर ली गई जबकि वहां परिस्थिति दिन-ब-दिन खराब हो रही है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेरी पार्टी के लोगों के एक डैलीगेशन ने मांग की थी कि यहां पर सुरक्षा बल भेजो, जवान भेजो और हमारी रक्षा करो। लोगों ने कहा था कि 2-3 दिन अनाज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं परन्तु गोलियों से हमारा बचाव करो। इस प्रकार की मांग हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डैलीगेशन में माननीय प्रधानमंत्री के सामने की गई थी। मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिये इस सरकार द्वारा कोई तैयारी होती नहीं दिखाई दे रही है। इस समय जो परिस्थिति वहां पैदा हो रही है, उसके लिये सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। कल जो लोग मारे गये, वे 16 के 16 हिन्दू थे और तीन दिन पहले जिन लोगों की मृत्यु हुई, वे सब लोग मुस्लिम थे। इस तरह से वह कौन से समाज का व्यक्ति है, कौन से धर्म का व्यक्ति है, यह बात इम्पार्टेंट नहीं है परंतु आतंकवादी वहां जाकर हमले करते हैं, यदि उनको नियंत्रित करने के लिये कोई कदम नहीं उठायेंगे तो परिस्थिति और खराब होगी। इसलिये मैं होम मिनिस्टर से मांग और अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन के सामने आकर देशवासियों के सामने पूरी स्थिति रखनी चाहिये और आवश्यकता हो तो इस बारे में एक दिन डिटेल में डिसकशन कराया जाये।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, जब पिछले माह ऐसी घटना हुई थी, तब गृह मंत्री जी ने अग्रलक्ष्यी नीति की घोषणा की थी। श्री शरद पवार ठीक कह रहे हैं। हम प्रधान मंत्री से मिलने ए और हमने उनसे स्पष्ट रूप से कहा था कि यूनिफाइड कमांड वहां पर काम नहीं कर रही है। आज के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि रक्षा समितियां वहां कार्य नहीं कर रही हैं। राज्य सरकार काम नहीं कर रही है और यह सरकार चुप बैठी है।

महोदय, सरकार को सभा में एक कार्ययोजना की घोषणा करनी चाहिए कि वह भविष्य में क्या करने जा रही है। गृह मंत्री को सरकार की भावी योजना के संबंध में वक्तव्य देना और यह बताना चाहिए कि वह लोगों की जान की विशेष रूप से डोडा जिले में किस प्रकार से रक्षा करने जा रही है क्योंकि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार को सभा में तत्काल एक कार्ययोजना प्रस्तुत करनी चाहिए क्योंकि हम उस क्षेत्र में हर रोज इस तरह की घटनाएं घटित होना सहन नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)* पूर्व में एक घटना के अतिरिक्त ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर विशेष रूप से डोडा जिले में स्थिति बहुत गंभीर है। वहां पर एक सप्ताह के अन्तर्गत दो घटनाएं हो चुकी हैं। एक घटना में 10 और दूसरी घटना में 18 लोग मारे गए हैं। गृह मंत्री जी ने इस सभा में यह घोषणा की थी कि आतंकवादियों की ऐसी गतिविधियों के खिलाफ प्रो-एक्टिव कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की कार्य योजना का खुलासा नहीं किया। हमारा यह अनुभव रहा है कि जिस दिन से यह सरकार सत्ता में आई है तब से ऐसी घटनाओं में दिन-प्रति-दिन बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और डोडा जिले में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। केन्द्र सरकार इस स्थिति से निपटने में बिलकुल अक्षम है।

महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि गृह मंत्री जी को तुरन्त इस सभा में आना चाहिए। कल महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया था। केवल उस घटना का उल्लेख करने से काम नहीं चलेगा। हम जानना चाहते हैं कि सरकार की कार्य योजना क्या है और सरकार का जम्मू और कश्मीर विशेष रूप से डोडा जिले में आंतकवादी गतिविधियों का मुकाबला कैसे करने का इरादा है। मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री जी तुरन्तु आकर सभा को बताएं कि इस सरकार की कार्य योजना क्या है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सी०पी० राधा कृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता माननीय शरद पवार जी ने जो मामला उठाया है और उन्होंने जो बात कही है कि कल उग्रवादियों ने जो लोग मारे वह हिन्दू थे और जो परसों मारे वह मुसलमान थे। मैं समझता हूं कि सारे सदन में इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि जो जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद चल रहा उस उग्रवाद पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब उग्रवादी मारने आता है तो वह एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ आता है, टार्गेट के साथ आता है कि एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी के लोगों को मारा जाए ताकि वहां पर दो समुदायों के बीच गतिरोध पैदा हो सके और कुछ लोग वहां से निकलें। मैं पंजाब में चंडीगढ़ से आता हूं जहां हमने 15 साल इस चीज को झेला है, लेकिन जो बात आपने और बसुदेव आचार्य जी ने कहा है या बाकी सदस्यों ने कही मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि इस देश में उग्रवाद बीजेपी की सरकार आने के बाद नहीं हुआ, वी०पी० सिंह की सरकार जब थी, तब भी उग्रवाद था। गुजराल साहब की सरकार थी तब भी उग्रवाद था और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब भी था। *(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि लाशों पर राजनीति मत करें। उग्रवाद नरसिम्हा राव के दौर में भी गलत था और आज भी गलत है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, जब यह वाकया हुआ तो हिन्दुस्तान

का पहला गृह मंत्री था भारतीय जनता पार्टी का जो डोडा में जाकर तमाम लोगों की बात सुनकर आया, लोगों में गया। इनके गृह मंत्री सईद साहब बैठे हैं, जो वाकया होता था तो लंदन चले जाते थे और बंगलौर में प्रेस कॉनफ्रेन्स किया करते थे। मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि सारा सदन इस बात पर सहमत है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उग्रवादी चाहे पाकिस्तान से आए हों या हमारे देश के हों, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और वहां पर सेना भेजी जाए ताकि वहां पर शांति हो सके।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा से अपील करता हूं कि सबसे पहले हमें इस आतंकवादी कार्यवाही की निन्दा करनी चाहिए। राजनीति बाद में हो सकती है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। यह एक जघन्य अपराध है और इससे दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए। हमें आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की निन्दा करनी चाहिए। आतंकवादी डोडा जिले में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तीसरी बार यह व्यापक नरसंहार किया है। हम इस आतंकवाद और उसको उकसाने की निन्दा करते हैं। हमें एकजुट होकर इस अपराध के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए।

महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा को सतर्क करना चाहता हूं। राज्य सरकार के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी बाते कहीं हैं। सीमाओं की निगरानी करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 1993-94 में, मैं इन दो वर्षों का उल्लेख कर रहा हूं, ऐसी स्थिति थी जब सीमा पार करने वाले लोगों से वहीं पर निपटा जाता था। उस स्थिति को आज क्या हो गया है ? ये लोग हमारे देश में कैसे घुसे ? वे डोडा जिले में कैसे पहुंचे ? यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वह थोड़े से पुलिस बल से इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

अत: सभा के साथ मैं भी इन निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने पर रोष प्रकट करता हूं। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। हमें इसकी निन्दा करनी चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि वह श्री आडवाणी जी को यहां बुलाएं। माननीय गृह मंत्री जी को यहां पर वहां के बारे में बोलना चाहिए क्योंकि गृह सचिव ने उस क्षेत्र की यात्रा की है।

अत: मेरा अनुरोध है कि डोडा की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति को जिले का दौरा करना चाहिए और इस सम्माननीय सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इस बीच माननीय गृह मंत्री जी को सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी जान जाती है तो दुख होता है, किसकी जान जाती है, यह बात दूसरी है। मनुष्य पर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ इस हाउस को एक होना चाहिए। इसमें न इस पक्ष का प्रश्न है और न उस पक्ष का प्रश्न है। यह अंतरआत्मा की आवाज *(व्यवधान)* एक तकलीफ होती है, दिल में एक दर्द उठता है कि आज यह क्या हो रहा है। सुना करते थे कि मौत और जिन्दगी भगवान के हाथ में है, लेकिन आज वह सब गलत होता नजर आता है। आज आततायी जिसको जी चाहे मार देते हैं। पता नहीं नई एन०जी०ओज० इकट्ठी हुई हैं, जो मारता है उनके लिए तो ह्यूमैन राइट्स की बात करती है, इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है कि ह्यूमैन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। एक तमाशा बना रखा है। मैं समझता हूं कि चाहे आपकी सरकार आये या हमारी सरकार आये या चाहे किसी की भी सरकार आये, हमें मिलकर काम करना चाहिए और इसको दबा देना चाहिए। यह क्या तमाशा है, यह क्या तरीका है। एक जेहाद जैसा चल रहा है, यह राज करने का तरीका नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि यदि सरकार का मन बन जायेगा तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। हमें डटकर काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर यहां आयें और बतायें कि वह क्या करना चाहते हैं। हमारे दिल में एक दर्द उठता है कि देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमें बहुत कष्ट होता है। हमारे दिल में एक कराहट उठती है कि उन लोगों का क्या हाल है, वे क्या सोचते होंगे, उनके बच्चे कहां जायंगे। अपने देश में यह हाल है और हम बात करने जा रहे हैं, किससे बात करेंगे, क्यों करेंगे। हमारे हाथ में दम होना चाहिए। "लानत है कमजोरानूं, दुनिया मनदी जोरानूं", इनको ठीक कर दो।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, निर्दोष नागरिकों की हत्या की मैं घोर निन्दा करना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज से एक महीना पहले रक्षा मंत्रालय, वहां की सरकार और गृह मंत्रालय की संयुक्त बैठक करके उग्रवादी तत्वों के सफाये के लिए एक संकल्प किया था और भारत के गृह मंत्री ने वहां जाकर जनता के बीच में इस बात को कहा था कि जो सरकार निर्दोष लोगों की रक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं आज उनकी नैतिकता को चुनौती देता हूं। पहले कश्मीर का मामला प्रधान मंत्री के मंत्रालय में था, जब से यह गृह मंत्रालय के अधीन आया है, वहां निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ गईं, एक नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया। हम इसके लिए किसको जिम्मेदार मानें, यह सरकार को बतलाना पड़ेगा। जब खुराना जी इधर बैठा करते थे और यदि कोई इस तरह की घटना होती थी तो कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे अधिक यही बोला करते थे। आज आप सरकार में बैठे हैं। ऐसी सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी माननी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाने के लिए एक सर्वानुमति इस संसद में बननी चाहिए। यही मैं आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हर रोज लोगों की जान ले रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि ये लोग कहां से आते हैं और वे क्या करते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारी सरकार अपने ही लोगों की जान बचाने के लिए क्या कर रही है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सीमा सुरक्षा बल, जवानों और पुलिस कर्मियों की तैनाती के बावजूद हर रोज ये घटनाएं हो रही हैं

[श्री मधुकर सरपोतदार]

और हम यहां पर बैठ कर चिल्ला रहे हैं। इन सब घटनाओं से पूरा देश चिन्तित है क्योंकि घटनाओं में बेकसूर लोग मारे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान मारे गए हैं और हिन्दुओं को छोड़ दिया गया है। इस बारे में मेरा दृष्टिकोण एक दल अलग है। यह हिन्दू या मुसलमान के मारे जाने का प्रश्न नहीं है, हमारे देश में जो भी मारा जाता है उसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुछ भी हो वह भारतीय मुसलमान अथवा हिन्दू हैं और वे हमारे देश के नागरिक हैं (व्यवधान)

मैं बंग्लादेशी लोगों के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की नीति के बारे में आप से एक फिर स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यदि वे लोग बंग्लादेश के लोग हैं और गैरकानूनी रूप से हमारे देश में रह रहे हैं तो उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरे दिन पूरे सभा में शोरगुल हुआ तथा वे इस विषय पर शोर मचा रहे थे।

मैं आज भी सभा से उसी भावना की आशा कर रहा था जब कल कश्मीर में 16 हिन्दू मारे गए तथा इससे पहले तीन मुस्लिम मारे गए। मेरा अपना विचार तथा क्षोभ है कि हमें इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। श्री चमन लाल गुप्ता जो इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं, कह रहे थे कि इस पूरे क्षेत्र से रक्षा बलों को हटा लिया गया है तथा लोगों का जीवन काफी खतरे में है। सरकार को सामने आकर यह बताना चाहिए कि रक्षा बलों को क्यों हटाया गया। जैसा कि श्री लालकृष्ण आडवणी, ने समय-समय पर जम्मू कश्मीर में कहा कि चाहे जितना भी खर्च हो यह सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वह देश के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करें। मैं सोचता हूं कि चाहे जो भी खर्च आए और इसके जो भी परिणाम हों, इस सरकार को अंततः यह जिम्मेदारी उठानी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि यह घटना अंतिम होगी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी तथा पीड़ित परिवारों को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर इस धरती पर स्वर्ग है तथा यह हमारे देश की हृदय स्थली है। हमें कश्मीर पर गर्व है। किन्तु आज कश्मीर में क्या हो रहा है ? हर आदमी इसके प्रति चिन्तित है। मैं सोंचती हूं कि कश्मीर के मामले में हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। कश्मीर तथा पंजाब की सीमाओं पर स्थिति अत्यन्त गंभीर हैं। आज आतंकवाद नया नहीं है। इस देश में आतंकवादियों तथा आतंकवाद के कारण हमें अपने महान नेताओं जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी को खोना पड़ा है। अब जब कि हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क गए तो बाहर से फैलाए जा रहे हिंसा के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। यह दुःखद है कि वे कुछ समस्याएं खड़ी करके दूसरे देशों को यह दिखाना चाहते हैं कि भारत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है तथा भारत में उथल पुथल किया जा सकता है। किन्तु, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीर भारत का हृदय है तथा कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सख्ती से निपटना होगा।

मैं इस सरकार की प्रशंसा करती हूं कि सत्ता में आने के पश्चात् गृह मंत्री अन्य मंत्रियों के साथ कश्मीर गए। मैंने यह भी देखा कि कश्मीर के मामले पर हुई बैठक में रेल मंत्री, रक्षा मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने भी भाग लिया तथा वे वहां कुछ करने की योजना बना रहे हैं, किन्तु इस विषय पर मतभिन्नता नहीं होनी चाहिए। मुझे यह ज्यादा उचित लगता है कि सरकार को कश्मीर एवं विशेषकर डोडा को ज्यादा सहयोग देना चाहिए। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बांटने की कोई योजना है। इसलिए सभी वर्गों से मेरी अपील है कि हमें हिन्दु और मुस्लिम के नाम पर नहीं बांटे तथा साम्प्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देकर इस देश को नहीं बांटें। हमें इस देश की सीमाओं पर लड़ रहे जवान जो हमारे देश के लिए अपना खून बहा रहे हैं को ज्यादा समर्थन देना चाहिए। हमें जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को अधिक से अधिक समर्थन देना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक साथ बैठना चाहिए तथा उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए।

मुझे आश्चार्य हुआ जब एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां राज्य सरकार सो रही है। इसे इस तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि डा० फारूक अब्दुल्ला एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तथा वह अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) वह देशभक्त भी हैं। आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं। यदि आपके राज्य के बारे में मामले उठाए जाते हैं तो आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि दूसरे राज्य के मामले उठाए जाते हैं तो आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं।

कश्मीर और पंजाब दो राज्य हैं जहां हमें आतंकवाद की भर्त्सना करनी चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी तब तत्कालीन गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। यह एक गंभीर मसला है। हमें जम्मू और कश्मीर की समस्या को हल्के ढ़ंग से नहीं लेना चाहिए। प्रधान मंत्री ने कश्मीर के संबंध में कई बार विचार व्यक्त किए है। गृहमंत्री को इस सभा में आकर विशेष वक्तव्य देना चाहिए। यदि माननीय सदस्यों की इच्छा है तो आपको विपक्ष के नेतां के साथ एक दल जम्मू कश्मीर भेजना चाहिए। इस दल के सुझाव को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए क्योंकि इस देश के हित में कुछ करने के लिए हमें कभी-कभी आम सहमति भी कायम करनी चाहिए।

इसलिए, मैं सभा से अपील करती हूं कि हमें आतंकवाद के मुद्दे पर अपने आप को नहीं बांटना चाहिए हमें आतंकवादियों से लड़ रहे अपने जवानों को नैतिक समर्थन देना है। वे हर दिन इस देश की रक्षा के लिए अपना खून बहा रहे हैं। किन्तु हम यहां आलोचना कर रहे हैं। हमें उनके हितों को भी देखना होगा। हमें जनता के हितों को भी देखना होगा।

प्रभावित व्यक्तियों, खासकर आतंकवाद पीड़ितों, जो लोग इस देश की सुरक्षा के लिए अपना खून बहा रहे हैं के पुनर्वास के लिए मैं सरकार से अपील करती हूं कि प्रत्येक परिवार को कम से कम पांच लाख रुपया मुआवजा तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को केन्द्र सरकार से एक नौकरी दी जानी चाहिए। अतएव मैं आग्रह करती हूं कि सरकार इस अनुरोध पर विचार करें। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, डोडा में कश्मीरी पंडितों से संबंधित यह चौथी घटना है। हम पूरे विश्व में जातीय नरसंहार सम्मेलनों-चाहे वह बोस्निया में हो या अन्य स्थानों पर में भाग ले

रहे हैं। किन्तु क्या अन्य समुदाय जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। सच यह है कि कश्मीरी पंडित पिछले दस वर्षों से पीड़ित है। वे अपनी एक मात्र सुरक्षा के रूप में "पनून कश्मीर" की अवधारणा की मांग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार कश्मीरी पंडितों की इस मांग पर विचार करे तथा इस बात को भी स्वीकार करे कि जब से वे सत्ता में आए हैं, इन घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और प्रायश्चित के लिए, गृह मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेरी यही मांग है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, क्या समता पार्टी की तरफ से आपको कोई नजर नहीं आता? *(व्यवधान)* बाकी सब पार्टियों की तरफ से आपको नजर आ रहा है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष जी, सब पार्टियों के नेता को आप बोलने दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है। अन्य राजनीतिक दल भी अपने विचार रखना चाहते हैं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ राजीनतिक दल इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों जो इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें विचार व्यक्त करने देना चाहिए। उसके बाद मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सरकार की तरफ से मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब श्री राम विलास पासवान बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, इस घटना की जितनी निन्दा की जाये, उतनी ही कम है। मैं समझता हूं कि यह जाति, धर्म और सरकार से जोड़ने का सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के प्रधान मंत्री जी वहां दो बारे गये हैं, देवेगौड़ा जी चार बार गये हैं, गुजराल साहब पांच बार गये हैं और रेल मंत्री की हैसियत से हम वहां दर्जनों बार गये हैं। यह सब कहने की जरूरत नहीं है। मोहन सिंह जी ने जो कहा, मैं उसका सपोर्ट करता हूं कि जो सरकार अपने देश की जनता की जान-माल की रक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। यह सरकार लोगों की जान-माल की रक्षा करने में विफल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइन) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं। यदि व्यवस्था बहाल हो जाती है तो मैं बोलूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे मामले को राजनीतिक रंग नहीं दें।

अब श्री आरिफ मोहम्मद खां बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां का नाम पुकार चुका हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह एक गंभीर मसला है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे शोर न करें। यह क्या है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय अध्यक्ष जी, आज जो कुछ अखबारों में छपा है, जो भावनाएं, दुख और व्यथा इस सदन में व्यक्त की गई है, मैं मानता हूं कि शब्दों में वह क्षमता नहीं है कि उस दुख को व्यक्त किया जा सके, जो दुख आज पूरा देश महसूस कर रहा है। श्रीमन्, मेरा मानना है कि यदि एक निर्दोष व्यक्ति मारा जाए, यह अपने आप में जघन्य अपराध है और यदि एक से ज्यादा मारे जाएं तो वह केवल आंकड़े। जघन्यता इसलिए नहीं बढ़ जाती कि कई निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई है, जघन्यता इसलिए है कि मारे जाने वाले लोग, अपनी जिन्दगी से हाथ धोने वाले लोग वे हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, केवल उनके ऊपर कोई खास लेबल लगाकर उनको निशाना बना दिया गया है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाए, वह कम है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे मौकों पर मामले की गहनता को स्वीकार किए बिना, कहीं न कहीं किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि समाज विरोधी तत्व हैं, यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आई०एस०आई० का हाथ है, *(व्यवधान)* मैं जरा पूरा कर दूं और यदि आप कहें तो बैठूं। *(व्यवधान)* यदि समाज विरोधी तत्व हैं तो पूरा शासन आपके हाथ में है, शासन की ताकत को इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों को कुचलिए जो समाज विरोधी काम करते हैं। यदि आई०एस०आई० का हाथ है तो कैसी यह सरकार है? *(व्यवधान)* आज की जो समस्या हमारे सामने हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आई०एस०आई० का हाथ है तो क्या हमारे बार्डर, हमारी सीमाएं बिना सैनिकों के हैं ? आई०एस०आई० वाले कहां से आ जाते हैं ? क्या हमारे अंदर शासन चलाने की यह क्षमता भी नहीं है कि यदि दूसरे देश से भेजे हुए एजैंटों के जरिए हमारे नागरिकों की जानें ली जाती रहें, उनकी जिन्दगी तंग की जाती रहे तो हम उन पर अंकुश न लगा सकें ? मैं यह कहने के लिए

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

मजबूर हूं। जो बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, वह यह है कि इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अंधेरे में तीर चलाने से आपकी जिम्मेदारी नहीं बच जाएगी। इस देश के नागरिकों की जान-माल और इज्जत की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है, यह देखना आपका काम है। आपके पास उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन जिम्मेदार है। *(व्यवधान)* लेकिन यह प्रवृति कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसे नाम लिए जाएं जहां पर ढूंढना भी मुश्किल हो जाए कि कौन खास लोग हैं जिनको चिन्हित किया जा सके, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस हालत को देखते हुए एक ही बात कह सकता हूं –

तू इधर-उधर की न बात कर
ये बता कि काफिला क्यों लुटा
मुझे राहजन से गरज नहीं
तेरी रहबरी का सवाल है।

एक्ट करिए, कार्यवाही कीजिए। यदि आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारे पास यह कहने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा –

मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा
तेरा रहजनों से था वास्ता
मुझे राहजन से गिला नहीं
तेरी रहबरी पे मलाल है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस गंभीर घटना पर चर्चा चल रही है, निश्चित ही यह घटना काफी दुखद है। इस घटना से मात्र कश्मीर के लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के कोने-कोने में रहने वाले एक-एक आदमी को काफी क्षोभ होगा, काफी दुख होगा। ऐसी घटनाएं इस देश में बहुत दिनों से घटती आ रही हैं। अखबारों के माध्यम से और सदन में चर्चा हो जाती है उसका निदान कितना हो पाता है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। कल गृह मंत्री जी भी इस घटना पर काफी चिन्ता जाहिर कर रहे थे। हम तो यह मानते हैं कि कभी न कभी किसी गलती के कारण आतंकवादियों का मनोबल बढ़ जाता है। हम इस सदन में नहीं थे, अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि इस देश के गृह मंत्री की पुत्री का अपहरण आतंकवादियों द्वारा किया गया था और पुत्री को मुक्त करने के लिए आतंकवादियों से समझौता किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया था। उस समय आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा होगा। *(व्यवधान)* हम यह कहना चाहते हैं कि यह बात तय है कि एक शायर ने कहा है कि 'ऐ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, खर्चा चलता हाथ से और शासन चलता तलवार से।' सिर्फ भाषण से शासन नहीं चलेगा और जहां तक गृह मंत्री के इस्तीफे की बात की जा रही है, माननीय राम विलास पासवान जी ने कहा है, सब ने कहा है, पंजाब की घटनाएं घटी हैं, तब कांग्रेस का शासन था और राम विलास पासवान जी का भी शासन था, कितनी बार लोगों ने इस घटना पर इस्तीफा दिया है ? इसलिए इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में बिलकुल गंभीर है, चिन्तित है। गृह मंत्री के नेतृत्व में वहां मंत्रिमण्डल की टीम गई हुई थी। सरकार सतर्क है, लेकिन हम सरकार से भी इतना कहना चाहते हैं कि सरकार की खुफिया एजेंसी फेल है, सीमा पर सुरक्षा की गारण्टी नहीं है। इसी के कारण वहां पर हत्या की घटनाएं घट रही हैं, इसलिए सरकार इस पर गम्भीर होकर चिन्तन करके ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई करे, जिससे इस तरह की घटना नहीं घट सके। धन्यवाद। *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : मुझे भी इस सबजैक्ट पर बोलना है। *(व्यवधान)* वेणुगोपालाचारी जी के बाद मुझे भी कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, अपने स्थान पर बैठिये। मैंने डा० एस० वेणुगोपालाचारी को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, मुझे भी इस विषय पर कहना है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हमें मौका नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

डा० एस० वेणुगोपालाचारी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह काफी दुखद घटना है। यह न केवल जम्मू और कश्मीर में वरन् पूरे देश में काफी संवदेनशील मामला है। किसी न किसी राज्य में ऐसी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन ऐसी संकट की घड़ी में हमें एक दूसरे की निन्दा तथा एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। संसद देश में सर्वोच्च निकाय है। अधिकांश वरिष्ठ नेताओं ने भी इस विषय के संबंध में कहा है। कांग्रेस के शासन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तब कांग्रेस का क्या रवैया था ? जब तत्कालीन गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की का अपहरण हुआ, तब आपके सत्ता दल पर कोई दोष नहीं मढ़ा था।

अतएव, यह वह परिस्थिति नहीं है कि एक दूसरे की निन्दा की जाय। इस अवसर पर जैसा कि माननीय श्री जाखड़ जी ने कहा, हमें एकजुट रहना चाहिए। जब भी हम पड़ोसी देश या आई०एस०आई० के एजेंटों से ऐसी समस्या का अनुभव करते हैं, हमें समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

अतएव, मैं सरकार से आग्रह करूंगा जैसा कि कुमारी ममता बनर्जी ने सही ही कहा है कि मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को कुछ आकस्मिक सहायता तथा रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए तथा आतंकवाद पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। ये आतंकवादी गतिविधियां केवल जम्मू और कश्मीर में ही नहीं वरन् पूरे देश में चल रही हैं। हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश में भी पीपुल्स वार ग्रुप की गतिविधियां चल रही हैं।

मैं एक बार फिर यह आग्रह करूंगा कि गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं तथा माननीय गृह मंत्री आएं तथा सभा को इस संबंध में जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के माननीय नेता तथा कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मामले काफी गंभीर प्रकृति के हैं। समूची सभा इस मामले पर गंभीर है। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की सबों द्वारा भर्त्सना की जानी चाहिए। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर देने का आग्रह करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : खुराना जी से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): हो गया। आप इस तरह से मत बोलिये। *(व्यवधान)* अब आप बैठ जाइये। *(व्यवधान)* अब हो गया, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। *(व्यवधान)* बैठ जाइये।

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है, मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं, जो कहा गया है। होम मिनिस्टर साहब के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तीन-चार आइटम्स राज्य सभा में लगे हुए हैं। सुन लीजिए *(व्यवधान)* वह कल सदन में आकर अपना वक्तव्य दे देंगे। *(व्यवधान)* अगर राज्य सभा में आज हो गया तो आज ही आ जाएंगे वर्ना कल आ जाएंगे। *(व्यवधान)* जो कुछ डोडा में हुआ, उससे चिंतित है लेकिन मुझे एक कष्ट हो रहा है कि जो सोज साहब ने कहा, सोज साहब ने तो आतंकवादियों की निन्दा की लेकिन हमारे लीडर ऑफ अपोजीशन और सी०पी०एम० के लीडर श्री बसुदेव आचार्य जी ने एक शब्द भी आतंकवाद की निन्दा करते हुए नहीं कहा। *(व्यवधान)* एक शब्द भी आतंकवाद की निन्दा करते हुए नहीं कहा। आप पढ़ लीजिए। *(व्यवधान)* उन्होंने सरकार की निन्दा तो की है *(व्यवधान)* आप सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप पढ़ लीजिए। *(व्यवधान)* मैं तो ध्यान से सुनता रहा हूं तभी कह रहा हूं।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : पूर्णतया निन्दा है। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आतंकवाद को दबाना केवल सरकार का काम नहीं है। सब मिलकर उसे दबाएं, इस तरह का संकल्प होना चाहिए। *(व्यवधान)* मैंने आपको बीच में नहीं टोका। *(व्यवधान)* मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। मैं सहमत नहीं हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं सबकी बातें सुनता रहा। इस सरकार के ऊपर आरोप लगे, मैं सुनता रहा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की यह समस्या केवल लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। पर ऐसी है और यह इंसर्जेंसी आज से नहीं है, यह काफी समय से चली आ रही है। केन्द्रीय गृह मंत्री जी स्वयं दो बार और डिफेंस मिनिस्टर डोडा जिले में मौके पर जा चुके हैं। आतंकवादियों का टार्गेट बहुत साफ है। पहले जिस तरह से कश्मीर वैली में ऐसी घटनाएं कर वहां से हिन्दू घरबार छोड़कर जम्मू, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में आए। अब लगता यह है कि उनका टार्गेट डोडा में है। अब उनका टार्गेट रजौरीपुंछ है, इसलिए अब इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को टार्गेट बनाकर आतंकवादियों ने ऐसी वारदातें शुरू की हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री वहां गए। वहां के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वहां के सैनिक, अर्ध सैनिक बलों और पुलिस से मिलकर विस्तार से चर्चा की। उक्त सैनिक बलों का तालमेल कैसे बैठे, इस बारे में एक्शन प्लान बनाया। इस घटना के बाद केन्द्रीय सरकार *(व्यवधान)*

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए।]*

अपराह्न 12.43 बजे

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : यह ठीक बात नहीं है। अब जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : वह गृह मंत्री का वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दी जाये। उन्हे अपना वक्तव्य पूरा करने दें *(व्यवधान)* कृपया उन्हें पहले अपनी बात पूरी करने दें। उन्हें पूरा करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इस घटना के बाद केन्द्रीय सरकार, प्रदेश की सरकार संयुक्त कदम उठा रही है। मेरा निवेदन यह है कि यहां की चर्चा के बाद मैसेज यह जाना चाहिए कि यह सारा सदन इस घटना से चिंतित है। आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए सरकार कदम उठाए, उसके बारे में कहीं कमी है तो वह हमको बताएं लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के लिए मैसेज जाना चाहिए। अगर मैसेज यह जाएगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए तो *(व्यवधान)* आपके टाइम में जो घटना इन्होंने बताई, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता। *(व्यवधान)*

मोहन सिंह जी ने कहा कि जब मैं अपोजीशन में था, तो मैं पंडितों के बारे में कहता था। मैं केवल कहता नहीं था, एक

[श्री मदन लाल खुराना]

लाख पंडित जो वैली से यहां दिल्ली में आए, उनकी अगर किसी ने देखभाल और किसी ने सेवा की, तो बी०जे०पी० ने की थी। यह मैं कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)* हम केवल शब्दों से चिन्ता नहीं करते हैं, हम अपना एक्शन भी करते हैं। *(व्यवधान)* जैसा मैंने पहले कहा, इस बारे में कल होम मिनिस्टर बयान देंगे या अगर आज समय होगा, तो आज बयान दे देंगे। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम मंत्री जी को चुनौती देते हैं। *(व्यवधान)* कल आडवाणी जी ने दो बार कहा कि हम विचार-विमर्श कर रहे हैं, डी०जी० से बात कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से बात कर रहे हैं। यह संतोषजनक बात नहीं है। जम्मू-कश्मीर के बारे में हमारी पालिसी थी, युनिफाइड कमान्ड की, कोआर्डिनेशन की। आप उसको भी लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए फेल्योर हो रहा है।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने कह दिया कि वे आयेंगे, तो उसका जवाब देंगे। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आप एक्शन प्लान लेकर नहीं आ रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आयेंगे, लेकिन आपने क्या किया, उसको आप बतायेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री कल अपना वक्तव्य देंगे। अब मैं प्रो० ए०के० प्रेमाजम को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

श्री अमरराय प्रधान (कूचबिहार) : इन्हें इस सभा में आना चाहिए तथा आज एक वक्तव्य देना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : संसदीय कार्य मंत्री क्यों यहां वक्तव्य दे रहे हैं ? हम केवल गृह मंत्री से वक्तव्य चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आज शाम को फ्री हुए, तो आज शाम को, नहीं तो कल, क्योंकि दूसरे सदन में उनको जाना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के० करुणाकरन (तिरुअन्नतपुरम) : माननीय गृह मंत्री दूसरी सभा, राज्य सभा में बैठे हैं। *(व्यवधान)* माननीय संसदीय कार्य मंत्री को गृह मंत्री से संपर्क करना चाहिए तथा आज इस सभा में आने तथा वक्तव्य देने का समय निर्धारित करना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाये *(व्यवधान)* वे मेरा ध्यान विचलित कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाएं।

श्री बलराम जाखड (बीकानेर) : सभापति महोदय, सरदार सुरजीत सिंह वरनाला ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि गेहूं आयात मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करवाएं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यह काफी महत्वपूर्ण है। हम जानना चाहते हैं कि अब तक क्या कार्यवाही की गई है। *(व्यवधान)*

श्री अजित जोगी (रायगढ़) : आपने एक आश्वासन दिया परन्तु उसे पूरा नहीं किया। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, इस सदन के अंदर निश्चित रूप से मंत्री महोदय ने कहा था कि इस मामले को हम सी०बी०आई० को देंगे। मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस मामले को सी०बी०आई० को देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के देश वापिस आजाने के बाद सदन को बता दिया जाएगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : मेरा नाम बुलाया गया है लेकिन कई अन्य माननीय सदस्य अब बोल रहे हैं। मुझे बोलने का अवसर दिया जाये। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने अपने नोटिस दिये हैं और मैं सूची के हिसाब से चल रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने केवल प्रो० ए०के० प्रेमाजम को बुलाया है।

(व्यवधान)

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : सभापति महोदय, ये व्यवधान तभी होते हैं जब हम बोल रहे होते हैं। यह बार-बार तभी किया जाता है जब महिलाएं बोलती हैं। जब भी सभा में कोई महिला बोलने के लिए खड़ी होती है व्यवधान किया जाता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो० ए०के० प्रेमाजम, आप अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : आपने मेरा नाम बुलाया। वे व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अब मैं कैसे बोल सकता हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो० ए०के० प्रेमाजम : बयनाड जिला जहां अधिकांशत: आदिवासी लोग हैं वह केरल के अन्य भागों से मुख्यत: टी० चुटम रोड़ द्वारा जुड़ी हुई है। यह सड़क ब्रिटिश राज के दौरान उन दिनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाई गई थी। अब, यह सड़क लोगों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम में जब केरल में भारी वर्षा होती है उन दिनों यह सड़क कई दिनों तक बंद रहती है।

इसलिए, केरल सरकार ने एक वैकल्पिक सड़क पेरुवन्नामुजी पदीनजरेथेरा - पूजीपोड सड़क का प्रस्ताव दिया जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र *बदागदा* होकर जाती है तथा यही एकमात्र वैकल्पिक उपाय है। यह प्रस्ताव जिसमें 2350 हेक्टेयर वनभूमि शामिल है। वह केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 3के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर ठुकरा दी गई।

अब, चंगरोध पंचायत ने 23-50 हेक्टेयर वन भूमि के स्थान पर 21 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। अतएव, मैं भारत सरकार विशेषरूप से माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा प्रस्तावित पदीनजरेधारा – पूजीथोड सड़क को जल्द से जल्द मंजूर करने के लिए मंजूरी देने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति महोदय, आपने मुझे जीरोऑवर में बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमने शैलेन्द्र कुमार जी को बुलाया है, आप बैठिए। इनका लिस्ट में नाम है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : महोदय, मैं आपका ध्यान मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 1997 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर 115 अनुसूचित-जाति/ जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण यह था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में प्रवेश शुल्क 3500 रुपए से बढ़ा कर 35,000 रुपए कर दिया है, इसलिए अनुसूचित-जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रवेश लेने में कठिनाइयां हो रही हैं। वहां आरक्षण कोटा भी पूरा नहीं हो पा रहा। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पूछना चाहूंगा कि जो प्रवेश शुल्क पहले 3500 रुपए लिया जाता था, क्या उसी प्रकार से लेंगे और जो 35,000 रुपए प्रवेश शुल्क लेने का प्रावधान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने किया था, उस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से पूरे देश में इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पाने वाले छात्र वंचित रह जाएंगे और आरक्षण का कोटा भी पूरा नहीं हो पाएगा।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस विषय में अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। महोदय, 115 छात्रों के भविष्य का सवाल है।

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस पर कोई व्यवस्था दें। *(व्यवधान)* यह 115 छात्र-छात्राओं के भविष्य का सवाल है, कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। *(व्यवधान)* तकनीकी शिक्षा परिषद के इंजीनियरिंग कालेजों में। *(व्यवधान)* मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कोई वक्तव्य दे। *(व्यवधान)* माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान आना चाहिए।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : दिल्ली प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार दिल्ली की छात्राओं को एस *विशेष* प्रकार की ड्रैस पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, दिल्ली की छात्राएं स्कर्ट पहनकर नहीं आ सकती हैं। यह एक बहुत ही गंभीर बात हुई है। *(व्यवधान)* जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में आदेश देते हैं, जिस तरह से आतंकवादी फतवा दिया करते हैं *(व्यवधान)* उसी तरह से आपकी सरकार ने फतवा दे दिया है कि इस दिल्ली शहर के छात्र-छात्राएं एक खास प्रकार के कपड़े ही पहनकर आएं। इसकी पूरे शिक्षा जगत में भर्त्सना की गयी हैं। इसको शिक्षकों और छात्रों ने गलत ठहराया है। माननीय मंत्री जी यहां बठे हैं, ऐसी प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, श्री अजीत जोगी जी ने जो सवाल उठाया है *(व्यवधान)* उसमें मुझे जो मालूम पड़ा है कि कुछ देहात के लोगों ने *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मानव संसाधन मंत्रालय से ही संबंधित मेरा मामला था। *(व्यवधान)* हमारा जवाब आ जाए तब आपका आए। इंजीनियरिंग कालेज का मामला है। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आपका प्रश्न स्टेट से संबंधित है, यह यूनियन टैरेटरी है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : मेरा नाम पुकारा गया है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको बुलाएंगे, आप एक मिनट बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह 115 छात्रों के भविष्य का सवाल है, मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस पर कोई वक्तव्य दे। मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए बड़ा गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जवाब नहीं देंगे तो क्या करेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् श्री शैलेन्द्र कुमार सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री हरिकेवल प्रसाद : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक लोक महत्व का सवाल उठाना चाहता हूं। सरकार ने जनता की मांग के सवाल पर उत्तरांचल, वनांचल को और छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा देने के बारे में सराहनीय कार्य किया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में देश की जनता में स्थानीय आधार पर अलग-अलग विभाजन की मांग खड़ी हुई है। मैं आपके बीच में तीन-चार बातें रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को पूर्वांचल के सवाल पर जिस तरह से उपेक्षा की गयी है उसको लेकर वहां के लोगों ने 9 अगस्त को गांधी प्रतिमा पर धरना देने का प्रोग्राम बनाया है। बुन्देलखंड के लोग बुन्देलखंड राज्य के लिए आंदोलन चला रहे हैं। मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुन्देलखंड के आंदोलनकारी शंकर मैहरोत्रा को 5 लोगों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जेल में बंद करने का काम किया है।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करने की घोषणा करे जिससे घोर समस्याओं का निदान हो सके। वहां के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। आप उत्तरांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा दें। *(व्यवधान)* मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करने की घोषणा कर देश की जनता के हित में काम करें। *(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेंगूसराय) : सभापति महोदय, देश की राजधानी दिल्ली में इन गर्मियों में बिजली की समस्या का विकराल रूप दिखाई पड़ा। इस सम्बन्ध में आरोपों और प्रत्यारोपों का बाजार गर्म रहा। समस्या की जड़ में किसी ने झांकने का प्रयास तक नहीं किया। केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी की समीक्षा तक नहीं की। यह आश्चर्यजनक बात है कि केन्द्र सरकार की ओर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। इस बिजली समस्या के मूल में कम उत्पादन और केन्द्र सरकार की गलत नीतियों का ज्यादा योगदान है। बिजली के वितरण से संबंधित यंत्रों की खरीदारी का जिम्मा भी केन्द्र सरकार का है। यदि इसका आवश्यक मात्रा में उत्पादन नहीं होगा, यदि उपलब्ध बिजली को वितरित करने हेतु आवश्यक यंत्रों का अभाव रहेगा तो समस्या कैसे सुलझ सकती है ? इस पूरे मुद्दे पर खुली बहस होनी चाहिए। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी किस सीमा तक निभाई है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिएं और समस्या के निदान के लिए एक ठोस नीति के साथ आना चाहिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, डब्ल्यू० सी०एल० में माइनिंग सरदार की नियुक्ति हेतु महाराष्ट्र के एम्पलायमैंट एक्सचेंज से नाम मांगे गए थे। इसी के आधार पर बिहारी छात्रों ने भी आवेदन किया। इनमें से कई लड़के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मौखिक परीक्षा में शामिल हुए। 120 लोगों की नियुक्ति होनी थी। उनमें से 20 लोग महाराष्ट्र के थे और 100 लड़के बिहार के थे। डब्ल्यू०सी०एल० में जिन की नियुक्ति हो, वह मैरिट बेसिस पर हो। सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्यवाही करे। *(व्यवधान)* यदि इस प्रकार प्रान्तीय भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा तो बेरोजगारों में विपरीत संदेश जाएगा। विज्ञापन के अनुसार बहाली नहीं होने से उत्पादन में कमी आई और सरकार को नुकसान हुआ।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह राष्ट्रीय सवाल है या अन्तर्राष्ट्रीय सवाल है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : वह अन्तर्राष्ट्रीय सवाल से भी बड़ा सवाल है। *(व्यवधान)* कई दिनों से अखबारों में यह खबर छपी है कि सांसदों के वेतन और भत्ते बढ़ने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है और यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषय भी नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यह सांसदों की भुखमरी का सवाल है। सरकार इस मामले में चुपचाप बैठी है। वह इस मामले को देखे।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं बैठ जाऊंगा और आपके आदेश को भी मानूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह मामला उपसमिति में पास होने के बाद केबिनेट से स्वीकृत नहीं हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, जोगी जी ने जो प्रश्न उठाया, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन में यह कहना चाहता हूं कि आज यह खबर समाचार पत्रों में भी छपी है और कल टेलिविजन के किसी चैनल में भी आया था, दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिये स्कर्ट और टाई लगाने के लिये दिल्ली प्रशासन ने आर्डर निकाला है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैंने इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है जिसके अनुसार कुछ देहात के लोगों ने प्रोटैस्ट किया था। इस पर विचार चल रहा है। मैंने माननीय गृह मंत्री से बात की है। यदि इस प्रकार का आर्डर होगा तो दिल्ली सरकार से इस आदेश को वापस लेने के लिये कहेंगे।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति जी, मैं मंत्री जी के धन्यवाद दूंगा।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, हरियाणा में बिजली की भारी कमी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.12 बजे

अपराह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 12 मिनट पर पुन: समवेत हुई

[**श्री के० येरननायडू** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेनकनाल) : महोदय, मैं गत तीन दिनों से उड़ीसा के संबंध में एक काफी महत्वपूर्ण मामला शून्यकाल के दौरान उठाने के लिए नोटिस दे रहा हूं लेकिन मुझे अब तक अवसर नहीं दिया गया है *(व्यवधान)* उड़ीसा में अकाल जैसी स्थिति है तथा लोग वहां पर मर रहे हैं *(व्यवधान)* सरकार इससे परिचित नहीं है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप एक नया नोटिस दें। उसपर कल विचार होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा में अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री आर० मुथैया (येरियाकुलम) : महोदय, आज के बचे नोटिसों पर कल चर्चा होगी *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप नया नोटिस दें तथा उस पर कल चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। केवल वरिष्ठ सदस्यों को पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाया जा रहा है। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय मैं पीठासीन अधिकारी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि ये मामले कल उठाए जायंगे। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.14 बजे

इस समय तथागत सत्पथी आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

सभापति महोदय : कृपया पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सत्पथी, आपने आज नया नोटिस दिया है। हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने स्थान से बोलिए। आप पहले अपने स्थान पर जाइए।

अपराह्न 2.15 बजे

उस समय श्री तथागत सत्पथी अपने स्थान पर वापस चले गए

सभापति महोदय : श्री मुथैया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा की कार्यवाही को चलाने का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री टी०आर० बालू आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह बता रहा हूं कि कल 'शून्य काल' के दौरान उठाए जाने वाले मामले के लिए पुन: एक बार नोटिस दें। सभा में सभी नोटिसों पर कल चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी : हमारी हमेशा उपेक्षा की गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री भास्कर राव की बात के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप नया नोटिस दें। हम उस पर कल चर्चा करेंगे। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आप व्यवस्था का प्रश्न अनावश्यक रूप से क्यों उठा रहे हैं ? कृपया बैठ जाइए। आपका नाम सूची में पहले से शामिल है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मकारों और कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान न करने के बारे में चर्चा की जा रही है, उस समय श्रम मंत्री को भी सभा में उपस्थित होना चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं, वह बाद में आएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : संचार मंत्री यहां मौजूद हैं। लेकिन श्रम मंत्री को भी सभा में उपस्थित होना चाहिए।

सभापति महोदय : संबंधित मंत्री इस समय सभा में उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : श्रम मंत्री यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

सभापति महोदय : वह बाद में आएंगे।

अपराह्न 2.18 बजे

[अनुवाद]

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में कर्मचारियों को वेतन और अन्य कानूनी देयों का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

> "सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों, विशेषरूप से हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड हैदराबाद के कर्मचारियों को वेतन और अन्य कानूनी देयों का भुगतान न करने तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण को उपक्रम संचार मंत्रालय को अंतरित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : महोदय, सरकार रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन और अन्य कानूनी देयों का भुगतान न करने से उत्पन्न अवांछनीय स्थिति के बारे में चिन्तित हैं।

सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि कर्मकारों को समय पर मजदूरी का भुगतान हो। तथापि, कभी-कभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भरसक प्रयास करने और विश्वास दिलाने के बावजूद भी, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों को मजदूरी और अन्य कानूनी देयों का भुगतान करने में विलम्ब होता है। कर्मचारियों को विलम्ब से राशि का भुगतान होने पर जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में मैं बहुत चिंतित हूं और माननीय सदस्यों के साथ अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं।

किसी भी उद्यम के प्रबन्धन का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन का भुगतान करे। फिर भी सरकार उन रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनमें कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान करना शामिल है, गैर-योजना ऋण प्रदान कर रही है और जब उनके पास और कोई स्रोत नहीं होता है, तब उनकी कठिनाइयों को कम करती है।

दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए केबलों का निर्माण करने हेतु सन् 1952 में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड दूरसंचार विभाग का दूरसंचार केबलों की आपूर्ति करता रहा। 1988 से दूरसंचार विभाग ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड से केबलों को मंगवाना बन्द कर दिया और खुली निविदाओं के माध्यम से केबलों की खरीद करनी शुरू कर दी। हाल में, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का कार्य-निष्पादन पर्याप्त कार्यशील पूंजी के अभाव में और समय पर क्रयादेश न मिलने के कारण प्रभावित हुआ है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की रूपनारायणपुर इकाई में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। 31.3.98 को कानूनी देय लगभग 23 करोड़ रुपए है। सरकार इस मामले को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

दूरसंचार विभाग द्वारा हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को क्रयादेश देने और उन्हें अन्तिम राशि का भुगतान करने के लिए प्रावधान करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए दूरसंचार विभाग, भारी उद्योग विभाग और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के बीच कई बैठकें हुई हैं। मैंने इस मामले को माननीय संचार मंत्री के साथ भी उठाया है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : सभापति महोदय, मैंने माननीय उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को सुना है। इस वक्तव्य में कोई नई बात नहीं कही गई है यह मामला हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हैदराबाद से संबंधित है। यह भारी उद्योग के अंतर्गत एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इसका काम दूरसंचार केबलों का निर्माण करना और उनकी आपूर्ति करना है। यह कार्य सन् 1952 में शुरू किया गया था और यह प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए का कारोबार करता है। यह एक बड़ा उद्योग है।

पिछले चार दशकों से, यह उपक्रम दूरसंचार विभाग को सभी प्रकार के केबल सप्लाई कर रहा है। दूरसंचार विभाग इसका ग्राहक है और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड गत पैंतालीस वर्ष से उसकी मांग पूरी कर रहा है। इन तीनों इकाइयों में लगभग 5300 कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति काम कर रही है। शायद हैदराबाद स्थित इकाई इस उपक्रम की मुख्य इकाई है।

वास्तव में, हममें से कुछ ने उस स्थल का दौरा किया है। उस क्षेत्र में जो मशीनें लगाई गई हैं वह बहुत बड़ी हैं और उनका अब कोई प्रयोग नहीं कर रहा है। उदारीकरण नीति का अनुकरण करने के बाद सरकार आई०टी०ए०० और एच०टी०एल० पर निर्भर कर रही है। इसलिए वह हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को कोई क्रयादेश नहीं दे रहे हैं। अत: कम्पनी को नुकसान हुआ है और इसने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया है। न केवल वेतन अपितु कम्पनी ने अपनी कई कानूनी देयताओं उदाहरणार्थ भविष्य निधि, उपदान, जीवन बीमा निगम प्रीमियम आदि का भुगतान भी नहीं किया है। क्रयादेश न मिलने के कारण वह उक्त राशि का भुगतान नहीं कर पाए हैं।

वस्तुत: माननीय शहरी कार्य और रोजगार राज्य मंत्री श्री बडारू दत्तात्रेय, जो हैदराबाद से संबंध रखते हैं, ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को पत्र लिखे हैं। उन्होंने उन कारखानों का दौरा किया है। इस मामले पर संचार मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि इस उद्योग का मुख्य ग्राहक संचार और दूरसंचार उद्योग है। अत: इसे उद्योग मंत्रालय से दूरसंचार विभाग को स्थानातंरित करना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि केन्द्र सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। इस संबंध में निर्णय लेने के बाद इन तीनों कम्पनियों को क्रयादेश दिए जा सकेगें और वे उन्हें बराबर-बराबर बांटेगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कम्पनी को बंद करने की आवश्यकता न पड़े।

आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि इस उपक्रम को उद्योग विभाग से लेकर दूरसंचार विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पिछले एक माह से मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसकी मैंने सूचना दी है, की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं दिया गया है। अत: माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हैदराबाद इकाई को शेष दो कारखानों से अलग किया जाए। रूपनारायणपुर और इलाहाबाद स्थित इकाइयां बिलकुल भी नहीं काम कर रही हैं। इसे इस दृष्टि से अलग किया जाए कि इसको दोनों उद्योगों के साथ सम्बद्ध करने की बजाए अपना एक अलग अस्तित्व होगा।

अब हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि चूंकि यह कम्पनी असफल रही है और इसने अपने कर्मचारियों के कानूनी देयों का भुगतान भी नहीं किया है इसलिए इसे भारी उद्योग विभाग से दूरसंचार विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाए।

वे इन सभी चीजों को वितरित करेंगे। भारतीय टेलीफोन उद्योग को दी गई सुविधाओं का विस्तार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के लिए भी किया जाए। यह हमारा सामान्य अनुरोध है। उनके 5300 कर्मचारी हैं। वे सड़क पर आ गए हैं। उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। कम से कम मानवीय आधार पर इस अनुरोध पर विचार किया जाए।

माननीय संचार मंत्री यहां मौजूद हैं। आप निश्चित तौर पर उनसे विचार-विमर्श कर सकते हैं और इस कम्पनी को दूरसंचार विभाग को सौंपने के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। चूंकि वह संचार संबंधी मदों के मुख्य ग्राहक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। वे उनके कर्मचारियों को वेतन देंगे और स्थिति साफ कर देंगे। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को इस उद्योग को संचार मंत्रालय के अंतर्गत लाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस कम्पनी ने पिछले 40 वर्षों से लेकर अब तक केन्द्र सरकार को करों के रूप में लगभग 2000 करोड़ का अंशदान दिया है। निश्चित तौर पर, सरकार को इस अनुरोध पर विचार करना चाहिए। इसे भारी उद्योग विभाग से दूरसंचार विभाग को स्थानांतरित किया जाए। दूरसंचार विभाग कृपया सभी बकाया देय राशि का भुगतान करे। यह मेरा अनुरोध है।

श्री एम० राजैया (सिदीपेट) : महोदय, हैदराबाद यूनिट मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थित है, जैसाकि हमारे माननीय सदस्य श्री नादेन्दला भास्कर राव ने बताया है कि यह यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, यह मुख्यत: दूरसंचार विभाग के उपयोग के लिए केबिल का विर्निमाण कर रही है। इसमें लगभग 5300 कर्मचारी है, इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। मैंने उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ा है। वक्तव्य में यह बताया गया है कि भारी उद्योग और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के बीच बैठकें हुई हैं और वे कुछ आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वे कुछ अग्रिम राशि देना चाहते हैं। हम इससे सहमत हैं। लेकिन इसके बिना उन्हें बहुत कठिनाई होगी।

उस वक्तव्य में पहले ही यह कहा गया है कि 1988 में इस आदेश को समाप्त कर दिया था और खुली निविदाएं मांगी गई है। यदि खुली निविदाएं आमंत्रित की गई तो यहां इस विशेष उद्योग के लिए कोई कार्य आदेश नहीं हो सकता। मैं माननीय उद्योग मंत्री और संचार मंत्री दोनों से अनुरोध करता हूं कि यह बेहतर होगा कि इस यूनिट को दूरसंचार विभाग के सुपुर्द कर दिया जाये। केबिल या जो कुछ भी इस कम्पनी में विनिर्मित किया जा रहा है उसका केवल दूरसंचार विभाग ही उपयोग कर सकता है। यदि इसे दूरसंचार विभाग को सौंप दिया जाता है तो यह कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा होगा।

वास्तव में जब हमने कम्पनी का दौरा किया था तो हमने वहां करोड़ों रुपए की लागत की मशीनरी खराब पड़ी देखी। हम न तो जनशक्ति का और न ही मशीनरी का उपयोग करने में सक्षम है। वास्तव में हम सम्पत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए, मैं सम्बंधित मंत्रियों से कम्पनी को चलाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। कर्मचारियों को तत्काल उनका वेतन दिया जाना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है, मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमारे देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने हमारे देश को आत्मानिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पंडित नेहरू ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत के आधुनिक उपासना स्थल हैं। अब सरकार इन उपासना स्थलों में निवेश न करके, इनका निजीकरण करके, इन्हें बंद करके और इनकी प्राकृतिक मौत करके इन्हें नष्ट कर रही है। अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, ये न केवल भारी उद्योग मंत्रालय में ही है बल्कि ये वस्त्र और वाणिज्य मंत्रालय में भी हैं, जहां कर्मचारियों को महीनों-महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

उन्हें उनके वेतन का भुगतान एक या दो महीने से नहीं बल्कि 14, 16 या 17 महीनों से नहीं किया गया है। मंत्री जी ने क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना रहा है कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर हो। मैं सम्बन्धित मंत्रियों जो यहां उपस्थित हैं, से ये जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और वर्करों के वेतन के भुगतान के लिए इस सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि यह ध्यानाकर्षण न केवल किसी एक विशेष यूनिट से सम्बन्धित है बल्कि उन सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित है जहां महीनों-महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण के पैराग्राफ 82 में यह कहा गया है कि रुग्ण और अच्छे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के गैर योजना ऋणों के लिए 1,482 करोड़ रुपए का प्रावधान किया

[श्री बसुदेव आचार्य]

गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कर्मचारियों की कुल बकाया राशि लगभग 900 करोड़ रुपये बैठती हैं। तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का हिसाब चुकता करने के लिए कदम उठाने हेतु सरकार को कौन सी चीज रोक रही हैं ? मंत्री जी ने क्या कहा है ? वह केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन से पीछा छुड़ा रहे हैं।

इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मालिक कौन है ? मालिक, भारत सरकार है, मालिक, भारत का राष्ट्रपति है। सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, अत: जब मालिक भारत सरकार है तो उन्हें वेतन के भुगतान करने में क्या अड़चन है ?

मजदूरी संदाय अधिनियम है। श्रम मंत्री यहां आ चुके हैं। मुझे खुशी है। यदि इस अधिनियम का उल्लंघन होता है तो इसके लिए कदम उठाने का भी प्रावधान है। यदि भारत सरकार ने मजदूरी संदाय अधिनियम बनाया है, और यदि इस अधिनियम का भारत सरकार द्वारा घोर उल्लंघन किया जाता है तो इस सरकार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ? यह सरकार मालिक है। सरकार ने मजदूरी संदाय अधिनियम कानून बनाया है। उस अधिनियम के अंतर्गत वेतन के भुगतान में एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। श्रम मंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यहां तक कि इसका भुगतान करने में एक दिन का भी विलम्ब नहीं होना चाहिये। सरकार वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

मैं भारत प्रोसेस मेकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची दे सकता हूं जहां कामगारों को उनके वेतन और मजदूरी का एक वर्ष से भी अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है। जे०ई०एस० एस०ओ०पी०एस० ने चार महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया है। एच०सी०एल० और रूप नारायणपुर में हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड ने भी वेतन का भुगतान नहीं किया है। मैं एच०सी०एल० की हैदराबाद यूनिट के उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह आधुनिक यूनिट है इसलिए इसे अन्य यूनिट से अलग किया जाना चाहिए। हमारा प्रस्ताव है कि नीतियों के उदारीकरण के कारण जिसे 1991 में अपनाया गया था, एच०सी०एल० आप्टिकल फाइबर और जैली फील्ड केबिल्स का विनिर्माण कर रही है जो सही नहीं हैं। हमें आशंका है कि हमने विदेशियों के लिए अपने देश के द्वार खोल दिए हैं, केबिल्स आयात किए जा रहे हैं हमारे स्वदेशी उद्योग नष्ट किए जा रहे है और विदेशों द्वारा बर्बाद किए जा रहे हैं। क्योंकि केबिल्स आयात किए जा रहे हैं और असमान प्रतिस्पर्धा की जा रही है।

सभापति महोदय : आप कोई भाषण नहीं देना है। आपको स्पष्टीकरण लेना है। आप ध्यानाकर्षण के नियम जानते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं नियम जानता हूं। लेकिन आप नियमों को शिथिल कर सकते हैं अथवा स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें कुछ क्षण के लिए त्यागा जा सकता है।

सभापति महोदय : ऐसा कैसे किया जा सकता है ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपको भी इसकी जानकारी है। यह आपके हाथों में हैं। मैं बेकार के मुद्दों के बारे में नहीं बोल रहा हूं *(व्यवधान)*। एम०ए०एम०सी० की समस्याओं से माननीय उद्योग मंत्री जी वाकिफ हैं। मंत्री महोदय ने उस इकाई को बंद करने का सुझाव देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है। पिछले पांच छह माह से कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है।

मैं टीट्रेडिन कारपोरेशन आफ इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक सरकारी क्षेत्र की उपक्रम है मैंने 'द स्टेट्समेन' में प्रकाशित एक समाचार पढ़ा है कि चार कर्मकार भूख के कारण दम तोड़ चुके हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को चौदह महीनों से उनकी तनख्वाह और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

तो अब मैं भारत प्रोसेस एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा बर्नस्टेन्डर्ड की रिफ्रेक्टरी इकाई की चर्चा करना चाहूंगा। इनके कर्मचारियों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हमने इस बारे में मंत्री महोदय से भी जिक्र किया है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात में दखल मत दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन०पी०सी०सी०) की चर्चा करना चाहूंगा। इस निगम की विभिन्न इकाईयों में छह से सत्रह महीनों तक कर्मचारियों को उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई है। इस बात को मंत्री जी भी जानते हैं। मैं उनसे मिला था और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया था। कुल 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। माननीय मंत्री महोदय ने अपनी चिंता भी जताई थी परन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकला और उनकी चिंता चिंता ही बनी रह गई। विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी का कहना है कि एच०सी०एल० से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की कानूनन देय राशि लगभग 20 करोड़ रुपए बैठती है। कुल कानूनी देय राशि 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर बैठती है। पिछले दो तीन वर्ष पहले सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की ग्रेज्युटी और भविष्य निधि की धनराशि का भी भुगतान किया जाना शेष है।

मंत्री महोदय, ने ग्रेज्युटी और भविष्य निधि अधिनियमों में संशोधन किया है। यहां तक कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी हजारों कर्मचारियों को उनकी कानूनी देयराशि यथा भविष्यनिधि और ग्रेज्युटी का भुगतान किया जाना शेष है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की देय राशि के भुगतान के बारे में क्या कदम उठाए जाने का विचार है। इस राशि के न मिलने के कारण कर्मचारी भूख से मर रहे हैं।

अब मैं वर्ष 1952 में स्थापित एच०सी०एल० की बात करना चाहूंगा कि उस समय इस अकेली इकाई की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात् हैदराबाद, नैनी और नरेन्द्रपुर में इसकी इकाइयां स्थापित की गई। इसकी चार इकाइयां हमारे अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप संचार मंत्रालय 50 प्रतिशत के आदेश देने और साथ ही पचास प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। हालांकि मंत्रालय इस फाईल को दो तीन महीने से दबाए बैठा है। मैंने संचार मंत्री से मुलाकात की थी उन्होंने मुझे बताया कि उनका मंत्रालय

एच०सी०एल० को भारी उद्योग विभाग से संचार मंत्रालय में स्थानांतरित करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एच०सी०एल० को जब तक भारी उद्योग विभाग से संचार मंत्रालय के अधीन नहीं कर दिया जाता तब तक उसे वांछित आदेश प्राप्त नहीं होंगे। संचार मंत्रालय के अधीन कई उपक्रम हैं और उनकी स्थिति एच०सी०एल० से बेहतर है। उन्हें वांछित आदेश प्राप्त होते हैं। उन्हें संचार मंत्रालय के आदेश मिलते हैं। इसलिए मैं उद्योग मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे संचार मंत्रालय को स्थानान्तरित करने के लिए सहमत हैं और संचार मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे उस उपक्रम को वापस लेने के लिए सहमत हैं।

[हिन्दी]

मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।

[अनुवाद]

यदि दोनों मंत्री इसके लिए राजी हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। महोदय, आपको भी उनकी बात का समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय : दोनों मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। वे ही इसका जवाब देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एच०सी०एल० को संचार मंत्रालय में स्थानान्तरित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यदि हां, तो कब तब कर देगी।

[हिन्दी]

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : महोदय, आज का कालिंग एटेंशन सरकारी क्षेत्रों में कर्मचारियों को वेतन न देने के कारण सरकार का ध्यान दिलाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। सरकारी क्षेत्र के कारखाने राष्ट्रीय उद्योग हैं और इन कारखानों में पिछले 14 महीनों से मजदूरों को सैलरी नहीं मिल रही है। कहा जाता है कि ये कारखानें सिक हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड सिक नहीं है और न ही इसे बी०आई०एफ०आर० को रैफर किया गया है। यहां प्रोडक्शन करने के लिए वर्किंग केपिटल की कमी है। रॉ-मेटिरियल की कमी है इसके लिए कारपोरेट के चेयरमैन मंत्रालय के साथ दरख्वास्त करते आ रहे हैं, ताकि वर्किंग कैपिटल मिल जाए। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में पिछले पांच महीने से तलब बाकी है। माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य जी ने इस बारे में डिटेल में बताया है। बर्नस्टैंडर्ड उद्योग हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है और इस उद्योग के दो भाग हैं – एक रिफ्रैक्टरी और दूसरा इन्जीनियरिंग। रिफ्रैक्टरी में पिछले चार महीने से तलब नहीं दिया जा रहा है और इन्जीनियरिंग में पिछले एक महीने से तलब नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे यहां कोई मजदूरों के ऊपर इकोनोमिक सैंग्शन्स लगा दी गई है। ये मजदूर कोई देश से बाहर के मजदूर नहीं है। राष्ट्रीय उद्योगों के मजदूर हैं। इस तरह की सैंग्शन्स को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इन उद्योगों को बन्द करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। किसी स्वार्थ के कारण ऐसा कदम उठाया जा रहा है। सरकार को मजदूरों के हित में काम करना चाहिए। मंत्री जी से बयान में भी तलब देने के लिए कोई निश्चित बात नहीं कही गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनको तुरन्त तलब दिया जाए। यह कालिंग एटेंशन मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर ही सदन में प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

श्री नादेंदला भास्कर राव : सांविधिक प्राधिकरण को अंशदान का भुगतान न किए जाने के लिए एच०सी०एल० का अधिकारी गिरफ्तार होने वाला है। बस केवल यही बात मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, इस मामले से संबंधित सारी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन इस समय मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भाग लेने वाले सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जो चिन्ता उन्हें है मुझे भी इसी बात की चिन्ता है सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिस्थिति विशेष में प्राप्त किया था। हम इन्हें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिन्ता कर्मकारों के बारे में जताई गई है। हम अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मुझे अपने मित्र श्री आचार्य जी की भांति अपने विषय से भटकना नहीं चाहिए जैसे कि वे अपने एच०सी०एल० की हैदराबाद इकाई के मूल विषय से भटक गए थे।

वास्तव में, मैं इस चर्चा को लंबा नहीं खीचंना चाहता। मैं माननीय सदस्यों, विशेषकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आरंभ कर्त्ता श्री भास्कर राव जी को यह बताना चाहूंगा कि हम यह सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हैदराबाद इकाई चालू रहे और उसमें कोई कमी न आए। शिकायत करना जायज है क्योंकि हालात निसंदेह खराब हैं परन्तु हम एच०सी०एल० की हैदराबाद इकाई को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। यथा संभव सब कुछ किया जा रहा है और विचार विमर्श जारी है। मैंने अपने सहयोगी संचार मंत्री से भी चर्चा की है और हम कोई न कोई हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं हालात खराब हैं परन्तु हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम एच०सी०एल० की हैदराबाद इकाई, इलाहाबाद इकाई और साथ ही रूपनारायणपुर इकाई को बचा लेगें। रूपनारायणपुर इकाई में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। यही असली समस्या है। तो भी हम आश्वासन दे रहे हैं कि रूपनारायणपुर इकाई में कर्मचारियों की अधिक संख्या के बावजूद हम कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार की तलाश करेंगे। इसलिए सभी कृपया इस बारे में निश्चित रहे। हम एच०सी०एल० को डूबने से बचाने के लिए सभी प्रयास करने जा रहे हैं। वे मुझसे और क्या कहलवाना चाहते हैं ? हम सामान्यत: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बात करते रहे हैं

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : महोदय, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के बारे में एक भी बात नहीं की है।

सभापति महोदय : आपको पूछने का अधिकार नहीं है।

श्री सिकन्दर बख्त : मेरा ख्याल है कि मुझे सदस्यों को यह कहते हुए इस विषय संबंधी वाद विवाद को समाप्त कर देना चाहिए कि एच०सी०एल० की जितनी चिन्ता आप सभी को है उतनी ही हमें भी है।

श्री बसुदेव आचार्य : अन्य इकाइयों के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री सिकन्दर बख्त : अन्य इकाइयों के बारे में उन्हें नया नोटिस देना पड़ेगा। मैं आकर स्पष्टीकरण दे दूंगा *(व्यवधान)* उन्होंने काफी लम्बा चौड़ा भाषण दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *(व्यवधान)* महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया है कि " ये हालात सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को तनख्वाह और सांविधिक देयों का भुगतान न करने के कारण पैदा हुए हैं "

श्री सिकन्दर बख्त : आपकी हर बात हमें स्वीकार है। हम सभी इकाइयों के मामले में ऐसा कर रहे हैं। अनेक उपक्रमों को बी०आई० एफ०आर० के पास भेजा गया है। हम आश्वासन देते हैं कि प्रत्येक इकाई को पुनरारंभ पैकेज प्रदान किया जाएगा। इनमें से कुछ को परेशानी उठानी पड़ रही है पर हम उन्हें यह सुनिश्चित करने का विकल्प नहीं दे रहे हैं कि उनका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।

महोदय, हम इस इकाई के पुनरुद्धार का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : परन्तु कृपा करके कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : वेतन के भुगतान का क्या हुआ ? पुनरुद्धार एक अलग मसला है।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, वेतन के बारे में बातें करना बहुत आसान काम है। हमने वर्ष 1995-96 के वेतनों के लिए 931 करोड़ रुपए आरक्षित रखे हैं तथा 1996-97 के लिए 1,218.45 करोड़ रुपए और 1997-98 के लिए 1,106 करोड़ रुपए आरक्षित रखे हैं। कुछ बुनियादी भौतिक समस्याएं है। हम इन समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं और कर्मचारों की भी हमें चिन्ता है। लंबे-लंबे भाषण देना बहुत आसान है लेकिन सभी समस्याओं को हल करना कठिन है। अब भी हमसे मांग की जा रही हैं।

महोदय, मैं बता सकता हूं कि एच०सी०एल० के लिए बजटीय समर्थन के रूप में वर्ष 1998-99 के लिए योजनागत खर्च के लिए 8.75 लाख रुपए और गैर योजना गत खर्च के लिए 16.29 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसलिए इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। बस मेरे पास, और कुछ कहने को नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। *(व्यवधान)* उन्होंने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकार क्या तत्काल कदम उठाने पर विचार कर रही है, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा है।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मैंने इसके बारे कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रुग्ण और जिन इकाईयों में सुधार हो रहा है, उनके कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के लिए 1,413 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। इसके संबंध में माननीय मंत्री ने क्या किया है ? क्या सरकार मजदूरों की मजदूरी एवं सांविधिक बकाया का भुगतान करेगी ? क्या माननीय मंत्री को कर्मचारियों की चिन्ता है ? माननीय मंत्री को उनकी जरा भी चिन्ता नहीं है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : सभापति महोदय, संचार मंत्री भी यहां मौजूद हैं, मैंने माननीय मंत्री से विशिष्ट तौर से निवेदन किया था कि भारी उद्योग विभाग से इस इकाई को संचार मंत्रालय में स्थानांतरण करने पर विचार करें, जो कि प्रमुख ग्राहक है, जिससे कि इस इकाई को आई०टी०आई०, एच०टी०एल० आदि के समकक्ष लाया जा सके।

श्री सिकन्दर बख्त : यह निर्णय इस सभा में नहीं लिया जा सकता। मगर मैंने पहले ही कहा है कि संचार मंत्रालय से विचार विमर्श जारी है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : महोदय, हमने इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय संचार मंत्री ने कहा है कि वे इस पर विचार कर रहें हैं और वो जल्दी ही निर्णय लेगें।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति महोदय, शायद माननीय श्रम मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप देर से आएं हैं। श्रम मंत्री जी अब कुछ कहेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० असीम बाला (मवद्वीप) : सभापति महोदय, सांविधिक बकाया के बारे में माननीय मंत्री ने कुछ नहीं कहा है।

सभापति महोदय : इस समय आप सारे प्रश्न नहीं पूछ सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, बकाया वेतन के भुगतान के बारे में क्या हुआ ?

सभापति महोदय : श्री बालू, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ना कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा। आपको प्रक्रिया का पता है। कृपा अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले कृपया श्रम मंत्री जी की बात सुनें।

डा०टी० सुब्बारामी : सभापति महोदय, मैंने नोटिस दिया है, में बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप देर से आएं है, यह आपकी गलती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मैं स्पष्टीकरण पूछने के लिए आपको बाद में अवसर दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, कृपया मुझे आश्वासन दें आप कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने का अवसर देंगे।

सभापति महोदय : डा० रेड्डी, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, बोकारो स्थित हिन्दुस्तान स्टील कन्सट्रक्शन लिमिटेड और आई०डी०पी०एल० के करीब 1300 कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री ने इसके बारे कुछ भी नहीं कहा है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, पहले श्रम मंत्री जी का वक्तव्य सुनें।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्री का वक्तव्य स्पष्ट नहीं है। एच०सी०एल० का संचार मंत्रालय को हस्तांतरण किए जाने के संबंध में वक्तव्य में कुछ नहीं कहा गया है।

सभापति महोदय : डा० रेड्डी, यदि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो मैं अगले विषय को लूंगा। अब श्रम मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : माननीय सभापति जी, इस समस्या पर जैसी चिन्ता जतायी गई है, निश्चित रूप से वह गम्भीर है। जहां-जहां इस प्रकार के स्टैट्यूटरी ड्यूज थे, हमारी मिनिस्ट्री ने वहां की स्थिति का पूरा अवलोकन करके एक चार्ट बनाया। स्टैट्यूटरी ड्यूज में उनके वेजिस, प्राविडैंट फंड, पेंशन, ग्रेज्युटी है। हम ड्यूज पर लगातार निगाह रखने और कार्यवाही करने का काम कर रहे हैं। चीफ प्राविडेंट फंड कमिश्नर और रीजनल लेबर कमिश्नर इस बात को देखते हैं। उन्होंने इस बारे में कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ मजदूरों का जो हिस्सा है, वह देने का काम होना चाहिए। हमने ऐसी कार्यवाही करनी शुरू कर दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने ऐसा सरकार के खिलाफ कहा है।

डा० सत्यनारायण जटिया : उन्होंने सरकार से मांग की है। सरकार के खिलाफ सरकार नहीं हो सकती। हमने कहा कि उन्हें ड्यूज देने चाहिएं। हमने इस बारे में कार्यवाही शुरू कर दी है। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए जुलाई, 1997 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी गठित हुई थी लेकिन संसद भंग होने के कारण रिपोर्ट नहीं आई। हमारी मिनिस्ट्री और सैक्रेट्रीज कैबिनेट नोट तैयार कर रहे हैं जिससे कर्मचारियों के ड्यूज का भुगतान समय पर हो सकेगा। हम ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। स्थिति पर निगाह रखने की दृष्टि से जो बहुत सी बातें हो रही हैं, हमने उनका हिसाब लगाना भी शुरू कर दिया है। जो ड्यूज निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, हम उनका आकलन करके संबंधित मंत्रालयों से कह रहे हैं कि वे सारे ड्यूज का भुगतान करने के उपाय करें। इसका बजट में भी प्रावधान किया गया है। जो भुगतान हमारे मंत्रालय से संबंधित हैं, आशा है हम उनका भुगतान कर देंगे। कार्यवाही करने के काम में श्रम मंत्रालय पीछे नहीं रहेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति महोदय, हालांकि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन न देने के बारे में दिया गया था लेकिन चूंकि विशेष जोर हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को दिया गया है, जिस का मेरे विभाग से भी सम्बन्ध है, इसलिए मैं यहां माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़ी हूं।

सभापति महोदय, मेरे लिए यह एक प्रसन्नता का विषय है कि आप इस समय पीठासीन हैं। आप इस विषय से स्वयं जुड़े रहे हैं। आपने इस विषय को संसद के अन्दर और बाहर भी उठाया, मुझे से व्यक्तिगत रूप में दो बार मिले और इसके बारे में जानना चाहा। इस बारे में जितने भी माननीय सदस्य मिले, मैंने उन सब को वहां की स्थिति से अवगत कराया। हम इस कम्पनी की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा आभास भी हुआ कि शायद आप हमारी बात से संतुष्ट भी हुए।

यहां कुछ बातें कही गईं। भास्कर राव जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में जो बातें कहीं, वे शत-प्रतिशत सत्य हैं कि हिन्दुस्तान केबल्स को ऑर्डर्स टेलीकम्युनिकेशन सैंटर से मिलते थे लेकिन बीच में एक सरकार ने नीति बदली। लिबरलाइजेशन का एक फेज आया जिस में केबल इंडस्ट्री प्राइवेट कम्पनी हो गई। हिन्दुस्तान केबल्स कोई कैपटिव यूनिट नहीं रह गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन सभी को ऑर्डर देने लगा और उनसे केबल लेने लगा। शायद देखा जाए तो इस कम्पनी के सिक रहने का यही एक प्रमुख कारण रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि श्री बसुदेव आचार्य उस सरकार को समर्थन देते रहे हैं और आगे भी समर्थन देने की बात करते हैं। कई बार कह चुके है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो उसे समर्थन देंगे। यह नीति शायद उन्हीं के समय की बनी हुई है। श्री आचार्य इस बात को मानेंगे कि केवल हिन्दुस्तान केबल्स ही दुर्भाग्यपूर्ण कम्पनी नहीं है बल्कि उस नीति के चलते जिसमें प्राईवेटाईजेशन के नाम पर या बाहर से आयात किया गया या यहां से प्राईवेट इंडस्ट्री को इस तरह के आर्डर दिये गये, ऐसी बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण कम्पनियों के दुर्भाग्यपूर्ण मजदूर हाथ फैलाये खड़े हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वे नीतियां बदल दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम तो कर ही रहे हैं। जब आप हमारी आगे बात सुनेंगे तो कहेंगे। मगर उसी नीति को चलाने वालों को आप समर्थन देते हैं और कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो समर्थन देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया पहले माननीय मंत्री को सुनें। बसुदेव आचार्य जी, कृपया पहले माननीय मंत्री को सुनें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम उस नीति का समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उस नीति में परिवर्तन करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपस में बात ना करें। अभी अनेक मुद्दे बाकी हैं। माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। कृपा सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, अगर उस नीति को बदल दिया जाये तो क्या श्री आचार्य समर्थन देंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। इस समय हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सभापति जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। क्या माननीय सुषमा जी कोई नई बात करने जा रही हैं या उसे राजनीति में पलट कर बात खत्म करने जा रही हैं ? *(व्यवधान)* आप राजनीति की बात क्यों कर रही हैं ? उसी मुद्दे पर आईये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप हर समय क्यों उठ रहे हैं ? कृपया बैठ जाएं। माननीय मंत्री जवाब दे रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुत्तेमवार जी, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूं। सभापति जी, मैं तथ्यों को रख रही हूं। मुझे समझ में नहीं आता हमारे वामपंथी भाईयों को सच सुनने की आदत क्यों नहीं है ? यह सच्चाई है कि सच कड़वा होता है लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा। आखिरकार हिन्दुस्तान केबल्स की ऐसी दुर्दशा होने की नौबत क्यों आई ? अगर आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं उसे ठीक करूं तो कारण बताकर ही उसका निदान कहूंगी। यदि कोई मरीज डाक्टर के पास जायेगा तो डाक्टर मरीज के लक्षण बताकर ही कहेगा कि इस बीमारी को नौबत क्यों आई और वह क्यों बीमार पड़ा ? तब डाक्टर अंदर जाकर देखेगा कि वाकई वह बीमार है और फिर दवा की बात करेगा। आप मुझे कहेंगे कि डाक्टर दवा दे दो जबकि हमें पता नहीं हम बीमार क्यों पडे ? *(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या आप डाक्टर हैं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बालू, आपस में बात मत करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे डाक्टर के रूप में आपने खड़ा किया है। डाक्टर दवा देने से पहले दवा लेने के लिये सलाह देता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाई वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। अभी हमें अनेक मुद्दों पर चर्चा करनी है। दो विधेयकों और नियम 377 के अधीन मामले पर चर्चा बाकी है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, श्री आचार्य इस बात के लिये साक्षी हैं कि जब तक ये नीतियां चलती रही, हिन्दुस्तान केबल्स लि० को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स अपने आर्डर देते रहा है और यह कम्पनी बहुत उम्दा कम्पनी के रूप में कार्य करती रही है। ऐसा हश्र न केवल हिन्दुस्तान केबल्स का हुआ बल्कि आई०टी०आई० का भी हुआ। इसके अलावा और भी कई कम्पनियों का नाम गिना सकती हूं जिनका ऐसा हश्र हुआ।

सभापति महोदय, मैं कोपू के मैम्बर के नाते इसको एग्जामिन करती रही हूं और तमाम चीजों को कहती रही हूं कि किस कारण से यह कम्पनी सिक हुई।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जवाब दे रहें हैं कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आखिरकार किस कारण यह कम्पनी सिक हुई या होने जा रही है, मुझे और आपको मालूम है। श्री भास्कर राव जी ने एक बात कही कि डिपार्टमेंट ऑफ टैलीकम्युनिकेशन्स इसको आर्डर नहीं देता जो सत्य से परे है। मैं इससे संबंधित कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी। डी०ओ०टी० ने इसको आर्डर देना बंद नहीं किया। सन् 1993-94 में 44.11 का, 1994-95 में 64.67 का, 1995-96 में 39.18 का, 1996-97 में 19.98 का और 1997-98 में 32.77 का आर्डर इन्होंने दिया है।

मैं आपको बताऊं कि यह ऑर्डर नहीं दिया। इस कंपनी की मदद करने के लिए डी०ओ०टी० ने जो आम टेण्डर की कंडीशन्स हैं, उनसे डिपार्चर करके भी ऑर्डर दिये। डी०ओ०टी० ने जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, जिस पर हम बल देते हैं प्राइवेट बिडर को कि आपको तो देना ही है, हमने हिन्दुस्तान केबल्स को ऑर्डर देते समय उस पर भी बल नहीं दिया। परफॉर्मेंस बेस्ड गारंटी को जनरली हमने वेव ऑफ किया है हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के संदर्भ में। टेण्डर से अलग जाकर अडहॉक ऑर्डर 1996-97 में भी 50 परसेंट का एडवांस देकर 9.4 लाख कंडक्टर किलोमीटर का ऑर्डर हमने हिन्दुस्तान केबल्स को दिया है। इसलिए यह कहना कि डी०ओ०टी०

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने हिन्दुस्तान केबल्स को ऑर्डर देना बंद कर दिया, इसके कारण यह कंपनी सिक हुई है, यह सही नहीं है। बल्कि अगर इसके विपरीत में बताऊं, हम लोगों की दिक्कत है कि हमारे दिये हुए ऑर्डर्स की सप्लाई भी हिन्दुस्तान केबल्स ने पूरी नहीं की और मैं इसके आंकड़े रखना चाहूंगी। 1993-94 में 44.11 के अगेन्स्ट हमें सप्लाई 41.81 की मिली। 1994-95 में 64.67 के अगेन्स्ट सप्लाई 61.94 की मिली। 1995-96 में भी 39.18 के बजाय सप्लाई 25.08 की मिली और 1997-98 में 32.77 के अगेन्स्ट सप्लाई 18.88 की मिली। उसके बाद लगभग 135 और हम लोगों का ऑर्डर बकाया पड़ा था जिसमें से एक का ऑर्डर हमने कम किया। आज भी 12 पॉइंट से ऊपर का ऑर्डर बकाया पड़ा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मेरी कोई जवाबदेही, मिनिस्ट्री ऑफ टैलीकम्यूनिकेशन्स की जवाबदेही उस जनता जनता के प्रति भी है जो उससे टेलीफोन की डिमांड करती है। इसी संसद में सवाल उठते हैं कि आपने जो डिमांड की थी उसको पूरा क्यों नहीं किया। अगर उसमें मैं यह कहूं कि हमको केबल्स की सप्लाई एच०सी०एल० ने नहीं की, इसलिए हम अपना टार्गेट पूरा नहीं कर सके तो क्या माननीय संसद सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे ? अगर मैं कहूं कि हमने एच०सी०एल० को बचाने के लिए ऑर्डर दिया और सप्लाई पूरी न होने के बाद हमने ऑर्डर जारी रखे, तो क्या डी०ओ०टी० के खिलाफ सी०ए०जी० पैरा नहीं बनेगा और इन तमाम चीजों में डी०ओ०टी० को बचाने कौन आएगा ? इसलिए हमें एक संतुलन बैठाना है। इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद हिन्दुस्तान केबल्स रिवाइव हो और हमारी मदद उसमें लगे, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। उद्योग मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ टैलीकम्यूनिकेशनेस के हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है। स्वयं सेक्रेटरी टेलीकॉम और सेक्रेटरी हैवी इंडस्ट्रीज श्री शंकर और श्री गोकक के बीच में मीटिंग हुई है। बाकायदा एक वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ है। उसने बाकायदा एक एम०ओ०यू० ड्राफ्ट करने के लिए भेजा है जो कि डिपार्टमेंट में इस समय जोरेगीर है, विचाराधीन है। कुछ चीजें एच०सी०एल० से मांगी हैं जो उन्होंने भेजी हैं। उन्होंने स्वयं लिखित में स्वीकार किया कि आपके द्वारा दिये गए ऐडवांस का पैसा चूंकि सेलेरीज में दे दिया गया, इसलिए जो रॉ मैटीरियल आना था, उसके लिए रॉ मैटीरियल वाले को हम पैसा नहीं दे सके, इसलिए हम आपकी सप्लाइज पूरी नहीं कर सके। आप बताइए कि एक तरफ हमदर्दाना रुख रखते हुए भी कि हिन्दुस्तान केबल्स रिवाइव हो, क्या इस तरह की चीजों को हम स्वीकार कर सकते हैं कि जो पैसा हम सप्लाई ऑर्डर के लिए दें, उन पैसों से तनख्वाह दे दी जाए और रॉ मैटीरियल न मंगाया जाए और उसके कारण हमारी सप्लाई न हो ? इसलिए तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी थी। मैं आपको कह रही हूं कि इतनी तमाम दिक्कतें होने के बावजूद हम लोगों ने ऑर्डर देने जारी रखे और जैसा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने बाद में कहा, बहुत ऐक्टिव कंसिडरेशन हम दोनों आपस में मिलकर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर स्वयं मेरे पास मिलने आए थे जहां अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। बसुदेव जी यह न समझें कि एक मीटिंग होकर मामला खत्म हो गया। आपकी और मेरी मुलाकात के बाद भी अलग-अलग स्तरों पर चार-पांच बैठकें हो चुकी हैं। हम लोगों की तरफ से किसी तरह की कोताही नहीं है, लेकिन रास्ता निकालने दीजिए। हम रास्ता निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एच०सी०एल० सिक कंपनी होकर न पड़े, इनके मजदूरों को हाथ फैलाने न पड़ें, ये सड़क पर न आ जाएं, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स की जिस तरह की भी मदद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हमसे चाह रही है, उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी सप्लाइज नहीं होगी, आज भी 38 करोड़ का ऐडवांस एच०सी०एल० के पास हमारा पड़ा है जिसके अगेन्स्ट सप्लाई नहीं हुई है और उन्होंने लिखकर दिया है कि पूरा वर्किंग नेटवर्क इरोड हो गया है। इन तमाम दिक्कतों से रास्ता निकालने का एक संकल्प हमने किया है तो मैं चाहूंगी कि माननीय सांसद हम पर विश्वास करें और रास्ता निकालने के लिए आगे बढ़ने दें।

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से स्पष्टीकरण चाहता हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दो भाग हैं : पहला वेतन के बारे है और दूसरा हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का हस्तांतरण उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण से संचार मंत्रालय को करना *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह पूरा हो गया है। मंत्री के उत्तर के बाद, वह स्पष्टीकरण चाहते हैं, क्या इसकी अनुमति है ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा० रेड्डी, आप मंत्री से केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदया, हम आपकी बात धैर्य से सुन रहे थे। जब हम स्पष्टीकरण मांग रहें हैं, तो आपको भी हमें सुनना चाहिए। आपने सभा में स्पष्ट किया कि संचार मंत्रालय हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को अत्यधिक सहायता दे रहा था। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड देश की श्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। मगर आप को जो स्पष्टीकरण देना है वह यह है। विश्वस्त जानकारी के अनुसार संचार मंत्रालय द्वारा अन्य सभी निर्माताओं को क्रयादेश देने से पहले इसके द्वारा हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को पूरा व्यापार संबंधी क्रयादेश दिया जा रहा था। वे क्रयादेश का सफलतापूर्वक पालन कर रहे थे उनका व्यवसाय बहुत सफल और फल-फूल रहा था। मगर पिछले कुछ वर्षों से, चूंकि आपने खुली निविदा प्रणाली आरंभ कर दी, आप हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को व्यापार संबंधी पूर्णरुपेण क्रयादेश नहीं दे सके। शायद वे आप पर निर्भर थे। आप की सहायता के बगैर वो सफल नहीं हो सके। मगर महत्वपूर्ण बात यह है, कि आपके द्वारा उठाए गए कदम से, नीति में बदलाव से और आप द्वारा अपनाए गए सिद्धांत से, मजदूरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्हें वेतन एवं अन्य सुविधाएं चाहिए। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड जब भारी उद्योग मंत्रालय से आपके मंत्रालय को हस्तांतरण कर दिया जाएगा, यह आपका हो जाएगा। मगर किसी अन्य माध्यम से इसको सहायता नहीं मिल रहीं है। अत: आपको कंपनी की देख-भाल करनी चाहिए, जिससे कंपनी बच जाए। इससे मजदूरों को भी लाभ होगा और वे खुश होंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हालत अच्छी नहीं है फिर भी हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड अच्छा कार्य कर रहा है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड जैसी कुछ अच्छी कंपनियां हैं हालांकि उन्हें परेशानी हो रही है। आपको मजदूरों की सहायता करनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि भारी उद्योग मंत्री और संचार मंत्री के बीच वार्ता की स्थिति क्या है? क्या इसका हस्तांतरण संभव है? क्या

[डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में फिर नई जान डालना संभव है? यह मेरा प्रश्न है। मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह मेरे ध्यानाकर्षण का भाग है, महोदय यद्यपि मैं देर से आया आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : आपके प्रश्न के इस भाग का उत्तर मंत्री महोदया द्वारा पहले ही दे दिया गया है। यह कार्यवाई वृत्तांत में है। मामला समाप्त होता है।

अब सभा नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर चर्चा करेगी।

अपराह्न 3.13 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद को उद्योग शून्य जनपद घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामशकल (राइट्सगंज) : सभापति जी, मिर्जापूर जनपद में पाषाण खनन पर रोक, पीतल बर्तन उद्योग, लौह उत्पादन उद्योग सहित सभी उद्योग एक-एक करके बन्द हो चुके हैं। अब ए०एफ०आई० आर० ने सीमेंट निगम की चुनार इकाई को भी बंद करने का आदेश पारित कर दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा परिभाषित 'उद्योग शून्य जनपद' की सभी अर्हताएं व परिस्थिति मिर्जापुर जनपद की है। आज पत्थर उद्योग के 50,000 मजदूर परिवार, सीमेंट इकाई के 6000 मजदूर परिवारों के बेकार होने व जनपद में बेरोजगारी की दशा ने इस समस्या को अविलंबनीय लोक महत्व का बना दिया है। आपके माध्यम से मैं मिर्जापुर जनपद को तत्काल उद्योग शून्य घोषित करने की मांग करता हूं।

अपराह्न 3.14 बजे

[**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** पीठासीन हुए]

(दो) चतरा, बिहार में केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : सभापति महोदय, केन्द्र द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र चतरा और आसपास के इलाके के लोगों को नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी केन्द्र की योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे कि सैकड़ों अनुसूचित जाति तथा अन्य गरीब तबके के लोग हमारा क्षेत्र छोड़कर पलायन कर रहे हैं। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं है। व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं के बराबर हुआ है। प्रखण्ड के गरीबी रेखा में पड़ने वाले अधिकांश लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित है। प्रखण्ड के विकास कार्यालय द्वारा केन्द्र की विकास योजनाओं को समुचित रूप से लागू नहीं किया जाता है।

अत: इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में केन्द्रीय योजनाओं की जांच की जाए।

(तीन) गुजरात में सरदार सरोवर योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया (जूनागढ़) : सभापति महोदय, गुजरात की जीवादोरी 'सरदार सरोवर' योजना बहुउद्देशीय योजना है। गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर होने वाला यह बांध भारत का पांचवा बड़ा बांध है। इस बांध से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोगों को लाभ होने वाला है। 6300 करोड़ के खर्च से बनने वाले प्रोजेक्ट को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा करना है।

इस बांध को पूरा करने में जो भी बाधाएं आईं उनके निराकरण हेतु 12 अगस्त, 1995 को राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक भी हुई।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि दिसम्बर 1979 में हुए ट्रिब्यूनल के आखिरी फैसले को ध्यान में रखकर, गुजरात सरकार ने जिसकी अनेक बार मांग की है, यह सरदार सरोवर योजना को अतिशीघ्र राष्ट्रीय महत्व की योजना घोषित करें।

[अनुवाद]

(चार) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाणपत्र को दिल्ली के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र के समतुल्य आने जाने की आवश्यकता

श्री वी०एम० सुधीरन (अलेप्पी) : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी०एस०एस०एस०बी०) ने दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली नगर निगम और शिक्षा निदेशालय के अधीन विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति के लिए करीब 4000 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था। इन रिक्तियों का एक बड़ा हिस्सा अनु० जाति/ अनु० जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। लेकिन डी०एस० एस०एस०बी० ने यह बताया है कि अनु० जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया श्रेणी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके न होने की स्थिति में उनके आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं तथा जिनके पास उनके अपने-अपने राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनु० जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र हैं और अब दिल्ली में बस गए हैं, के कल्याण मंत्रालय संकल्प सं० 12011/22/93 स्थापना (एस०सी०टी०) दिनांक 8.9.93 के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर अपना वैधानिक अधिकार पाने से वंचित किया जाता है।

उपरिलिखित तथ्यों को देखते हुए तथा दिल्ली में बसे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल दिल्ली के ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए उन अभ्यर्थियों को ऐसी शर्त से मुक्त कर दिया जाना चाहिए जिनके पास उनके अपने राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी संबंधित श्रेणी का प्रमाणपत्र मौजूद है।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और देखें कि आवेदन पत्रों तथा सूचना विवरणिकाओं में समुचित रूप संशोधन किया जाय ताकि उन सभी को इन श्रेणियों के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिल सके जिनके पास इन श्रेणियों का प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

सभापति महोदय : श्री डी०एस० अहिरे, आप बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं कि दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों के ओ०बी०सी० सर्टीफिकेट्स को सरकार नहीं मान रही है। यह पक्षपात है और यह नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। माननीय सदस्य के साथ हम अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (मछलीपत्तनम) : उस पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : समय भी सीमित है। यदि सरकार इस वक्त हस्तक्षेप नहीं करती है तो इसमें आगे भी विलम्ब हो सकता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप नियम जानते हैं। जब नियम 377 के अधीन मामले उठाए जा रहे हों तो कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को : यदि वे कल कुछ करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसकी समय सीमा निर्धारित है। यदि हम लोगों की अभी मदद नहीं कर सकते तो क्या फायदा ? *(व्यवधान)*

(पांच) महाराष्ट्र में नासिक और धुले जिले में आदिवासी ग्रामीणों के लिये गोथन स्थल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री डी०एस० अहिरे (धुले) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दोनों जिलों अर्थात् नासिक और धुले, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, मैं अनेक छोटी-मोटी बस्तियों को पृथक राजस्व गांवों में बदल दिया गया है लेकिन उनमें से अनेक गांवों को नए मकानों के निर्माण के लिए गोथन स्थल अथवा सरकारी भूमि नहीं दी गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 25 गांव हैं अर्थात् 15 गांव धूले जिले में है और 10 गांव नासिक जिले में है जिन्हें पांच से दस वर्षों पूर्व पृथक राजस्व गांव घोषित कर दिया गया था लेकिन इन गांवों के निवासी अभी भी निजी जमीनों पर रहते हैं। इन निजी जमीनों के मालिक उन्हें अन्यत्र कहीं चले जाने को विवश कर रहे हैं, इसीलिए, इन गांवों के निवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: मेरा निवेदन है कि इन गांवों को गोथन स्थल दिया जाए अथवा जिन निजी जमीनों पर ये आदिवासी वर्षों से रहते आ रहे हैं उसे सरकारी जमीन में बदल दिया जाये और जमीन के मालिकों को सरकार द्वारा हर्जाना दिया जाये।

(छ:) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में सड़क निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदया, मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के विकास की पर्यावरणीय वन स्वीकृति योजनाओं की दुर्दशा की और आकर्षित करना चाहता हूं जो काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं। निकोबार जिले के आदिवासी क्षेत्र में (एक) कामोरटा जेट्टी से पिल पिल्लो तक सड़क निर्माण योजना पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी हैं जिसे प्रशा० सं० 12-9 (1) 37-89/ए एण्ड आर दिनांक 16 जून, 1989 के माध्यम से भेजा गया था और (दो) की पत्थर की खदानों (एन०ए० टी०आर०) (0.81 हेक्टेयर) पर कार्य संबंधी प्रस्ताव 1989 से लम्बित पड़ा है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निकोबार जिला, जो सर्वाधिक अविकसित है और जिसकी शत प्रतिशत आबादी आदिवासी मूल की है, में लोगों को सड़क आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं और वे पूरी तरह उपेक्षित हैं।

अत: मैं आपसे उपरोक्त परियोजना प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं ताकि उस सुदूर और अलग थलग पड़े द्वीप समूह में रह रहे लोग स्वयं को उपेक्षित और दु:खी न महसूस करें। इसके अतिरिक्त, हमेशा पर्यावरणीय वन स्वीकृति के लिए वानिकी प्रयोजनों हेतु बराबर अंश में राजस्व भूमि प्रदान करने की शर्तें थोप दी जाती हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास केवल 14 प्रतिशत ही राजस्व भूमि है और 86 प्रतिशत भूमि में वन हैं इसलिए ऐसी शर्तें सर्वथा अनुचित है और देश के उस हिस्से में राजस्व भूमि की बराबर अंश प्रदान करना अव्यावहारिक है।

अत: मैं भारत सरकार, विशेषरूप से माननीय पर्यावरण और वन मंत्री, जो यहां मौजूद हैं से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त परियोजनाओं को शीघ्र ही पर्यावरणीय वन स्वीकृति प्रदान की जाए।

(सात) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग - 17 के विकास कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन (बासरगोड) : महोदय, मैं सदन का ध्यान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्ग - 17 की दयनीय

[श्री टी० गोविन्दन]

दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो केरल के उत्तरी क्षेत्र में होकर गुजरता है।

केरल में पड़ोसी राज्यों से उपभोग की लगभग सभी आवश्यक वस्तु इसी राजमार्ग के जरिए लाई जाती हैं। कालीकट और कासरगोड के बीच 10 रेलवे फाटक हैं जो सवारी और माल यातायात में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। केरल सरकार ने इन फाटकों की संख्या घटाकर तीन अर्थात् चोरोडे, पालीक्कारा, पडान्नाकाड करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। तेलीपाराम्बा, पायानूर, वेलूर, चेरूघाटूर और पालीक्कारा क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के विकास और समुन्नयन हेतु प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन विकास कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से इन प्रस्तावों को मंजूरी देने और तीनों रेलवे उपरिपुलों के निर्माण हेतु पर्याप्त धन देने का अनुरोध करता हूं। मैं जल भूतल परिवहन मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वह इन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रस्तावों के कार्यों को मंजूरी दें तथा इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त धन प्रदान करें।

(आठ) तमिलनाडु के नामक्कल जिले में पोन्नी चीनी मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के संबंध में निदेश दिये जाने की आवश्यकता

श्री के० पलानीस्वामी (तिरूचेंगोडे) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूचेन्गोड के नामक्कल जिले में पल्लीपलयम, के समीप स्थित चीनी मिल द्वारा पेयजल प्रदूषित किए जाने की गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा।

पोन्नी शूगर मिल द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों का परिशोधन और निपटान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप चीनी मिल के नि:स्रात इस क्षेत्र की भूमि में चला गया है और भू-गर्त में स्थित जल प्रदूषित हो गया है। जिसके फलस्वरूप पप्पनपलायम, कोक्करायनपेट्टई, ओडापल्ली और इसके आस पास के गांव प्रभावित हुए हैं। चूंकि कुएं का जल अत्यधिक प्रदूषित है निर्धन किसानों और इन गांवों में अन्य बाशिंदों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है।

फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कावेरी में जल प्रवाह कम हो जाता है। उस समय पोन्नी शूगर मिल द्वारा कावेरी नदी में अपरिस्कृत नि:स्रात छोड़ दिया जाता है। चूंकि इससे कावेरी जल प्रदूषित हो जाता है इसलिए लोग इस जल का पेयजल के रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

कुएं के जल और कावेरी नदी जल के प्रदूषित हो जाने के कारण यह पीने लायक नहीं है। इस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु राज्य में स्थित पोन्नी शूगर मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी नि:स्रात का समुचित रूप से परिस्कार और निपटान करने का निर्देश दें।

(नौ) महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले की पनवेल तहसील में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसेठ ठाकुर (कुलाबा) : सभापति जी, महाराष्ट्र राज्य के राजगढ़ जिले के पनवेल तहसील में कोलम्बे, डेरवली, पलस्पे, शिरठोण, सुकापुर, नेरे आदि गांव जो पनवेल शहर के बिलकुल नजदीक हैं, इन गांवों की आबादी लगभग बीस हजार के आसपास है। इन्हीं गांवों के चारों तरफ इंडस्ट्रीज बढ़ रही है और पूरा इलाका शहरी बन रहा है। लेकिन कोई भी टेलीफोन की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण बहुत परेशानी सहन करनी पड़ती है।

इसलिए केन्द्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि ऊपर निर्देशित गांवों में एम०टी०एन०एल० द्वारा टेलीफोन की सुविधा उपलबध करा दी जाये।

(दस) केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आंग्ल-भारतीय समुदाय को विशेष वर्ग के रूप में आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात् आंग्ल-भारतीय समुदाय को रेलवे, सीमा और उत्पाद शुल्क, टेलीग्राफ आदि विभागों में नौकरियों में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष 1960 में आरक्षण का यह कोटा हटा लिया गया था।

आंग्ल-भारतीय समुदाय ही एकमात्र ऐसा ईसाई समुदाय है जो कि जाति आधारित नहीं है। इसीलिए हमें अन्य ईसाई लोगों और अन्य अल्पसंख्यकों की भांति नौकरियों में और व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के कोटे के मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह आंग्ल-भारतीय समुदाय को विशेष श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान करने और हमारे लिए केन्द्रीय सरकार की नौकरियों और रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्थान के लिए खेलकूद कोटा अथवा भूतपूर्व सैनिक कोटा के अन्तर्गत अनुमत्य आरक्षण की भांति न्यूनतम कोटा की अनुमति प्रदान करने के मामले पर विचार करें।

मैं सरकार से इस समुदाय की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और इस समुदाय के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और सरकारी नौकरी के अवसरों के अभाव को देखते हुए इस मांग पर विचार करने और इसके लिए निश्चित रूप से आवश्यक आरक्षण की सुविधा को पुन: बहाल करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह करता हूं।

(ग्यारह) बिहार में, विशेष रूप से रांची में राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है और सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं जिसके कारण कई दुर्घटनायें होती रहती हैं। रांची और गुमला का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह तो बहुत ही बद्तर स्थिति में है। इस मार्ग पर यातायात भी बहुत रहता है। गढ़वा और बीकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग को मरम्मत कार्य किया जाना अति आवश्यक है और यह भी देखा जाता है कि जो कच्चा माल सड़कों पर लगाया जाता है वह बढ़िया और टिकाऊ नहीं होता है जिसके कारण गड्ढे बार-बार हो जाते हैं।

परिवहन की सुविधा रांची के आसपास और रांची से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अच्छे मटेरियल से मरम्मत किया जाये।

(बारह) देश में स्कूली बच्चों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, स्वतंत्रता के पांच दशक बीत जाने के बावजूद कई मिलियन बच्चे परिहार्य बीमारियों से पीड़ित हैं। आधे प्रतिशत से एक प्रतिशत बच्चे वात हृदय रोग से पीड़ित हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक कीटाणु के कारण गले में संक्रमण जन्य है। पच्चासी प्रतिशत बच्चों के पेट में कीड़े हैं, पच्चीस प्रतिशत बच्चों में विटामिन की कमी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कई गम्भीर बीमारियों की शुरूआत आंशिक रुग्णता से होती है।

इस प्रकार से बच्चे गरीबी और निवारणीय बीमारियों दोनों से ही पीड़ित होते हैं जिससे बच्चों, परिवार और देश के समक्ष भावनात्मक, वास्तविक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

यदि शिक्षा को चिकित्सा के साथ जोड़ते हुए भारत में प्रत्येक विद्यालय को प्राथमिक और निवारणात्मक स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्र के रूप में बदल दिया जाये तो हम इस स्थिति को बदल सकेंगे।

संक्षेप में, एक चिकित्सक को सप्ताह में एक बार विद्यालय जाना होगा। छोटी मोटी बीमारियों का विद्यालय में रखी हुई सस्ती दवाइयों से ही इलाज कर दिया जाना चाहिए। छोटी बीमारियों का पता लगाने और चिकित्सकों की मदद करने हेतु एक अथवा दो अध्यापकों को अध्यापक-चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। उपचारिकाओं को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिलाकर महिलाओं के लिए विशेषकर रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए इनको विद्यालय स्वास्थ्य उपचारिका के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दान राशि आयकर से शत प्रतिशत उन्मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे कार्यक्रमों की सहायता देने के लिए तत्पर है। सुप्रसिद्ध डा० सलोमोन विक्टर द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार मैंने ऐसे कार्यक्रम का एक प्रस्ताव केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजा है।

चूंकि चेन्नई निगम ने इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है, मैं सरकार से इस योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में लागू करने का अनुरोध करता हूं जोकि शिशु स्वास्थ्य रक्षा की निगरानी करेगी और इसके फलस्वरूप प्रमुख बीमारियों से बचा जा सकेगा।

अपराह्न 3.30 बजे

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

श्री एम० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष पुर: स्थापित विधेयक अर्थात् लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज संबंधी (संशोधन) विधेयक 1998 का समर्थन करता हूं। यह एक ऐसा उत्कृष्ट विधान है जिसमें माननीय मंत्री जी ने आनुषंगिक एककों और लघु उद्योगों की ओर ध्यान दिया है। अब प्रश्न यह है कि क्या बड़े उद्योगों को सामग्री उपलब्ध कराना लघु उद्योगों के हाथ में है। बड़े उद्योगों द्वारा सामग्री की मांग किए जाने पर आनुषंगिक एकक ये उपलब्ध करायेंगे। वे भुगतान के लिए बड़े उद्योगों को बाध्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए तुमकुर में एच०एम०टी० का कारखाना है। यह एक बड़ा उद्योग है। इसके अधीन पैंतीस से चालीस आनुषंगिक एकक कार्यरत हैं। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें आनुषंगिक एकक पूरा करते हैं। इस बड़े उद्योग को अकुशल प्रशासन, दूरदर्शिता का अभाव और बाजार का सर्वेक्षण न कराये जाने के परिणामस्वरूप इसको हानि हुई।

इस तुमकुर एकक से भी एक बड़ा उद्योग है जिसकी तुमकुर उद्योग पर 36 लाख रुपये की देनदारी है। 36 लाख रुपये की यह राशि अठारह प्रतिशत की ब्याज दर पर अर्थात् प्रति माह 6.50 रुपये बढ़ रही है। बंगलौर में स्थित इस बड़े उद्योग की गलतियों के कारण तुमकुर का यह एकक प्रभावित है। वास्तव में लगभग तीस से पैंतीस उद्योग बंद कर दिए गए हैं। मैंने भारी उद्योग के माननीय मंत्री से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया है। उन्होंने मूल्य संबंधी पैकेज का समझौता किया है।

बंगलौर स्थित मूल उद्योग इस इकाई को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दे रहा है। वस्तुत: श्रीनगर और नैनीताल स्थित जैसी सभी इकाइयों को एक साथ मिलाया हुआ है। यद्यपि तुमकुर इकाई को मुनाफा हो रहा है, इस इकाई को घाटा नैनीताल इकाई की अक्षमता और श्रीनगर इकाई द्वारा उठाए गये आर्थिक घाटे के कारण होता है। अत: मैं यह चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री इन गौण इकाइयों और लघु उद्योगों की मदद करने के लिए वास्तव में बहुत ईमानदार और निष्ठावान हैं तो उन्हें इन उद्योगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दे देनी चाहिए।

जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है, वे अभी भी दूसरे उद्योगों की दया के पात्र बने हुए हैं। हालांकि इस संबंध में नियम बहुत ही स्पष्ट हैं कि विलम्बित भुगतान करने पर जुर्माना लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है। यदि लघु उद्योग माल के लिए क्रयादेश नहीं देंगे तो वे क्या कर सकते हैं ? वे बिल्कुल ही असहाय है। अत: मेरी राय में इस नियम पर पुन: सोचविचार करने की आवश्यकता है और जो लोग इन क्षेत्रों में चाहे वह मूल उद्योग हो अथवा लघु उद्योग हो, को मिल बैठकर विचार करना चाहिए और ऐसे तरीके निकालने चाहिए ताकि लघु उद्योगों को बचाया जा सके। यदि लघु उद्योगों को जीवित रखना है तो मूल उद्योग को उनकी मदद करने के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए। जहां तक सहायक

[श्री एम० मल्लिकार्जुनय्या]

इकाइयों का संबंध है मैंने माननीय मंत्री महोदय से इन सहायक उद्योगों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए अनुरोध किया था। तुमकुर स्थित सहायक इकाइयों और मूल इकाई के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं हम दोनों पक्षों की ओर से उनके मामलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने इकाइयों के मूल्य पैकेज पर एक समझौता किया है लेकिन मूल उद्योग उस समझौते से मुकर रहा है क्योंकि उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है और जहां तक सहायक इकाइयों का संबंध है, उनका यह कहना है कि उन्होंने इस संबंध में एक समझौता किया है। तीन या चार अधिकारियों को लेकर एक समिति का गठन किया गया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जिसके परिणामस्वरूप वे यह कह रहे हैं कि मूल उद्योग बढ़ी हुई कीमतों को पाने के हकदार हैं क्योंकि उत्पादन की लागत अधिक है। लेकिन दुर्भाग्यवश, मूल उद्योग का स्वामित्व बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है और सहायक उद्योग असहाय हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय है। अत: मैं माननीय भारी उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे दोनों उद्योगों के साथ न्याय करने का प्रयास करें। केवल विधानों को बनाने से और उन्हें भरोसा दिलाने से उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। सभा में ही कोई कह रहा था कि अब तक बनाए गए लगभग एक हजार विधान बेकार साबित हुए हैं। अत: ऐसा विधान बनाने का कोई लाभ नहीं है जो आम जनता के लिए, मूल उद्योग के लिए और सहायक इकाइयों के लिए लाभप्रद न हो।

मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प० बंगाल) : महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा इस विधेयक को लाना एक अच्छा संकेत है। मुझे बहुत दुख है कि मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में माननीय मंत्री के वक्तव्य की प्रशंसा अथवा इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन, मुझे इस बात की प्रशंसा करने में खुशी है कि इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य लघु उद्योगों को पर्याप्त राहत देना है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में भुगतान में विलम्ब को रोकने और लघु उद्योगों को भुगतान समय पर सुनिश्चित करने का उल्लेख है जिससे इस अधिनियम को पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

महोदय, लघु उद्योगों द्वारा अदा की जा रही भूमिका देश के आर्थिक ढांचे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेशनल हेराल्ड से लिए गए आंकड़े मेरे पास हैं। मैं इन्हें उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि कुल औद्योगिक एककों का 95 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत, औद्योगिक रोजगार का 80 प्रतिशत और देश के निर्यात का 40 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों का है। राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे में लघु उद्योगों का यही महत्व और सार्थकता है।

महोदय, मैं सभा को यह तथ्य याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के महत्व और सार्थकता को महसूस किया था। इसलिए, उन्होंने इस पद्धति को दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956-61 तक चली थी, में शुरू किया था।

इसकी प्रासंगिकता सिद्ध हो चुकी है। इसके साथ ही हम यह देखते हैं कि लघु उद्योग जो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, रुग्ण और अशक्त हो गए हैं। यह केवल सरकार द्वारा स्थिति का सही आकलन न करने का नतीजा है। किस सरकार ने ऐसी गलती की है मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन यह सरकार द्वारा स्थिति का सही आकलन न करने के कारण हुआ है और सरकार सतत् प्रक्रिया है। इसलिए, इसके लिए जिम्मेदारी से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन मुख्य बात ये है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए महत्व अथवा प्रोत्साहन की आने वाले वर्षों में पूर्णत: उपेक्षा की गई, कुल मिलाकर परिणाम यह रहा कि लघु उद्योग आज रुग्ण हो गए हैं। मेरे पास इनके आंकडे हैं। मैं इन्हें आपके साथ विचारार्थ रखूंगा।

लेकिन हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसका बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारण किया जाता है। महासागर में हम यह देखते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती हैं। उसी तरह, बाजार अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग घरानों का बड़े एकाधिकार घरानों द्वारा शोषण किया जाता है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। यह बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली का उतार चढाव है।

लघु उद्योगों पर बकाया राशि के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता इतनी आम बात हो गई है कि अनेक अच्छे रिकार्ड वाले लघु एककों को भी ऋण देने वाली संस्थाओं और बैंकों द्वारा शक की दृष्टि से देखा जा रहा है क्योंकि लगभग 2,75,000 लघु और रुग्ण एककों पर ऋण देने वाली संस्थाओं से उधार लिए गए 3,558 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पहले ही फंसी हुई है। यही स्थिति है। लोगों की इतना बड़ी धनराशि उद्योगों के कुप्रबंधन के कारण इन संस्थाओं में फंसी हुई है। इसलिए, लघु उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए उचित ध्यान और महत्व दिया जाना चाहिए।

अन्य बात यह है कि यहां मूलभूत ढांचे का अभाव है। तकनीकी जानकारी का अभाव भी हमारे देश में लघु उद्योगों की रुग्णता का एक कारण है, इसके अलावा, भुगतान न किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना अतिमहत्वपूर्ण कारक है जिससे लघु उद्योगों की रुग्णता को बढ़ावा मिला है। इसलिए इस विधेयक के उद्देश्य की प्रशंसा की जाती है और हमारे द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।

यहां बातचीत और परामर्श के लिए औद्योगिक सरलीकरण परिषद् के गठन के लिए नीति निर्देश है। यह एक अच्छा विचार है। परन्तु औद्योगिक सरलीकरण परिषद् के प्रबंधन का सम्पूर्ण कार्य नौकरशाही को सौंप दिया गया है। माननीय मंत्री से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि नौकरशाही एक अच्छा और सुव्यवस्थित संगठन है लेकिन अकेले इसे ही इस औद्योगिक सरलीकरण परिषद् का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री और सरकार द्वारा इस पर विचार किए जाने का प्रस्ताव करता हूं कि इस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों अथवा सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को बातचीत और परामर्श के लिए औद्योगिक सरलीकरण परिषद् में स्थायी आमंत्रित करना चाहिए। माननीय मंत्री से इस पर विचार करने के लिए मेरा विनम्र सुझाव है।

महोदय, केवल लघु उद्योग कृषि पर पूर्णत: निर्भर हैं। वे हमारे कृषि-आर्थिक ढांचे में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरे पास यहां इसके आंकड़े हैं और उनसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (नाबार्ड) और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई०आर०बी०आई०) लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों और वित्तीय निगमों को पुन: वित्तपोषण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।"

महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह वर्तमान स्थिति का जायजा लें। ये सभी संस्थाएं, सिडबी, नाबार्ड और आई०आर०बी० आई० ने लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम ऋण देने की स्वीकृति दी है। लेकिन, इसका क्या निष्कर्ष रहा ? ये सभी लघु उद्योग विशेषरूप से एक ऐसा उद्योग, नामत: आई०एफ०ए०के०एस० पश्चिम बंगाल में मेरे जिले मुर्शिदाबाद में, जिसके बारे में, मैं माननीय मंत्री को लिखना चाहता हूं सहकारी संघ, जो नाबार्ड से हैं, से अग्रिम तथा ऋण लिए हैं। उन्होंने उद्यम लगाने के प्रयास किए हैं। उन्होंने सम्बंधित उच्च प्राधिकारियों को सभी संगत कागजात दिए हैं लेकिन उनके भुगतान को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए वे अभी तक परेशान हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इन सभी पहलुओं पर ध्यान दें। इस संशोधन विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री के० पलानीस्वामी** (तिरूचेंगोडे) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं लोगों के दिलों में बसे अपने नेता डा० पुराची थेलाइवी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ने और तिरूचेंगोडे चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का प्रतिनिधि बनकर इस सभा में आने का अवसर प्रदान किया।

मैं लघु क्षेत्र और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों से सम्बन्धित इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत में लगभग दो लाख और 86 हजार लघु औद्योगिक एकक हैं जो सभी रुग्ण हैं। उनमें से अधिकांश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बंद हो गए हैं। लाखों कामगारों के बेरोजगार हो जाने के कारण उनके परिवार अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हमें इन रुग्ण औद्योगिक एककों को न केवल पुन: चालू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए बल्कि इसके कारण प्रभावित हुए औद्योगिक कामगारों का पुनर्वास भी करना चाहिए। सरकार द्वारा इन लघु औद्योगिक एककों को ऋण के रूप में दिए गए करोड़ों रुपए की वसूली नहीं की जा सकती। निवेश शून्य पर पहुंच गया है क्योंकि ऋण की वसूली नहीं की गई। इसलिए इन एककों के पुन: चालू करने के लिए उचित कदम उठाने से पहले ऋण वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा ? मुझे आशा है कि सरकार इन कठिनाइयों का समाधान करने पर ध्यान देगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब ऋण दिया जाना चाहिए। ऐसे ऋण कम ब्याज की दर पर दीर्घावधि ऋण होने चाहिए।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

पुनरुद्धार उपायों का विश्लेषण करने वाली समितियों के सदस्य समान औद्योगिक पृष्ठभूमि से अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए। मेरा यह कहना है कि इस समय उन समितियों में न्यायपालिका से लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप विलम्ब से बचा जा सकता है। इससे उन औद्योगिक एककों जिनकी तरफ तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, पर प्रभाव पड़ेगा। इस विलम्ब से हजारों लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे तिरूचेनगोड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के इडप्पपाडी, संगागिरी, तिरूचेनगोड और ईरोड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अनेक लघु औद्योगिक इकाईयां हैं। ऐसी हजारों छोटी औद्योगिक इकाईयों ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया है। उन विद्युत हथरकघा इकाईयों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे रुग्ण हैं। निर्यात हेतु करोड़ों रुपये के वस्त्र बेकार पड़े हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन वस्त्र संबंधी मदों के निपटान हेतु तत्काल कदम उठाए।

विद्युत करघा क्षेत्र के अत्याधिक विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं संपूर्ण भारत में तिरूप्पुर ही एक ऐसा बुनाई का औद्योगिक शहर है जहां वर्ष में 3000 करोड़ रुपये के वस्त्र बुने जाते हैं। उन इकाईयों को राष्ट्रीयकृत बैंको से उदार ऋण मिलना ही चाहिए। वस्त्र बुनने वाली औद्योगिक इकाईयों को रियायती दर पर ब्याज मिलना चाहिए। कभी-कभी शास्ति ब्याज भी वसूला जाता है। मैं भारी शास्ति ब्याज हटाने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं।

जहां तक रंजक उद्योग का सवाल है केन्द्रीय सरकार द्वारा पब्लिक प्रसंस्करण इकाईयों और (औद्योगिक) अपशिष्ट निकालने वाली इकाइयों को तत्काल अनुदान उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से इस पर शीघ्र कार्यवाई होनी चाहिए।

इन इकाईयों से होने वाले निर्यात के निपटान पर उत्पाद विभाग ने बाधा डाली। उन्हें अनेक अड़चने दूर करनी होगी। सरकारी कर्मचारियों को इन इकाईयों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें माननीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। निर्यातकों के संबंध में चुंगी वापसी मामले में और निर्यात और छूट प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं इसे सुचारू बनाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के नामाक्कल, तिरूचेनगोड, संगागिरी और इरोड में अनेक लारी और ट्रक परिवहन फर्में हैं, वहां अनेक लारी मालिक हैं। तीन वर्ष पूर्व नामाक्कल में एक आनुषंगिक इकाई स्थापित करने का विचार था। वहां, लारी के कल-पुर्जे एवं आनुषंगिक इकाईयों के द्वारा लारी परिवाहकों की सहायता हेतु आटो नगर की स्थापना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस आटो नगर को पूर्णत: चालू करने के लिए राज्य सरकार से कहें।

तमिल नाडु पिछड़ा वर्ग विकास निगम के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास निगम जरूरतमंद उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध करायेगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को ऋण की राशि एक लाख रुपये से बढ़ा कर पांच लाख रुपये कर दी गई है। मगर तमिल नाडु में अभी भी ऐसे हजारों ऋण आवेदन लंबित हैं। कुछ मामलों में उन्हें तीन वर्ष बाद भी ऋण नहीं मिला है। उन्हें कम से कम राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मिलना चाहिए। इस संबंध में उचित कदम उठाए जाने पर तेजी लायी जानी चाहिए।

[श्री के० पलानीस्वामी]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र संगागिरी में तथा इसके आस पास अनेक इस्पात रोलिंग मिल्स हैं इनमें से अनेक रोलिंग मिल्स रुग्ण हो गए हैं। अनेक बन्द हो गए हैं। हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। औद्योगिक गति-विधि में आई इस चिन्ताजनक गिरावट को देखते हुए, विकट परेशानियों से जूझते हुए हजारों व्यक्तियों के हितों को देखते हुए उन रुग्ण इस्पात रोलिंग मिल्स के पुनरुद्धार हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इन असहाय कामगारों के पुनर्वास हेतु सही उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

नरसिम्हन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट का भाग-II सौंप दिया है। इसमें लघु उद्योगों को ऋण ना देने की सिफारिश की गई है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि लघु उद्योगों को ऋण जारी रखें। इसके द्वारा ही आप लाखों व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं और लाखों व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन कर सकते हैं। सरकार से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करते हुए और विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के०एस० राव (मछलीपत्तनम) : लघु उद्योगों के बारे में तथा विलंब से होने वाले भुगतान पर ब्याज संबंधी संशोधन विधेयक लाने पर मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से लघु उद्योग के समक्ष अनेक समस्याओं के मद्देनजर विधेयक अधिक विस्तृत हो सकता था। आंकड़े बताते हैं कि लघु उद्योग अभी भी पिछड़े हुये हैं। लघु उद्योगों एवं लघु उद्योगपतियों द्वारा दी जा रहीं सेवाओं के बारे में देश में आम तौर पर यह राय है कि अधिकतर लघु उद्योग असफल रहें हैं। उनका न्यूनतम योगदान है। जैसा कि पूर्ववर्ती सदस्य ने कहा कि 95 प्रतिशत उद्योग लघु क्षेत्र में है और मझौले और बड़े उद्योग केवल पांच प्रतिशत ही है। बैंकों द्वारा 2,00,000 करोड़ रुपये के ऋण में से 95 प्रतिशत लघु उद्योगों को केवल 30,000 करोड़ रुपये दिए जाते हैं जो केवल 15 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र में हालांकि 30,000 करोड़ का कुल निवेश है, इस क्षेत्र द्वारा, कुल (औद्योगिक) उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन किया जाता है। रुग्ण औद्योगिक इकाईयों में केवल 3,000 करोड़ रुपये फंसे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी कुल 2,00,000 लाख करोड़ रुपये के कुल ऋण का 15 प्रतिशत हैं जो 30,000 करोड़ रुपये हैं। जाहिर है कि 40 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन करने वाले इन 95 प्रतिशत लघु उद्योगों में फंसे 3,000 करोड़ रुपये अधिक नहीं है।

सरकार को बड़े उद्योगों को अत्याधिक महत्व देने के बजाय लघु उद्योगों को हर क्षेत्र में अधिक सहायता एवं समर्थन देना चाहिए था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद भारी उद्योग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यदि भारी उद्योगों का यह हाल है तो लघु उद्योगों का क्या हाल होगा ? जाहिर है उन्हें सदैव के लिए बन्द कर दिया जाएगा। हम में से अधिकांश लोगों द्वारा स्वर्गीय नेहरू के इस कथन का महत्व कि लघु उद्योगों के लिए कोई सीमा नहीं हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया।

आंकड़ों से यह जाहिर है कि कुल निर्यात का 45 प्रतिशत लघु उद्योगों से होता है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि पिछले 50 वर्षों में जो कुछ भी किया गया, इसके बावजूद लघु उद्योगों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और उनकी क्षमता के बारे में देश में विस्तृत प्रचार करें। देश में उपलब्ध कुल सृजन रोजगार में से 80 प्रतिशत रोजगार लघु उद्योगों में सृजन होता है जिसमें केवल 30,000 करोड़ रुपये के निवेश दिए गए हैं। 1,70,000 करोड़ रुपये के निवेश के बावजूद भारी उद्योगों में कुल रोजगार का केवल 20 प्रतिशत रोजगार भी उपलब्ध नहीं है। इससे लघु उद्योगों के महत्व का पता चलता है। इसके बावजूद हम उनको इज्जत से नहीं देखते और उनकी उचित सहायता नहीं करते। लघु उद्योगपति जब ऋण के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं तो उन्हें शक की निगाहों से देखा जाता है। जिस तरह से ऋण वितरित किए जाते हैं और जब तक मशीनरी संस्थापित होती है और उत्पादन आरंभ होता है तब तक लघु उद्योग रुग्ण हो जाते हैं। बैंकिंग संस्थाओं द्वारा शक के कारण निधियों का जारी ना करना ही वितरण में विलंब का कारण है। इसे भी सही किया जाना चाहिए। यह सरकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बैंकिंग नियमन के अधीन हम लघु उद्योग को कुल ऋण का 15 प्रतिशत ऋण देते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस 15 प्रतिशत को बढ़ा कर 30 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

कुछ लघु उद्योगों का असफल होने का एक कारण तकनीकी एवं प्रबंध कौशल की कमी होना है। केवल तकनीकी एवं प्रबंध कौशल वाले व्यक्तियों को ही प्रोत्सहित किया जाना चाहिए। यदि राजनीतिक या व्यक्तिगत फायदे के आधार पर ऋण दिए जाएंगे तो परिणाम खराब होंगे। हम सब जानते हैं कि देश में अपार तकनीकी जन शक्ति है। हमारे देश से बाहर जाने वाली तकनीकी श्रम शक्ति ने यह साबित कर दिया है कि भारत इस क्षेत्र में सबसे आगे है। हम इसका उपयोग यहां क्यों नहीं करते ? क्या इसलिये की हम करोड़ों का निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं ? क्या आप केवल उन्हीं व्यक्तियों को चाहते हैं जो करोड़ों रुपए निवेश कर सकें ? क्या हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लुभाने के लिए उन्हें ढ़ेर सारे प्रोत्साहन दें और देश के भीतर उपलब्ध तकनीकी जनशक्ति जो इस देश के लिए पर्याप्त सम्पदा जुटाने में सक्षम है को नजरअंदाज कर दें ? सरकार को इस संबंध में सही निर्णय लेने चाहिएं और कुशल व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, हम सब इसके लाभ जानते हैं। मौजूदा विधेयक पर चर्चा करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटे उद्योगों के लिए ऊपरि खर्चे कम होते हैं, उत्पादन की लागत कम आती है, और ये विकेन्द्रीकृत होते हैं। उनमें से अधिकांश उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। सभी बड़े उद्योगपति अपने उद्योग धन्धों को उन स्थानों पर स्थापित करने में रूचि रखते हैं जहां विमानपत्तन उपलब्ध हों। स्पष्टत: जब विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तो केवल कुछेक क्षेत्रों में ही सम्पदा का संचयन होगा। यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें तो हम जानते हैं कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का दायित्व हमारा है। हमें बहुत से लघु उद्योगों के बन्द होने के कारणों की भी जानकारी है।

हम सब यह जानते है कि लघु उद्योगों को धन के असामयिक वितरण और आर्थिक सहायता की अनुपलब्धता जैसी बड़ी समस्याओं

का सामना करना पड़ता है। यदि उन्हें प्रारम्भ में ही घाटा होना शुरू हो जायेगा तो उनके उद्योग-धन्धे बन्द हो जायेंगे। वे कहीं से भी पैसा नहीं उठा सकते हैं। कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। कोई भी संस्था उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगी। सरकार उन्हें कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगी। यह सब ठीक है। लेकिन यदि वे बाजार से ब्याज की ऊंची दर पर पैसा उठा भी लेते हैं और व्यापार करना शुरू कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनका माल नहीं खरीदेगा। हरेक कोई बड़े उद्योग के माल को ही खरीदने में रूचि रखेगा। सरकार भी कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी। ये समुचित और विलम्बित संस्थागत ऋणप्रणाली की कमियां हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : चार बजे नियम 193 के अधीन चर्चा लेनी थी। यदि सदन की सहमति हो तो केवल दो सदस्य और बोलने वाले हैं। यह बिल खत्म होने के बाद हम नियम 193 के अधीन चर्चा ले लेंगे।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : आधारभूत सुविधाओं और विपणन संबंधी सुविधाओं के अभाव में, कई लघु उद्योग बंद हो रहे हैं। यदि हम इस पहलू यानी विपणन और सामयिक वित्त-पोषण पर पर्याप्त बल दें तो कोई भी लघु उद्योग कभी भी बंद नहीं हो सकता। उनके पास कौशल है। वे रात-दिन काम करते हैं। वे अपने स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। अत: हर मामले में सफलता मिलेगी।

इस पृष्ठभूमि में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में किया प्रस्ताव ठीक है। लेकिन मेरी यह राय है कि आपको विवाचन संबंधी मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आप उन मामलों को कांउसेल, में क्यों ले जाते हैं ? हम जानते हैं कि अदालतों में इन विवादों का निपटान करने में बहुत अधिक विलंब होता है। यदि विवाचन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी तो वे वर्षों तक लटक जाएंगे।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि विवाचन संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने हेतु विधेयक में संशोधन किया जाए। मामले का निपटान पक्ष अथवा विपक्ष में किया जाए।

दूसरे, ब्याज का भुगतान करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था बिलकुल ठीक है। वे समय पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन जब इसका भुगतान करने में एक या दो वर्ष का विलम्ब होता है तो तब तक वह उद्योग बंद हो जाता है और लोग उपलब्ध नहीं होते हैं। केवल ब्याज राशि का भुगतान ही पर्याप्त नहीं है। जब तक ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है अथवा उन्हें उद्योग चलाने के लिए अतिरिक्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक बैंकों को अथवा वित्तीय संस्थाओं को तत्कालिक ऋण (ब्रिज लॉन) प्रदान करना चाहिए इस बीच उन्हें भुगतान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उक्त विधेयक में इन दोनों बातों को शामिल किया जाए।

पहले लघु उद्योगों को मूल्य निर्धारण में वरीयता दी जाती थी लेकिन इसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि लघु उद्योगों को अपने उत्पाद बेचते समय मूल्य निर्धारण में वरीयता दी जाए।

मैं इन विषयों पर कोई विस्तृत भाषण देना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे लघु उद्योग के हितों की संरक्षा करने के लिए इस विधेयक में और प्रावधान करें। लघु उद्योगों की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं चाहते हैं। हम करोड़ों रुपयों का निवेश करके भारी उद्योगों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हमें इस देश के लघु उद्योगों की देख-रेख और संरक्षा करनी चाहिये तथा इनको बढ़ावा देना चाहिये और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिये।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजालूर) : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा पुर: स्थापित विधेयक का स्वागत करता हूं। भारत में 27 लाख लघु उद्योग हैं। इन लघु उद्योगों में 1.6 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और उनमें से 42 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों के हैं। कुल मिलाकर, इन उद्योगों द्वारा निर्मित 48 प्रतिशत वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, प्रभावित लोग पहली पीढ़ी के लोग हैं, जिनका संबंध कुछ दूसरे कारोबार से है और उनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों अथवा कृषक परिवारों अथवा बेरोजगार वर्ग से हैं। जो लोग लघु उद्योग चलाना चाहते हैं उन्हें बैंकिंग संस्थाओं विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

जैसाकि मेरे कुछ माननीय मित्रों ने मेरे से पूर्व यह उल्लेख किया है कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है लेकिन प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लघु उद्योग ऋण प्राप्त करने के लिए इन बैंकों की दया पर निर्भर हैं। अत: हमें लघु उद्योगों के लिए अलग से वित्तीय संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता है।

अब उदारीकरण नीति के कारण हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। जब तक हम लघु उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक इस देश के सपूत कष्ट उठाते रहेंगे। मूलत: जो लोग लघु उद्योग शुरू करते हैं वे औद्योगिक परिवारों से संबंध न रखकर पहली पीढ़ी के लोग हैं।

हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं क्योंकि इस विधेयक में कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगमों को शामिल करने का अब प्रस्ताव किया गया है। पहले इस विधेयक में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। यह एक पहलू है जिसका हम इस विधेयक में स्वागत करते हैं।

मैं ब्याज के विलंबित भुगतान की वसूली के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो मामले विवाचन के लिए पड़े हैं उनमें ही विलम्ब हो रहा है। कई विभागों में विवाचन संबंधी कार्रवाई चल रही हैं। विवाचन में किसी मामले पर निपटान करने में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अब समय-सीमा के बारे में स्थिति स्पष्ट है। परन्तु विवाचन

[श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम]

के मामले में हम तीन से चार प्रकार के लोगों को शामिल कर रहे है।

महोदय, अब मार्गनिर्देश अत्यंत स्पष्ट हैं। मूलत: 'प्राइम लेंडिंग' दर को डेढ़ गुना किए जाने की आवश्यकता है। विधेयक में न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति द्वारा इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। दिनों की संख्या को 248 से 120 तक घटाया जाना भी एक स्वागत योग्य कदम है। परन्तु खरीददार को उस राशि को जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। जिसे जमा करना उसने स्वीकार किया था। ऐसा होने पर ही कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी। हम इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हैं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : धन्यवाद महोदय। लघु उद्योग क्षेत्र की मांग लम्बे समय से चली आ रही थी। परन्तु इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विलम्बित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान करने मात्र से ही लघु उद्योग और आनुषंगी एककों को न तो बचाया जा सकेगा और न ही ये समृद्ध हो पाएंगे। धारा 3 और 4 का और सरलीकरण किया जाना चाहिए। बजट प्रस्तावों के देखने पर हम यह पाएंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों के अनुरूप हैं और ये आमतौर पर लघु उद्योगों के हितों के प्रतिकूल हैं।

वित्त मंत्री जी ने कई वस्तुओं विशेषकर विलासिता की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने का प्रस्ताव किया है जिनका आमतौर पर समाज के धनी वर्गों द्वारा उपयोग किया जाता है।

परन्तु साबुन और अन्य आवश्यक वस्तुओं जिनका हमारे समाज के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है, के लिए आवश्यक कच्चे माल के मामले उत्पाद शुल्क में वृद्धि हुई है। यदि सरकार सामान्य रूप से लघु उद्योगों की अच्छी स्थिति बहाल करने के मामले में गम्भीर है और यदि वह इसका समुचित विकास करना चाहती है तो उसे इस प्रयोजनार्थ व्यापक विधेयक लाना होगा। इस संबंध में कार्य पूंजी से संबंधित समस्याएं हैं जैसाकि इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है। कच्चे माल, विपणन, ढांचागत सुविधाएं आदि से संबंधित समस्याएं भी हैं। इसके बावजूद उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण की नीति अपनायी गयी है। नई आर्थिक नीति के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र और अनुषंगी उद्योगों को भी इस असमान प्रतियोगिता का सामना करना है।

जहां तक रुग्णता का संबंध है, आप जानते हैं कि मुख्य रूप से लघु उद्योग क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। भारी संख्या में लघु उद्योग या तो बंद कर दिए गए हैं अथवा बंद कर दिए जा रहे हैं। दुर्गापुर और कलकत्ता के आर०आई०सी० एककों के मामले में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें वेतन और मजदूरी नहीं मिल रही है। कार्यपूंजी के अभाव में वे कोयला सम्भलाई परियोजनाओं के लिए अत्यावश्यक किसी भी उत्पाद का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। एच०एस०सी०एल० जैसी अनुषंगी परियोजनाओं को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको 'सेल' जैसी बड़ी कम्पनियों से बकाया नहीं मिल रहा है।

यहां तक कि कल भी 4500 कर्मचारी बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन से अपने वेतन की मांग कर रहे थे। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंध निदेशक ने धनबाद के जिला कलेक्टर से शिकायत की और इसके परिणामस्वरूप एच०एस०सी०एल० के सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित 4500 कर्मचारी जेल भेज दिए गए। इसकी जानकारी मुझे टेलीफोन पर बातचीत से प्राप्त हुई। इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि उद्योग विभाग द्वारा ऐसी बातों रोक लगायी जानी चाहिए।

पुन: मैं अबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। अबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ ? इसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? यह बात हमें स्पष्ट रूप से बतायी जाए।

कृषि आधारित उद्योगों का क्या हुआ ? भारत की सत्तर से अस्सी प्रतिशत जनता ग्रामीण है। अतएव कृषि आधारित उद्योगों से ग्रामीणों को कई रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

अपराह्न 4.13 बजे

[श्री वी० सत्यमूर्ति पीठासीन हुए]

मैं हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों की समस्या के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा। आप उनको कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। यदि आप उनको कोई सुविधा उपलब्ध करायेंगे तो भी हथरकघा उद्योग विद्युतकरघा उद्योग का मुकाबला नहीं कर पायेगा। मेरे विचार से विद्युतकरघा उद्योगों के सामने हथकरघा उद्योग टिक नहीं पाएंगे। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं आगे आकर उनके उत्पाद खरीदे और इनके उत्पाद और वितरण के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। ऐसा होगा तभी तो हथकरघा उद्योग विद्युतकरघा उद्योगों की चुनौती का मुकाबला कर पायेगा। इसके अलावा मैं आपसे लघु उद्योगों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का अनुरोध करूंगा ताकि लघु उद्योगों को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि भारी उद्योगों के कब्जे में न चली जाये।

'सेल' आदि जेसी बड़ी कम्पनियों द्वारा पूंजी रोक दिए जाने के कारण कार्यपूंजी का अपने उद्योगों में उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतएव सरकार ने लघु उद्योग एककों के संबंध में नियम तैयार किया है कि इनका भुगतान तत्परता से किया जाए और यदि कोई भुगतान नहीं करे तो कोई 'डिग्री' अथवा अपील नहीं की जा सकेगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को इन बड़े उद्योगों, जिनके पास पूंजी अवरूद्ध पड़ी है, द्वारा अवैध कार्यों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इस पहलू पर ध्यान दिए जाने और इस संबंध में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

अंतत:, मैं उद्योग मंत्री जी से इस मामले पर विचार करने का आग्रह करता हूं मैं उनको पुन: बता देना चाहता हूं कि मात्र ब्याज का भुगतान किए जाने का प्रावधान करने से ही यह समस्या नहीं सुलझेगी।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के संबंध में जो बिल लाये हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज

देश में हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है, जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है, जो लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गये हैं, उन अनइम्पलायड लोगों को प्रत्यन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती और वे अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनके लिए स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और एन्सीलियरी यूनिट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारा सोचना यह है कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं और जो उनका इंटरेस्ट है उसे कम करने के संबंध में इस बिल में प्रावधान होना चाहिए। जो लोग पचास लाख या एक करोड़ रुपये का लोन लेकर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं, उनके उत्पादन के विपणन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उन्हें मार्केट में अपना माल बेचने में काफी कठिनाई आती है और छः महीने या साल-दो-साल में उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो बिल आप लाये हैं इसे थोड़ा ब्रौड करने की आवश्यकता है। यदि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो उत्पादन के संबंध में इसमें कोई प्रावधान सरकार को करना चाहिए।

सभापति महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो गरीब समाज के मागासवर्गीय अनइम्पलायड है, उनको भी सुविधा देने के संबंध में आपको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं लोन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यदि किसी को पचास लाख रुपये का लोन लेना है तो उससे एक या दो करोड़ रुपये की प्रोपर्टी दिखाने की मांग आई०डी०बी०आई०, नाबार्ड तथा नेशनलाइज्ड बैंक करते हैं। जो आदमी बेरोजगार है वह इस मांग को कैसे पूरी कर सकता है ? इसलिए मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि बिना इस तरह की मांग के सरकार द्वारा लोन देने के संबंध में सोचने की आवश्यकता है। यदि सरकार उनकी मदद करना चाहती है तो उसे यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। यह एक अच्छा विधेयक है, इसको थोड़ा और व्यापक बनाने के बारे में मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। अगर आप सही तरह से इन इंडस्ट्रीज को मजबूत करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैंने जो भी सुझाव दिए हैं, मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उनके ऊपर विचार करेंगे और इस हाउस में दुबारा आएंगे। यह बिल तो ठीक है, लेकिन इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। इस विधेयक के बारे में हम राजनीति नहीं लाना चाहते है। यह विषय राजनीति का है भी नहीं। यह विषय इंडस्ट्रीज से संबंधित है। हम सदन को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो अच्छा बिल होगा, उसका हम समर्थन करेंगे और जो बिल देश के हित में नहीं होगा, उसका हम विरोध करेंगे। आप जो भी अच्छा काम करेंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अंत में मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस बिल में और संशोधन करते हुए इसे और भी ब्राड बनाने की आवश्यकता है।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक, 1998 पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत अच्छा विधेयक है और इसका उद्देश्य बहुत बढ़िया है और यह विधेयक देश के लघु उद्योगों के लाभ के लिए लाया गया है। अतः मैं इसका स्वागत करता हूं। सदन के अधिकांश सदस्यों ने, सामूहिक रूप से इस बिल का समर्थन किया है। इस बिल को लाने का जो सरकार का उद्देश्य है उसके अनुसार तो इसको बहुत पहले सदन में लाकर पास कर देना चाहिए था।

सभापति महोदय, आज देश में लघु उद्योगों की जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। यदि इस देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने लघु उद्योगों की ओर ध्यान दिया होता, तो देश में आज लघु उद्योग बहुत पनप गए होते, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से लघु उद्योगों की नीति अपनाई उसके कारण देश के ग्राम और देहातों में से लोग बड़े-बड़े शहरों-दिल्ली और कलकत्ता की गलियों में मारे-मारे फिर रहे हैं। देश के लघु उद्योगों की आज जो स्थिति है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है वह हमारी कांग्रेस सरकार की देन है और उनकी गलत नीतियों के कारण यह सब हुआ है।

सभापति महोदय, देश की सरकारें बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देती रही और लघु उद्योगों के लिए कोई समग्र नीति नहीं बनाई जिसके कारण देश के कुटीर और लघु उद्योग पिछड़ते चले गए। बड़े-बड़े पूंजीपति और उद्योगपति इस देश के राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ाते रहे और राजनीतिक दल उन्हें प्रश्रय देते रहे। इस देश के 30 लाख लघु उद्योगों में से आज 4 लाख लघु उद्योग बीमार हैं या बन्द होने की स्थिति में हैं जो चिन्ता का विषय है।

सभापित महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने जो बिल सदन में पेश किया है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है और उसका यह कदम स्वागत योग्य है। देश के लघु उद्योगों में 20 प्रतिशत पूंजी निवेश होता है और वे 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। आज हमारे देश में 5 करोड़ लोग शहरों की गलियों में टक्कर मारते फिर रहे हैं। 3 लाख बेरोजगार लोगों के रोजगार कार्यालय के नाम दर्ज हैं। सरकार उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। यदि देश में लघु उद्योगों को पनपाने और स्थापित करने की सही नीति होती, तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होकर मारे-मारे नहीं फिरते। मेरा आग्रह है कि लघु उद्योगों में बनने वाले माल को बड़े उद्योगों में बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि लघु उद्योगों में बने माल की बड़े उद्योगों में बने माल से प्रतिस्पर्धा होगी, तो लघु और कुटीर उद्योग पनप नहीं पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लघु उद्योगों को बिजली, पानी, कच्चा माल एवं अन्य सामान सस्ती दरों पर मुहैया कराना चाहिए और उनमें बने माल के विपणन की उचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार जिस ध्येय से इस बिल को लाई है, यदि वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लघु और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में बहुत तरक्की होगी और लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

सभापति महोदय, जब लघु और कुटीर उद्योगों की चर्चा चल रही है, तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र जहां से मैं आता हूं-फिरोजाबाद की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। फिरोजाबाद में 500 लघु उद्योग की इकाइयां हैं जो 40,000 लोगों को रोजगार दे रही हैं। लघु और कुटीर उद्योगों के मामले में दुनिया में सबसे अधिक सफल देश जापान है जहां घर-घर में इलैक्ट्रौनिक्स के आइटम लघु और कुटीर उद्योगों में बन रहे हैं और दुनिया भर में प्रतियोगिता में बिक रहे हैं। हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योगों के लिए तो सारी व्ययस्था और सुविधाएं हैं, लेकिन कुटीर और लघु

[श्री प्रभुदयाल कठेरिया]

उद्योगों के लिए कोई सुविधा व व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे लघु और कुटीर उद्योगों को और अधिक मान्यता और सहायता दें। हर चीज की व्यवस्था करायें। आपने मुझे दो मिनट का समय दिया था इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करते हुए पुन: मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप इन उद्योगों की व्यवस्था ठीक कर दें तो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई के लिए पलायन कर रहे हैं, वह पलायन रुक जायेगा। इससे उनको रोजगार भी प्राप्त होगा और देश में फैली भुखमरी, लाचारी, बेकारी और बेरोजगारी में भी कमी होगी।

अंत में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जिस बिल को लेकर आये, उसका हम समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालांहाडी) : सभापति महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का इसलिए समर्थन कर रहा हूं क्योंकि यह विधेयक उद्यमियों के हित में है। इसके अलावा यह विधेयक लघु उद्योगों को सुदृढ़ करता और प्रोत्साहित करता है।

माननीय मंत्री द्वारा रखे गए इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य मौजूदा लघु उद्योग और अनुषांगिक औद्योगिक एक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम 1993 नामक विधेयक, जोकि व्यावहारिक दृष्टि से निष्फल और प्रभावी नहीं है, का स्थान लेना है। अतएव इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि लघु उद्योग अपने आस्तित्व को बचाए रख सके। वर्तमान अधिनियम में कतिपय संशोधन करते हुए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य लघु उद्योगों को रुग्णता से बचाने में सहायता करना है।

महोदय, आप यह देखेंगे कि निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पूर्ववर्ती अधिनियम के दायरे में लाए नहीं गए हैं। परन्तु अब माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाए हैं जिसके दायरे में निगम लाए गए हैं और इससे लघु उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री करने और अपने आप में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

यह देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में अधिकांश लघु उद्योग पूरी तरह से विद्युत बोर्डों, पावर ग्रिड कारपोरेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभिन्न राज्यों में चल रहे विभिन्न अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर निर्भर हैं। अतएव मंत्री जी ने इस विधेयक को पुर:स्थापित करके लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा जैसे राज्यों और अन्य पिछड़े राज्यों में अधिकांश लघु उद्योग विलंबित भुगतान के कारण अब रुग्ण हो गए हैं। हालांकि वे माल की आपूर्ति करते हैं परन्तु उन्हें 240 अथवा 260 दिनों की निर्धारित अवधि भुगतान प्राप्त नहीं होता। इस अवधि को कम करके अब 120 दिन कर दिया गया है जिससे सरकार की निष्ठा का पता चलता है।

गत पचास वर्षों में लघु उद्योगों को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया है परन्तु यह सब सिर्फ कागजों पर ही है। वास्तविक रूप से यह अधिनियम कभी भी कार्यान्वित ही नहीं किया गया। परन्तु आज जो कुछ भी राष्ट्रीय सूची में दर्शाया गया है उसे सभा में स्पष्टया प्रस्तुत किया गया है और इससे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को काफी हद तक सुदृढ़ हो पाएगा।

इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि विधेयक के खण्ड 6 में प्रत्येक राज्य में उद्योग सुविधा परिषद् स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। मैं आशा करता हूं कि इससे उद्योगों को अपना उचित लाभ मिलेगा।

महोदय, आप यह भी देखेंगे कि ई०पी०एम० रेट कांट्रेक्ट के अंतर्गत हजारों उद्योग पंजीकृत हैं। लघु उद्योग निगम के अंतर्गत हजारों उद्योग शामिल हैं परन्तु जब वे कच्चा माल चाहते हैं तो उन्हें यह नहीं मिल पाता है। ई०पी०एम० रेट कांट्रेक्ट में यह व्यवस्था है कि उनकी सामग्रियों को अन्य उद्योगों की अपेक्षा मूल्यों में अधिक प्राथमिकता दी जाएगी परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप विधेयक के क्षेत्र से बाहर की बात कर रहे हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव : अतएव महोदय, मैं इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक से लघु उद्योगों को निश्चित रूप से काफी हद तक सहायता मिलेगी और इससे देश के विभिन्न भागों में इनकी स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी।

[हिन्दी]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सभापति महोदय, कल से मैंने माननीय सदस्यों को इस बिल पर तकरीर करते हुए सुना। मेरे पास सिवाए इसके कि मैं शुक्रगुजारी के जज्बात सब तक पहुंचाऊं, कोई और बात नहीं है क्योंकि इस बिल को यूनीवर्सल सपोर्ट दी गई है। सिर्फ एक साहब ने कहा था कि यह बिल कम्प्रीहैनसिव नहीं है। मैं उन की तकरीर बहुत गौर से सुन रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कम्प्रीहैनसिव न होने के सिलसिले में कोई स्पैसीफिक तज्वीज आए तो मैं उस पर गौर करूं। थोड़ी-बहुत कमी की तरफ इशारा करते हुए शायद सुनील खान साहब ने कहा था कि सैक्शन 3 और 4 को कुछ कम्प्रीहैनसिव बनाने की कोशिश की जा सकती थी। वाक्या यह है कि स्माल स्केल के सिलसिले में बहुत अहमियत का इजहार किया गया है कि हिन्दुस्तान की एकादमी में उसकी खास जगह है, उसे जितना भी प्रोत्साहन हो, जितनी भी मदद हो, प्रोटैक्शन हो, जरूर देनी चाहिए। यह बिल दरअसल बुनियादी तौर पर वही है जो 1993 में, इस चीज को महसूस करने के बाद कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो माल बड़े उद्योगों को सप्लाई करती हैं, उनको तैयार माल की कीमत वक्त पर नहीं मिलती, लाया गया है। जिस पैसे को वे अपनी इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, वह सीमित होता है, महदूद होता है। मल्लिकार्जुनैया जी ने यह कहा था कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज इंडीपैंडैंट होनी चाहिए। वे ऐन्सीलियरीज में पहुंचे। यह बात इस सवाल से बिलकुल अलग है जिसे लेकर हम यह बिल लाए हैं। इस बिल को लाने का मकसद सिर्फ यह था, जिस मकसद से 1993 का बिल लाया गया था कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को उनके माल की कीमत वक्त पर मिले। यह बात पूरी नहीं हो सकी, लिहाजा उस कमी को पूरा

करना है। यह बिल इंडीपैंडैंट हैसियत कम रखता है और 1993 के बिल की अमैंडमैंट की सूरत में लाया गया है। इसमें चार सैक्शन्स को अमैंड करने के लिए रखा गया है। सैक्शन 2 (एफ) में सप्लायर की डैफीनिशन को अमैंड करने का प्रस्ताव है। सैक्शन 3 में यह प्रपोज किया गया है कि इसे अमैंड करके उनके पेमैंट करने के पीरियड को 120 दिन कर दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : 120 दिनों तक भुगतान न करने के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सिकन्दर बख्त : सैक्शन 4 में इसमें तब्दीली लाने की बात की गई है। ब्याज दर में परिवर्तन के लिए नीति बनाना आवश्यक था क्योंकि स्टेट बैंक के रुपया उधार देने की दर डेढ़गुना कर देने के कारण दाण्डिक ब्याज की दर निर्धारित करनी थी।

[हिन्दी]

प्राइम लौंडिंग रेट जो स्टेट बैंक का है, उसका वन एंड ए हाफ टाइम है। सैक्शन 6 में फैसीलिटेशन कमेटी का जिक्र किया गया है। फैसीलिटेशन कमेटी के सिलसिले में अक्सर जिक्र हुआ है कि इससे डिलेट पेमैंट का सिलसिला चल सकता है, उनका फैसला टाइम बाउंड होना चाहिए। इस इंस्टीट्यूशन का जो तसव्वुर हमने अपने सामने रखा है, वह बुनियादी है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के, बड़ी इंडस्ट्रीज जिनको वे माल सप्लाई करती हैं, से ताल्लुकात अच्छे बने रहें। इसमें ज्यादा तकलीफ है कि बड़ी इंडस्ट्रीज उनसे माल ले लेती हैं और उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाती हैं कि कल फिर यदि बड़ी इंडस्ट्री को माल देना है तो उनको उनके दरवाजे पर पहुंचना पड़ेगा, इस अहतियात को सामने रखकर कि कल भी उन्हें माल सप्लाई करना है, हमने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और उनके दरम्यान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है। इसलिए हमने पहले कन्सीलिएशन की बात की है। वक्त लगेगा। लेकिन जहां तक हो सके झगड़े तक बात न पहुंचे, ताल्लुकात के सुधार की हद तक बात पहुंचे। उस सुधार में उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाये, यह कन्सैप्ट है। जहां कंसीलिएशन की बात हमने की है, जब कंसीलिएशन नहीं होगा तो फिर कंसीलिएशन कमेटी अपने आप आर्बीट्रेशन की शक्ल अख्तियार कर लेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऑनरेबिल मैम्बर्स के जेहन में यह बात रहे।

जो टाइम बाउंड होने या टाइम लिमिट रखने की बात की गई है, हमारी कोशिश यह है कि स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज़ के ताल्लुकात और बड़ी इण्डस्ट्रीज़ के ताल्लुकात अच्छे बने रहें ताकि उनके दरम्यान जो कारोबार का रिश्ता है, उस रिश्ते की डोर न टूट जाये। इसी सिलसिले में एक बात और कही गई थी *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : आर्बीट्रेशन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : आर्बीट्रेशन की टाइम लिमिट का सवाल नहीं है। हम पहला जो कदम उठा रहे हैं, यह कंसीलिएशन के लिए उठा रहे हैं, और बुनियादी एप्रोच हमारे तमाम सवाल की यह है कि हम बड़ी इण्डस्ट्रीज़ और छोटी इण्डस्ट्रीज़ के दरम्यान ताल्लुकात को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत को कायम रखते हुए भी हमने कुछ सहूलियतें पैदा करने की कोशिश की है ताकि स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज को फाइनेंशियल क्रंच का सामना न करना पड़े।

पहले जो 1993 का एक्ट था, उसमें गुंजाइश थी कि ये लोग अदालत में जा सकते हैं, लेकिन अदालत में दसियों वर्ष तक मुकदमा चलता है। दस वर्षों तक मुकदमा चलाने का मतलब यह है कि स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज़ के पास इतनी लिक्वीडिटी पैसे की नहीं हैं कि वे मुकदमा भी चलाये और अपनी संस्था भी चलाते रहें। इन चीजों को हमने नजर में रखने की काफी कोशिश की हैं। मैंने डिलेज की और टाइम बाउंड की बातें कही हैं, इसके लिए अर्ज करना था।

दूसरी बात, जज और ब्यूरोक्रेट की बात की गई है। मैं अर्ज करूंगा कि पहले तो यह समझा जाए,

[अनुवाद]

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के अनुसार निदेशक, उद्योग सुविधा परिषद् के एक सदस्य होंगे।

[हिन्दी]

कमेटी अकेली नहीं है, उनके साथ इण्डस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्ज़ भी हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्ज़ भी हैं। इसलिए उसको कोई ब्यूरोक्रेटाइज़ करने का मकसद नहीं है। उसे इसलिए रखा जा रहा है, इसके एडवांटेजेज़ क्या हैं कि इण्डस्ट्रीज़ का एक आदमी रहेगा तो वह स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज़ की बुनियादी जरूरतों से भी वाकिफ होगा, वह बड़ी इण्डस्ट्रीज़ की बुनियादी जरूरतों से भी वाकिफ होगा, इसलिए वह दोनों की जरूरतों को समझकर कंसीलिएट ज्यादा जल्दी कर सकता है। उसके अलावा अगर हमारा इण्डस्ट्री डायरैक्टर उसका हैड होगा और किसी को दबाने की जरूरत होगी तो दबा भी सकता है।

एक साहब ने, शायद राम साहब आपने ही प्राइम प्रिफरेंस की बात कही है। गवर्नमैंट जो माल एस०एस०आई० से, छोटी इण्डस्ट्रीज़ से खरीदती है, उसको लार्ज यूनिट्स के कम्पैरीज़न में 15 परसेंट प्राइस प्रिफरेंस देती है। प्राइस प्रिफरेंस की बात इसमें मौजूद है।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : आप आपूर्तिकर्ता और क्रेता के संबंधों पर अधिक बोल रहे हैं। लेकिन यही सभा इस संबंध ऐसा विधेयक पारित कर चुकी है कि यदि क्रेता द्वारा दिया गया चेक अस्वीकृत हो जाता है तो क्रेता को गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए वह इसी डर के कारण भुगतान करता है। यदि यह विधेयक क्रेता के लिए भय पैदा नहीं करता है तो यह विधेयक बेकार है।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : इसमें फियर की काफी गुंजाइश है। यह जो कमेटी बनी है, इसको मैं नहीं कह सकता कि यह आखिरी लफ्ज़ है और इसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन पिछले पांच

[श्री सिकन्दर बख्त]

वर्ष के तजुर्बे के बाद जो कुछ हम सोच सकते हैं कि कैसे 1993 के एक्ट को ज्यादा टीथ प्रोवाइड कर सकें, ज्यादा इफैक्टिव बना सकें, तभी हम यह बिल लाये हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका नतीजा बेहतर निकलेगा।

मैंने कल यह सोचा था कि चूंकि तमाम मैम्बरान हजरात से इस बिल की सपोर्ट की आवाज आई है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन मैम्बरान हजरात को, जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया है, उनका शुक्रिया अदा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्मॉल स्केल इण्डस्टीज़ की जिन अन्य मुश्किलात का जिक्र हुआ है, हम उन मुश्किलात को हल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यह तसलीम करते हैं कि स्मॉल स्केल इण्डस्टीज़ हिन्दुस्तान की इकोनोमी की रीढ़ की हड्डी है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं बचा सकेंगे तो हम हिन्दुस्तान की इकॉनोमी को नहीं संभाल सकेंगे। कोशिशें बराबर जारी हैं। जिस चीज पर आपने इसरार किया है, उस पर हुकूमत की बराबर नजर है, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस बिल को पास करें।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार का प्रस्ताव लघु उद्योग के लिए आरक्षित किसी उद्योग को अनारक्षित करने का है ?

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, यह प्रश्न इस विधेयक की परिधि में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह जो अनारक्षण के प्रति आपका रवैया है, यह अन्य संगठनों का भी हो सकता है। लेकिन लघु उद्योग किसी भी चीज का अनारक्षण करने के पक्ष में नहीं है।

डा० सरोजा वी० (रासीपुरम) : महोदय, यह विधेयक सभी रुग्ण लघु उद्योगों संबंधी पुनरुद्धार कार्य योजना के प्रति खामोश है। इसका कारण उद्यमियों, जिला उद्योग विभाग, वित्तयन संस्थान, क्रेता और विक्रेता के बीच समन्वय का अभाव है। क्या सरकार कंपनी को हुए घाटे को वित्तयन कंपनियों, जिला उद्योग विभाग और जो भी इसमें शामिल हों को बराबरी का जिम्मेदार ठहराने के लिए कुछ करेगी।

दूसरी बात महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के बारे में है कि एकल खिड़की प्रणाली सही ढंग से लागू नहीं की गई है। क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार से मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है और सराहनीय कदम उठाया है, इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, क्या भविष्य में सरकार समूचे भारत में जितने भी प्रांत हैं उनमें ऐसे नगर हैं, जहां पांच-पांच सौ की पूर्ति से कम से कम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं, वहां पर कच्चे माल, पानी-बिजली, सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था करेंगे जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ठीक प्रकार से उत्पादन और माल की खपत कर सकें ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह विधेयक केवल बैंकर्स को दंडित करने के लिए है।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : जो माननीय सदस्य का सवाल था, वह मेरी समझ में आया, अगली बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रिवाइवल का सवाल मौजूदा बिल से ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि 63 या 64 यूनिट्स बी०आई०एफ०आर० को मेनशंड है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और बी०आई०एफ०आर० भी कोशिश में लगा हुआ है कि उनके रिवाइवल के पैकेज तैयार किए जाएं क्योंकि हम यह जानते हैं कि अगर कोई यूनिट बंद होगा तो कितने एम्पलॉइज बेकार हो सकते हैं, इसलिए हम कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते। हर सूरत में किसी भी सिक इंडस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी।

श्री प्रभुदयाल जोशी : आगरा-फिरोजाबाद की सिक यूनिट की तरफ भी ध्यान दिया जाए, मेरी प्रार्थना है क्योंकि उसका बड़ा महत्व है।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : गाजियाबाद की भी सिक यूनिट हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, पश्चिम बंगाल के अनेक उद्योग रुग्ण पड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के 95000 उद्योग रुग्ण पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त : मैं सभापति महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मैं एक-एक सदस्य के सवाल का जवाब दूं या सब सदस्यों की बात सुनकर इकट्ठा जवाब दूं ? मुझे क्या करना है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि लघु और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाए अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा नियम 193 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करेगी। श्री भुवनेश्वर कालिता।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति): महोदय, दूसरे विधेयक के बारे में आपका क्या कहना है ? क्या हम छह बजे के बाद भी बैठेंगे ?

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : हम इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए चार बजे का समय नियत किया गया है और अब केवल दो सदस्यों को ही बोलना शेष है।

श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति : मैं नियम 193 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं तो अध्यक्ष पीठ से मात्र यह जानना चाहता हूं कि क्या हमें छह बजे के बाद भी बैठना होगा।

सभापति महोदय : यदि सभा इस बात से सहमत है तो हम इस विधेयक पर छह वजे के बाद चर्चा करेंगे।

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : महोदय, हम यह निर्णय छह बजे करेंगे *(व्यवधान)*

श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति : कल भी आपने ऐसा ही किया था।

श्री पी०सी० चाक्को : इस बात का निर्णय हम छह बजे करेंगे। अब आप उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति : आपने कल भी ऐसा ही किया था।

श्री पी०सी० चाक्को : आप क्या कहना चाहते हैं ? छह बजे के बाद बैठने का निर्णय हमने नहीं लिया है।

श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति : कल भी आपने हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया था।

श्री पी०सी० चाक्को : आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि आप सभा में बोल रहे हैं। आपको जिम्मेदार आदमी बनना होगा। यह तो कोई तरीका नहीं है। ये क्या हो रहा है ? आप मंत्री महोदय को इस प्रकार का वक्तव्य देने के लिए कह रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति : कार्य सूची में मेरा विधेयक दर्ज है *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० चाक्को : आप क्यों दखल दे रहे हैं ? आपको दखल देने का क्या अधिकार है। दूसरों के मामले में आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। यदि मंत्री जी ने मेरा नाम पुकारा है तो बोलने का भी मेरा ही अधिकार है। आपको इससे कोई लेनादेना नहीं है। सभापति जी आपको मंत्री जी को ऐसा बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति : मैंने तो आपका नाम नहीं लिया है।

श्री पी०सी० चाक्को : वह किस बारे में बात कर रहे हैं ? यह क्या हो रहा है ?

श्री वाझापड़ी के० राममूर्ति : कल तो हमने समय नहीं बढ़ाया था। इसलिए मैं आज अध्यक्ष पीठ से यह पूछ रहा हूं कि क्या आज समय बढ़ाना है अथवा नहीं।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला उठाने जा रहा हूं जिस पर आपको इससे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि सभा अनुमति दे तो हम छह बजे के बाद भी बैठ सकते हैं।

श्री भुवनेश्वर कालिता।

अपराह्न 4.49 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, इस सभा में जब कभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में चर्चा होती है तो उस समय या तो हमें चिल्लाना पड़ता है अथवा अपना सारा गुब्बार निकालना पड़ता है। नहीं तो हम लोग कहीं भटक जाते हैं। महोदय, मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय के साथ-साथ दोनों पक्ष इस चर्चा को गम्भीरता से लेंगे।

यह चर्चा इस देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के कारण प्रासंगिक और सार्थक है तथा यदि हम इस क्षेत्र में आतंकवादियों और उग्रवादियों द्वारा किये गये आक्रमणों के सरकारी आंकड़े देखें तो इस स्थिति का सही चित्र आपको देखने को मिलेगा।

[श्री भुवनेश्वर कालिता]

मात्र एक वर्ष में अर्थात् गत वर्ष 1997 में आतंकवादियों और उग्रवादियों द्वारा किए गए आक्रमणों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

असम	427
मणिपुर	415
नागालैंड	380
त्रिपुरा	303
मेघालय	9
अरुणाचल प्रदेश	27

हम यह देख सकते हैं कि मेघालय, जो कि एक अत्यधिक शांतिपूर्ण राज्य हुआ करता था, में भी आतंकवादियों ने 9 बार आक्रमण किए हैं।

वर्ष 1997 की इस अवधि के दौरान स्वयं सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार मारे गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :–

	असैनिक	सुरक्षा बल
असम	758	244
त्रिपुरा	554	115
नागालैंड	316	111
मिजोरम	4	–
मणिपुर	533	240
अरुणाचल प्रदेश	8	–

इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की तनावपूर्ण स्थिति का पता चलता है।

समग्रपूर्वोत्तर क्षेत्र की चीन, भूटान, म्यान्मार और बंग्लादेश जैसे देशों के साथ 4500 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जबकि शेष भारत के साथ इसकी सीमा केवल 42 किलोमीटर ही है।

यदि हम वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो यह पायेंगे कि असम, नागालैंड, त्रिपुरा मणिपुर और मिजोरम में कई उग्रवादी समूह कार्यरत हैं और वे लगभग प्रत्येक राज्य में प्रवेश कर चुके हैं जो कभी शांतिपूर्ण थे। उग्रवाद के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि यह नागालैंड में 1953 में और मिजोरम में 1966 में आरम्भ हुआ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर स्थिति चर्चा का विषय है और इसपर विभिन्न मंचों के साथ-साथ इस सभा में भी चर्चा हो चुकी है।

पहले पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र एक राज्य था और वह था अविभाजित असम। यदि हम इस स्थिति का विश्लेषण करके यह पता लगाने की कोशिश करें कि हम किस मामले में पिछड रहे हैं, यह उपद्रव क्यों हुआ, और यह आतंकवादी गतिविधियां क्यों हुई, तो आप यह पाएंगे कि यह अलगावावाद की भावना, बाहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा उपेक्षित किए जाने की भावना और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है।

आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है। परन्तु यदि हम इन समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखें तो प्रतिक्रियाएं अत्याधिक निराशाजनक है। यदि हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो यह क्षेत्र मूलत: कृषि प्रधान क्षेत्र है। लेकिन हमारे योजनाबद्ध विकास के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कृषि का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था अथवा इसका देश के अन्य भागों में विकास हुआ है। यदि हम इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को दखें तो हम पायेंगे कि हम देश के अन्य सभी राज्यों से पिछड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 166 बड़े और मध्यम उद्योग और कुछेक हजार लघु उद्योग एकक हैं जिसमें से पचास प्रतिशत रुग्ण हैं। यदि हम आधारभूत सुविधाओं को देंखें तो आपको हकीकत देखने को मिल जायेगी बशर्ते कि आप उन क्षेत्रों का दौरा करें। इस पूरे क्षेत्र के विकास में विद्युत की दशा, सड़कें और नेटवर्क, इन आधारभूत सुविधाओं के विकास का अभाव मुख्य अड़चन बन गया है।

हमने आतंकवाद पर अनेक बार चर्चा की है। हम आतंकवाद की समस्या के बारे में चर्चा करते समय इसमें से विकास को हटा नहीं सकते क्योंकि आर्थिक विकास एक ऐसा प्रमुख मुद्दा है जो आतंकवाद की समस्या से संबंधित है। हम कुचक्र में फंस गए हैं। हम यह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है और इसलिए आतंकवाद है। यह और कहा जा रहा है कि क्योंकि आतंकवाद है इसलिए कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इस दायरे से निकलना होगा और हमें नई दिशा में सोचना होगा क्योंकि आतंकवाद की समस्या से निपटने का उत्तर विकास है।

आतंकवाद समूहों में प्रमुख रूप से युवा और छात्र हैं। ऐसा क्यों है ? युवाओं और छात्रों ने जीवन के इस रास्ते को अपनाया है। उन्होंने यह रास्ता क्यों अपनाया है ? यदि आप देश के इस हिस्से में बेरोजगारी की समस्या के बारे में देखिये युवाओं में बड़ी बेरोजगारी है। रोजगार के अवसर न होने और तकनीकी तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के न होने के कारण प्रति वर्ष बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं। समय-समय पर कई समितियां नियुक्त की गई हैं। समय-समय पर कई प्रधान मंत्रियों ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है। अनेक पैकेज भी घोषित किए गए हैं। हम उन घोषणाओं का स्वागत करते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच०डी० देवेगौडा ने 6,100 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री, गुजराल ने ढांचागत विकास के लिए 112 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। परन्तु मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि इन पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए अत्यल्प प्रयास किया गया है। यहां तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री वाजपेयी ने अप्रैल माह में बीहू त्यौहार के अवसर पर पैकेज की घोषणा की है। इसके बाद श्री एस०पी० शुक्ल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय बजट से दस प्रतिशत की कटौती करने का सुझाव दिया गया है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

मैं आशा करता हूं कि सरकार को इस क्षेत्र में ढांचागत विकास को देश के अन्य भागों के समतुल्य लाने संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी होगी। एक मात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन आतंकवादी समूहों को वार्ता करने के लिए किस प्रकार से बुलाया जाये। हमने गृह मंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं क बारे में समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टें देखी हैं जिसमें वार्ता के लिए आतंकवादी समूहों को तैयार करने के लिए उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने की बात की गई है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि किसी एक संधि अथवा गुप्त संधि से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है। अब वह समय आ गया है जब आतंकवादी समूहों के समझौते के लिए सरकार को एक निश्चित कार्य सूची के साथ आगे आना चाहिए। इसकी कार्य सूची को गुप्त न रखा जाये अपितु इससे पूरे देश को और इस सभा को अवगत कराया जाए। मैं इन समूहों को वार्ता के लिए तैयार करने के मामले में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने 9 अप्रैल को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने कतिपय कदम उठाए हैं जिससे विद्रोही दल वार्ता हेतु आयेंगे। इस उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार तथा नागालैंड के भूमिगत संगठनों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई है। बाद में हमने नागालैंड के विद्रोही दलों के साथ वार्ता हेतु एक दूत को नियुक्त किए जाने संबंधी समाचार समाचार पत्रों में पढ़ा। मैं इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा है कि हमारे समक्ष आज मुख्य मुद्दा 'विकास' का है। मैं नहीं समझता हूं कि आर्थिक विकास के बिना विद्रोह समाप्त होगा। अत: सरकार के समक्ष मेरा यह विनम्र निवेदन है। इस सम्मानीय सभा का सदस्य होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है।

मेरे विचार से यदि हम एक दिशा में ही प्रयास करें तो मैं नहीं समझता कि हमें अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। हमें एक साथ विकास संबंधी तथा विद्रोही दलों से बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि हम एक साथ कार्य करें तो मैं समझता हूं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अत: मैं इस संबंध में सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण स्थिति बिगड़ रही है। जातीय संघर्ष में अधिकांशत: हिंसा होती है और विद्रोहियों के हमलों तथा धमकियों की घटनाओं से जातीय भेदभाव को बढ़ावा मिलता है।

26 जुलाई, 1998 के राष्ट्रीय दैनिक 'द हिन्दू' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है और मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "असम के कोकराझाड़ थानान्तर्गत छरली खोला गांव में तिलापाड़ा रिलीफ कैंप में एन०डी०एफ०बी० आतंकवादियों के एक दल द्वारा अंधाधुंध गोली चलाए जाने के कारण सात संथालों की मृत्यु हुई तथा 21 अन्य घालय हो गए। मृतकों में ढ़ाई साल की एक बालिका, 7, 10, 14 वर्ष के तीन लड़के तथा 55 वर्षीय एक महिला शामिल हैं।"

समाचार में कहा गया है कि गड़बड़ी वाले कोकराझाड़ जिले में अभी भी जातीय संघर्ष की स्थिति व्याप्त हैं इस घटना के बाद पुलिस तथा सी०आर०पी०एफ० पर एन०डी०एफ०बी० उग्रवादियों द्वारा अगले दिन दोपहर को भारी गोलाबारी की गई तथा वे इसके बाद जंगल में भाग गए।

विद्रोह तथा प्रतिविद्रोह के समाचार सामान्यतया अन्य समाचारों से भिन्न नहीं होते हैं। जैसाकि हाल ही में इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में हुआ है।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष पश्चात् की यही प्रगति है कि एक अल्पसंख्यक जाति वर्ग के विरुद्ध इस प्रकार का जातिसंहार किया जा रहा है। यह हाल की घटना है तथा अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोज की यही स्थिति है।

विभिन्न सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि 1996 में हुई जातीय झड़पों जिसमें 200 से अधिक जनजातीय लोगों की मृत्यु हुई थी के पश्चात उस क्षेत्र के संथालों द्वारा अपना सशस्त्र दल बना लिया गया है। बोडो तथा अन्य जनजातियों के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। संथालों द्वारा चाय बागानों में 100 वर्षों से अधिक समय से काम किया जा रहा है, रोजगार की तलाश में नए परिवार अक्सर कोकराझाड़ जिले के गांवों में जाते हैं। संथालों के अतिरिक्त नेपाली, कोच, राजबोंगसी तथा मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग विभिन्न क्षेत्रों से यहां बसने हेतु आते हैं। सभी अल्पसंख्यक समुदाय पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में पलायन कर रहे हैं।

तनाव से स्थिति और बिगड़ती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाली सभी भूमि तथा रेल मार्ग बोडो बहुल क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। जैसाकि पूर्व में हुआ है, यदि कोकराझाड़ में हो रही हिंसा नहीं रोकी गई तो वे मार्गों को अवरूद्ध कर सकते हैं। सुरक्षा का मुद्दा पूरे क्षेत्र के संचार तथा विकास से जुड़ा हुआ है।

सिर्फ दो राज्यों असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर इस क्षेत्र के शेष राज्यों में जनजातीय लोगों की बहुलता है एक समय में त्रिपुरा जनजातीय बहुल राज्य था। यह स्वतंत्रता पूर्व रजवाड़ा भी था। 30 प्रतिशत जनजातीय व्यक्तियों के आने से यहां पर जातीय संबंधों में बदलाव आ गया है। इस राज्य की जातीय समस्या सभी राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों और सामाजिक सेवाओं का मुख्य मुद्दा हो गयी है। अलगावादी नीतियों और विद्रोही क्रियाकलाप वाले आतंकवादी वर्गों का मुख्य गढ़ त्रिपुरा, असम, मणिपुर और नागालैंड हैं। लेकिन हाल ही में हमें विभिन्न सूत्रों से यह समाचार मिल रहे हैं कि मेघालय में यू०एल०एफ०ए०, आर०बाई०के०एल०, बी०एल०टी०एफ०, एन०एस०सी०एन० तथा ए०एन०वी०सी० जैसे भूमिगत संगठनों के सदस्यों द्वारा बंग्लादेश से घुसपैठ करके बंग्लादेश की सीमा और सोनपहाड़ के दक्षिण मंग्सटन, शिलांग तथा रंगन रोड़ के बीच वाले क्षेत्रों में आतंकवादी गति-विधि वाला कैंप स्थापित कर लिया गया है। मेघालय सरकार को इसकी जानकारी है।

अब पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 70 अत्यधिक कट्टर संगठनों का अड्डा है जिन्होंने प्रति-आसूचना, प्रति विद्रोही और आतंकवाद विरोधी कार्यों में लगे हमारे लगभग 2 लाख सैन्य और अर्द्ध सैनिक बलों को कठिनाई में डाल रखा है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस

[श्री समर चौधरी]

भारत विरोधी आतंकवादी ग्रुपों जिनका मुख्य उद्देश्य इस देश को अस्थिर तथा कमजोर बनाना है। को तैयार करने तथा इन्हें समर्थन देने में अहम भूमिका निभाती है।

इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या यू०एल०एफ०ए०, एन०एस०सी०एन० इत्यादि जैसे विद्रोही दल अपनी राजनीतिक विचाराधारा खो बैठे हैं। वे अभी भी उन लोगों के हाथों का खिलौना हैं जो आई०एस०आई० द्वारा भ्रम फैलाने हेतु तैयार किए गए हैं। इनके लिए धन की कोई समस्या नहीं है। वे बैंकों को लूटते हैं, अथवा बर्मा, थाइलैंड और दक्षिणी चीन से प्रचुर मात्रा में तैयार किए गए मादक द्रव्यों की तस्करी करते हैं। उन्हें अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों के बाजार की पूरी जानकारी है। उन्हें शक्तिशाली और अस्त्र शस्त्रों में अग्रणी राष्ट्रों से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उनका समर्थन कर रही साम्राज्यवादी शक्तियां दर्शक मात्र नहीं है।

आज साम्राज्यवाद अपने आधिपत्य को और अधिक सुदृढ़ करने और अत्यधिक शोषण की प्रथा को लागू करने हेतु राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने आमूचना संबंधी संगठनों को व्यस्त कर रखा है। अलगाववादी मांगों को प्रोत्साह दिया जाता है भारत के बाहर विभिन्न विद्रोही गुटों की समन्वय बैठकों की सूचनाएं मिल रही हैं। एन०एस० सी०एन०, यू०एल०एफ०ए०, एन०एल०एफ०टी० तथा अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 1997 का बहिष्कार किया गया था। उन्होंने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया तथा भारत के खिलाफ खुली आवाज उठायी। दक्षिण एशिया एक ऐसे संकट में है जिससे समाज को खतरा है, विकास के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से सिर्फ गरीबी को बढ़ावा मिला है, इससे संघर्ष तथा असमानता बढ़ी है। भारत पर आये खतरे को उचित समय पर आकलित किया जाना चाहिए तथा यही वक्त है जब केंद्र सरकार इसे बंद नहीं कर दे।

त्रिपुरा राज्य की बंग्लादेश के साथ 839 किलोमीटर लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसे अभी तक बंद नहीं किया गया है। एन०एफ०एल०टी० द्वारा सीमा पार बंग्लादेश के चट्टगांव पहाड़ी के खगरीचारी जिले में जमताली, ओजंचली, लालू, निदेनपाड़ा, गिलपल में अपने आतंकवादी कैंप बना लिए गए हैं। भारत-बंग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा के पश्चिम श्रीमंगल में भी एक स्थायी अड्डा है। वहां से वे त्रिपुरा पर हमले कर रहे हैं। सतचली, नलूआ, टेना, डेब्राबली के चाय बागानों का भी बंग्लादेश में टाईगर फोर्स द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थायी रूप से उपभोग किया जाता है।

आतंकवादियों द्वारा ए०के० 47 और ए०के० 56 राइफलों का बहुत अधिक संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न स्रोतों से यह पता चला है कि उनके पास कभी-कभार सौ से अधिक ए०के० 47 और ए०के० 56 राइफलें होती हैं जिनका वो आम आदमियों को आतंकित करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो उनका विरोध करते हैं, जो राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और संप्रभुता के लिए संघर्ष करते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लोकतांत्रिक आन्दोलन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। एन०एस०सी०एन०, यू०एल०एफ०ए०, पी०एल०ए० और सभी अन्य गुट अपने शिविरों से संयुक्त रूप से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मंत्रियों, सांसदों विधायकों और सरकारी अधिकारियों पर हमले तेज कर दिए हैं। एक मंत्री मारा गया है। इसकी सूचना संसद को भी दी गई थी, मारा गया मंत्री स्वास्थ्य मंत्री था। वह कुछ माह पूर्व ही निर्वाचित होकर आए थे। संसद सदस्य, श्री बाजूबन रियान के पुत्र का अपहरण किया गया था। इसकी जानकारी यहां पर दी गई थी। शांतिबाजार अस्पताल से एक एम०बी०बी०एस० चिकित्सक का अपहरण किया गया था। आतंकवादियों ने उन सबको बंधक बना रखा है। उन्हें छुड़ाया नहीं जा सका है। राज्य की वाम पंथी सरकार ने विद्रोहियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं।

विद्रोहियों को आम आदमी से अलग-थलग करने के लिए उनके विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण उपलब्धिता हुई है। समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई को तेज करने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त संख्या में शस्त्र बलों और असम राइफल्स के जवान तैनात करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया और इसके बजाय हाल ही में सेना की दो बटालियनें वापस बुला ली गई हैं और उसके बाद विद्रोह की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

महोदय, जातीय समूहों के अधिकारों के आधार पर शक्तियों के बटवारे की व्यवस्था की नीतियां और सरकार में निचले स्तर पर अधिकारों के हस्तान्तरण की नीतियां जातीय मनमुटाव और हिंसा को रोक पाने में अत्यधिक सफल सिद्ध हुई थी। जातीय तनाव होने पर सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु दृढ़ता से करनी चाहिए। वाम मोर्चे की सरकार ने राज्य में जटिल जातीय संबंधों से निपटने में लोगों का विश्वास हासिल किया था। राज्य में कमजोर और पिछड़े वर्गों की सहभागिता के कारण अब लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ है।

महोदय, हमारे संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत जनजातीय स्वायत्तशासी जिला परिषद को राज्य सरकारों की हरसंभव सहायता से दृढ़तापूर्वक संरक्षित किया गया है और उसे मजबूत बनाया गया है। जनजातीय समूह स्वायत्तशासी क्षेत्र के अन्तर्गत इनर लाइन परमिट की मांग कर रहे हैं। जिसका राज्य सरकार ने समर्थन किया था और जिसे अंतिम निर्णय हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया था और जो अभी तक केन्द्र सरकार के पास लंबित है। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से तत्काल सहायता मांगी थी और प्रधान मंत्री से इस संबंध उपयुक्त कार्रवाई करने और रचनात्मक दृष्टि से विचार करने की मांग की थी। 14 सूत्री मांग इस प्रकार है :

(i) सुरक्षा बलों की संख्या में तत्काल वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में विद्रोह से निपटने के लिए अधिक सेना/असम राइफल्स की अधिक यूनिटों की आवश्यकता है।

(ii) विद्रोह विरोधी कार्य के लिए त्रिपुरा में सेना के मेजर जनरल रैंक के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की आवश्यकता है।

(iii) बंगलादेश के साथ लगने वाली सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाए। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वर्तमान तैनात संख्या उनकी मंजूर संख्या से काफी कम है।

(iv) एक केन्द्रीय ऐजेंसी द्वारा त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर सीमा बाड़ लगाने की तुरन्त मंजूरी और निर्माण करना।

(v) त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सड़क का निर्माण पूरा करना।

(vi) बंगलादेश में आतंकवादी शिविरों को बंद करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करना और वहां पर भारतीय आतंकवादियों को सहायता दिया जाना बंद करना।

(vii) राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु राज्य को सहायता देना विशेष रूप से बुलेट-प्रूफ कारें उपलब्ध कराना, और आधुनिक हथियार तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराना।

(viii) विद्रोहियों द्वारा हाल ही में मंत्री की हत्या करने को ध्यान में रखकर अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बुलेट-प्रूफ कारें उपलब्ध कराना।

(xi) आपतकाल में रक्षा बलों की आवाजाही के लिए राज्य सरकार द्वारा मुक्त रूप से हैलीकाप्टरों का उपयोग करना तथा मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में हैलीकाप्टरों से यात्रा करने की स्वतंत्रता।

(x) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को रक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना जैसा कि जम्मू और कश्मीर, पंजाब और असम के मामले में किया गया है।

(xi) सुरक्षा से संबंधित केन्द्र सरकार के पास लंबित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी देना।

(xii) समर्पण कर चुके आतंकवादियों के पुर्नवास के लिए केन्द्रीय सहायता देना।

(xiii) बुनियादी सुविधाओं और मौलिक न्यूनतम सेवाओं दोनों के संदर्भ में आर्थिक विकास विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में, उदारीकृत केन्द्रीय सहायता देना तथा शुक्ला आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

(xiv) त्रिपुरा क्षेत्र के लिए असम राइफल्स की एक अतिरिक्त बटालियन का गठन करना।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा मंत्री मंडल के सभी माननीय सदस्यों से और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर वास्तविक स्वदेशी दृष्टिकोण से त्रिपुरा की समस्या पर विचार करने का अनुरोध करता हूं जिससे हमारी अखंडता बनी रहेगी और जिससे आतंकवादियों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने में सहायता नहीं मिलेगी। इसके लिए केन्द्र-राज्य के अच्छे संबंधों को आधार पर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।

[हिन्दी]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूर्वी भारत की दुख भरी कहानी हम कई सालों से देख रहे हैं। इस सारे विषय को हमें दो हिस्सों में बांटना चाहिए। पहले, जो पहाड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, फिर एक दो स्टेट ऐसे हैं जहां मैदान में रहने वाले और पहाड़ में रहने वाले लोगों के बीच काफी अंतर आ चुका था। अगर इस खाई को पिछले 50 साल में पूरा कर दिया, तो मुझे लगता है कि जो इंसरजेंसी हम देख रहे हैं, उसकी स्थिति इतनी भयानक न होती। पहले नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आदि स्टेट्स में अपनी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया जाता था, जिसके कारण उनका एकमात्र सहारा मिशनरीज थे। मिशनरीज के द्वारा उस समय लोगों की जो सेवा की गई, उसके कारण मिशनरीज को बहुत पापुलेरिटी मिली लेकिन मिशनरीज को जनप्रियता का आधार बनाकर कई बाहरी तत्व इसके अंदर आ गये। बाहर के कई देश यह चाहते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत को जैसे भी हो, अस्थिर बनाकर रखें, भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाकर रखें ? नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स को भारत से अलग करने के लिए कई बार प्रयास हुआ, इस कारण मिशनरीज को भी बदनाम किया गया। मैंने कई सालों तक उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में प्रभारी के नाते काम किया है। इस नाते मैंने देखा है कि वास्तव में जो मिशनरीज थे, सर्विस ओरियंटिड मिशनरीज थे, वे ऐसे कामों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट) : महोदय, वह मिशनरियों पर आक्षेप लगा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : जी नहीं, मैं समझता हूं कि आप गलती कर रहे हैं। मैं मिशनरियों की निन्दा नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं मिशनरियों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

मैंने कहा कि मिशनरीज के सेवा कार्य को माध्यम बनाकर कुछ घुसपैठ आ गये और वे यहां आकर ऐसे कामों के साथ जुड़ गये जैसा त्रिपुरा में दंगा हुआ था। *(व्यवधान)* मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि त्रिपुरा दंगे के समय जब हम वहां पहुंचे तो उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री नृपेन चक्रवर्ती ने हमें खुद बताया कि इसके साथ मिशनरीज का एक अंश जुड़ा हुआ है। *(व्यवधान)* मैं कह रहा था कि बहुत समय से पहाड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोगों की जो अवहेलना की गई, उसके कारण वहां क्षोभ पैदा हुए। बाद में पोलिटिकल पार्टीज ने उस क्षोभ को काम में लिया। आज जो इंसरजेंसी है यह विद्रोह राजनैतिक दलों द्वारा उत्पन्न किया गया है। उसके प्रमाण भी हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 2 अप्रैल के कलकत्ता टैलीग्राफ में लिखा है :—

[अनुवाद]

> "यह एक सर्वमान्य बात है कि वाम मोर्चा तथा कांग्रेस प्रत्येक ने त्रिपुरा में एक-दूसरे को अस्थिर करने के लिए जनजातीय विद्रोहियों का इस्तेमाल किया। जब वामपंथी सत्ता में होते हैं तो कांग्रेस ने कभी त्रिपुरा नेशनल बालिन्टियर के नाम से जाने वाले समूह को उकसाया लेकिन के रूप में उभरकर सामने आने "।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिकदर जी, आप इस विषय पर कल अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, वह किस्त दस्तावेज से उद्धृत कर रहे हैं।

श्री तपन सिकदर : यह "द टेलीग्राफ" से उद्धृत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिकदर जी, कृपया मेरी बात सुनिये। अब हमें आधे घण्टे की चर्चा शुरू करनी है। आगे आप इस विषय पर कल बोल सकते हैं।

श्री तपन सिकदर : महोदय, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा आधे घण्टे की चर्चा पर विचार आरंभ करेगी।

अपराह्न 5.31 बजे

आधे घंटे की चर्चा
स्वच्छ पेयजल के संबंध में

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे 28.5.98 के प्रश्न में मैंने जो आधे घंटे की चर्चा मांगी थी, उसे आपने मान्य किया है। उस प्रश्न के संदर्भ में हाउस में जो चर्चा हुई, उसमें अनेक ऐसे बिन्दु थे जिनकी चर्चा यहां पर नहीं हो सकी थी। इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण विषय मानकर मैंने आपसे चर्चा का आग्रह किया था। जल के संदर्भ में इतना कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है और प्राणी के जीवन में जल का कितना महत्व है, इससे हम और पूरी दुनिया भली-भांति अवगत है। पृथ्वी में जल की कमी नहीं है लेकिन प्रकृति ने जल का विभाजन इस तरह किया है कि हमारे पास 97.4 प्रतिशत समुद्री जल है, 1.8 प्रतिशत बर्फीला जल है और .8 प्रतिशत पीने योग्य पानी है। यदि देखें तो एक तरह से प्रकृति ने आदिकाल से ही हमारी परीक्षा ली है। यदि वर्तमान समय में देखें तो 1997 के 12वें महीने के आंकड़ों के हिसाब से 14,30,663 बस्तियां ऐसी हैं जिनमें आज पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उनमें से करीब 49,374 ऐसी बस्तियां हैं जहां 1.6 करीब-करीब पौने दो किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लोगों को पानी मिल पाता है, 3,54,303 ऐसे गांव आईडैन्टीफाई हुए हैं जहां आज भी पेयजल का भीषणतम संकट है और वह अपर्याप्त है। इस तरह से पेयजल आज त्रासदी का विषय बनता जा रहा है। यह अकेले ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि 20 हजार से अधिक की आबादी के कस्बों और बड़े-बड़े महानगरों, यहां तक कि दिल्ली में भी पेयजल का संकट सदैव विराजमान रहता है। यह एक तरह से हमारे जीवन का अपर्याय अंग है और इसके संदर्भ में इस सदन में आज जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसे काफी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा और उसके बाद मंत्री जी से प्रश्न करूंगा। 1947 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 6000 क्यूबिक मीटर पानी मिलता था। उसके बाद 1991 में 2,213 क्यूबिक मीटर हो गया और 1996 में 2,000 क्यूबिक मीटर और आने वाले योम वर्षों में इसके 1,600 क्यूबिक मीटर तक गिर जाने की स्थिति है। इस तरह से प्रति व्यक्ति उसकी आवश्यकता अनुसार, जहां पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, वहां पानी की आपूर्ति घटती जा रही है। यह हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिन्ता का विषय है। अभी अनेक एजेंसियों ने जो सर्वे किए हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान की ग्रामीण महिला को पीने के पानी और जलाव की लकड़ी के लिए प्रति वर्ष 1400 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। आज इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे ऊपर दबाव, कृषि में ट्यूबवैलों का भारी तादाद में खनन और उद्योगों का बेतहाशा लगाया जाना है।

मैं इस बात को मानता हूं कि इन सब की आवश्यकता है, लेकिन कहीं-कहीं इसको हमको बेलैंस करना पड़ेगा। अगर हम इसको बेलैंस नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जायेगा कि पेयजल और जल का एक प्रदूषण पूरे देश में विराजमान हो जायेगा। इसकी पूर्ति के सदंर्भ में भी सरकार ने अनेक योजनाएं बनाईं और एक तरफ से इनको कारगर किस तरह से किया जाये और हम इसको कैसे व्यवस्थित कर सकें, इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन का गठन 1986 में किया। उसके बाद में पांच साल तक उस पेयजल मिशन ने काम करने के बाद उसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया। नियंत्रक एवं महालेखाकार की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का यदि हम अध्ययन करें तो इसने राजीव गांधी पेयजल मिशन को पूर्ण रूप से असफल पाया है। इसी के माध्यम से आज पूरे राज्यों को हम भारी तादाद में करोड़ों रुपया भेजा जा रहा है और राजीव गांधी पेयजल मिशन आज पूर्ण रूप से अक्षम हो गया है। मिशन के क्रियाकलापों में अनेक त्रुटियां पाई गई हैं। उसमें निष्पादन और क्रियान्वयन में कोई गुणवत्ता नहीं रखी गई है और जो सलैक्शन ऑफ प्लेस है, उसमें भी काफी विसंगतियां हैं। जो स्रोत का सृजन होता है, उसमें भी घटिया किस्म का परिचालन होने से वह कोलैप्स हो जाता है, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति बन गई है कि जिन योजनाओं को हम गांवों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से चलाते हैं, उसके बारे में तत्परता से ध्यान नहीं देने के कारण करोड़ों रुपये का निवेश हुआ, लेकिन उसकी तुलना में लाभ नहीं मिल सका। सरकार ने इस जल आपूर्ति की दिशा में गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया। इसको आज सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आज गांवों में ऐसे हजारों विलेज हैं, जहां पर आज गांवों की जनता दूषित पानी पीती है और जिसके कारण अनेक बीमारियां होती हैं। मैं तो यह मानता हूं कि बीमारियों का मूल कारण गंदा पानी और अस्वच्छ जल पीना है। हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है, हमारा देश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है लेकिन हम आज गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, दो-चार मिनट और लूंगा। यह पेयजल जो मिलता है, इसकी जांच के लिए जो लैबोरेट्रीज होती हैं, उनका भी स्टेट गवर्नमेंट समय से संधारण नहीं करती, उनको एक समयावधि के अन्दर चालू नहीं करती। करीब 20011 उपचार संयंत्र ऐसे हैं, जो आज हमारे देश में बन्द पड़े हैं। हमारे देश में 70 परसेंट आबादी गांवों में रहती है, जो आज पेयजल के लिए तरस रही है।

इसके लिए नवीं पंचवर्षीय योजना में चार खरब रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अपने नेशनल प्रोग्राम में पेयजल को प्राथमिकता पर लिया है और इस बजट में भी जितनी राशि रखनी चाहिए, उतनी पर्याप्त राशि रखी है। लेकिन इसके बाद शंका की सुई हमारी राज्य सरकारों की ओर जाती है। राज्य सरकारों को भारत सरकार जो पैसा भेजती है, इस पैसे का वे उस मद में उपयोग नहीं करती, जिसके लिए पैसा भेजा जाता है। कई राज्य सरकारें ऐसी हैं कि इस पैसे का उपयोग तनख्वाह बांटने में करती हैं। कई प्रदेशों के मंत्री अपने उन गांवों में जहां पर कि 500 की आबादी है, हजार की आबादी है, वहां ग्रामीण जल योजना बनाते हैं और सुदूर वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी गरीब आज तीन, चार और पांच किलोमोटर दूर से कांवड़ में पानी लाकर अपनी पेयजल की पूर्ति करते हैं।

एक तरह से जिसके हाथ में बागडोर आती है, वह राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग के मंत्री अपने क्षेत्र में एक तरफ तो विकास का जाल बिछाते हैं, लेकिन पड़ौस के क्षेत्र की बिलकुल चिन्ता नहीं करते। इसलिए कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को भारत सरकार देती है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी और पूर्ति होती है। क्यों नहीं इसमें माननीय सांसदों की भी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी भी सलाह इसमें ली जानी चाहिए। यदि हमारा कोई सांसद कहता है कि हमें एक नलकूप खोदना हैं तो वे कहते हैं कि यह तो स्टेट का पैसा है, इसका फैसला जिला पंचायत करेगी, इसका निर्णय विधायक करेंगे तो सांसद का क्या रोल रह जाता है ? हम यहां से करोड़ों रुपये भेजते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक सुझाव भी नहीं लिया जा सकता? मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसी नीति बनायेगी कि आने वाले समय में कम से कम पांच परसेंट राशि या दस परसेंट राशि जो राज्य सरकारों को दी जाती है, अब जो नई योजनाएं सांसद की सहमति से बनाई जाएं वे ग्रामीण योजनाएं बनाई जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि हमारी सरकार इस संदर्भ में किस तरह का विचार कर रही है ? बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ऐसी है और मध्य प्रदेश की स्थिति इससे भी बदतर है। अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, यह आप समझ सकते हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें यहां पर रखी हैं। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार देश में नलकूपों के खनन की क्रांति हो रही है। इसके ऊपर सभी सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। मैं इस बात को मानता हूं कि खेती के लिए कृषि नलकूपों का खनन होना चाहिए लेकिन इसका कोई निर्धारित मानदंड होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में इतने ज्यादा नलकूप खनन हो चुके हैं कि वहां जमीन का जल स्तर बहुत नीचा गिरता जा रहा है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पानी बिलकुल समाप्त हो चुका है। इसका एक मूलभूत कारण है कि 1947 में हमारे देश में 1000 नलकूप थे, आज आठ लाख नलकूप हैं और युद्ध स्तर पर नलकूपों का खनन हो रहा है।

मैं आपके सामने गुजरात का एक उदाहरण रखना चाहूंगा। वहां के बनासकांठा और मेहसाणा में और तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भूमि का जल स्तर बिलकुल खत्म हो चुका है। वहां पर 300-400 फीट के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं होता। हरियाणा में कुरूक्षेत्र और मध्य प्रदेश में खंडवा और भिंड की स्थिति ऐसी है कि प्रति वर्ष आधा से एक मीटर पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है जो हमारे लिए चिन्ता बहुत का विषय है। आज मध्य प्रदेश में 2,80,000 कुएं, 25,000 नलकूपों का खनन प्रतिवर्ष हो रहा है। अगर वर्षा ऋतु के जल को रीचार्जिंग नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सामने अन्य प्रकार के प्रदूषण की समस्या तो होगी ही परंतु जल एक बहुत बड़े प्रदूषण का रूप धारण कर लेगा और इसका कोई विकल्प नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बिसेन जी कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : मैं मध्य प्रदेश की बात कहकर समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। सदन में पहली बार आधे घंटे की चर्चा की अनुमति आपकी तरफ से मिली है। मैं दो मिनट में बात समाप्त करता हूं। मध्य प्रदेश में 75 प्रतिशत कुएं दिसम्बर में, दस प्रतिशत जनवरी, दस प्रतिशत अप्रैल में तथा दो से पांच प्रतिशत कुएं जून में सूख जाते हैं। वर्षा के आने के पूर्व ही दो से ढ़ाई प्रतिशत पानी कुओं में रह जाता है, ऐसी हमारी स्थिति है। जल के संग्रहण की आधुनिक टैक्नॉलोजी को डैवलप करने की आवश्यकता है। हमारे अन्ना हजारे जी ने महाराष्ट्र में जो रीचार्जिंग का विकल्प अपनाया है, इसको हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें होने वाले भ्रष्टाचार पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी वॉटरशैड के नाम से करोड़ों रुपयों के घपले हो रहे हैं। इस प्रकार पैसे का सदुपयोग न होकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों की भी है। वॉटरशैड के पैसे सरकारें अपने कामों में लगा रही है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इन सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और राजीव गांधी वांटरशैड के मामले पर पुनर्विचार करे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए तथा इस पर भी पुनर्विचार किया जाए कि किस तरह काम किया जाए ताकि पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से काम चल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बिसेन जी कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : राजीव गांधी पेयजल मिशन के कार्य को सुनियोजित तरीके से किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में कोई जांच करेंगे तथा राज्यों को दी जाने वाली राशि में क्या सांसदों की भागीदारी रहेगी ? यही मेरे दो प्रश्न हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कॉटई) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने दो योजनाएं बनाई हैं उनमें से एक है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

[श्री सुधीर गिरि]

और दूसरी है जलापूर्ति योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तथा जलापूर्ति योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि सभी स्थानों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के बाद अभी भी 40,988 गांवों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जानी है। क्या मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या एक गांव में उक्त दोनों योजनाएं लागू हो सकती है ? क्या गैर सरकारी संगठन जल.पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किए जाने के लिए चुने गए गांवों में जलापूर्ति का काम शुरू कर सकती है ? जलापूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मानदण्ड क्या हैं ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नलकूपों इत्यादि को मरम्मत इत्यादि की आवश्यकता होती है, केन्द्र सरकार गांवों या क्षेत्रों को कब तक वित्तीय सहायता देती रहेगी ? क्या इस बात की जांच करने के लिए कोई तंत्र है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का समुचित उपयोग हुआ है ? मैं अंत में यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ऐसी वित्तीय महायता कब तक उपलब्ध कराती रहेगी ?

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न स्थानों पर पेयजल का संकट बना हुआ है। शुद्ध पेयजल के अभाव में अनेक बीमारियां होती हैं। देश के लगभग पांच लाख गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल का संकट अत्यंत गम्भीर है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां एक कहावत है "मालव धरती गहन गम्भीर, पग-पग रोटी डग-डग नीर।" जहां पग-पग नीर था, वहां आज रेगिस्तान बनने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बरसात में बहते हुए पानी को जो नदियों और नालों द्वारा समुद्र में चला जाता है, उसे रोकने के लिए कोई व्यापक प्रबन्ध किए हैं अथवा नहीं ? अन्तरप्रान्तीय नदी जल योजनाओं का क्या हुआ ? इस दिशा में आज जो योजनायें चल रही हैं, उन पर भरपूर खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। छोटे-छोटे तालाब बनाकर और जो तालाब हैं, उनका जीणोद्धार करके, छोटे छोटे चैक डैम बनाकर या अन्यथा भी वाटरशैड स्कीम्स के द्वारा ठीक से रिसाव करके उसको रोका जाना चाहिए और जल स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। उस जलस्तर को बढ़ाने के बारे में निश्चित प्रक्रिया, निश्चित नीति या निश्चित प्रावधान किए गए हैं या नहीं ? यदि हां, तो उनसे क्या लाभ हुआ ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि खेतों में जल का प्रयोग अधिक हो रहा है और जगह जगह ट्यूबवैल भी लगाए जा रहे हैं। इन ट्यूबवैल्स के कारण जलस्तर 300-400-500 फीट गहरा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं ? साथ ही साथ देश भर में कैमिकल फैक्ट्री धड़ाधड़ लगाई जा रही हैं। इन कैमिकल फैक्ट्रीज के लगाने से नदियों में दूषित रिसाव हो रहा है। और यह रिसाव पांच से दस किलोमीटर दूर फैल जाता है। इस वजह से फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों और पशुओं को मिलने वाला पीने का पानी दूषित हो जाता है। यह पानी पीना इंसानों के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन जो पशु पीते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां के लोगों को इस गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। किसानों की खेती भी सूख जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में कोई निश्चित नीति, निश्चित प्रक्रिया अपनाई है ? साथ ही गांवों में जो पेयजल का संकट बना हुआ है, वह न हो और शहरों में भी जहां पेयजल का संकट बना हुआ है, वह भी न हो। बरसात का पानी जो व्यर्थ में बहकर चला जाता है, उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि जिस धरती को हम पग-पग नीर वाली धरती कहते थे वह भी रेगिस्तान बनती जा रही है। जो धरती रेगिस्तान बनने जा रही है उसको रोकने की दृष्टि से आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं देश में ऐसे अनेक स्थान हो सकते हैं, इस बारे में सरकार के प्रयत्न क्या हैं ?

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, देश में सबसे ज्वलंत समस्या पीने के पानी की है। हमें बहुत दुख होता है कि स्वतंत्रता के पच्चास वर्ष बाद भी देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में गरीब आदमी को अभी भी पीने के पानी की कमी है। वास्तव में जब हम संसद सदस्य के रूप में गांवों का दौरा करते हैं तो हमसे उन गरीब लोगों की दयनीय स्थिति देखी नहीं जाती है जो पीने के पानी की कमी की समस्या से परेशान हैं।

आज हम अच्छे पानी की आपूर्ति की बात करते हैं लेकिन खराब पानी भी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि 250 की आबादी के लिए एक हैण्डपम्प की आवश्यकता होती है लेकिन 500 की आबादी के लिए भी एक हैंडपम्प उपलब्ध नहीं है। हम जनता से यह वायदा करते हैं कि सरकार का सपना ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना है लेकिन वास्तव में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं वह यह है कि पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने पर भारी धनराशि व्यय करने के बाद भी हम पेय जल उपलवध नहीं करा सके हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।

मैं सरकार विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह हमें बताएं कि इस देश में हो क्या रहा है। समस्या क्या है ? सरकार पीने का पानी उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही है ? इस समस्या के समाधान के लिए कौन सी नीति पर विचार किया जा रहा है ? इस संबंध में सरकार की योजना क्या है ? इस सरकार ने 'शासन संचालन के लिए अपने राष्ट्रीय ऐजेन्डे' में एक प्रतिबद्धता की थी कि देश के सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। आज मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें और सभा को बताएं कि आज तक कितने लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा दी गई है और कितने लोग पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ? सरकार की क्या योजना है ? सरकार का इस पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है और समस्या के समाधान के लिए उसका कौन सी नई प्रौद्योगिकी लाने का इरादा है ?

महोदय, मैं अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि भोजन, कपड़ा और आश्रय के अतिरिक्त पीने का पानी मानव जीवन जीने के

अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम पीने के पानी की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अत: पीने का पानी उपलब्ध कराने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यद्यपि इस विषय पर केवल पांच ही संसद सदस्यों को बोलने का अवसर मिला लेकिन सभी 542 सांसद भी यह महसूस करते हैं और इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि लोगों को पीने का ऐसा पानी उपलब्ध कराया जाए जो अच्छा ही न हो बल्कि सुरक्षित हो और जिससे बीमारियां न फैलें। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि सरकार का लोगों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या करने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सुरक्षित पेयजल पर आधे घण्टे की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पयेजल की समस्या पूरे देश की समस्या है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाकों में पेयजल संकट विकराल रूप धारण किए हुए है। जलस्तर प्रतिवर्ष नीचे गिर रहा है, जिसका सर्वे कराना नितांत आवश्यक है। आज जहां भी तालाब, पोखर या बड़े-बड़े गड्ढे हैं वे बिलकुल पट गए हैं।

महोदय, जलस्तर नीचे गिरने का मुख्य कारण यह है कि हम प्रतिवर्ष वर्षा का पानी एकत्र नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जलस्तर बिलकुल नीचे गिरता जा रहा है। अभी जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि पेयजल समस्या के लिए करोड़ों रुपए राज्यों को भेजे जाते हैं, हैंड पम्प लगाने के लिए इंडिया मार्क टू या त्वरित योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा जाता है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना से भी खर्च होते हैं, पूर्वांचल योजना के नाम पर भी केन्द्र से पैसा जाता है लेकिन उस पैसे का पूरा दुरूपयोग होता है, कहीं भी पेयजल समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र दुआबा, चैल, इलाहबाद, फतेहपुर का दुर्भाग्य है कि वह गंगा-यमुना के बीच में बसा होने के बावजूद भी वहां की जनता प्यासी मर रही है, वहां पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। त्वरित योजना, राजीव गांधी पेयजल योजना, दस लाख कूप योजना और पूर्वांचल योजना में माननीय सांसदों की कोई भागीदारी नहीं है, उनमे कोई राय या सलाह-मशविरा नहीं लिया जाता है, मनमाने ढंग से अधिकारी लोग उस पैसे का दुरूपयोग करते हैं और पेयजल समस्या पहले की तरह विकराल रूप लिए खड़ी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कम से कम जो पैसे भारत सरकार से राज्यों को भेजते हैं या क्षेत्रों के विकास के लिए भेजते हैं उसमें माननीय सांसदों की एक मुख्य भागीदारी हो।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र नीवा, मनौरी, अमराचेकला, चम्पहाबाजार, पश्चिमी शहीरा, हलगांव बहुत बड़े बड़े कस्बे हैं जिनकी आबादी 20-25 हजार की है लेकिन वहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पेयजल की स्टोरेज टंकी और नलकूप की व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आशा करता हूं कि जिन समस्याओं पर मैंने अपनी बात रखी है उनको माननीय मंत्री जी पूरा कराने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री आर०एल० जालप्पा (चिकबलपुर) : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया इस बात को समझें कि उन्हें पहले नियमों का पालन करना है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : अध्यक्ष जी, हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए, पेयजल पर यह पहली आधे घण्टे की चर्चा है और मैंने अपना नाम भी इसके लिए दिया है, इस पर मुझे अपनी बात कहनी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमों का अध्ययन करना चाहिए। नियम आपको अनुमति नहीं देते हैं। आपको अग्रिम नोटिस देना चाहिए और चार सदस्यों को स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने की अनुमति है। आपको नियमों का अध्ययन करना चाहिए। अब मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों का अध्ययन करें। आप नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। आप को यह बात समझनी चाहिए। इस संबंध में नियम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समझें कि नियम आपको बोलने की अनुमति नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे मालूम है। लेकिन हमें प्रक्रिया नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही चलानी है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष जी, पीने के पानी के मामले में अगर कोई रूल लोक सभा का आड़े आता है तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, दूषित पेयजल के कारण छत्तीसगढ़ अंचल में आंत्रशोथ से सैंकडों लोग मर रहे हैं क्योंकि वहां मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसी विषय पर मैं सवाल उठाना चाहता था। *(व्यवधान)* इस सदन में हल्ला करने के लिए रूल परमिट करते हैं लेकिन पानी की समस्या के लिए रूल परमिट नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : हम स्वीकार करते हैं कि रूल में नहीं है लेकिन आपके पास अधिकार है, आप रूल में बदलाव कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बापीराजू कृपया नियमों को पढ़िए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं नियम विरुद्ध काम नहीं कर सकता हूं। कृपया इस बात को समझिए, मैं भी समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन नियम आपको बोलने की अनुमति नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : जब मैंने मंत्री जी को लिखा तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है। जब मैंने केन्द्रीय मंत्रियों को लिखा तो उन्होंने कहा कि पैसा भेजा जा रहा है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा अनुरोध है कि हमें इस पर बोलने के लिए कुछ मिनट का समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुनय्या, मैं समझता हूं कि आपको भी नियमों की जानकारी है। नियम चार सदस्यों से अधिक को बोलने की अनुमति नहीं देते हैं।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। प्रश्न मात्र यह है कि यह आधे घण्टे की चर्चा है। यह अनेक सदस्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए, आप इसे दूसरी तरह उठा सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं, कृपया यह बात समझिए।

(व्यवधान)

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : कृपया पानी की कमी के कारण ग्रामीण लोगों को रही कठिनाइयों के कारण उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता को समझिए। वास्तव में उनकी ओर से कहने वाला कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की उत्सुकता को भी समझता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि नियम आपको अनुमति नहीं देते हैं। माननीय सदस्यगण कृपया आपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसी प्रथा नहीं है। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

सायं 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हमें नियमों से बाहर नहीं जाना है।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : इसका मतलब यह नहीं है कि नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने होंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर दूसरे मंच पर चर्चा कर सकते हैं। अब मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष महोदय, आपको नियम शिथिल करने का अधिकार है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

मैं आप से अपील कर रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस समय यह संभव नहीं है। समय नष्ट मत कीजिए। श्री स्वाइन जी कृपया बात समझिए, कृपया नियमों को समझिए, आप नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। अब मंत्री जी बोलेंगे। मंत्री जी के उत्तर के बाद सभा स्थगित की जा सकती है।

(व्यवधान)

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : पेय जल की समस्या के बारे में सदस्यों की चिन्ता से मैं सहमत हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : अध्यक्ष महोदय, आप बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं तो मैं सदन से जा रहा हूं।

सायं 6.02 बजे

इस समय श्री चन्द्रशेखर साहू सभा-भवन से बाहर चले गए

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री बाबागौड़ा पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश में पीने के पानी की समस्या के बारे में सदस्यों की चिन्ता से सहमत हूं। सभी सदस्यों की यही समस्या है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सभी सदस्यों के प्रश्नों का संतोष जनक उत्तर दे सकते हैं। मंत्री जी आप से यह अपेक्षा है कि आप सभी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री बाबागौड़ा पाटील : मैं इस समस्या के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और तथ्य सामने रखना चाहता हूं। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में पेय जल योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई बस्तियों की संख्या 40,988 और आंशिक रूप से सम्मिलित की गई बस्तियों की संख्या 3,15,155 है।

श्री आर०एल० जालप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बरसात के पानी को पीने के प्रयोजन से सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, श्री जालप्पा जी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री आर०एल० जालप्पा : मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जालप्पा जी व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री आर०एल० जालप्पा : अनेक गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रखिए।

श्री बाबागौड़ा पाटील : मैं तथ्य बता रहा हूं। मैं उसके बाद उस प्रश्न पर आऊंगा।

आंशिक रूप से सम्मिलित बस्तियों की संख्या 3,15,1559 और पूरी तरह से सम्मिलित बस्तियों की संख्या 10,74,520 है। ये आंकड़े एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए हैं। मानव उपभोग के लिए प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 40 लीटर स्वच्छ पेय जल का मापदण्ड रखा गया है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में पशुओं के लिए अतिरिक्त 30 एल०पी०सी०डी०, प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंडपम्प या स्टैंड पोस्ट *(व्यवधान)*। मैं आंकड़े दे रहा हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने मानदंडों के बारे में पूछा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

श्री बाबागौडा पाटील : भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इस वर्ष बजट आबंटन 1,302 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1627 करोड़ रुपए कर दिया है। पेयजल का विषय राज्य का विषय है। यह कहते हुए मुझे दुख होता है। 1996 से केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति मात्र की है, हम केवल वित्तीय सहायता दे रहे हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण जल योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। हमने ई०ए०एस० के अंतर्गत राज्य सरकारों से कार्यक्रमों को पुन: शुरू करने के लिए कहा है। हम पर्यावरण विभाग, हमारे विभाग और कृषि मंत्रालय के बीच उन सभी कार्यक्रमों को मिलाकर इन्हें व्यापक रूप से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने प्राथमिकता आधार पर "जलदोहन प्रणाली और भूजल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने के लिए ई०ए०एस० और जे०आर०वाई० के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों को लिखा है। हमने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है।

अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि पेयजल योजनाओं के लिए आवंटित पांच से दस प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार को बचा कर रखनी चाहिए और उस धनराशि को सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर सदस्यों पर खर्च अथवा वितरित कर दी जानी चाहिए। लेकिन यह राशि योजना आयोग के पास पड़ी रहती है। मैं इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाऊंगा। योजना आयोग को दिशा निर्देशों के अनुसार हम धनराशि का आवंटन कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं तो मैं इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाऊंगा। *(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : राज्यों में, विधेयकों को कुछ विवेकाधिकार प्रदान किए जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप संसद सदस्यों को 200 ट्यूबवैल देने पर विचार करेंगे। *(व्यवधान)* ये राज्यों में विधायकों को दिए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप संसद सदस्यों को भी ये सभी चीजें प्रदान करने जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री बाबागौड़ा पाटील : हम सुझाव दे सकते हैं। *(व्यवधान)* नहीं, यह सम्भव नहीं है। *(व्यवधान)* यह राज्य का विषय है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप इन सब बातों का उत्तर नहीं दे सकते। आपको उन सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना है जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है।

(व्यवधान)

श्री बाबागौड़ा पाटील : ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के अंतर्गत सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर सकती है, राज्य सरकारें ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के अंतर्गत प्रदान कराई गई निधियों के उपयोग सहित योजना बनाने और ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। भूमिजल के अत्याधिक दोहन को नियंत्रित करने के संबंध में कानून एवं अन्य उपायों के माध्यम से शुरूआत में अत्यधिक धनराशि राज्य सरकारों से प्राप्त होती है। जिसमें शेयर धारकों की भागीदारी एवं लगातार धन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, प्रत्येक वर्ष लाखों कुओं में बोर किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष 50 से 60 प्रतिशत कुओं में पानी सूख रहा है। तब कुओं में और बोर किया जाता है। मेरे राज्य में, माननीय मंत्री जी जानते हैं, कुछ स्थानों पर हमने 750 फीट गहराई तक बोर किए हैं और पानी फ्लोराइड युक्त है। 'रिचार्ज' नहीं होता है। वे जानते हैं कि हजारों मझौले और लघु सिंचाई तालाबों में 75 प्रतिशत तक गाद जमा हो गई है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दें। आप केवल स्पष्टीकरण दें।

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, मैं जल संरक्षण के बारे में बात कर रहा हूं। यदि उन तालाबों की गाद नहीं निकाली गई तो उन तालाबों में पानी नहीं मिलेगा; और उनमें पानी ऊपर नहीं आएगा और इन बोर कुंओं से पानी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए हैं। परसों उन्होंने विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को 2,300 करोड़ रुपए और दे दिए हैं। क्या वे मैकेनिकल उपकरणों द्वारा गाद निकालने के लिए पूरे देश को 2500 करोड़ रुपए नहीं दे सकते हैं ? क्या वे इतनी धनराशि नहीं रख सकते हैं ? तो फिर वे 8 या 10 वर्षों के बाद पानी की आपूर्ति कहां से करेंगे ? क्या वे उन लोगों जो शहरों और कस्बों में रह रहे हैं को पानी की आपूर्ति थैलियों में करेंगे ? वे बांध बनाने की रूपरेखा के बारे में क्या कर रहे हैं ? वनरोपण के मामले में, हम वन कर्मचारियों पर विश्वास नहीं कर सकते। आकाश में पौधरोपण किया जाता है। हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री जालप्पा, यह न समझें कि यह प्रश्न काल है। कृपया आप अपना स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो मांग सकते हैं।

श्री आर०एल० जालप्पा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे पर्यावरण और वन मंत्री से चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या इन कर्मचारियों को वेतनवृद्धि और पदोन्नति पौधरोपण पर निर्भर करती है। इन पौधों में से 90 प्रतिशत पौधों मर जाते हैं। इस दर पर हम कहां जा रहे हैं ?

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या यह है कि भूमि जल के तात्कालिक दोहने के कारण पेयजल का असैनिक संदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह बहुत खतरनाक चीज है जिसका हम निकट भविष्य में सामना करने जा रहे हैं। इसलिए, जल संरक्षण और भू-जल को निकालना आज की तात्कालिक आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि ई०ए०एस० की धनराशि, जो राज्यों को प्रतिवर्ष आवंटित की जाती है, की बड़ी धनराशि उपयोग किए बिना रह जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह धनराशि एम०पी०एल०ए०डी०एस० जैसी योजना के माध्यम से उपयोग में लाई जा सकती है। क्या माननीय मंत्री जो इस मुद्दे को अपने मंत्री मण्डल के साथ उठाएंगे और संसद सदस्यों के लिए ऐसी योजना मंजूर करवायेंगे ताकि एम०पी०एल०ए०डी०एस० जैसी योजना भूजल निकालने और भूजल में असैनिक का स्तर कम करने के लिए तैयार की जा सके।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, राज्य सरकारें त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को कार्यान्वित करने में अत्याधिक कठिनाई का सामना कर रही है। विशेष रूप से, केरल जैसे राज्यों में, भूमि घटक को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना में शामिल नहीं किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय में, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना में भूमि घटक को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगी। अन्यथा इस कार्यक्रम को लागू करना राज्य सरकार के लिए बहुत कठिन होगा।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : महोदय, माननीय मंत्री ने कर्नाटक सरकार को निर्देश जारी किए थे कि जहां तक गाद निकालने का संबंध है, 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 25 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। मुश्किल से छः तालाबों की गाद निकालने का कार्य हाथों में लिया गया था और उनमें से भी केवल एक-चौथाई गाद निकाली जा रही है और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उस परियोजना का क्या हुआ। क्या वह परियोजना बंद कर दी गई है। या क्या वे इसमें कुछ सुधार करने और इसे शीघ्र लागू करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या सारे देश में है और गुजरात की हालत बहुत खराब हो गई है। गुजरात में जो नर्मदा योजना है, उसको एक राष्ट्रीय योजना घोषित कर दिया जाए और जो आर्थिक सहायता इस मद में भारत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वह मंत्री जी दे दें। क्या सरकार का नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का इरादा है ? यदि ऐसा हो जाए तो ग्राउंड वाटर का लैवल जो नीचे चला गया है वह ऊपर आ सकता है। मेरी तहसील भावनगर के गांवों में ही नहीं बल्कि आधे गुजरात में बरसात नहीं है। माननीय मंत्री जी इस योजना के द्वारा करोड़ों रुपयों का बचाव कर सकते हैं, जिससे पूरे गुजरात में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन देंगे, यही मेरी प्रार्थना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। विशेष मामले के रूप में मैं आपको इसकी अनुमति दे रहा हूं। आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : गुजरात का कच्छ जिला सीमावर्ती जिला है जहां पानी की भारी कमी है। वहां पर पानी में खारापन बढ़ता ही जा रहा है। माननीय सदस्य श्री आर०एल० जालप्पा ने विलवणीकरण का मामला उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे विलवणीकरण के कार्यक्रम को विशेष कार्यक्रम के तौर पर चला सकते हैं और क्या कच्छ जिले को विशेष मामले के रूप में पेयजल के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कोई कदम उठा सकता है। माननीय मंत्री जी कृपया उत्तर दें।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय मैं एक-एक लाइन के दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात तो यह कहना चाहता हूं पश्चिमी देशों की भांति हमारे देश में पानी का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली और पानी वितरण नहीं करना चाहिए। इससे यह होगा कि किसान कम से कम यह तो समझ जाएंगे कि ये चीजें कीमती हैं। तीसरी बात यह है कि उत्तोजक विधि से की जाने वाली सिंचाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए *(व्यवधान)* महोदय, मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। केवल इसी तरह से हम भारत को बचा सकते हैं। इन तरीकों से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और भारत को बचा सकते हैं। अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि

अधूरी पड़ी सभी जलापूर्ति परियोजनाओं को शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। बस मैं यही चार सुझाव देना चाहता हूं *(व्यवधान)*

श्री आर० मुथैया (पेरियागुलम) : यह तो घातक सुझाव है। *(व्यवधान)*

डा० रामचन्द्र डोमर (वीरभूम) : महोदय, उन दिनों पेयजल के संबंध में सबसे बड़ी समस्या पेयजल को दूषित हो जाने की है और वह भी विशेषकर संखिया और फ्लोराईड से दूषित हो जाने की। इस दूषित जल के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे है और कभी-कभी तो इस फ्लोराईड दूषित जल से अपंग तक हो गए हैं। महोदय आप तो जानते ही हैं कि जल में मिले इन तत्वों द्वारा ही अनेक स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियां पैदा होती है। समस्या यह है कि गण्य सरकारें पेयजल को शुद्ध करने और लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराने के लिए बहुत परेशानी महसूस करती है। विशेषकर मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में संखिया दूषित जल की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदूषण राहत शुद्ध पेयजल की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखने के लिए जल शुद्धिकरण पर जोर देने विशेषकर संखिया और फ्लोराइड प्रभावित लोगों के लिए कौन सी व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस संबंध में कोई व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार क्या कार्ययोजना बना रही है। मंत्री महोदय को इन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए *(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, आंध्र प्रदेश के मेरे क्षेत्र, जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, में जल में फ्लोराईड की मात्रा बहुत अधिक है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया यह समझने का प्रयास करें कि यह आधे घण्टे की चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने के पश्चात् नियमानुसार वे स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। मामले की महत्ता को देखते हुए मैंने सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी थी। मैंने ऐसा केवल विशेष मामले के रूप में ही किया है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : जनता, यहां तक कि छोटे बच्चों और किशोर बच्चों का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन फ्लोराईड अवयवों से जल को मुक्त करने के लिए भारी राशि खर्च की जानी है। जिन क्षेत्रों में जल फ्लोराईड अवयव युक्त हैं वहां स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए नीदरलैंड जैसे देश आगे आ रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला के लिए एक ऐसा प्रस्ताव था। भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है जिससे कि वे इसे नीदरलैंड को पेश कर सकें।

भारत सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है। नीदरलैंड या किसी अन्य बाहरी एजेंसी से इसके लिए धन आएगा। भारत सरकार को इन मामलों को उन देशों के सम्मुख रखने में क्या परेशानी है जो हमारी मदद करने को तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप प्रश्न लिख सकते हैं तथा बाद में माननीय सदस्यों को उत्तर भेज सकते हैं।

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, देश में 40,998 गाव है जिनकी पहचान पेयजल आपूर्ति रहित गांव के रूप में की गई है। उन्होंने अनुमान का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल उन्हीं गांवों का उल्लेख किया है जहां पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है। हमारे देश में जल की बहुतायत है किन्तु हमारे सभी गांवों में पेयजल नहीं है। जल प्रदूषित है तथा नहरें सूख गई हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह उल्लेख किया गया था कि हमारे देश के सभी गांवों में पेयजल पांच वर्षों के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री ने भी सभा में एक वक्तव्य दिया था कि यह सरकार इस कार्यक्रम को पांच वर्षों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किन्तु इस कार्यक्रम के लिए 1,600 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है और इसलिए यह आवंटन बढ़ाया जा सकता है। तथापि, मंत्री जी ठीक से बता सकेंगे कि इस वायदे को पूरा करने हेतु पांच वर्षों के लिए कितने आवंटन की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मुझे राज्य सरकार ने बताया है कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत लगाए गए ट्यूबवेलों तथा पाइपलाइनों के रखरखाव के लिए कोई धन नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से ट्यूबवेलों के रखरखाव के लिए धन मुहैय्या कराने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा, यदि इन्हें लगाने के बाद इनका समुचित रखरखाव नहीं किया जाता है तो अनेक ट्यूबवेल बेकार हो जाते हैं।

दूसरे, तटवर्ती इलाकों में कोई भी ट्यूबवेल चालू नहीं रहता है तथा अधिकांश ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से ट्यूबवेलों के रखरखाव के लिए अधिक धन मुहैय्या करा कर तटवर्ती इलाकों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित अधिकांश संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में कई 'डार्क ब्लाक' हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी तीन 'डार्क ब्लाक' हैं। दुर्भाग्यवश वहां 'डार्क ब्लाक' होने के कारण निजी ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है। सरकार के पास बड़े ट्यूबवेल लगाने के लिए धन नहीं है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से दो बातें पूछना चाहता हूं। पहला, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह प्रत्येक संसद सदस्य को कम से कम पांच राजकीय ट्यूबवेल देने पर विचार करेंगे। *(व्यवधान)* एक ट्यूबवेल पर 50 लाख रुपये की लागत आती है और इसलिए पांच ट्यूबवेल की लागत 2.5 करोड़ रुपये होगी। यह कोई छोटी रकम नहीं है।

दूसरे, इन 'डार्क ब्लाकों' में हैंड पंप भी काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहां पेयजल की भी समस्या है। यदि लोगों द्वारा निजी तौर पर भी हैंडपंप लगवाए जाते हैं तो ये जल स्तर के घटने की वजह से छः महीने या एक साल में बेकार हो जाते हैं। इसलिए में जानना चाहता हूं कि सरकार इन 'डार्क ब्लाकों' के लिए किन विशेष कार्यक्रमों पर विचार कर रही है तथा क्या उस तरह के राजकीय ट्यूबवेल या सरकारी ट्यूबवेल या विद्युतीकृत ट्यूबवेल उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से बताना चाहूंगा कि भू-जल सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि राजस्थान धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। गंगा यमुना का बेसिन भी 200 साल के बाद राजस्थान में तब्दील हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इसको रोकने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गांव में पीने के पानी की ऐक्यूट प्राब्लम है। पांच साल पहले सुन्डाका बालापुरा तहसील दीगोद, जिला कोटा राजस्थान में कुछ ट्यूबवेल्स खोदे गये हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा न होने के कारण वह स्कीम चालू नहीं हुई है। वे फ्लोराईड युक्त पानी पी रहे हैं। वहां के लोगों को पांच किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। वहां हैंडपम्प नहीं हैं और इस ऐक्यूट प्राब्लम को आप जानते हैं। हम एम०पीज० द्वारा सरकार को लिखने, अधिकारियों को लिखने, मंत्रियों को लिखने के बावजूद भी वहां हैंडपम्प स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या एम० पीज० के लैटर को, जो कि फील्ड में जाकर देखते हैं, आप प्रायरिटी देंगे ?

एक और निवेदन करना चाहूंगा कि लाखों रुपये, राजस्थान सरकार ने चम्बल से जयपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए दो-तीन बार सर्वे करवाया है क्योंकि चम्बल में ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्कीम बनाई जानी थी। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। इसी कारण जयपुर और उसके आस पास के क्षेत्रों में पीने के पानी की ऐक्यूट प्रौबल्म हो रही है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। क्या ऐसे मामलों में आप राजस्थान के एम०पीज० को बिठाकर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, उसे प्रॉयरिटी देंगे, इसके बावजूद मेरे एरिया में ऐसे विलेज हैं जिनमें एक हैंडपम्प ठीक नहीं है। चम्बल जैसी नदी के पीने के पानी की जो स्कीम है, क्या उस स्कीम को स्वीकृत कराने के लिए भारत सरकार की ओर से पैसा देंगे ताकि राज्य सरकार उसे क्रियान्वित कर सकें? इसरदा जैसा डैम जो पीने के पानी के लिए प्रस्तावित किया गया है, उसका कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आशा करूंगा कि जो ऐक्यूट प्रौबल्मैटिक मामले हैं, जहां पीने का पानी नहीं है, जो स्कीम्स ऑलरैडी हैं, उनको कार्यान्वित कराने के लिए आप कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप इन सभी सुझावों को नोट कर सकते हैं और बाद में माननीय सदस्यों को उत्तर भेज सकते हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को नोट कर लिया है।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : महोदय, मैं भी बोलनगीर और कालाहांडी के बारे में बोलना चाहती थी।

श्री बाबागौड़ा पाटील : महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से के०बी०के० जिलों का दौरा करूंगा तथा मामले को देखूंगा *(व्यवधान)*

महोदय, एक माननीय सदस्य ने पानी की गुणवत्ता के बारे में चिन्ता जताई है। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हम लोग उस पानी का शुद्धिकरण तथा परिष्करण नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए भारी धन की जरूरत होती है। इसलिए इस समस्या को सिर्फ रिचार्जिंग कार्यक्रम से ही हल किया जा सकता है। चूंकि भूजल स्तर में गिरावट आ रही है, इसलिए जल की गुणवत्ता प्रभावित है। इन सभी समस्याओं का भूजल प्रबंधन तथा वर्षा जल आधारित खेती की संरचना बना कर हल किया जा सकता है। मैंने राज्यों को रोजगार आश्वासन कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के तहत इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने को लिखा है। हम लोगों ने सभी मुख्य सचिवों को माननीय सदस्यों के सुझाव सुनने के लिए भी पत्र लिखा है। जिन गांवों में इन कार्यक्रमों को लागू नहीं किया जा सका है वहां लगभग 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। मैं योजना आयोग को इससे अवगत कराऊंगा। जिससे कि वे हमें दिशा निर्देश दें और उन दिशा निर्देशों के मुताबिक हम धन आवंटित करें।

अध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा गुरूवार 30 जुलाई, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.29 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार 30 जुलाई, 1998/8 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

©1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।